

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन
सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र

बिहार सरकार
वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या-3

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिकाएँ	पृष्ठ / अभियुक्तियाँ
प्राक्कथन		iii
विहंगावलोकन		v
अध्याय-I		
परिचय		
इस रिपोर्ट के बारे में	1.1	1
लेखापरीक्षिती रूपरेखा	1.2	1
निरीक्षण प्रतिवेदनों पर सरकार की प्रतिक्रिया	1.3	1
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों के लिए सरकार की प्रतिक्रिया (प्रारूप कंडिकाएँ/निष्पादन लेखापरीक्षा/विषयगत लेखापरीक्षा)	1.4	2
निष्पादन/विषयगत लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान सरकार और लेखापरीक्षित इकाईयों की प्रतिक्रिया	1.5	3
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कृत कार्रवाई	1.6	4
लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप वसूली	1.7	4
राज्य विधान मंडल में स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुतीकरण की स्थिति	1.8	5
अध्याय-II		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
पथ निर्माण विभाग		
भारत-नेपाल सीमा सड़क परियोजना	2.1	7
ग्रामीण विकास विभाग		
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन	2.2	41
अध्याय-III		
अनुपालन लेखापरीक्षा		
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग		
बिहार महादलित विकास मिशन की कार्यप्रणाली	3.1	89
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग		
“क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण” (कैम्पा) निधियों का उपयोग	3.2	98
पथ निर्माण विभाग		
परिहार्य व्यय	3.3	112
परिशिष्ट	115	

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र सेवाओं के अन्तर्गत बिहार सरकार के विभागों के निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

प्रतिवेदन में वैसे मामले शामिल हैं जिन्हें वर्ष 2018-19 के लेखाओं के नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया तथा साथ ही जो पूर्ववर्ती वर्षों में पाए गए परन्तु पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे। प्रतिवेदन में वर्ष 2018-19 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी आवश्यकतानुसार अद्यतन कर शामिल किया गया है। इस प्रतिवेदन में निहित लेखापरीक्षा परिणाम सीमित नमूना-जाँच पर आधारित है। राज्य सरकार को सभी विभागों के कार्यकलाप की समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सदृश्य मामलें मौजूद नहीं हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संपादित किए गए हैं।

A stylized blue envelope icon with a dark blue triangular flap pointing upwards. The body of the envelope is a rounded rectangle with a lighter blue color.

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सामान्य, सामाजिक और आर्थिक प्रक्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में ‘भारत–नेपाल सीमा सड़क परियोजना’ तथा ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्यान्वयन’ दो निष्पादन लेखापरीक्षा, बिहार महादलित विकास मिशन की कार्यप्रणाली और ‘क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण’ (कैम्पा) निधि का उपयोग पर दो दीर्घ कंडिकाएँ और सरकारी विभागों पर एक अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिका के निष्कर्ष शामिल हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है।

2.1 ‘भारत–नेपाल सीमा सड़क परियोजना’ का निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश	
सितंबर 2010 में मंत्रीमंडलीय रक्षा समिति (सी.सी.एस.) ने क्या निर्णय लिया? भारत–नेपाल सीमा (भा.ने.सी.) के साथ 1,377 किलोमीटर सड़क का निर्माण, जिसमें से 564 किलोमीटर बिहार में थी। (कंडिका सं.–2.1.1)	
सड़क महत्वपूर्ण क्यों है? सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.), जो भारत–नेपाल सीमा की रक्षा करती है, की संपर्कता, गतिशीलता और प्रभुत्व को सुनिश्चित करने के लिए। हाल ही में (जून 2020) सीतामढ़ी और किशनगंज जिलों में सीमा पार से हुई गोलीबारी ने एस.एस.बी. की गश्त और सीमा चौकी की संपर्कता की संवेदनशीलता को रेखांकित किया है। (कंडिका सं.–2.1.1)	
परियोजना को कैसे क्रियान्वित किया गया था?	
संरक्षण और संपर्कता	भूमि अधिग्रहण
❖ 191 सीमा चौकियों में से, 122 (64 प्रतिशत) प्रस्तावित सीमा सड़क के मुख्य संरक्षण से दूर थे और इनमें से 13 सीमा चौकियाँ मुख्य संरक्षण से पाँच से 30 किलोमीटर दूर थे। ❖ चूंकि यह संरक्षण सीमा रेखा से दो से पाँच कि.मी. अंदर थी, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर गश्त और प्रभुत्व के लिए सीमा सड़क के रूप में काम नहीं करेगा। कुछ खंड तो 40 कि.मी. दूर थे। ❖ इसके अलावा, सीमा सड़क पर सीमा चौकियों को आपस में जोड़ने के लिए लिंक रोड का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। ❖ इसके अलावा, एस.एस.बी. की निर्बाध गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए, सीमा चौकी से सीमा चौकी की संपर्कता वांछनीय थी, लेकिन पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.) द्वारा संरक्षण को अंतिम रूप देते समय (अप्रैल 2011) इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा गया। ❖ परिणामस्वरूप, सीमा चौकियों को सड़क से संपर्कता प्रदान करना और एस.एस.बी. की गतिशीलता में वृद्धि को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। (कंडिका सं.–2.1.6.1)	❖ विभाग ने दावा किया कि 2759.25 एकड़ भूमि के विरुद्ध 2497.64 एकड़ (91 प्रतिशत) अधिग्रहण किया जा चुका था। ❖ हालाँकि, भूमि का अधिग्रहण वास्तव में पूरा नहीं हुआ था क्योंकि दाखिल–खारिज प्रक्रिया पूरी न होने के कारण स्वामित्व को वैधानिक रूप से सरकार को हस्तांतरित नहीं किया गया था। एक जिले (पूर्वी चंपारण) में, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी तरह से कालातीत हो गयी थी। ❖ भूमि अधिग्रहण के लिए आपातकालीन प्रावधान के तहत विलंब से आवेदन करने के कारण लागत में ₹1375.33 करोड़ (158 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और इससे परियोजना में न्यूनतम पाँच वर्षों का विलंब हुआ। ❖ जुलाई 2012 में समर्पित भूमि अधिग्रहण योजना (भू.अ.यो.) में स्ट्रिप प्लान (भू-भाग योजना) में भूमि की अनुपलब्धता, भूमि–जोत की गलत माप, गलत भूस्वामी आदि जैसी विसंगतियाँ थीं। ❖ अधिक भुगतान के मामले– भूमि के गलत वर्गीकरण के कारण ₹104.33 करोड़ का भुगतान, वास्तविक दावों के सत्यापन को सुनिश्चित किये बिना भू–स्वामियों को ₹45.36 करोड़ का अधिक भुगतान। ❖ फर्जी दस्तावेज पर ₹2.36 करोड़ का धोखाधड़ी से भुगतान, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी (जि.भू.पदा.) द्वारा ₹20.84 करोड़ की स्थापना शुल्क का संक्षिप्त प्रेषण आदि जैसे मामले भी पाये गये। (कंडिका सं.–2.1.7)

❖ सीमा सड़क के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (प.व. ज.परि.मं.) के 'सिंगल विंडो सिस्टम' के तहत वन्य जीव मंजूरी का प्रावधान रहने के बावजूद, प.नि.वि. ने यह मानते हुए कि प.व.ज.परि.मं. द्वारा वन्य जीव मंजूरी द्वारा नहीं दिया जाएगा, इसके लिए आवेदन नहीं किया और संरेखण को बदल दिया। ❖ संरेखण को वन्यजीव आरक्षित क्षेत्र की दक्षिणतम सीमा में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह संरेखण अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 20 कि.मी. से अधिक दूर था। (कंडिका सं.-2.1.6.2) ❖ सड़क संरेखण में बदलाव (अगस्त 2016) से 15 पुलों (₹ 146.06 करोड़ के व्यय के साथ निर्मित) का मुख्य संरेखण से संपर्क अलग हो गया। सड़कों से जुड़े नहीं रहने के कारण, ये पुल अनुपयोगी बने रहे (जून 2020)। (कंडिका सं.-2.1.6.3) ❖ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को संरेखण को अंतिम रूप दिये जाने से पूर्व ही बनाया गया था और कमियों के बावजूद अनुमोदित किया गया था। (कंडिका सं.-2.1.8)	क्रियान्वयन ❖ विभाग ने भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना 552.29 कि.मी. के पूरे खंड के लिए सड़क निर्माण का ठेका आवंटित कर दिया। ❖ 15 खंडों में से 10 खंडों (396.975 कि.मी.) में संवेदकों ने भूमि की अनुपलब्धता के कारण काम रोक दिया था, जिसमें से एक खंड (24.05 कि. मी.) में एकरारनामा को रद्द कर दिया गया था, जबकि नौ खंड (372.92 किलोमीटर) मध्यस्थता/ न्यायाधिकरण के मामलों से प्रभावित थे। ❖ इसके अलावा, भौतिक रूप से सत्यापित 29 पुलों में से 23 में भा.ने.सी. सड़क निर्माण में भूमि अधिग्रहण के मसले, सड़कों के अधूरे निर्माण और इन पुलों के संरेखण से बाहर होने के कारण संपर्क विहीन थे। पुलों पर कुल ₹928.77 करोड़ खर्च हुए। ❖ इनमें से 31 पुलों की दोष दायित्व अवधि समाप्त हो चुकी है। दोष दायित्व अवधि के समाप्त हो जाने और पुलों को प.नि.वि. द्वारा अधिग्रहित नहीं किये जाने के कारण इन पुलों और इसके संपर्क पथों का रखरखाव नहीं किया जा रहा था। (कंडिका सं.-2.1.9.1 & 2.1.6.3)
 गलगलिया से पिनटोला, किशनगंज जिला में (चैनैज 123.30)	
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	
क्या परिकल्पित किया गया था?	वास्तविक स्थिति
परियोजना मार्च 2016 तक पूरी की जानी थी।	अतिक्रमण मुक्त खंड पर चल रहे काम को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर 2019 तक और शेष खंड के लिए 31 दिसंबर 2022 तक समय-अवधि विस्तारित की गयी थी। अक्टूबर 2020 तक केवल 24.20 कि.मी. (दो खंड) सड़कों का निर्माण (4.38 प्रतिशत) किया जा सका था।
सशस्त्र सीमा बल की संपर्कता, गतिशीलता एवं प्रभुत्व।	दस साल की अवधि में 64 प्रतिशत सीमा चौकियाँ मुख्य संरेखण से नहीं जुडी थी, जो एस.एस.बी. की गतिशीलता को प्रभावित कर रहे थे। परियोजना के उद्देश्यों की पूर्ति अधूरी रही।

बिहार में एस.एस.बी. को संवेदनशील सीमा पर प्रभावी ढंग से सक्षम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समानांतर सड़क का निर्माण करना।	भारत नेपाल सीमा का प्रस्तावित संरक्षण एस.एस.बी. को संपर्कता, गतिशीलता और सीमा क्षेत्रों पर प्रभावी ढंग से प्रभुत्व स्थापित करने की क्षमता प्रदान करने के वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के बिना अधूरा रहा। प्रस्तावित सड़क संरक्षण कुछ क्षेत्रों में सीमा से 40 कि.मी. तक दूर है।
लेखापरीक्षा मुख्यतः क्या अनुशंसा करता है ? बिहार सरकार :	
❖ एस.एस.बी. की सुचारु गतिशीलता के लिए सीमा चौकियों से संपर्कता सुनिश्चित कर सकती है।	
❖ सुनिश्चित कर सकती है कि सीमा सड़क और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच की दूरी एक व्यावहारिक दूरी तक कम हो जाए, जो एस.एस.बी. को प्रभावी ढंग से सीमा पर प्रभुत्व बनाने में सक्षम बनाए। संपर्क पथ तथा सीमा चौकियों से सीमा चौकियों की संपर्कता को जरूर ध्यान में रखा जाना चाहिए।	
❖ इच्छित उद्देश्य के लिए नवनिर्मित पुलों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित कर सकती है।	
❖ भूमि अधिग्रहण के मामले की जाँच कर सकती है तथा तदनुसार शीघ्रता से वास्तविक भूमि अधिग्रहित कर सकती है।	
❖ उन परिस्थितियों की जाँच कर सकती है जिनके तहत जि.भू.पदा. द्वारा भूमि का प्रकार बदला गया था और कपटपूर्ण भुगतान किया गया था और उसके लिए जिम्मेदारी भी तय कर सकती है। भूमि अधिग्रहण कार्यालयों और अधिकारियों पर जिला प्रशासन की निगरानी को मजबूत करने के लिए आगे प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।	

2.2 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्यान्वयन

कार्यकारी सारांश

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को भारत सरकार (भा.स.) ने इस उद्देश्य के साथ लागू किया कि ग्रामीण परिवारों के आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उन सभी परिवारों को उपलब्ध हो जिसके व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हो, विभिन्न गरीबी उन्मूलन और आजीविका कार्यक्रमों के अभिसरण से टिकाऊ और दीर्घकालिक परिसंपत्तियों का सृजन हो, रोजगार के कानूनी तंत्रों के माध्यम से ग्रामीण भारत में रहने वाले सर्वाधिक लाभवंचित लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिले।

मनरेगा योजना का निष्पादन लेखापरीक्षा यह जाँच करने के लिए किया गया था कि क्या मनरेगा (अधिनियम) के अंतर्गत ग्रामीण परिवार कानूनी हक और अधिकारों से संरक्षित थे, सभी योग्य और इच्छुक परिवारों का पंजीकरण किया गया था और जॉब कार्ड आवंटित किया गया था, एक वित्तीय वर्ष में इच्छुक परिवारों के लिए कम से कम 100 दिनों का मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए काम के अवसरों को सृजित किया गया था, सभी काम चाहने वाले को रोजगार उपलब्ध कराया गया था, मजदूरी का समय पर भुगतान किया गया था, टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन किया गया था, विशेष रूप से संवेदनशील समूहों और अ.जा./अ.ज.जा. के परिवारों के आजीविका सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण को सुनिश्चित किया गया था और इस योजना का कार्यान्वयन पारदर्शी तरीके से जैसा कि अधिनियम में परिकल्पित था, किया गया था।

लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि सभी संभावित काम चाहने वाले विशेष रूप से योजना के अंतर्गत के भूमिहीन आकस्मिक श्रमिकों के पंजीकरण हेतु पर्याप्त सुधार की जरूरत थी। यद्यपि 88.61 लाख भूमिहीन आकस्मिक श्रमिकों के साथ बिहार देश में सर्वाधिक संख्या वाला राज्य था जिसमें से 60.88 लाख (69 प्रतिशत) का सर्वेक्षण किया गया था और मात्र 3.34 प्रतिशत (90,161 इच्छुक परिवारों में से 3,007 को) को जॉब कार्ड निर्गत किया गया था। नमूना-जाँचित जिलों में, एक प्रतिशत से भी कम (22,678 इच्छुक परिवारों में

से 146 को) को जॉब कार्ड निर्गत किया गया था और सर्वेक्षण कार्य को बंद कर दिया गया था। संवेदनशील समूहों के परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विशेष योजना जो कि आवश्यक थी, नहीं बनाई गई थी। लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि राज्य में 2014-19 की अवधि में मात्र नौ से 14 प्रतिशत पंजीकृत विकलांग लोगों और पाँच से नौ प्रतिशत वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष और उससे अधिक) को ही इस योजना में रोजगार उपलब्ध कराया गया था।

सम्पूर्णतः, 2014 और 2019 के दौरान मंदी की अवधि (जुलाई से नवंबर) में 26 से 36 प्रतिशत काम के माँग के विरुद्ध मात्र दो से नौ प्रतिशत परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया था। सम्पूर्णतः राज्य में 2014-19 की अवधि में रोजगार माँगने वाले परिवारों में से 100 दिनों का रोजगार एक प्रतिशत और तीन प्रतिशत के बीच की सीमा से भी कम परिवारों को उपलब्ध हुआ था।

टिकाऊ परिसंपत्तियों के सृजन से संबंधित लिये गये कार्यों में से मात्र 14 प्रतिशत कार्यों को पूर्ण किया गया था। नमूना-जाँचित ग्रा.पं. में, कुल 17,404 कार्यों को लिया गया था, 11,310 कार्य (65 प्रतिशत) 2014-19 की अवधि में एक से पाँच वर्षों तक अपूर्ण पड़े हुए थे, जिसमें से 6,869 कार्यों (61 प्रतिशत) को प्रारंभ नहीं किया गया था। ग्रामीण गरीबों के आजीविका स्रोत के आधार के सुदृढीकरण हेतु ग्रा.वि.मं. ने (अप्रैल 2016) व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के सृजन पर पर्याप्त जोर दिया था यथा खेत में तालाब का निर्माण, वर्मी/नाडेप कंपोस्टिंग गड्ढा, एडब्यूसी, आई.एच.एच.एल. और सड़क किनारे वृक्षारोपण। राज्य में 2016-18 की अवधि में विशेष क्षेत्र कार्यों के लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धि बहुत ही कम थी और यह एक प्रतिशत से भी कम और 23 प्रतिशत की सीमा में थी। मनरेगा कार्यों का अन्य लाईन विभागों यथा वन, कृषि, बि.स. के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभागों द्वारा लिये गये योजनाओं के साथ अभिसरण नहीं किया जा सका था। अमान्य/गैर-टिकाऊ कार्यों का कार्यान्वयन, अपर्याप्त सामाजिक लेखापरीक्षा कराया जाना, एस.ई.जी.सी. द्वारा नियमित आधार पर योजनाओं के कार्यान्वयन का मूल्यांकन नहीं करना, लोकपाल की नियुक्ति नहीं करना, मूल अभिलेखों का संधारण नहीं करना भी लेखापरीक्षा में पाया गया।

योजना के कार्यान्वयन में कमियों के कई कारण ज्ञात हुए जैसे राज्य के न्यूनतम मजदूरी दर से भी कम मनरेगा कामगारों के लिए मजदूरी दर की स्वीकृति, मजदूरी के भुगतान में विलंब की घटनाएँ, मजदूरी भुगतान में विलंब के लिए क्षतिपूर्ति भुगतान नहीं करना, बेरोजगारी भत्ता का भुगतान नहीं करना, अंतिम एक से आठ वर्षों में बड़े पैमाने पर मजदूरी और सामग्री लागत के भुगतान का दायित्व लंबित रहना, सभी कार्यान्वयन इकाईयों में मानवबलों की कमी और यहाँ तक की ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यक बुनियादी ढाँचे की कमी। इसके अतिरिक्त, नमूना-जाँचित इकाईयों में अप्रभावी और न के बराबर की अनुश्रवण प्रक्रिया, एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के कार्यान्वयन में पारदर्शिता की कमी, आई.ई.सी. क्रियाकलापों का संचालन नहीं करना इत्यादि इस योजना के कार्यान्वयन में अन्य अवरोधक थे।

अनुपालन लेखा परीक्षा

दीर्घ प्रारूप कंडिकाएं

3.1 बिहार महादलित विकास मिशन (बी.एम.वी.एम.) की कार्यप्रणाली

बी.एम.वी.एम.का वित्तीय प्रबंधन अप्रभावी था, जो अवास्तविक बजट आवंटन, उपयोगिता प्रमाणपत्रों के जमा न करने, रोकड़ बही के गैर-समाधान से स्पष्ट था और कई बैंक खातों का संचालन धन के दुरुपयोग और गबन के जोखिम से भरा था। इसके अलावा, राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर मानवबल की गंभीर कमी थी, जिसका योजनाओं के निष्पादन और निगरानी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सामुदायिक भवनों के निर्माण की गति धीमी थी और निधि के प्रावधान नहीं होने के कारण पूर्व से संचालित सामुदायिक भवनों की स्थिति खराब थी।

3.2 'क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण' (कैम्पा) निधि का उपयोग

तदर्थ कैम्पा के साथ निधि के मिलान के अभाव में राज्य कैम्पा वार्षिक योजना को समयानुसार तैयार किए जाने को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। वार्षिक योजना में निधि के अनुपयुक्त प्रावधान के कारण कार्यों के क्रियान्वयन में देरी हुई थी। बकाया क्षतिपूरक वन रोपण योजनाओं के कारण राज्य कैम्पा पर वित्तीय भार पड़ा था। इसके अलावे उपयोगकर्ता एजेंसियों से निधि की मांग और वनीकरण हेतु वास्तविक आवश्यकता/निधि के उपयोग के बीच अनुरूपता नहीं थी क्योंकि उपयोगकर्ता एजेंसियों से अधिक राशि की मांग के दृष्टांत देखे गए थे। अपर्याप्त अनुश्रवण तंत्र ने निधि के अप्रभावी उपयोग के साथ अनियमित, निष्फल और अधिक व्यय में योगदान दिया था।

प्रारूप कंडिका

3.3 परिहार्य व्यय

अभियंता प्रमुख द्वारा जारी अनुदेशों का उल्लंघन कर कार्यपालक अभियंता, मानपुर, गया द्वारा निकटतम खदान के स्थान पर कोडरमा, झारखंड से स्टोन चिप्स को लाने की अनुमति देने के निर्णय के परिणामस्वरूप ₹2.73 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ था।



અધ્યાય-I

પરિચય

अध्याय-I परिचय

1.1 इस रिपोर्ट के बारे में

यह प्रतिवेदन चयनित कार्यक्रमों और कार्यकलापों के निष्पादन लेखापरीक्षा तथा बिहार सरकार के सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्रों के अन्तर्गत विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले मामलों से संबंधित हैं।

निष्पादन लेखापरीक्षा एक विस्तार क्षेत्र जिसमें उस सीमा तक, जहाँ तक एक संगठन, कार्यक्रम या योजना मितव्ययिता पूर्वक, दक्षता पूर्वक तथा प्रभावकारिता पूर्वक संचालित होती है, का एक स्वतंत्र मूल्यांकन/परीक्षण है। निष्पादन का उचित मानदंडों के विरुद्ध परीक्षण किया जाता है और उन मानदंडों से विचलन के कारणों का विश्लेषण किया जाता है।

अनुपालन लेखापरीक्षा सरकार के व्यय, प्राप्तियों, संपत्तियों और दायित्वों से संबंधित लेन-देन का परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभिन्न आदेशों तथा निर्देशों का अनुपालन किये जाने को संदर्भित करता है।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य वर्ष 2018-19 के दौरान किए गए निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षाओं के संबंध में महत्वपूर्ण सार के लेखापरीक्षा निष्कर्षों को विधान मंडल के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से यह अपेक्षा है कि वह कार्यकारी को सुधारात्मक कार्रवाई करने के साथ-साथ नीतियों और निर्देशों के ढाँचा निर्माण हेतु सक्षम बनाएगा, जो संस्था के वित्तीय प्रबंधन को बेहतर रूप से आगे करेगा, इस तरह से अधिक अच्छा शासन और बेहतर सार्वजनिक सेवा देने में योगदान करेगा।

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय शामिल हैं। यह अध्याय, लेखापरीक्षा की योजना और सीमा के व्याख्या के साथ-साथ, विभागों के व्यय एवं लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं उन पर की गई कार्रवाई पर सरकार की प्रतिक्रिया का संक्षिप्त विश्लेषण प्रदान करता है। अध्याय-II और III वर्ष 2018-19 के दौरान किए गए निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षा पर विस्तृत निष्कर्षों और अवलोकनों को प्रस्तुत करते हैं।

1.2 लेखापरीक्षिती रूपरेखा

राज्य में 44 विभाग हैं, जिनमें से 39 विभाग सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्रों से संबंधित हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹2,09,489.83 करोड़ के कुल बजट के विरुद्ध, राज्य ने कुल ₹1,60,317.66 करोड़ व्यय किया। जिसमें कुल ₹1,24,571.05 करोड़ का व्यय सामान्य, सामाजिक और आर्थिक प्रक्षेत्रों के तहत 39 विभागों से संबंधित थे।

1.3 निरीक्षण प्रतिवेदनों पर सरकार की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार लेनदेन की नमूना-जाँच द्वारा सरकारी विभागों के आवधिक निरीक्षण का संचालन तथा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखांकन एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण को सत्यापित करता है। इन निरीक्षणों के पश्चात् चार सप्ताह के अन्दर जवाब प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ, कार्यालय प्रमुख को लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जारी किया जाता है। लेखापरीक्षा निरीक्षण के दौरान पाये गये महत्वपूर्ण अनियमितताओं का निपटान कार्य-स्थल पर नहीं किये जाने

की स्थिति में, इन्हें निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों, अगले उच्च प्राधिकारियों को प्रतिलिपि के साथ जारी किया जाता है।

जब भी जवाब प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा निष्कर्ष का या तो निपटान किया जाता है या अनुपालन के लिए अग्रेत्तर कार्रवाई की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में चिह्नित किए गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने की प्रक्रिया की जाती है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाते हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य के 95 आहरण एवं संवितरण अधिकारी और तीन स्वायत्त निकायों का अनुपालन लेखापरीक्षा कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार द्वारा संचालित की गई थी।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार के कार्यालय द्वारा गंभीर अनियमितताओं को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की अर्धवार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से विभागों के प्रमुखों के भी ध्यान में लाया गया है।

सितम्बर 2018 तक 39 विभागों से संबंधित 3,183 आहरण एवं संवितरण अधिकारी को जारी की गई निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा से उद्घटित हुआ कि 7,118 निरीक्षण प्रतिवेदन से संबंधित ₹3,44,985.91 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाली 47,684 कंडिकाएँ 31 मार्च 2019 के अंत तक लंबित रही हैं जैसा कि तालिका 1.1 में दिखाया गया है। लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिका और अनियमितताओं के प्रकार की वर्ष-वार स्थिति परिशिष्ट-1.1 और परिशिष्ट-1.2 में क्रमशः वर्णित हैं:

तालिका सं.1.1
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिकाएँ

क्रम संख्या	अवधि	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रतिशत)	लंबित कंडिकाओं की संख्या (प्रतिशत)	शामिल राशि (₹ करोड़ में)
1	1 वर्ष से कम	91(1)	1,066(2)	5,872.46
2	1 से 3 वर्षों तक	2,689(38)	21,197(44)	1,87,065.76
3	3 वर्षों से अधिक से 5 वर्षों तक	1,767(25)	11,200(24)	70,679.06
4	5 वर्षों से अधिक	2,571(36)	14,221(30)	81,368.63
कुल		7,118	47,684	3,44,985.91

वर्ष 2018-19 के दौरान, 19 लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गईं जिनमें केवल एक कंडिका का निपटान किया गया।

विभागीय अधिकारी निर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों पर कार्रवाई करने में असफल रहें, परिणामस्वरूप उत्तरदायित्व का क्षरण हुआ।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार लेखापरीक्षा अवलोकनों पर त्वरित एवं उचित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मामलों को देखें।

1.4 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों के लिए सरकार की प्रतिक्रिया (प्रारूप कंडिकाएँ/निष्पादन लेखापरीक्षा/विषयगत लेखापरीक्षा)

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियाँ कार्यान्वयन तथा चयनित विभागों के आंतरिक नियंत्रणों के गुणवत्ता में महत्वपूर्ण कमियों पर सूचना दी है, जिसका विभागों के कार्यक्रमों और कार्यकलापों की सफलता पर नकारात्मक प्रभाव

पड़ता है। मुख्य ध्यान विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं की लेखापरीक्षा और कार्यकारी को सुधारात्मक कार्रवाई एवं नागरिकों को सेवा प्रदान करने में सुधार के लिए उचित सिफारिश प्रदान करने पर था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन 2007 के प्रावधानों के अनुसार, विभागों को छः सप्ताह के अन्दर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल होने के लिए प्रस्तावित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं पर उनकी प्रतिक्रिया भेजने की आवश्यकता है। यह विभागों के प्रमुख के व्यक्तिगत ध्यान में लाया गया कि राज्य विधानमंडल के समक्ष पेश किए जाने वाले भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में ऐसे कंडिकाओं के संभावित समावेश को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में उनकी टिप्पणियाँ शामिल करना वांछनीय होगा। उन्हें प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों और प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर चर्चा करने के लिए महालेखाकार से मिलने की भी सलाह दी गई थी। प्रतिवेदन में शामिल होने के लिए प्रस्तावित इन प्रारूप प्रतिवेदनों और कंडिकाओं को विभागों के प्रमुखों को उनके जवाब प्राप्त करने के लिए भी भेजा गया।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 के लिए, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग का जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) निधि का उपयोग विषय से संबंधित दीर्घ प्रारूप कंडिका पर भी विभाग का जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

1.5 निष्पादन/अनुपालन लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान सरकार और लेखापरीक्षित इकाईयों की प्रतिक्रिया

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 18 (1) (ब) अनुबंध करता है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह प्राधिकार होगा कि वह कोई लेखे, बहियाँ और अन्य दस्तावेजों की मांग कर सकता है जो उन संव्यवहारों जिनकी लेखापरीक्षा की बाबत उसके कर्तव्यों के विस्तार के बारे में हो या उनका आधार हो या उनसे सुसंगत हो। इस प्रावधान को लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमन 2007 के नियम 181 द्वारा पुनः विस्तारित किया गया है, जो यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक विभाग अथवा सत्त्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखापरीक्षा द्वारा अपेक्षित आकड़ें, सूचना तथा दस्तावेज उसे समय पर उपलब्ध कराए गए हैं, एक तंत्र स्थापित करेगा तथा कार्यान्वित करेगा।

ऐसे स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद, लेखापरीक्षा के समक्ष अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण के कई मामलें हैं। ये लेखापरीक्षा के प्रभावशीलता को सीमित करते हैं। यद्यपि इस तरह के मामले प्रत्येक अवसर पर प्राधिकारियों के संज्ञान में लाए जाते हैं, परंतु संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई एक समान शीघ्र एवं प्रभावी नहीं है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 के लिए दो निष्पादन लेखापरीक्षा और दो दीर्घ कंडिकाएँ इस प्रतिवेदन में शामिल की गई हैं। हालाँकि बार-बार प्रयासों के बावजूद लेखापरीक्षा दलों द्वारा मांगे गए अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गए थे और कई मामलों में लेखापरीक्षा के दौरान जारी लेखापरीक्षा ज्ञापनों के जवाब उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

97 इकाईयों में से 87 ने लेखापरीक्षा द्वारा मांगें गए कतिपय अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया, जिसका विवरण **परिशिष्ट-1.3** में है।

अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण गंभीर रूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संवैधानिक अधिदेश के कयावद को परिसीमित करता है और परिणामस्वरूप राज्य सरकार के पदाधिकारियों के जवाबदेही में कमी और धोखाधड़ी, दुर्विनियोजन, गबन आदि को छिपाया जा सकता है। राज्य सरकार को उचित कार्रवाई करने सहित अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण के प्रत्येक मामले को चिन्हित करते हुए, सतर्कता के दृष्टिकोण से संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया जाता है।

दो निष्पादन लेखापरीक्षा और दो दीर्घ कंडिकाओं के संबंध में जारी 2,038 लेखापरीक्षा ज्ञापनों में से, 157 लेखापरीक्षा ज्ञापनों का कोई जवाब प्राप्त नहीं किया गया था तथा 303 लेखापरीक्षा ज्ञापनों के संबंध में केवल आंशिक जवाब प्राप्त किए गए थे जिनका विवरण **परिशिष्ट-1.3** में है।

1.6 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कृत कार्रवाई

लोक लेखा समिति की आंतरिक कार्यप्रणाली के लिए प्रक्रिया के नियम के अनुसार प्रशासनिक विभागों को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर स्वतः कार्रवाई प्रारंभ करनी थी, चाहे लोक लेखा समिति द्वारा इनकी जाँच की गई हो या नहीं। उन्हें लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षित विस्तृत टिप्पणियों को विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति के दो माह के भीतर की गई या प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई का वर्णन प्रस्तुत करने थे।

31 मार्च 2018 की अवधि तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं पर 30 सितम्बर 2019 तक कृत-कार्रवाई टिप्पणियों की प्राप्ति की वस्तुस्थिति **तालिका 1.2** में दी गई है।

तालिका 1.2
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सा.सा. एवं आ.प्र.) में सम्मिलित कंडिकाओं पर विभागीय कृत-कार्रवाई की प्राप्ति के संबंध में स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	30 सितम्बर 2018 तक लंबित कृत-कार्रवाई (कंडिकाओं की संख्या)	राशि मूल्य (₹ करोड़ में)	राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने की तिथि	कृत-कार्रवाई की प्राप्ति की नियत तिथि
2015-16	5	372.06	27/03/17	27/05/17
2016-17	6	364.42	30/11/18	28/02/19
2017-18	राज्य विधानमंडल में अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया			

उपर्युक्त तालिका लेखापरीक्षा अवलोकनों पर विभागों की धीमी प्रतिक्रिया को दर्शाता है।

1.7 लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप वसूली

राज्य सरकारों के विभागों के लेखों के नमूना-जाँच के दौरान पाई गई वसूली से जुड़े लेखापरीक्षा निष्कर्षों को संबंधित प्राधिकारियों की पुष्टि एवं लेखापरीक्षा की सूचना देते हुए आवश्यक कार्रवाई के लिए संदर्भित किया जाता है।

वर्ष 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा ₹19.65 करोड़ की वसूली के कुल 16 मामलों को चिह्नित किया गया और विभागों द्वारा इसे स्वीकार किया गया। हालाँकि, विभाग अभी भी इन मामलों में वसूली की प्रक्रिया में है।

1.8 राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुतीकरण की स्थिति

राज्य में पाँच स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौपा गया था, जिसमें से चार स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षाओं को सौपने का नवीकरण नहीं किया गया है। लेखापरीक्षा के सौपने की स्थिति, लेखापरीक्षा के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का निर्गमन और विधानमंडल में इसकी प्रस्तुतीकरण **परिशिष्ट-1.4** में दर्शायी गई हैं।



અધ્યાય-II

નિષ્પાદન લેખાપરીક્ષા

अध्याय-II

निष्पादन लेखापरीक्षा

पथ निर्माण विभाग

2.1 भारत-नेपाल सीमा सड़क परियोजना

2.1.1 पृष्ठभूमि

भारत और नेपाल 1751 कि.मी. की खुली सीमा उत्तराखंड (263 कि.मी.), उत्तर प्रदेश (560 कि.मी.), बिहार (729 कि.मी.), पश्चिम बंगाल (100 कि.मी.) और सिक्किम (99 कि.मी.) राज्यों के साथ साझा करते हैं। अपनी खुली और छिद्रपूर्ण प्रकृति के कारण, भारत-नेपाल सीमा (भा.ने.सी.) राष्ट्रविरोधी और असमाजिक गतिविधियों के लिए सुभेद्य रहा है। सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.) इस सीमा पर तैनात है और 450 सीमा चौकियों पर कार्यरत है। इनमें से केवल 160 सीमा चौकियां सड़कों द्वारा जुड़े हुए थे। सड़क के बुनियादी ढांचे की कमी ने सैनिकों की गतिशीलता को गंभीर रूप से सीमित कर दिया क्योंकि राष्ट्रविरोधी और आपराधिक तत्वों के खिलाफ तेजी से अभियान शुरू नहीं किया जा सका। हाल ही में (जून 2020) सीतामढ़ी और किशनगंज जिलों में सीमा पार से हुई गोलीबारी ने एस.एस.बी. की गश्त और सीमा चौकियों की संपर्कता की संवेदनशीलता को रेखांकित किया।

मानचित्र सं.- 1

भारत-नेपाल सीमा सड़क परियोजना का मानचित्र

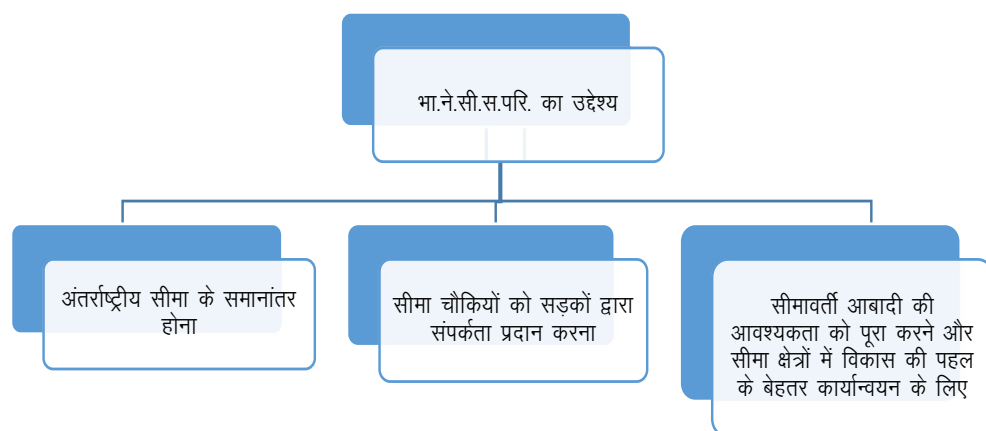


(स्रोत: प.नि.वि., बिहार)

भारत सरकार की मंत्रीमंडलीय रक्षा समिति (सी.सी.एस.) ने भा.ने.सी. के साथ परिचालन और सामरिक महत्व की 1377 कि.मी.¹ सड़क के निर्माण को मंजूरी दी (सितंबर 2010), जिसमें से 564 कि.मी. बिहार में थी जिसे अप्रैल 2011 में संशोधित कर 552.29 कि.मी. कर दिया गया। सी.सी.एस. के अनुसार, भा.ने.सी. सड़क परियोजना² (भा.ने.सी.स.परि.) के मुख्य उद्देश्य थे:

¹ बिहार में 564 कि.मी., यूपी. में 640 कि.मी. और उत्तराखंड में 173 कि.मी. का हिस्सा है।

² भारत-नेपाल सीमा के समानांतर एक सड़क बनाने की परियोजना। बिहार में, इस प्रस्तावित सड़क की कुल लंबाई 552.29 कि.मी. 15 खंडों में फैली हुई है और छह संवेदकों (आठ अनुबंधों) को प्रदान की गई है। विवरण परिशिष्ट - 2.1.1. (ग) में दी गई है।

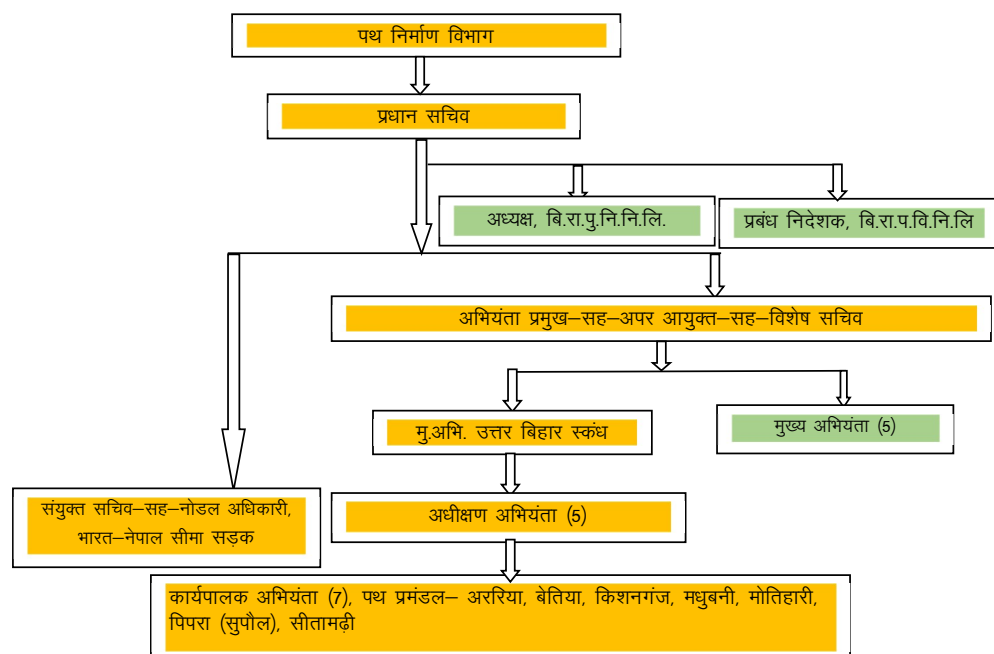


2.1.2 संगठनात्मक संरचना

सड़कों के निर्माण की पूर्ण जिम्मेदारी पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.) की थी। भा.ने.सी.स. परि. के विभिन्न भागों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (वि.परि.प्रति.) तैयार करने के लिए बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (बि.रा.प.वि.नि.लि.) उत्तरदायी था। प्रधान सचिव, बिहार सरकार (बि.स.) प.नि.वि. के प्रधान होते हैं। कार्यों का क्रियान्वयन पथ प्रमंडलों द्वारा कार्यपालक अभियंताओं (का.अभि.) के नेतृत्व में एवं संबंधित अंचल कार्यालयों के अधीक्षण अभियंताओं (अ.अभि.) के पर्यवेक्षण में किया गया। इसके अतिरिक्त, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (बि.रा.पु.नि.नि.लि.) पुलों के निर्माण के लिए उत्तरदायी था।

चार्ट संख्या: 2.1.1

भारत-नेपाल सीमा सड़क परियोजना के क्रियान्वयन हेतु संगठनात्मक संरचना



(स्रोत: प.नि.वि., बिहार)

2.1.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह आंकने के लिए किया गया कि क्या:-

- इस परियोजना को सीमा चौकियों को संपर्कता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया ताकि एस.एस.बी. की गतिशीलता में वृद्धि हो सके;

- सीमा सड़को के लिए भूमि की पहचान और संरेखण का प्रारंभिक कार्य, भूमि का अधिग्रहण, वैधानिक मंजूरी और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (वि.परि.प्रति.) की तैयारी समय से एवं यथोचित रूप से की गई; और
- भा.ने.सी.स.परि. के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन³ ससमय प्राप्त किये गये एवं उनका मितव्ययिता से उपयोग किया गया।

2.1.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानक निम्नलिखित से लिये गये थे:—

- सी.सी.एस. के निर्णय (सितंबर 2010),
- बिहार लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) संहिता और बिहार लोक निर्माण लेखा (लो. नि.ले.) संहिता,
- केन्द्रीय सतर्कता आयोग (के.स.आ.) के दिशा-निर्देश,
- मानक निविदा दस्तावेज (एस.बी.डी.)/अनुबंध दस्तावेज,
- सामान्य वित्तीय नियम, बिहार वित्तीय नियम, बिहार कोषागार संहिता आदि
- बिहार राज्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 और बिहार राज्य भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013
- भारत सरकार तथा बिहार सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश/अनुदेश

2.1.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

वर्ष 2010-11 से 2018-19 की अवधि के लिये निष्पादन लेखापरीक्षा फरवरी से मार्च 2019 के दौरान प्रधान सचिव (प.नि.वि.) के कार्यालय में अभिलेखों के नमूना जांच द्वारा संचालित किया गया। इसके अतिरिक्त, बि.रा.पु.नि.नि.लि. तथा इसके पाँच कार्य प्रमंडलों⁴ एवं बि.रा.प.वि.नि.लि. से भी सूचनाओं को एकत्रित किया गया। जैसा कि परियोजना सात भा.ने.सी. जिलों में कार्यान्वित की गयी थी, सभी सात जिलों⁵ के कार्य प्रमंडलों को लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया। इसके अलावा, चार जिला भू-अर्जन पदाधिकारियों (जि.भू.पदा.)⁶ के अभिलेखों का भी नमूना जांच किया गया।

6 फरवरी 2019 को लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, इसकी कार्यप्रणाली एवं कार्यक्षेत्र को बताने के लिए प.नि.वि., एसएसबी, बि.रा.प.वि.नि.लि. एवं बि.रा.पु.नि.लि. के साथ एक अंतर्गमन सम्मेलन आयोजित किया गया। 26 अप्रैल 2019 को प्रधान सचिव प.नि.वि., प्रबंध निदेशक, बि.रा.प.वि.नि.लि. तथा एस.एस.बी. के प्रतिनिधि के साथ लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर उनके मंतव्य हेतु बहिर्गमन सम्मेलन आयोजित किया गया। आगे, मार्च से जुलाई 2020 के दौरान प्रतिवेदन का अद्यतन किया गया एवं अद्यतन प्रतिवेदन विभाग को (अगस्त 2020) निर्गत किया गया, जवाब प्रतीक्षित था (नवंबर 2020)।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.6 योजना

गृह मंत्रालय (गृ.मं.), भारत सरकार (दिसंबर 2010) के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा भूमि संरेखण की पहचान कर उसे अंतिम रूप देना, भूमि-अधिग्रहण, पर्यावरण सहित वैधानिक मंजूरी प्राप्त करना, वन्य तथा वन्य जीव मंजूरी और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाना था। इन्हें मार्च 2011 तक पूर्ण किया जाना था ताकि यह सुनिश्चित हो कि

³ भूमि, वित्त एवं अनुबंध संबंधी करार

⁴ चंपारण, दरभंगा, कटिहार, किशनगंज, मुजफ्फरपुर

⁵ अररिया, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), किशनगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल और पश्चिम चंपारण (बेतिया)

⁶ अररिया, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), किशनगंज, सुपौल

अप्रैल 2011 से सड़कों के निर्माण कार्य को आरम्भ कर निर्धारित समयावधि पाँच वर्ष (मार्च 2016 तक) में पूर्ण किया जा सके। अतिक्रमण मुक्त खंडों पर चल रहे काम को पूरा करने के लिए समयावधि को 31 दिसंबर 2019 तक एवं शेष खंडों में नए निर्माण हेतु 31 दिसंबर 2022 तक विस्तारित किया गया।

लेखापरीक्षा में कार्य की धीमी प्रगति देखा गया (मार्च 2020) क्योंकि असैनिक लागत की वित्तीय प्रगति केवल 44 प्रतिशत (स्वीकृत लागत ₹1657.56 करोड़ में से ₹726 करोड़) थी, जबकि भौतिक प्रगति 4.38 प्रतिशत (आवश्यक 552.29 कि.मी. सड़क में से 24.20 किमी सड़क निर्माण हुआ था)।

2.1.6.1 सीमा चौकियों से असंपर्कता के कारण एस.एस.बी. की गतिशीलता

प्रस्तावित भा.ने.सी. सड़क का एक उद्देश्य यह था कि यह सीमा के समानान्तर होगी, एस.एस.बी. को सीमा पर प्रभावी ढंग से प्रभुत्व बनाए रखने में सक्षम बनाएगी। इस उद्देश्य में सीमा चौकियों को संपर्कता प्रदान करना भी शामिल है जिससे एस.एस.बी. की गतिशीलता बढ़े।

सी.सी.एस. ने (सितंबर 2010 में) बिहार में 564 कि.मी. सड़क निर्माण हेतु स्वीकृति दी थी जो सीमा के निकट (यहाँ तक कि वन क्षेत्र के अंदर) थी। इसके बाद, जनवरी 2011 में गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया कि सड़क के संरेखण को सीमा सुरक्षा बलों की सीमा चौकियों से अधिकतम संपर्कता सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अलावा, एस.एस.बी. ने यह भी जोर दिया (जनवरी 2011) कि प्रस्तावित सड़क सीमा के 500 मीटर के दायरे में होनी चाहिए। हालाँकि, अप्रैल 2011 में सड़क संरेखण को अंतिम रूप देते समय, संरेखण को वन क्षेत्र की दक्षिणतम सीमा की ओर स्थानांतरित कर दिया गया जिसके फलस्वरूप संरेखण अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 20 कि.मी. से अधिक दूर हो गया।

बिहार में भा.ने.सी. की सुरक्षा के लिए एस.एस.बी. की 191 सीमा चौकियाँ⁷ थी, इसमें से 122 (64 प्रतिशत) प्रस्तावित सीमा सड़क के मुख्य संरेखण से दूर थे और इनमें से 13 सीमा चौकियाँ मुख्य संरेखण से पाँच से 30 कि.मी. दूर थे जैसा कि तालिका सं.- 2.1.1 में दिखाया गया है:-

तालिका सं.- 2.1.1
प्रस्तावित सीमा सड़कों से सीमा चौकियों की दूरी

	0 कि.मी.	1 कि.मी. तक	1-2 कि.मी. तक	2-3 कि.मी. तक	3-4 कि.मी. तक	4-5 कि.मी. तक	>5 कि.मी.	कुल
सीमा चौकियों की सं०	69	59	27	14	5	4	13	191

(स्रोत: प.नि.वि., बिहार)

24 सीमा चौकियों के संपर्क पथ नहीं थे, 26 संपर्क पथ खराब स्थिति में थे, तीन घने जंगल में थे, जबकि 10 के संपर्क पथ कच्चे थे (मार्च 2012)।

सी.सी.एस. के अनुसार, एस.एस.बी. के परामर्श से प.नि.वि. को संरेखण निर्धारित करना था। एस.एस.बी. ने इस बात पर बल दिया था कि प्रस्तावित सड़क सीमा से 500 मीटर के दायरे में होना चाहिए।

⁷ सीमा चौकियों की सं.- अररिया-36, पूर्वी चम्पारण-18, किशनगंज-29, मधुबनी-36, पिपरा/सुपौल- 18, सीतामढ़ी-18, पश्चिम चंपारण- 36 कुल- 191

अभिलेखों के जाँच में पता चला कि 500 मीटर के मानक को सुनिश्चित नहीं किया गया था। प.नि.वि. के द्वारा संरेखण को दिया गया अंतिम रूप (अप्रैल 2011) सीमा से दूर था। अररिया जिला में सड़क संरेखण चार स्थानों पर सीमा से 10 से 20 कि.मी. की दूरी पर थे। बीरपुर तथा पीपराकोठी में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भा.ने.सी. सड़क के मुख्य संरेखण की दूरी दो से चार कि.मी., जबकि वाल्मीकिनगर में 18 स्थानों पर यह पाँच से 30 कि.मी. के बीच थी।

अपर महानिदेशक (सीमा) के.लो.नि.वि. ने संरेखण की समीक्षा (अगस्त 2011) की और आपत्ति की कि यह सड़क अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गश्त और प्रभुत्व के लिए सीमा सड़क के रूप में कार्य नहीं करेगी क्योंकि यह सीमा रेखा के दो से पाँच कि.मी. के अन्दर था। यहाँ तक कि कुछ खंड तो 40 कि.मी. दूर थे। आगे यह बताया गया कि भारत बांग्लादेश सीमा पर सड़क का निर्माण सीमा रेखा से 150 गज (137 मीटर) अन्दर किया गया था ताकि सीमा पर प्रभुत्व सुनिश्चित किया जा सके। प.नि.वि. से अनुरोध किया गया था कि पूरे प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर यह सुनिश्चित करने के लिए कि नई प्रस्तावित सड़क यथासंभव अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब हो। एस.एस.बी. को भी अपनी क्षेत्र इकाइयों और प.नि.वि. के साथ संपर्क करने का अनुरोध किया गया था ताकि संपूर्ण आवश्यकता को समग्रता में देखा जा सके। एस.एस.बी. का गश्त क्षेत्राधिकार पीछा, तलाशी और जब्ती के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 कि.मी. है। जबकि, एस.एस.बी. के वास्तविक कार्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का पिलर से पिलर तक गश्त शामिल था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यह सड़क एस.एस.बी. की प्रभावी गश्त की आवश्यकता को पूरा नहीं किया। पश्चिमी चंपारण तथा सुपौल जिला में संरेखण का बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 40 कि.मी. तक दूर था, परिणामस्वरूप इन खंडों में एस.एस.बी. के लिए गश्त मुश्किल होगा क्योंकि यह उसके अधिकार क्षेत्र से परे होगा।

सी.सी.एस. की टिप्पणी के अनुसार, संपर्क पथ इस परियोजना का हिस्सा नहीं था और तदनुसार इसे प.नि.वि. द्वारा नहीं लिया गया था। हालाँकि बिहार सरकार ने सीमा चौकियों को मुख्य संरेखण से संपर्कता प्रदान करने के लिए 186 कि.मी. के संपर्क पथ के निर्माण की परिकल्पना की थी (जनवरी 2011)। मुख्य संरेखण को अप्रैल 2011 में बदल दिया गया था और प्रस्तावित संपर्क पथ के लंबाई को 186 कि.मी. (जनवरी 2011) से बढ़ाकर 335.68 कि.मी. (177.00 कि.मी. वन क्षेत्र में तथा 158.683 कि.मी. वन क्षेत्र के बाहर) किया गया था (जून 2012)।

प.नि.वि. ने उत्तर (मई 2019) दिया कि सीमा चौकी से सीमा चौकी की संपर्कता की आवश्यकता एस.एस.बी. की नहीं थी। 2018 तक 186 कि.मी. की लंबाई के साथ 122 सीमा चौकियों की संपर्कता के लिए प्रस्ताव की मंजूरी नहीं दी गई थी। जबकि, गृ.मं. के अनुसार (मार्च 2019), अब ग्रामीण विकास मंत्रालय कार्यकारी संस्था होगी।

एस.एस.बी. के निर्बाध गतिशीलता के लिए सीमा चौकी से सीमा चौकी की संपर्कता इच्छित होती लेकिन, संरेखण को अंतिम रूप देते समय इस तथ्य को नहीं देखा गया।

इस प्रकार, न्यूनतम दूरी के मापदंड के अनुपस्थिति के कारण, प्रस्तावित सड़क संवेदनशील सीमा क्षेत्र में एस.एस.बी. के प्रभुत्व के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगी। एस.एस.बी. ने लेखापरीक्षा अवलोकन पर सहमति व्यक्त की।

2.1.6.2 वन्यजीव मंजूरी प्राप्त नहीं करना और संरक्षण में अनुचित परिवर्तन

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (नवंबर 2000) वन्यजीवों के आवास के अन्दर किसी भी गैर-वानिकी गतिविधि के लिए मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य बताते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (प.व.ज.परि. मं.) ने ऐसी गतिविधियों के लिये वन्यजीव मंजूरी पाने के लिए एक दिशा-निर्देश तैयार किया है (मार्च 2011)। दिशा-निर्देश के कंडिका 2.10 के अनुसार, सीमा सड़कों के लिए “सिंगल विंडो सिस्टम” के अंतर्गत वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत मंजूरी तथा वन्यजीव मंजूरी एक साथ उपलब्ध थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पश्चिम चंपारण में, सी.सी.एस. द्वारा पहला प्रस्तावित संरक्षण (सितंबर 2010), भा.ने.सी. को छूने वाले वाल्मीकिनगर के सामीप्य में था, जो वन्यजीव आरक्षित क्षेत्र के सबसे उत्तरी हिस्से पर था। यद्यपि “सिंगल विंडो सिस्टम” के तहत वन्यजीव मंजूरी सीमा सड़क के लिए उपलब्ध थी, यह मानते हुए कि प.व.ज. परि.मं. द्वारा मंजूरी नहीं दी जाएगी, प.नि.वि. ने इसके लिए आवेदन नहीं किया और संरक्षण को बदल दिया (अप्रैल 2011)। पूर्वोक्त निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बजाय वन्यजीव आरक्षित क्षेत्र की दक्षिणतम सीमा में संरक्षण को स्थानांतरित कर दिया गया (अप्रैल 2011)। यह संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 20 कि.मी. से अधिक दूर था। संरक्षण के स्थानांतरण ने सीमा सड़क के उद्देश्य को पूरा नहीं किया, साथ ही साथ यह एस.एस.बी. के गश्त क्षेत्राधिकार (जैसा कि पूर्वोक्त **कंडिका सं. 2.1.6.1** में उल्लिखित है) से परे था।

विभाग ने जवाब दिया कि दिशा-निर्देश दस्तावेज के अनुसार, गैर-वानिकी गतिविधि के लिए, केवल ग्रामीण बस्ती ही इसका उपयोग कर सकते थे, वन क्षेत्र में न विस्तार और न ही चौड़ीकरण की अनुमति थी। इसके अलावा, कोई भी बिटुमिनस सड़क का निर्माण नहीं किया जा सकता था। यह भी बताया गया कि संरक्षण को स्थानांतरित करने के कारण का विश्लेषण किया जाएगा और लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

यह इस तथ्य की पुष्टि करता है कि विभाग ने पर्यावरण संबंधी दिशा-निर्देशों को पूरा करने के लिए सड़क विनिर्देशों को बदलने की संभावना का पता नहीं लगाया और उन्होंने सीमा सड़कों के लिए “सिंगल विंडो सिस्टम” के तहत प.व.ज.परि.मं. से संपर्क नहीं करने का कारण नहीं बताया। संरक्षण को स्थानांतरित करने का कारण भी नहीं बताया गया (जनवरी 2021)।

2.1.6.3 मुख्य संरक्षण से जोड़े बिना पुलों का निर्माण

सीमा सुरक्षा बल की सुचारु आवागमन के लिए पुलों का निर्माण एक अनिवार्य आवश्यकता थी। हालांकि, यह गृ.मं. द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव का हिस्सा नहीं था। बिहार सरकार ने नाबार्ड से ऋण के माध्यम से प्राप्त निधियों द्वारा बि.रा.पु.नि.नि.लि. से पुलों का निर्माण कराने का निर्णय लिया। 121 पुलों के निर्माण के लिए कुल ₹983.81 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति बिहार सरकार द्वारा दी गई थी। जिसमें से पश्चिम चंपारण में 34 पुलों के लिए ₹395.75 करोड़ स्वीकृत किया गया था (मार्च 2013)।

पुलों का निर्माण जुलाई 2013 में शुरू किया गया था और 101 पुलें (84 प्रतिशत) पूर्ण हो चुके थे और 20 पर काम चल रहा था (जून 2020)। इस पर कुल ₹928.77 करोड़ (94.41 प्रतिशत) व्यय हुआ था।

अभिलेख के अनुसार, वरीय परियोजना अभियंता, बेतिया ने अगस्त 2016 से पहले पुल के अधिकांश कामों को पूरा कर लिया था। अगस्त 2016 में, प.नि.वि. ने पुराने संरेखण में वन भूमि पड़ने के कारण बेतिया जिले में चैनेज 10.06 से 77.063 के बीच सड़क संरेखण को बदल दिया। हालाँकि, अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं था कि वन भूमि में पड़ने वाले संरेखण के अंतर्गत पहले स्थानों पर पुलों का निर्माण क्यों किया गया था। जहाँ पुलों का निर्माण किया जा रहा था वहाँ वन भूमि का होना विभाग को ज्ञात था, क्योंकि अप्रैल 2011 में ही संरेखण को अंतिम रूप दिया गया था। का.अभि., प.नि.प्र. बेतिया ने भी अभियंता प्रमुख, प.नि.वि. को सूचित किया (जून 2014) कि, आगे कोई भी संरेखण परिवर्तन से पुलों के निर्माण पर लगभग ₹100 करोड़ का व्यय व्यर्थ होगा।

अभिलेख के अनुसार संरेखण परिवर्तन और पुराने संरेखण में निर्मित इसके संबंधित पुलों का विवरण तालिका सं.— 2.1.2 में दिया गया है।

तालिका संख्या— 2.1.2

पथ प्रमंडल बेतिया में भा.ने.सी. सड़क के संरेखण परिवर्तन का विवरण

(₹ लाख में)

क्रम सं.	गाँव का नाम	पुराने संरेखण के अनुसार चैनेज (अप्रैल 2011)	नए संरेखण के अनुसार चैनेज (अगस्त 2016)	निर्मित पुल	पुल का चैनेज	कार्य आरंभ/पूर्ण की तिथि	पुल पर किया गया व्यय
1.	नौतनवा,	10.6 से 12.6	10.628 से 12.724	1x20	11.710	31.07.2013/31.10.2015	316.43
2.	धरहिया			3x75	11.855	31.07.2013/31.10.2015	220.21
3.	ढोलभावा, लक्ष्मीपुर	14.176 से 16.437	14.3 से 15.86	3x30	14.450	31.07.2013 /30.10.2015	652.01
4.	रतनपुर,	17.25 से 20.50	16.674 से 19.375	3x75	17.140	31.07.2013 / 31.10.2015	205.87
5.	बैरागी, सोनबरसा			1x21	18.460	31.07.2013/ 31.10.2015	231.67
6.	डुमरी	27.857 से 30.057	26.731 से 28.851	50x30	27.534	31.07.2013/31.10.2015	2209.98
7.				1x25	27.785	31.07.2013/ 31.10.2015	274.88
8.	नौतनवा, बाघी,	30.857 से 37.81	29.651 से 36.751	8x25	30.081	20.08.2013 / 19.05.2016	1343.12
9.	खंघोसरी			8x25	32.947	20.08.2013/ 19.09.2016	1422.10
10.				4x25	35.517	02.08.2013/ 19.05.2016	906.64
11.	सिरसिया,	43.71 से 47.297	42.651 से 46.291	8x25	44.482	09.10.2013 / 08.07.2016	1425.12
12.	शेरपुर, मंदिहा			8x25	45.456	09.10.2013 / 08.07.2016	1440.12
13.	बैरिया, लौकर,	66.097 से 71.40	65.091 से 72.711	16x25	67.212	09.10.2013/ 30.04.2016	2813.29
14.	चौट्टा, चाल			2x21	72.703	09.10.2013/ 30.04.2016	0.72
15.	पचरौटा, जसौली, भांगा	74.70 से 77.363	76.011 से 78.923	7x30	75.734	09.10.2013/ 30.04.2016	1143.46
कुल							14605.62

(स्रोत: प.नि.वि., अभिलेख)

चूँकि अगस्त 2016 से पहले 21 गांवों में अधिकांश पुलों को पूरा कर लिया गया था, संरेखण परिवर्तन ने मुख्य संरेखण से उपरोक्त वर्णित सभी 15 पुलों को अलग कर दिया। पुल अनुपयोगी बने हुए थे, क्योंकि वे सड़को से नहीं जुड़े थे तथा इन पुलों पर किए गए ₹146.06 करोड़ के व्यय से जून 2020 तक अपेक्षित लाभ नहीं मिला।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान देखे गए अपूर्ण पुलें			
			
मेची नदी के अंतर्गत किशनगंज जिले में गलगलिया से पिनटोला (चैनेज 124.12)		किशनगंज जिले में जोबना नदी पर (चैनेज 123.30)	
			
चैनेज 67.21 (नदी) पर 16x25 पुल		चैनेज 75.734 पर (कृषि भूमि) 7x30 पुल	

विभाग ने बताया कि कोई भी पुल संरक्षण के बाहर नहीं गया था। इसके समर्थन में, विभाग द्वारा कार्यपालक अभियंता (प.नि.प्र. बेतिया) और वरीय परियोजना अभियंता (बि.रा.पु.नि.नि.लि., मोतिहारी) की एक संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध करायी गयी थी। हालाँकि, प.नि.वि. ने जवाब में कोई भी उभयनिष्ठ संरक्षण बिन्दु या सड़क और पुल दोनों के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित किसी भी दस्तावेज का उल्लेख नहीं किया जो इस उत्तर का आधार बन सके।

लेखापरीक्षा दल ने प.नि.प्र., बेतिया के अभियंताओं के साथ चैनेज 67.212, 72.703 और 75.734 पर स्थित तीन पहुँच योग्य पुलों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया और यह पाया कि पुल अपूर्ण थे और परित्यक्त कर दिए गए थे। आगे, बि.रा.पु.नि.नि.लि. ने इन अधूरी पुल परियोजनाओं को बंद करने का फैसला किया था। गैर-संपर्कता और संरक्षण पिलर न होने के कारण अन्य पुल पहुँच योग्य नहीं थे। यह समझ से परे है कि कैसे विभाग ने कहा कि पुल संरक्षण से बाहर नहीं गए थे।

भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि भौतिक रूप से सत्यापित 29 में से 23 पुल भा.ने.सी. सड़कों के निर्माण में भूमि अधिग्रहण के मुद्दे, सड़कों के अधूरे निर्माण और इन पुलों के संरक्षण से बाहर होने के कारण संपर्क विहीन थे।

आगे, अभिलेखों के नमूना जाँच से पता चला कि 31 पुलों के लिये, दोष दायित्व अवधि समाप्त हो गई है। बि.रा.पु.नि.नि.लि. के अनुरोध के बावजूद प.नि.वि. ने पुलों को नियंत्रण

में नहीं लिया था। दोष दायित्व अवधि समाप्त हो जाने और प.नि.वि. द्वारा पुलों को नियंत्रण में नहीं लिए जाने के कारण, पुलों और इसकी पहुँच पथों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था।

2.1.6.4 संरेखण में परिवर्तन से संबंधित अन्य अवलोकन

(i) उन्नयन से ग्रीनफील्ड क्षेत्र में अविवेकपूर्ण संरेखण परिवर्तन

प.नि.वि. और एस.एस.बी. ने संयुक्त रूप से अप्रैल 2011 में भा.ने.सी.स.परि. का संरेखण इस बात को ध्यान में रखते हुए तय किया कि परियोजना में न्यूनतम भूमि अधिग्रहण एवं कम मात्रा में मिट्टी कार्य की आवश्यकता हो। तदनुसार, 191.06 कि.मी. में सड़क के उन्नयन एवं 361.23 कि.मी. ग्रीनफील्ड हेतु संरेखण को अंतिम रूप दिया गया। इसमें से पश्चिम चंपारण में 30.05 कि.मी.⁸ और पूर्वी चंपारण में 9.75 कि.मी.⁹ सड़क उन्नयन के लिए उपलब्ध थे। हालाँकि, इस संरेखण को एस.एस.बी. के परामर्श किये बिना प.नि.वि. द्वारा बदल दिया गया (नवंबर 2011) और उपरोक्त 39.80 कि.मी. (यानि पश्चिम चंपारण में 30.05 कि.मी. और पूर्वी चंपारण में 9.75 कि.मी.) के पूरे खंड को ग्रीनफील्ड में बदल दिया गया, जिसके लिए नए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता थी। इस निर्णय के फलस्वरूप अधिग्रहण प्रक्रिया जैसे: मुआवजा भुगतान, भूमिमाप, जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण आदि में भी बाधा उत्पन्न हुई। संरेखण में परिवर्तन का कारण जल संसाधन विभाग (ज.सं.वि.) की इस आपत्ति को बतलाया गया कि जल सेतु (एक्वाडक्ट) और अन्य सिंचाई संरचनाएं बहुत कमजोर और पुरानी होने के कारण क्षतिग्रस्त हो जाएंगी।

(ii) संरेखण परिवर्तन के कारण संपर्क मार्ग पर अलाभकारी व्यय

सी.सी.एस. (सितंबर 2010) के अनुसार, संपर्क सड़क का निर्माण भा.ने.सी.स.परि. का हिस्सा नहीं था। सीतामढ़ी जिले में लालबकैया नदी पर फूलबरिया से बहार तक ₹64.33 करोड़ की लागत का निर्माण कार्य मेसर्स राजेश कुमार गर्ग को आवंटित (जनवरी 2013) किया गया था और इसे 20 माह अर्थात् सितंबर 2014 तक पूरा किया जाना था। हालाँकि, संरेखण में परिवर्तन के कारण कार्य अधूरा रहा। जाँचोपरांत पाया गया कि फूलबरिया घाट से बहारग्राम के बीच चैनेज 99.200 से 102.30 (लंबाई 3.1 कि.मी.) के बीच सड़क संरेखण को बदल दिया गया था (अगस्त 2016)। हालाँकि, संरेखण में परिवर्तन से पूर्व ही, प्रमंडल द्वारा असैनिक लागत, वन मंजूरी और पुराने संरेखण के साथ जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण पर ₹4.01 करोड़¹⁰ खर्च किया जा चुका था। चूँकि फूलबरिया घाट से बहारग्राम सड़क संरेखण पर होने वाला व्यय अब भारत नेपाल परियोजना में नहीं था, इसलिए सड़क के संरेखण में बदलाव के कारण ₹4.01 करोड़ का उपरोक्त व्यय अलाभकारी था।

विभाग ने लेखापरक्षा के तर्क को स्वीकार किया और कहा कि सीमा चौकी को संपर्कता प्रदान करने के लिए सड़क का उपयोग संपर्क सड़क के रूप में किया जाएगा, यद्यपि परियोजना संपर्क सड़क के निर्माण के लिए नहीं थी।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सरकार का निर्णय सी.सी.एस. के अनुरूप नहीं था।

इस प्रकार, दोषपूर्ण योजना और कार्यान्वयन से परियोजना प्रभावित हुई तथा सड़क संरेखण सीमा से दूर एवं कुछ खंडों में एस.एस.बी. के गश्त क्षेत्राधिकार से परे था। सीमा चौकियों को अधिकतम संपर्कता के उद्देश्य के विपरीत, 191 सीमा चौकियों में से केवल 69

⁸ चैनेज 5.7 कि.मी. से 42.25 कि.मी. के बीच (इनरवा से धुतहा)

⁹ चैनेज 45.25 कि.मी. से 96.75 कि.मी. के बीच (धुतहा से गुआबरी)

¹⁰ असैनिक लागत ₹ 3.99 करोड़, वन मंजूरी ₹ 0.01 करोड़ और जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण ₹ 0.01 करोड़

ही मुख्य संरेखण पर थे। इसके अलावा, आगे संरेखण में कुछ और बदलावों के कारण, 15 पुल जिन्हें ₹146.06 करोड़ की लागत से बनाया गया था सड़क से अलग हो गये तथा सड़क संपर्कता और क्षीण हो गई। एस.एस.बी. की गतिशीलता में वृद्धि के लिये सीमा सड़क निर्माण का उद्देश्य अभी पूर्ण होना बाकी है।

2.1.7 भूमि अधिग्रहण

सी.सी.एस. के निर्णय (सितंबर 2010) के अनुसार, निर्माण कार्य को इस तरह से प्राथमिकता दी जानी थी कि उन्नयन कार्य और नए सड़क निर्माण खंडों में, जिसमें कोई भूमि अधिग्रहण/वैधानिक मंजूरी शामिल नहीं थी, को पहले चरण में लिया जाना था यानि अतिक्रमण मुक्त खंडों को पहली प्राथमिकता दी जानी थी। भूमि अधिग्रहण/वैधानिक मंजूरीयों से संबंधित खंडों को बाद में परियोजना चरणों में लिया जाना था, अर्थात् भूमि अधिग्रहण/वैधानिक मंजूरी (यों) के बाद, क्योंकि इन गतिविधियों में कुछ समय लगता।

परियोजना को 15 खंडों में विभाजित किया गया था। इसमें से 191.06 कि.मी. सड़क उन्नयन के लिए उपलब्ध होने की बात कही गयी थी। हालांकि, प.नि.वि. का यह प्रतिवेदन गलत था। संरेखण परिवर्तन (अप्रैल 2011) के बाद, केवल उन्नयन के लिए वास्तविक उपलब्ध भूमि 51.25 कि.मी. (नौ प्रतिशत) की सड़क लंबाई के लिए पर्याप्त थी। भूमि का अधिग्रहण 501.04 कि.मी. (91 प्रतिशत) के लिए लंबित था।

भूमि की अनुपलब्धता के बावजूद, विभाग ने 552.29 कि.मी. के पूरे खंड के लिए सड़क निर्माण का ठेका दिया (मार्च 2013)। परिणामस्वरूप, कार्य आगे नहीं बढ़ सका, और संवेदक ने भूमि की अनुपलब्धता के कारण काम करने से इंकार कर दिया। वास्तव में दो खंडों में केवल 24.20 कि.मी. भूमि उपलब्ध करायी गई जिसे पूर्ण किया जा सका (4.38 प्रतिशत) (अक्टूबर 2020)।

तीन खंडों (131.12 कि.मी.) में कार्य प्रगति पर था (अक्टूबर 2020)। शेष 10 खंडों (396.975 कि.मी.) में संवेदकों ने काम बंद कर दिया था, जिसमें से एक खंड (24.05 कि.मी.) में काम को रद्द कर दिया गया था (सितंबर 2017), जबकि नौ खंड (372.92 कि.मी.) मध्यस्थता/न्यायाधिक मामलों से प्रभावित थे (मार्च 2020) (परिशिष्ट-2.1.1)।

इस प्रकार, 15 खंडों में से केवल दो (24.20 कि.मी. यानि चार प्रतिशत लंबाई) में ही सड़क का काम पूरा किया जा सका (मार्च 2020)।

2.1.7.1 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के आपातकालीन प्रावधान की विलंब से शुरुआत

गृ.मं. के अनुसार (अप्रैल 2010), भा.ने.सी.स.परि. सामरिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय महत्व का था, जिसके लिये मार्च 2011 तक भूमि के आकस्मिक अधिग्रहण (भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 17 के तहत) की आवश्यकता थी।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 17 में यह प्रावधान है कि जब भी समुचित सरकार ऐसा निर्देश दे, कलक्टर किसी ऐसी भूमि पर जिसकी किसी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है धारा 9 की उपधारा (1) में वर्णित सूचना के प्रकाशन से 15 दिन के उपरांत अधिग्रहित कर सकेगा। ऐसी जमीनें पूरी तरह से सरकार के पास होंगी, जो सभी तरह की अतिक्रमणों से मुक्त होंगी।

हालांकि, प.नि.वि. द्वारा अंतिम रूप से आकस्मिक अधिग्रहण की शुरुआत तब की गयी जब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार ने आपातकालीन खंड के तहत यानि भूमि

अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 40 के तहत इसे भूमि अधिग्रहण करने की शक्ति प्रदान की (फरवरी 2015) ।

मार्च 2020 तक, 492.97 कि.मी. की लंबाई के लिए 2759.25 एकड़ भूमि की आवश्यकता के विरुद्ध 446.93 कि.मी. (91 प्रतिशत) के लिए 2497.64 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था, जैसा कि तालिका सं. 2.1.3 में दिखाया गया है।

तालिका सं.- 2.1.3
आवश्यक भूमि की स्थिति और इसका अधिग्रहण (मार्च 2020)

जिला	अधिग्रहित की जाने वाली भूमि (एकड़)	अधिग्रहित भूमि (एकड़)	सड़क के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि (कि.मी. में)	सड़क के लिए अधिग्रहित की गयी भूमि (कि.मी. में)
अररिया	455.96	362.98	102.20	70.58
पूर्वी चम्पारण	553.48	428.84	74.60	65.45
किशनगंज	361.74	361.74	79.5	79.5
मधुबनी	103.16	103.16	27.71	27.71
सीतामढ़ी	558.51	557.93	89.93	89.86
सुपौल	42.01	42.01	7.93	7.93
पश्चिम चम्पारण	684.39	640.98	111.1	105.9
कुल	2759.25	2497.64	492.97	446.93

(स्रोत: प.नि.वि., बिहार)

हालाँकि, विभाग ने दावा किया कि मार्च 2020 तक 91 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था, भूमि का अधिग्रहण वास्तव में पूर्ण नहीं हुआ था क्योंकि सात जिलों में से किसी ने भी दाखिल-खारिज प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण वैधानिक रूप से स्वामित्व सरकार को हस्तांतरित नहीं किया गया था। पूर्वी चंपारण में, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी तरह से कालातीत हो गई (कुल भूमि का 17 प्रतिशत अधिग्रहण) और उसके लिए नए सिरे से अधिसूचना जारी की गई (मार्च 2020)। इसके अलावा, विविध प्रकृति के अवरोध जैसे— भू-स्वामियों द्वारा विरोध एवं भुगतान के मामले अभी भी बरकरार थे।

लेखापरीक्षा ने आपातकालीन खंड की उपलब्धता के बावजूद भूमि अधिग्रहण में देरी के कारणों की जांच की। विभाग ने उत्तर दिया कि यह उप-धारा (भू.अ. अधिनियम 1894 की धारा 17) किसी भी बेकार या कृषि योग्य भूमि पर लागू होती है यद्यपि वहाँ जंगल, बाग या पेड़ हो। आपातकालीन मामलों में मुआवजे की दर बाजार दर से कई गुना अधिक थी। इसलिए वृहत क्षेत्र के अधिग्रहण को ध्यान में रखते हुए, इस तरह का कोई भी उपाय उस अवधि में तय नहीं किया जा सका।

जवाब मान्य नहीं था क्योंकि विभाग ने यद्यपि पाँच वर्षों के विलंब के बाद (फरवरी 2015) अंततः, आपातकालीन खंड का प्रयोग किया, और भूमि अधिग्रहण की लागत में कई गुना की वृद्धि हुई।

भूमि अधिग्रहण के लिए ₹868.92 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति (प्र.स्वी.) दी गई थी (जून 2012), जिसे संशोधित कर ₹2244.25 करोड़ (फरवरी 2017) कर दिया गया था, जिससे राशि में ₹1375.34 करोड़ (158 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। प.नि.वि. के प्र.स्वी. के अनुसार मूल और संशोधित अनुमानों का विवरण तालिका सं. — 2.1.4 में दिखाया गया है।

तालिका सं. – 2.1.4
भूमि अधिग्रहण के मूल और संशोधित अनुमानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	जिला का नाम	सड़क की लंबाई	भूमि की वास्तविक कीमत (जून 2012)	भूमि की संशोधित कीमत (फरवरी 2017)	लागत में वृद्धि
1.	अररिया	102.12	203.02	591.61	388.59
2.	पूर्वी चम्पारण	77.24	130.02	269.30	139.28
3.	किशनगंज	91.70	71.74	250.77	179.03
4.	मधुबनी	39.21	21.97	136.74	114.77
5.	सीतामढ़ी	89.93	288.19	587.73	299.54
6.	सुपौल	40.99	23.12	106.60	83.48
7.	पश्चिम चम्पारण	111.10	130.86	301.50	170.64
	कुल	552.29	868.92	2244.25	1375.33 (158%)

(स्रोत: प.नि.वि., बिहार)

2.1.7.2 अनियमित भूमि अधिग्रहण योजना

बि.रा.प.वि.नि.लि. को भूमि अधिग्रहण योजना (भू.अ.यो.) तैयार करने सहित वि.परि.प्रति. तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई (सितंबर 2010) थी। भू.अ.यो. में राजस्व अभिलेख के अनुसार भू-स्वामित्व विवरण और जिला प्राधिकारों के अनुसार भू-भाग योजना में उनकी अवस्थिति के साथ ही (भू-भाग योजना में उनकी स्थिति साथ ही जिला प्राधिकारों के अनुसार) लागत को भी शामिल करना था।

अभिलेखों की जाँच में पता चला कि बि.रा.प.वि.नि.लि. ने जुलाई 2012 में भू.अ.यो. जमा किया था, जिसमें कई कमियां थी। बि.रा.प.वि.नि.लि. वन्यजीव मंजूरी, सड़क संरक्षण को ससमय पर अंतिम रूप और भू.अ. अधिनियम के आपातकालीन प्रावधान के तहत भूमि अधिग्रहण की अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित नहीं कर सका। प.नि.वि. द्वारा योजना के आधार पर तैयार की गई भूमि की मांग जि.भू.अ.पदा. के राजस्व अभिलेखों के अनुरूप नहीं पाई गई। भू.अ.यो. में भू-भाग योजना में गायब भूमि, भूमि जोतों के गलत माप, गलत भूस्वामियों आदि जैसी विसंगतियां थी। इसके अलावा, भूमि के गलत वर्गीकरण तथा गलत माप के कारण भूस्वामियों को बड़ी संख्या में फर्जी मुआवजों एवं अतिरिक्त मुआवजा का भुगतान किया गया, जिन्हें उत्तरवर्ती कंडिकाओं में वर्णित किया गया है। ये मुद्दे जि.भू.अ.पदा. स्तरों पर अनसुलझे रहें, और भूमि अधिग्रहण जून 2020 तक पूर्ण नहीं किया जा सका।

विभाग ने उत्तर दिया कि भू.अ.यो. जनवरी 2012 से, संबंधित जि.भू.अ.पदा. को प्रस्तुत किया गया था।

हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि भू.अ.यो. 2012 में विसंगतियों और जिला भू.अ. पदा. स्तर पर अनियमित प्रक्रिया पालन के कारण भूमि अधिग्रहण नियमानुसार आगे नहीं बढ़ सका जिसके फलस्वरूप गलत भूमि माप, मुआवजा भुगतान, जनोपयोगी सेवाओं के स्थानांतरण इत्यादि जैसी बाधाएँ उत्पन्न हुई, जिससे परियोजना में देरी हुई।

2.1.7.3 भूमि के गलत वर्गीकरण के कारण अधिक भुगतान

पथ प्रमंडल अररिया और पिपरा (सुपौल) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि जि.भू.अ.पदा. और अधिवाची प्राधिकरण (पथ निर्माण प्रमंडल) ने भूमि के वर्गीकरण को बदलकर भूमि की लागत अधिक रखी। कृषि भूमि को आवासीय भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया था और वास्तविक लागत की अपेक्षा बहुत अधिक कीमत रखी गयी थी।

जि.भू.अ.पदा. अररिया के अभिलेखों की जाँच में पता चला कि (मार्च 2010) चार अंचलों में, भा.ने.सी.स.परि. के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 1381 भू-स्वामियों को ₹98 करोड़ की मुआवजा राशि का भुगतान किया गया था। इसमें से ₹68 करोड़ कपटपूर्वक भूमि के प्रकार को कृषि से आवासीय भूमि (जनवरी 2019) में परिवर्तित कर वास्तविक लागत से अधिक का भुगतान किया गया। बाद में जाँचोपरान्त, जिला प्रशासन ने भूमि को आवासीय वर्ग से कृषि वर्ग में पुनर्वर्गीकृत किया और वसूली की प्रक्रिया आरंभ किया। हालाँकि, मार्च 2020 तक केवल ₹3.65 करोड़ ही वसूले जा सके थे।

आगे, का.अभि., प.नि.प्र., पिपरा के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि कलक्टर, सुपौल ने बीरपुर मौजा में 1.545 एकड़ कृषि भूमि के अधिग्रहण के लिए ₹3.79 करोड़ की माँग की थी (अप्रैल 2013)। इसके बाद, मई 2013 में, का.अभि. ने जि.भू.अ.पदा. से भूमि क्षेत्र में 1.545 से 15.45 एकड़ सुधार करने का अनुरोध किया। आवश्यक क्षेत्र में सुधार किए गए थे, हालाँकि, भूमि के प्रकार को कृषि से आवासीय वर्ग में परिवर्तित कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप भूमि की लागत ₹39.98 करोड़ अधिक अनुमानित हुआ एवं तदनुसार अधिक भुगतान हुआ।

विभाग ने इस अवलोकन का कोई जवाब नहीं दिया।

इस प्रकार लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि अधिक भुगतान संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत के साथ-साथ जिला प्रशासन की निगरानी में चूक का सूचक था, जिससे तंत्र को ₹104.33 करोड़¹¹ का नुकसान हुआ था।

2.1.7.4 भूमि अधिग्रहण का अनुचित योजना और क्रियान्वयन

प.नि.वि. ने भूमि अधिग्रहण के लिए पाँच जि.भू.अ.पदा. को ₹582.54 करोड़ राशि अधिक प्रदान किया था, जिसमें से ₹455.47 करोड़ संबंधित जि.भू.अ.पदा. द्वारा वापस कर दिया गया। हालाँकि, ₹127.06 करोड़ अभी भी (मार्च 2020) दो जि.भू.अ.पदा. (सुपौल और किशनगंज) के पास पड़े हुए थे, जैसा कि तालिका संख्या— 2.1.5 में दिखाया गया है।

तालिका सं.— 2.1.5

भूमि अधिग्रहण से संबंधित राशि के अत्यधिक मूल्यांकन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	प्रमंडल का नाम	निधि की वास्तविक आवश्यकता	जि.भू.अ. पदा. को हस्तांतरित की गयी राशि	जि.भू.अ. पदा. के पास अधिक निधि	जि.भू.अ. पदा. द्वारा प्रत्यर्पित राशि	जि.भू.अ.पदा./प्रमंडल के पास पड़ी राशि
1	किशनगंज	137.83	218.5	80.67	0.00	जि.भू.अ.पदा. द्वारा पाँच वर्षों से रखी ₹80.67 करोड़ की राशि अभी भी वापस की जानी है।
2	मधुबनी	59.97	124.57	64.60	64.59	12 माह तक ₹64.60 करोड़ की राशि
3	पिपरा (सुपौल)	60.21	106.60	46.39	0	जि.भू.अ.पदा. द्वारा दो वर्षों से रखी ₹46.39 करोड़ की राशि अभी भी वापस की जानी है।
4	सीतामढ़ी	306.84	587.72	280.88	280.88	छः माह तक ₹128.37 करोड़ की राशि, 19 माह तक ₹152.51 करोड़ की राशि
5	पश्चिम चम्पारण	191.5	301.5	110	110	एक से चार वर्षों तक ₹110.00 करोड़ की राशि
	कुल	756.35	1338.89	582.54	455.47	

(स्रोत: प.नि.वि., बिहार)

इस प्रकार, ₹582.54 करोड़ मुख्यतः भूमि के मूल्य के अधिक प्राक्कलन के कारण जि.भू.अ.पदा./प्रमंडल के पास एक से पाँच वर्षों की अवधि तक अवरुद्ध पड़ा रहा। जि.भू.

¹¹ ₹68 करोड़—₹3.65 करोड़ + ₹39.98 करोड़ = ₹104.33 करोड़

अ.पदा. द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि, निधि को किशनगंज और पश्चिम चंपारण में व्यक्तिगत जमा खाते में रखा गया था।

विभाग ने जवाब दिया कि जि.भू.अ.पदा. ने अतिरिक्त धनराशि को खातों से संबंधित शीर्ष में वापस कर दिया है। जवाब ने स्वयं इस तथ्य की पुष्टि की, कि भूमि के मूल्य को अधिक अनुमानित किया गया था, जिसके कारण निधि अवरुद्ध रहा।

2.1.7.5 भूमि अधिग्रहण से संबंधित अन्य अनियमितताएं

(i) भूमि के मुआवजे पर अधिक भुगतान

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि जि.भू.अ.पदा., पूर्वी चंपारण द्वारा भू.अ. अधिनियम¹² के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 100 प्रतिशत मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया। ₹226.81 करोड़ के कुल भुगतान में से समाहर्ता द्वारा वास्तविक दावों के सत्यापन को सुनिश्चित किए बिना भूस्वामियों को ₹45.36 करोड़ के अधिक भुगतान की अनुमति दी गयी।

पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) जिले के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजे का विवरण नीचे दी गई तालिका सं.— 2.1.6 में दर्शाया गया है।

तालिका सं0— 2.1.6

भूमि अधिग्रहण मुआवजे का विवरण

भूमि अधिग्रहण के तहत कुल मौजा (एकड़ में)	कुल अधिग्रहित मौजा (एकड़ में)	अधिग्रहण के तहत कुल लंबाई (कि.मी.)	कुल अधिग्रहित लंबाई (कि.मी.)	मुआवजा के राशि के भुगतान का लक्ष्य (₹ करोड़ में)	दिनांक 2/3/2020 तक मुआवजा भुगतान (₹ करोड़ में)
46 / 553.480	43 / 428.8403	75.002	65.462	268.00	226.81

(स्रोत: जि.भू.अ.पदा.. मोतिहारी)

नमूना जाँच में पुष्टिकरण हुआ कि ऐसे दस मामलों में, भूस्वामियों को वास्तविक भूमि धारण के विरुद्ध ₹22.51 लाख अधिक भूमि मुआवजा दिया गया, जिनकी वसूली लंबित थी। अन्तिम रूप से भूमि तय करने के पूर्व भूमि अधिग्रहण के सभी मामलों में इसका पुनर्मूल्यांकन किया जाना आवश्यक था। इससे परियोजना में और देरी होगी।

जि.भू.अ.पदा. मोतिहारी ने जवाब दिया कि लेखापरीक्षा अवलोकन की जाँच की जाएगी। सरकार को मामले की सूचना दी गई है और जवाब प्रतीक्षित है।

(ii) आवंटियों को अनाधिकृत भुगतान

आवंटियों के भुगतान (2016–18) से संबंधित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि जि.भू.अ.पदा. मोतिहारी के कार्यालय में संधारित मूल्यांकन पंजी एवं खतियान पंजी में आवंटियों का विवरण त्रुटियों से भरा था, विशेष रूप से आवंटियों के नाम एवं उनसे संबंधित भूमि का हिस्सा। इसलिए, संबंधित आवंटियों द्वारा आवंटियों की सूची में दर्शायी गई भूमि की मात्रा के अनुसार आवंटन का भुगतान प्राप्त किया गया, जिसके लिए आवंटी अधिकृत नहीं थे क्योंकि अधिकांश मामलों में अन्य सह-हिस्सेदार ने अपने हिस्से के आवंटन को प्राप्त करने के लिए जि.भू.अ.पदा. से संपर्क किया था। इस तरह, 2016–18 की अवधि के लिए आठ मौजा से संबंधित दस मामलों में आवंटन के वास्तविक हिस्से से अधिक या

¹² भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 40 (3) के उपधारा (1) या उपधारा (2) के अनुसार, किसी भूमि को कब्जे में लेने के पूर्व समाहर्ता उसके द्वारा प्राक्कलित मुआवजे की राशि का 80 प्रतिशत हकदार को भुगतान करेंगे।

अनधिकृत रूप से ₹0.29 करोड़ का भुगतान किया गया। हालाँकि केवल दो मामलों में सर्टिफिकेट केस दर्ज किए गए थे (फरवरी 2019)।

(iii) अनियमित अधिसूचना प्रक्रिया

विभाग ने फरवरी 2015 के बाद भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 40 (1) के आपातकालीन खंड के तहत भूमि का अधिग्रहण शुरू किया। धारा प्रावधानित करता है कि समाहर्ता, यद्यपि ऐसा कोई आवंटन नहीं किया गया है, धारा 21 में वर्णित सूचना के प्रकाशन से तीस दिन की समाप्ति पर लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक किसी भूमि का स्वामित्व लें एवं ऐसी भूमि उसके बाद सभी अतिक्रमणों से मुक्त, पूर्णरूपेण सरकार में निहित हो जाएगी।

जि.भू.अ.पदा. मोतिहारी के अभिलेखों की जाँच (मार्च 2020) में पता चला कि लोक प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण के सरकारी इरादे और मुआवजे के दावे के लिए आमंत्रण के बारे में जि.भू.अ.पदा. ने अधिनियम की धारा 21 के तहत कोई सार्वजनिक सूचना जारी नहीं किया था, ताकि भूमि सभी अतिक्रमणों से मुक्त हो जाए और निर्धारित समय सीमा तीस दिनों के भीतर लिया जा सके। भूमि में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक सूचना में उल्लिखित समय और स्थान पर समाहर्ता के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या एजेंट या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होने से वंचित किया गया। यह भूमि अधिग्रहण कानून के विरुद्ध था और अधिग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव और व्यवधान था।

जि.भू.पदा. मोतिहारी ने जवाब दिया कि लेखापरीक्षा मुद्दों की जाँच की जाएगी। मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया एवं जवाब प्रतीक्षित है।

(iv) फर्जी दस्तावेज पर कपटपूर्ण भुगतान

जि.भू.अ.पदा. मोतिहारी के अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ कि मौजा वार स्थायी आवंटन रजिस्टर संधारित नहीं किया गया था जिसके आधार पर कार्यालय के संबंधित कर्मचारियों द्वारा मुआवजे के भुगतान की जाँच की जा सके। उच्च अधिकारियों से इस संबंध में कोई निगरानी और आवश्यक निर्देश प्राप्त नहीं थे, यद्यपि यह मामला पिछले लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए थे।

कार्यालय जि.भू.अ.पदा. मोतिहारी के लेखापरीक्षा में पाया गया कि फर्जी दस्तावेज पर कपटपूर्ण भुगतान से संबंधित मामले की जाँच हेतु मोतिहारी पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी (दिसंबर 2018) दर्ज की गई थी। एक भूमि मुआवजे के दावेदार श्री जय कृष्ण तिवारी ने दो अन्य लाभार्थियों श्री राजेन्द्र और प्रमोद मिश्रा (मूल लाभार्थी/आवंटी) का फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पास बुक, भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र आदि जमा किया और 2017-19 के दौरान भा.ने.सी.स.परि. में ₹2.36 करोड़ मुआवजा प्राप्त किया। प्राथमिकी के बाद संबंधित बैंक खाता को फ्रीज कर दिया गया था। वसूली की प्रक्रिया चल रही थी (मार्च 2020)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आवंटियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के दुबारा सत्यापन की उचित प्रणाली का पालन न करना और लाभार्थी पंजी का अनुचित संधारण एक जोखिम कारक और कमजोर आंतरिक नियंत्रण का संकेत था।

(v) स्थापना प्रभारों का कम जमा होना

बिहार भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता एवं उचित मुआवजों का अधिकार, राहत एवं पुनर्वास नियम 2014 के नियम 4(2) में स्थापना प्रभार¹³ अधियाची निकाय द्वारा जमा किया जाना निर्धारित है।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि जि.भू.अ.पदा. मोतिहारी ने 46 मौजे के मुआवजे के लिए ₹268 करोड़ की माँग की, जिसमें से स्थापना प्रभार ₹44.41 करोड़ होने का अनुमान था (फरवरी 2015)। अधियाची प्राधिकारी द्वारा 2017-18 तक मुआवजा एवं अन्य प्रभार हेतु ₹268 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई। स्थापना प्रभारों के लिए माँगे गए कुल ₹44.41 करोड़ के मुकाबले, कोषागार (2016-17) में केवल ₹23.57 करोड़ की राशि जमा की गयी थी। शेष ₹20.84 करोड़ रुपये कोषागार में जमा नहीं किए गए। इसका कारण जि.भू.अ.पदा. मोतिहारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

जि.भू.अ.पदा. मोतिहारी ने लेखापरीक्षा अवलोकन की जाँच करने और परिणामों को लेखापरीक्षा को सूचित करने का आश्वासन दिया। मामले की सूचना सरकार (अगस्त 2020) को दे दी गई है और जवाब प्रतीक्षारत है।

(vi) प्राधिकारी के पास निधि जमा नहीं किया जाना

भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 40 के अनुसार, अत्यावश्यक मामले में समाहर्ता, सूचना के प्रकाशन से तीस दिनों की समाप्ति पर सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक किसी भूमि का स्वामित्व ले सकता है एवं ऐसी भूमि उसके बाद सभी अतिक्रमणों से मुक्त, पूर्णरूपेण सरकार में निहित होगी। इसके अलावा, उक्त अधिनियम के धारा 77 के अनुसार यदि मुआवजे का हकदार व्यक्ति इसे प्राप्त करने के लिए सहमति नहीं देता है या यदि भूमि को हस्तांतरित करने के लिए कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है या कोई विवाद है तो समाहर्ता मुआवजे को प्राधिकरण में जमा करेगा।

चूँकि भू.अ. अधिनियम 2013 की धारा 40 के आपातकालीन प्रावधान के तहत विभिन्न नमूना-जाँचित प्रमंडलों में वर्ष 2015 से 2016 तक के दौरान अधिग्रहण के लिए सूचना जारी किया गया था, यह आवश्यक था कि पूरी जमीन का स्वामित्व सरकार द्वारा लिया जाए तथा लाभार्थियों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जाय। किसी भी विवाद के मामले में प्राधिकरण¹⁴ के पास राशि जमा की जानी थी। हालाँकि यह देखा गया कि अधिसूचना जारी करने और घोषणा के पांच साल बीत जाने के बाद भी उपलब्ध धनराशि

¹³ इस नियम के अनुसार, स्थापना प्रभार भूमि के अनुमानित मूल्य का घटक है और नियम के अनुसार प्रभार लिया जाएगा।

(i) ₹15,00,000/- और उससे अधिक मुआवजा राशि के लिए : ₹3,50,000/- अथवा मुआवजा राशि का 20% जो भी अधिक हो।

(ii) ₹15,00,000/- से कम और ₹10,00,000/- से अधिक मुआवजा राशि के लिए : ₹3,00,000/- अथवा मुआवजा राशि का 25%, जो भी अधिक हो।

(iii) ₹10,00,000/- से कम और ₹5,00,000/- से अधिक मुआवजा राशि के लिए : ₹2,00,000/- अथवा मुआवजा राशि का 30% जो भी अधिक हो।

(iv) ₹5,00,000/- अथवा उससे कम मुआवजा राशि के लिए : मुआवजा राशि का 35%

¹⁴ भू.अ. नियम 2014 के नियम 2 के अनुसार "प्राधिकरण" का अर्थ है राज्य सरकार के अधिसूचना द्वारा नियुक्त भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास प्राधिकरण। जिलाधिकारी को 25 एकड़ जमीन तक के अधिग्रहण के लिए और प.नि.वि. को 25 एकड़ से अधिक के लिए प्राधिकरण घोषित किया गया है।

प्राधिकरण के पास जमा नहीं किया गया था और जि.भू.अ.पदा. के पास ₹392.62 करोड़¹⁵ की राशि पड़ी हुई थी (मार्च 2020)।

विभाग ने जवाब दिया कि पूरी राशि का उपयोग जून 2019 तक कर लिया जाएगा। अद्यतन स्थिति अभी तक (अगस्त 2020) लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया गया है।

2.1.8 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में कमियां

सी.सी.एस. के निर्णय (सितंबर 2010) के अनुसार, प.नि.वि. को भा.ने.सी. सड़क के लिए वि.परि.प्रति. तैयार करना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि वि.परि.प्रति. की तैयारी बि.रा.प.वि.नि.लि. को सौंपी गई थी। वि.परि.प्रति. की तैयारी के लिए बि.रा.प.वि.नि.लि. द्वारा पाँच पैकेजों में पाँच सलाहकारों¹⁶ के साथ एकरारनामा किया गया। दिसंबर 2010 में सलाहकारों को स्वीकृति पत्र दो महीने (फरवरी 2011) की पूर्णता अवधि के साथ जारी किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि वि.परि.प्रति. तैयार करने से संबंधित कार्य को संरेखण के अंतिम रूप से सुनिश्चित किए जाने के पूर्व ही बनाया गया था। मार्च 2011 में दो वि.परि.प्रति. प्रस्तुत किए गए। इसके बाद, अप्रैल 2011 में संरेखण को परिवर्तित किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान बि.रा.प.वि.नि.लि. के पास सर्वेक्षण संबंधित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं पाया गया।

अभिलेखों की संवीक्षा में आगे यह पाया गया कि प्रारंभ में बि.रा.प.वि.नि.लि. ने सड़क निर्माण के लिए केवल दो वि.परि.प्रति. (i) इनरवा से जमुनिया नदी सड़क (65.55 कि.मी.) और (ii) राष्ट्रीय राजमार्ग 57 पर गरिया चौक से रानीगंज सीमा चौकी सड़क (30.775 कि.मी.) जमा किए (मार्च 2011), जिसकी प्राक्कलित लागत क्रमशः ₹547.80 करोड़ और ₹411.29 करोड़ थी। सड़क की प्रति कि.मी. की लागत क्रमशः ₹9.04 करोड़ और ₹14.89 करोड़ थी जो सितंबर 2010 में सी.सी.एस. द्वारा अनुमोदित ₹3.02 करोड़ की स्वीकृत इकाई लागत के मुकाबले असामान्य रूप से अधिक थी। वि.परि.प्रति. में प्रस्तावित सड़क कार्य हेतु लॉगीच्यूनल एवं क्रॉस-सेक्शन, विस्तृत दर प्राक्कलन, दर विश्लेषण, मापी की विवरणी आदि ऐसे अवयव नहीं थे जो कि तकनीकी समिति¹⁷ (त.स.) द्वारा प्रस्ताव की जाँच के लिए अनिवार्य थी। इसके अलावा, गृ.मं. के त.स. ने पाया कि (मार्च 2011) सी.सी.एस. के निर्णय के अनुसार, वि.परि.प्रति. को प.नि.वि. द्वारा तैयार किया जाना था, लेकिन इस संबंध में विभाग द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। इन अवलोकनों के आधार पर त.स. ने इन प्रस्तावों को नहीं जाँचा और उन्हें स्थगित कर दिया।

इसके बाद, पुराने खंड के नाम में बदलाव करके अन्य पाँच¹⁸ खंडों (केवल 107.70 कि.मी.) के लिए वि.परि.प्रति. प्रस्तुत (अप्रैल 2011 में) किया गया। हालाँकि बि.रा.प.वि.नि.लि.

¹⁵ अररिया— ₹167.43 करोड़, बेतिया—₹90.80 करोड़, किशनगंज—₹30.63 करोड़, मधुबनी—₹7.43 करोड़, मोतिहारी— ₹41.94 करोड़ पिपरा— ₹34.97 करोड़, सीतामढ़ी—₹19.42 करोड़

¹⁶ मे. एस.एन. भोभे, मे0 वी.के.एस. इंफ्राटेक, मे. क्राइटस इंफ्राटेक, मे. सी.ई.टी.ई.एस.टी. तथा मे. आई.सी.ई.ए.पी.

¹⁷ गृह सचिव की अध्यक्षता में सीमा प्रबंधन से संबंधित कार्यों के अनुमोदन/मंजूरी के लिए गृ.मं. में उच्च स्तरीय सशक्त समिति (एच.एल.ई.सी.) का गठन किया गया है। एच.एल.ई.सी. को एक तकनीकी समिति (त.स.) के महानिदेशक (कार्य), के.लो.नि.वि. की अध्यक्षता में सहायता प्रदान की जाती है जिसमें निष्पादन एजेंसियों के साथ-साथ उपयोगकर्ता एजेंसियों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। निष्पादन एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए प्राक्कलन की जाँच त.स. द्वारा की जाती है और इसकी सिफारिशों को एच.एल.ई.सी. के समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाता है जिसे परियोजनाओं के क्रियान्वयन और अनुश्रवण के लिए उचित निर्णय लेने का अधिकार है।

¹⁸ गुवाड़ी रेलवे क्रॉसिंग से मनुस्मारा नदी —26.50 कि.मी., लौकाही आंध्र मठ— महादेव मठ और महादेव मठ से निर्मली के पास भुतहा चौक तक — 29.40 कि.मी., गरिया गाँव से रानीगंज —27.60 कि.मी., कुआरी से सिकटी —12 कि.मी., धवेली से फतेहपुर —12.20 कि.मी.।

कार्यालय में नए खंडों का सर्वेक्षण अभिलेख नहीं मिला। इसलिए, लेखापरीक्षा के दौरान वि.परि.प्रति. के आंकड़ों की प्रामाणिकता सत्यापन योग्य नहीं थी। इसके बाद, संबंधित कार्य प्रमंडलों¹⁹ द्वारा वि.परि.प्रति. के पुनरीक्षण के दौरान कमियों को इंगित किया गया था। उनमें से कुछ कमियां गलत सड़क संरेखण, भूमि अधिग्रहण योजना की अनुपलब्धता, एस.एस.बी. के लिए संपर्क सड़क का प्रावधान नहीं रहना, पथ चौड़ाई का त्रुटिपूर्ण अधिकार, पुलों का गलत डिजाइन, मिट्टी कार्य की गलत गणना आदि से संबंधित थी। वि.परि.प्रति. में संरेखण के निर्देशांक भी सही नहीं थे। इससे यह स्पष्ट हुआ कि वि.परि.प्रति. में संरेखण का निर्देशांक पहले वाले संरेखण पर आधारित था।

हालाँकि, बि.रा.प.वि.नि.लि. के साथ प.नि.वि. के कई पत्राचार के बावजूद, इन विसंगतियों को वर्ष 2015 तक ठीक नहीं किया गया था, और संरेखण के निर्धारण और मात्रा में बदलाव की मंजूरी के अभाव में यह कार्य प्रभावित रहा। बि.रा.प.वि.नि.लि. ने कहा कि खंडों की वि.परि.प्रति. अधूरी थी (मार्च 2020)। उपरोक्त कमियों के बावजूद, प.नि.वि. को उच्च स्तरीय सशक्त समिति (एच.एल.ई.सी.) द्वारा वि.परि.प्रति. की स्वीकृति मिली। ₹5.13 करोड़ मूल्य के अनुबंध के विरुद्ध, सलाहकारों को वि.परि.प्रति. तैयार करने के लिए ₹4.80 करोड़ (अप्रैल 2019 तक) का भुगतान किया गया था, जो अलाभकारी रहा।

विभाग ने उत्तर दिया कि वि.परि.प्रति. सलाहकारों ने दिसंबर 2010 में अपना काम शुरू किया और मार्च 2011 में वि.परि.प्रति. प्रस्तुत किया। प.नि.वि. द्वारा प्रस्तुत 15 वि.परि.प्रति. के आधार पर, गृ.मं. ने 4/4/2012 से 10/4/2013 के दौरान 552.293 किमी लंबाई के वि.परि.प्रति. को स्वीकृति दी।

जवाब तथ्यों के अनुरूप नहीं है, क्योंकि संरेखण एस.एस.बी. और प.नि.वि. द्वारा 13/4/2011 को संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित किया गया था, जबकि वि.परि.प्रति. को नये संरेखण को अंतिम रूप देने से पहले ही सलाहकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा, संरेखण को अंतिम रूप दिए बिना सलाहकारों ने वि.परि.प्रति. तैयार करने के लिए सर्वेक्षण कैसे किया और प.नि.वि. को वि.परि.प्रति. में बहुत कमियों के बावजूद भी एच.एल.ई.सी. की मंजूरी कैसे मिली, विभाग द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया।

2.1.9 कार्य की धीमी प्रगति

प.नि.वि. द्वारा 552.293 कि.मी. सड़क के निर्माण के लिए ₹2552.86 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति (प्र.स्वी.) दी गई (जून 2012)। इसमें से, ₹1656.56 करोड़ की असैनिक लागत भारत सरकार द्वारा और शेष राशि ₹896.30 करोड़ बिहार सरकार द्वारा वहन की जानी थी। यह कार्य चार वर्षों में पूरा किया जाना था और वित्तीय लक्ष्य (असैनिक लागत) ₹414.14 करोड़ अर्थात् 2012–13 से 2015–16 के दौरान प्रति वर्ष स्वीकृत राशि का 25 प्रतिशत की दर से तय किया गया था। पुनः बिहार सरकार द्वारा ₹3935.13 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी (फरवरी 2017), जिसमें असैनिक लागत के लिए भारत सरकार का अंश ₹1656.56²⁰ करोड़ और बिहार सरकार का अंश ₹2278.57 करोड़ शामिल था और संपूर्ण कार्य 2016–17²¹ तक पूर्ण किया जाना था। इसके अलावा, भा.ने.सी.स.परि. अंतर्गत, 121 पुलों का निर्माण नाबार्ड ऋण (बिहार सरकार द्वारा व्यवस्थापित) के माध्यम से ₹983.81 करोड़ की लागत से किया जाना था।

¹⁹ अगस्त 2011, दिसंबर 2012, अगस्त 2014, नवंबर 2015

²⁰ सी.सी.एस. की मंजूरी के अनुसार, परियोजना लागत ₹1702 करोड़ थी जबकि असैनिक लागत के संबंध में प.नि.वि. बिहार द्वारा दी गई प्रशासनिक स्वीकृति ₹1656 करोड़ थी।

²¹ समय-सीमा को 31 मार्च, 2016 से बाधामुक्त खंडों पर चल रहे काम को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर 2019 तक और नए कंस्ट्रक्शन के बाकी खंडों के लिए 31 दिसंबर 2022 तक आगे बढ़ाया गया था।

भा.ने.सी.स.परि. के लिए निधि की उपलब्धता और उपयोग को तालिका सं.— 2.1.7 में समेकित किया गया है और विस्तृत विवरणी परिशिष्ट— 2.1.2 में दिया गया है।

तालिका सं. —2.1.7

परियोजना क्रियान्वयन और कार्यान्वयन के प्रगति के सार

(राशि— करोड़ में)

अवधि	विवरणी (जिसके द्वारा वहन किया जाना था)	स्वीकृत राशि	आवंटित / हस्तांतरित राशि (जिसे की गई)	व्यय / हस्तांतरित (स्वीकृत राशि के सापेक्ष प्रतिशत)	प्रभाव
2012—13 से 2019—20	असैनिक लागत (पथ के निर्माण इत्यादि) (भारत सरकार द्वारा)	1656.56	740.04 (बिहार सरकार)	726.19 (43.84%)	संशोधित असैनिक लागत ₹2359.67 करोड़ (₹1656.56 करोड़ से बढ़ाकर) की गई थी, जो ₹703.12 करोड़ की वृद्धि थी। हालाँकि, गृ.मं. द्वारा केवल चार जिलों के संबंध में स्वीकृति दी गई थी, जैसा कि कंडिका 2.1.9.2 में चर्चा की गई है। केवल 24.20 कि.मी. (दो खंडों) सड़कों का निर्माण पूर्ण (4.38 प्रतिशत) किया जा सका, जबकि 131.12 किमी (तीन खंडों) निर्माणाधीन थे (अक्टूबर 2020)। शेष 10 खंडों में संवेदकों ने काम बंद कर दिया था। (मार्च 2020) (यह कंडिका सं. 2.1.9 में विस्तृत है।)
2012—13 से 2019—20	भूमि अधिग्रहण, जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, पर्यावरण मंजूरी (बिहार सरकार)	2278.57	2278.42 (प्रमंडल)	2250.36 (98.76%)	₹2250.36 करोड़ जि.भू.अ.पदा. को हस्तांतरित किए गए, ₹28.04 करोड़ प्रत्यर्पित किए गए और ₹455.47 करोड़ अतिरिक्त निधि जि.भू.अ.पदा. द्वारा वापस कर कोषागार में जमा किया गया। मार्च 2020 तक आवश्यक 492.97 किमी के लिए वांछित 2759.25 एकड़ भूमि के विरुद्ध 446.93 किमी (91 प्रतिशत) के लिए 2497.64 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया। हालाँकि, भूमि का अधिग्रहण वास्तव में पूरा नहीं हुआ था क्योंकि सात जिलों में से किसी में भी दाखिल—खारिज प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण स्वामित्व सरकार को हस्तांतरित नहीं किया गया था। आगे, एक जिले (पूर्वी चंपारण) में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्णतया (कुल भूमि अधिग्रहण का 17 प्रतिशत) व्यपगत हो गई। अतः लेखापरीक्षा आश्वस्त नहीं हो सका कि 91 प्रतिशत भूमि पूरी तरह से अधिग्रहित हो गई है।
2015—19	पुल (नाबार्ड ऋण)	983.81	936.29 (बि.रा.पु.नि. नि.लि.)	928.77 (94.41%)	भा.ने.सी.स.परि. अंतर्गत 121 पुलों (40 वृहत एवं 81 लघु) का निर्माण बि.रा.पु.नि.नि.लि. द्वारा किया जाना था। परियोजना (पुल) की लागत ₹983.81 करोड़ थी, जो बिहार सरकार द्वारा ली गयी नाबार्ड ऋण से वित्त पोषित थी। कार्य जुलाई 2013 में शुरू किया गया और 101 पुलों (84 प्रतिशत) को पूरा किया गया था तथा 20 प्रगति पर थे (जून 2020)। हालाँकि, सड़क के साथ पुलों के न जुड़े होने के कारण 31 पुल दोष दायित्व अवधि से बाहर हो गए थे और 15 पुल संरक्षण में परिवर्तन के कारण संरक्षण से बाहर हो गए थे, जैसा कि कंडिका—2.1.6.3 में विवरण दिया गया है।

(स्रोत— प.नि.वि. बिहार)

असैनिक लागत के संदर्भ में संबंधित वित्तीय प्रगति (मार्च 2020) स्वीकृत लागत का केवल 44 प्रतिशत थी। अन्य अवयवों यथा भूमि अधिग्रहण, जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण,

पर्यावरण मंजूरी और पुल, जो क्रमशः बिहार सरकार और नाबार्ड ऋण द्वारा वित्त पोषित थे, वित्तीय प्रगति स्वीकृत लागत का क्रमशः 99 प्रतिशत और 94 प्रतिशत थी।

2.1.9.1 असैनिक कार्य की धीमी प्रगति

जैसा कि पूर्ववर्ती कंडिकाओं में वर्णित है, भूमि की अनुपलब्धता के बावजूद, विभाग ने 552.29 कि.मी. (मार्च 2013) के संपूर्ण खंड के लिए अनुबंध किया था। परिणामस्वरूप, कार्य की प्रगति नहीं हो सकी। केवल 24.20 किमी सड़कों (दो खंडों) का निर्माण (4.38 प्रतिशत) पूर्ण किया जा सका, जबकि 131.12 किमी (तीन खंडों) में कार्य प्रगति पर था (अक्टूबर 2020)। शेष 10 खंडों में (मार्च 2020), (396.975 कि.मी.) संवेदकों ने काम बंद कर दिया था। कार्य की धीमी प्रगति के परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा कम निधि उपलब्ध करायी गयी, भारत सरकार की निधि का अवरुद्धीकरण हुआ एवं लागत (असैनिक) में वृद्धि हुई।

(i) असैनिक कार्य की धीमी प्रगति के कारण भारत सरकार द्वारा कम निधि जारी किया जाना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बिहार सरकार द्वारा धन का कम उपयोग किए जाने के कारण किसी भी वर्ष में वांछित निधि भारत सरकार द्वारा निर्गत नहीं की गई। 2013-20 के दौरान प्रत्येक वर्ष दोनों स्तर (राज्य एवं प्रमंडल) पर बड़ी राशि अवरुद्ध रही (परिशिष्ट-2.1.2)। राज्य स्तर पर, बचत 21 से 65 प्रतिशत तक थी जबकि प्रमंडलों के स्तर पर यह 14 से 52 प्रतिशत तक थी। इस अवधि के दौरान, भारत सरकार ने (मार्च 2020) ₹740.04 करोड़ निर्गत किया जिसमें से केवल ₹726.19 करोड़ का उपयोग दिखाया गया था। कम उपयोग किए जाने का मुख्य कारण अपर्याप्त योजना, भूमि की अनुपलब्धता (अधिकार में नहीं लिया जाना) आदि के कारण काम की धीमी प्रगति थी।

(ii) आवश्यकता से अधिक निधि का अनुरोध

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि बिहार सरकार ने वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना असैनिक कार्य के लिए भारत सरकार से (अप्रैल 2013 और अगस्त 2013) निधि की माँग की और इस निधि को बिना उपयोग में लाये विभिन्न अवधि के लिए चालू खाते में रखा। दो अवसरों²² पर बैंक खाते में 12 से 17 महीनों के लिए ₹100 करोड़ से अधिक की राशि अवरुद्ध थी। इसके अलावा, अक्टूबर 2013 में भारत सरकार से प्राप्त 100 करोड़ रुपये की धनराशि बैंक खाते में 15 महीने से अधिक के लिए अवरुद्ध थी क्योंकि इस प्राप्ति के विरुद्ध प्रमंडलों को धनराशि निर्गत करने का काम केवल फरवरी 2015 (15 महीने बाद) से प्रारंभ हुआ था।

आवश्यकता से अधिक धनराशि की माँग और बैंक खाते में राशि के पड़े रहने के कारण न केवल लोक धन अवरुद्ध हुआ, बल्कि इससे बिहार सरकार को ₹21.56 करोड़ का ब्याज का नुकसान हुआ, जिसका उपयोग भा.ने.सी.स.परि. के लिए किया जा सकता था।

विभाग के द्वारा जवाब दिया गया कि चालू खाता सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से भारतीय स्टेट बैंक में खोला गया था। इसके अलावा, गृ.मं. के द्वारा भी ब्याज वाले बचत खाता में निधि को रखने हेतु कोई निर्देश नहीं दिया गया था।

प.नि.वि. ने लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार किया और निधि के कम उपयोग का कारण पथ निर्माण हेतु भूमि का उपलब्ध नहीं होना बताया।

²² अक्टूबर 2013 से सितंबर 2014 की अवधि के लिए न्यूनतम शेष ₹141.59 करोड़ और अगस्त 2015 से दिसंबर 2016 की अवधि के लिए न्यूनतम शेष ₹109.08 करोड़।

इस प्रकार आवश्यकता से अधिक निधि की माँग की गयी और इसे चालू बैंक खाते में निष्क्रिय रखा गया, जिससे ब्याज की हानि हुई। हालाँकि, प.नि.वि. ने अप्रयुक्त शेष निधि को फरवरी 2020 के बाद ब्याज देने वाले स्वीप खाते में जमा कर दिया।

2.1.9.2 कार्यों की धीमी प्रगति के कारण लागत में वृद्धि

जैसा कि उपरोक्त कंडिकाओं में वर्णित है, अधूरी वि.परि.प्रति., अधूरी भूमि अधिग्रहण, लंबित वैधानिक मंजूरी, संरेखण परिवर्तन इत्यादि कारणों से परियोजना की प्रगति बाधित हुई थी। इन कारणों से मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन), परिमाण में परिवर्तन एवं परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि हुई। परियोजना के लागत (असैनिक मद की राशि) में वृद्धि, जैसा कि तालिका सं.-2.1.8 में वर्णित है।

तालिका सं.- 2.1.8
असैनिक लागत में वृद्धि

(₹करोड़ में)

क्रम सं.	पथ का नाम (जिला/लंबाई कि.मी. में)	प्र.स्वी. के अनुसार मूल लागत	प्रस्तावित संशोधित प्राक्कलन	लागत में अंतर	एचएलइसी द्वारा संशोधित प्राक्कलन की स्वीकृति (अनुमोदन का माह)	टिप्पणी
1.	मदनपुर से धुतहा (पश्चिम चंपारण/111.10)	331.39	516.76	185.37	489.36 (दिसंबर 2019)	
2.	धुतहा से ललबकिया (पूर्वी चंपारण/77.24)	238.59	330.09	91.50	—	अनुमोदन लंबित
3.	ललबकिया से भिट्टामोड परसा (सीतामढ़ी/89.92)	272.05	412.03	139.98	453.93 (नवंबर 2018-दिसंबर 2019)	
4.	परसा से भुताहा चौक (मधुबनी/39.21)	116.72	145.57	28.85	—	अनुमोदन लंबित
5.	सरायगढ़ से रिफ्यूजी कॉलोनी (सुपौल/40.99)	117.70	205.66	87.96	190.44 (नवंबर 2018)	
6.	रिफ्यूजी कॉलोनी से सिकटी (अररिया/114.33)	321.33	419.39	98.06	185.97 (नवंबर 2018)	चार खंडों (कुल 114.328 कि.मी.) में से केवल 44.32 कि.मी. के एक खंड के लिये स्वीकृति प्रदान की गई।
7.	फतेहपुर से गलगलिया (किशनगंज/79.50)	258.77	330.17	71.40	—	अनुमोदन लंबित
		1656.55	2359.67	703.12		

(स्रोत- प.नि.वि. का अभिलेख)

यह देखा गया कि परियोजना लागत में संशोधन का कारण मौजूदा परिवहन मार्ग के उन्नयन, परत की मोटाई में वृद्धि, अतिरिक्त मदें, मिट्टी कार्य की गणना में संशोधन, पुलियों और पुलों के विनिर्देशों में परिवर्तन, लागत वृद्धि आदि रहे। गृ.मं. को जुलाई 2018 से नवंबर 2019 के दौरान स्वीकृति के लिए प्रेषित संशोधित प्राक्कलन (2016) के अनुसार परियोजना के असैनिक कार्य की लागत में ₹703.12 करोड़ की वृद्धि हुई। हालांकि, केवल चार जिलों के संबंध में स्वीकृति दी गई थी।

2.1.9.3 लागत में वृद्धि से जुड़े अन्य मुद्दे

संशोधित प्राक्कलनों के नमूना जाँच में पता चला कि कुछ प्रावधानों की आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि अग्रेतर कंडिकाओं में वर्णित है:

(i) अतिरिक्त ढुलाई का प्रावधान

प.नि.वि. के निर्देश (अगस्त 2013) और बिहार वित्त नियमावली के नियम 9 के अनुसार, सड़क निर्माण के लिए सामग्री को सबसे नजदीकी स्थल से और न्यूनतम ढुलाई लागत पर खरीदा जाना है।

कार्य प्रमंडल अररिया के अभिलेखों की जाँच में पता चला कि प्राक्कलनों के तकनीकी स्वीकृति (अगस्त 2013) में, रिफ्यूजी कॉलोनी और सिकटी के बीच एक कार्य में स्टोन एग्रीगेट और बोल्टर के लिए पाकुर रेक पॉइंट से बथनाहा रैक पॉइंट तक ढुलाई दर प्रावधानित था। हालाँकि (नवंबर 2016 में तैयार) संशोधित तकनीकी स्वीकृति में यह उल्लेखित करते हुए कि बथनाहा रेक पॉइंट बंद हो गया है, रेक पॉइंट को बथनाहा से बदलकर जलालगढ़ कर अतिरिक्त ढुलाई का प्रावधान किया गया। इस प्रकार संशोधित प्राक्कलन में ₹16.86 करोड़ की अतिरिक्त ढुलाई का प्रावधान किया गया था।

स्टेशन अधीक्षक एन. एफ. रेलवे, बथनाहा के अनुसार (जुलाई 2016), बथनाहा रेलवे स्टेशन का रेक पॉइंट 30/5/2016 से सामानों की अनलोडिंग के लिए उपलब्ध था। इसके बावजूद का.अभि. प.नि.प्र., अररिया द्वारा (नवंबर 2016) ढुलाई के प्रावधान को बथनाहा से संशोधित कर जलालगढ़ कर दिया। इस कारण सरकारी खजाने पर ₹16.86 करोड़ का अनुचित भार पड़ा।

विभाग ने जवाब दिया कि स्टेशन अधीक्षक एन.एफ. रेलवे, बथनाहा, को बथनाहा में रेलवे रेक अनलोडिंग के अक्रियाशीलता के बारे में सूचित किया था और ढुलाई का प्रावधान तदनुसार संशोधित किया गया था।

विभाग का जवाब सही नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा उद्धृत पत्र में उल्लेख किया गया था कि बथनाहा में रेक प्वाइंट 30/5/2016 से अनलोडिंग के लिए उपलब्ध था।

(ii) बिक्री कर का अतिरिक्त प्रावधान

एस.बी.डी. के खंड 35 (1) के अनुसार, सभी निविदा दरें सभी करों और अधिनियमों के तहत देय लेवी सहित होते हैं। हालाँकि, यदि कोई और कर या लेवी अधिनियमों द्वारा लगाया जाता है, तो संवेदक इस तरह के कर/लेवी का भुगतान करेगा और संवेदक द्वारा भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

संशोधित प्राक्कलनों की जाँच में पाया गया कि संवेदको के विपत्रों से वैट मद में स्ट्रोत पर कटौती (टी.डी.एस.) का प्रावधान चार से बढ़ाकर पाँच प्रतिशत (सितंबर 2016) और बाद में पाँच से बढ़ाकर आठ प्रतिशत (नवंबर 2016) कर दिया गया। इस प्रकार, संवेदको के शुद्ध भुगतान में टी.डी.एस. में बढ़ोतरी की सीमा तक कमी आयी। भुगतान में आई इस कमी की भरपाई करने हेतु प्राक्कलन में अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया। वैट के टी.डी.एस. मद में अतिरिक्त भुगतान हेतु प्राक्कलन में ₹11.41²³ करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान कर, प्राक्कलन को उस सीमा तक बढ़ाया गया। लेखापरीक्षा मत के अनुसार यह वांछित नहीं था क्योंकि संवेदक की कर देयता की अंतिम राशि का निर्धारण वाणिज्य कर विभाग द्वारा किया जाना था।

प.नि.वि. द्वारा जवाब दिया गया कि संबंधित वाणिज्य कर अंचल को कटौती की विवरणी से अवगत करा दिया गया है और तदनुसार संवेदकों के अंतिम विपत्र में समायोजन कर लिया जाएगा।

²³ अररिया— ₹4.92 करोड़, पीपरा (सुपौल)— ₹6.49 करोड़

जवाब उपरोक्त नियम के अनुरूप नहीं था क्योंकि भुगतान की गयी राशि किसी नए कर/लेवी से संबंधित नहीं था अपितु यह स्रोत पर कर की केवल एक अग्रिम कटौती थी जिसका समायोजन संबंधित वाणिज्य कर अंचल के स्तर पर किया जाना चाहिए था।

(iii) ग्रेनुलर सब बेस (जीएसबी) की मात्रा की कम कटौती

सरायगढ़ से रिफ्यूजी कॉलोनी तक का पथ खंड पूर्वी कोसी तटबंध (पिपरा प्रमंडल) का एक हिस्सा है। तटबंध को ऊंचा किया गया और जल संसाधन विभाग (ज.सं.वि.) द्वारा वर्ष 2012 में पथ निर्माण विभाग को हस्तगत कराया गया। प.नि.प्र. सुपौल और ज.सं. वि. के द्वारा तैयार संयुक्त मापी प्रतिवेदन (अक्टूबर 2013) के अनुसार, पूर्व से कराये गए जी.एस.बी. लेयर की मात्रा 23751.04 घन मीटर थी। हालाँकि जीएसबी की कुल मात्रा से केवल 12043.40 मी³ की कटौती की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 11707.64 मी³ का कम समायोजन हुआ, जिसका मूल्य ₹3.45 करोड़ था।

विभाग ने जवाब दिया कि मात्रा का उचित समायोजन प.नि.वि. के अधिकारियों और संवेदक के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 30/4/16 को किए गए संयुक्त माप प्रतिवेदन के अनुसार किया गया था, जिसमें 100 मिमी के बजाय जी.एस.बी. की 70 मि.मी. मोटाई दिखाई गई थी।

जवाब मान्य नहीं था क्योंकि पहला संयुक्त माप (अक्टूबर-दिसंबर 2013) ज.सं.वि. के प्रतिनिधि की उपस्थिति में लिया गया था, जबकि ज.सं.वि. का कोई प्रतिनिधि दूसरे संयुक्त माप (अप्रैल 2016) में उपस्थित नहीं था।

2.1.10 वित्तीय प्रबंधन

प्रस्तावित सड़कों के निर्माण का खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना था, जबकि भूमि अधिग्रहण, जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, वन मंजूरी और भविष्य में सड़कों के रखरखाव पर व्यय बिहार सरकार द्वारा वहन किया जाना था।

2.1.10.1 भारत सरकार को राशि के उपयोग का असम्यक् प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना

सामान्य वित्तीय नियम 2017²⁴ के नियम 239 (उपयोगिता प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित प्रपत्र 12-ग) के अनुसार, उपयोगिता प्रमाण पत्र वास्तविक व्यय तथा भंडार और परिसंपत्तियों के आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए ऋण और अग्रिम जो इस स्तर पर व्यय का हिस्सा नहीं है, को अलग से दर्शाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र में भारत सरकार को प्रतिवेदित व्यय (असैनिक लागत) में वास्तविक वित्तीय प्रगति प्रतिवेदित नहीं किया गया। पांच नमूना-जाँचित प्रमंडलों में²⁵, वास्तविक व्यय ₹177.44 करोड़ के विरुद्ध ₹280.91 करोड़ (2012-13 से 2019-20) प्रतिवेदित किया गया। प्रतिवेदित किये गए व्यय में ₹103.47 करोड़ मोबिलाइजेशन अग्रिम तथा संयंत्र और मशीनरी अग्रिम (टी एंड पी) शामिल हैं, जो एजेंसियों²⁶ को दिए गए थे। इसके अतिरिक्त, मोबिलाइजेशन अग्रिम में से ₹91.99 करोड़ (तालिका संख्या 2.1.9) की राशि, जो पांच साल से अधिक समय तक रखने के बाद संवेदकों द्वारा वापस कर दी गई थी, उन्हें भी भारत सरकार को प्रतिवेदित उपयोगिता प्रमाण पत्र में नहीं दर्शाया गया था। फलस्वरूप, भारत सरकार को बिहार सरकार के पास

²⁴ पिछला संस्करण यानि सा.वि.नि. 2005 का नियम 212 यह निर्धारित करता है कि जिस प्रयोजन के लिए यह स्वीकृत किया गया था, उसके लिए प्राप्त अनुदान के वास्तविक उपयोग का एक प्रमाण पत्र पर जोर दिया जाना चाहिए।

²⁵ बेतिया, किशनगंज, मधुबनी, मोतिहारी और सीतामढ़ी

²⁶ एन.के.सी. प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, जे.के.एम. इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड।

उपलब्ध निधि की वास्तविक स्थिति के संबंध में सूचित नहीं किया गया। वापस हुए निधि से विभाग के पास नकद राशि में वृद्धि हुयी, जबकि इस राशि के संबंध में पहले से ही भारत सरकार को व्यय के रूप में सूचित कर दिया गया था।

विभाग ने जवाब दिया कि संवेदकों को दी गयी अग्रिम राशि को व्यय के रूप में दिखाए जाने का उद्देश्य, गृह मंत्रालय से आगे का आवंटन प्राप्त करना था। हालाँकि, संवेदक द्वारा लौटाए गए अग्रिमों की राशि को शामिल करने के बाद चालू वर्ष में उपयोगिता प्रमाण पत्र को सुधार लिया जाएगा।

विभाग द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र में किए गए सुधार का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

(i) असमायोजित मोबिलाइजेशन अग्रिम और ब्याज की हानि

बि.लो.नि.वि.सं. के नियम 207 में बताया गया है कि संवेदकों को अग्रिम (मोबिलाइजेशन अग्रिम सहित) केवल अनुबंध की शर्त के अनुसार प्रदान किया जाना चाहिए। एस.बी.डी. के खंड 10 बी (ii), (iii) और (iv) के अनुसार, मोबिलाइजेशन अग्रिम, निविदा मूल्य का 10% से अधिक नहीं दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, संवेदक द्वारा निर्माण-स्थल पर संयंत्र और मशीनरी लाने के लिए आवश्यक संयंत्र और मशीनरी (पी एंड एम) अग्रिम दिया जा सकता है। ऐसे अग्रिम की वसूली संवेदक के विपत्र से की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, मोबिलाइजेशन और पी.एंड.एम. अग्रिम पर साधारण ब्याज लगता है और यह ब्याज बैंक द्वारा लिए गए ब्याज की मौजूदा दर के बराबर होता है, जैसा कि अनुबंध डाटा (अनुसूची 'एफ') में उल्लिखित है।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि मार्च 2013 से जून 2014 के दौरान पांच जिलों में दो संवेदकों को ₹103.47 करोड़ (₹93.99 करोड़ रुपये मोबिलाइजेशन अग्रिम + ₹9.48 करोड़ पी एंड एम अग्रिम) दिए गए थे। अग्रिम की वसूली तथा उपार्जित ब्याज की स्थिति तालिका सं.-2.1.9 में विस्तृत है।

तालिका सं.-2.1.9

अग्रिम की वसूली तथा उपार्जित ब्याज

(₹करोड़ में)

प्रमंडल का नाम	दी गयी अग्रिम		वसूल की गयी अग्रिम		देय ब्याज @ 14.5 %		वसूली गयी ब्याज की राशि	
	मोबिलाइजेशन	पी एंड एम	मोबिलाइजेशन	पी एंड एम	मोबिलाइजेशन	पी एंड एम	मोबिलाइजेशन	पी एंड एम
बेतिया (एन के सी)	29.43	6.29	29.43	शून्य	64.8	6.36	12.31	शून्य
किशनगंज (जे के एम इन्फ्रा)	23.64	3.19	23.64	शून्य	13.3	2.32	0.13	शून्य
मधुबनी (जे के एम इन्फ्रा)	10.2	शून्य	8.2	शून्य	7.43	शून्य	0.37	शून्य
मोतिहारी (जे के एम इन्फ्रा)	21.72	शून्य	21.72	शून्य	15.43	शून्य	0.2	शून्य
सीतामढ़ी (जे के एम इन्फ्रा)	9	शून्य	9	शून्य	6.18	शून्य	0	शून्य
कुल	93.99	9.48	91.99	शून्य	107.14	8.68	13.01	शून्य

(स्रोत- प.नि.वि. का अभिलेख)

जाँच में आगे पाया गया कि पांच साल से अधिक समय तक काम बंद रहा क्योंकि भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था और संवेदक ने अनधिकृत रूप से इस अवधि में ₹103.47 करोड़ का निधि अपने पास रोक कर रखा। इसमें से ₹91.99 करोड़, जो संवेदकों द्वारा पांच साल से अधिक समय तक रोक कर रखा गया था, वसूल किया गया (जून 2018 से फरवरी 2020)। हालाँकि, मोबिलाइजेशन और पी एंड एम अग्रिम पर अर्जित ब्याज ₹115.82 करोड़ के विरुद्ध, ₹102.81 करोड़ संवेदकों से वसूली नहीं की गई (जुलाई 2020)।

इसके परिणामस्वरूप, मोबिलाइजेशन अग्रिम के रूप में ₹93.99 करोड़ और प्लांट और मशीनरी अग्रिम के रूप में ₹9.48 करोड़ की राशि अवरुद्ध रही।

विभाग द्वारा जवाब दिया गया कि एस.बी.डी. में अनुबंध की सामान्य शर्त के अनुसार, मोबिलाइजेशन के लिए अग्रिम भुगतान का प्रावधान था, जिस पर ब्याज लगना था तथा बैंक गारंटी के विरुद्ध था।

जवाब यह इंगित करता है कि ब्याज का प्रावधान होने के बावजूद इसे संवेदकों से नहीं वसूला गया।

2.1.10.2 भारत सरकार की निधि का राज्य सरकार के खाते में विचलन

पथ प्रमंडल बेतिया तथा मधुबनी ने (मार्च-अगस्त 2013) एजेंसी को ₹39.63 करोड़²⁷ मोबिलाइजेशन अग्रिम दिया, जिसने बाद में कार्य करने से इनकार कर दिया। इसके बाद जुलाई 2019 से फरवरी 2020 के दौरान एजेंसी ने सात किस्तों में अग्रिम (जैसा कि तालिका 2.1.9 में दिखाया गया है) वापस किया। हालाँकि, यह देखा गया कि वापस की गई राशि की पहली किस्त यानी ₹15.55 करोड़ रुपये (फरवरी 2018) प्रमंडलीय पदाधिकारी द्वारा जिला कोषागार में सरकारी कोष के प्राप्ति मद (मुख्य शीर्ष 1054) में जमा कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को विचलन के कारण नकद अधिशेष हुआ और भारत सरकार की निधि को नुकसान हुआ और तब से यह धन भा.ने.सी.स.परि. के लिए उपलब्ध नहीं था।

का.अ. ने जवाब दिया कि इस राशि के भारत सरकार को वापसी हेतु वित्त विभाग के संज्ञान में लाया गया था।

2.1.10.3 लागत में वृद्धि वहन करने के लिए निधि का विचलन

सी.सी.एस. ने (सितंबर 2010) परियोजना की असैनिक लागत ₹1656.56 करोड़ अनुमोदित किया तथा कार्य मार्च 2016 तक पूरा किया जाना था। 2015-16 तक इस लागत में ₹284 करोड़ की पाँच साल की लागत वृद्धि सम्मिलित थी। एच.एल.ई.सी. ने बाद में भी केंद्रीय आवंटन से लागत वृद्धि की अनुमति नहीं दी थी तथा असैनिक कार्यों की मूल लागत ₹1656.56 करोड़ पर अपरिवर्तित रही। इस मद में किसी भी अतिरिक्त निधि की आवश्यकता राज्य सरकार द्वारा वहन की जानी थी।

पथ निर्माण विभाग के कार्य प्रमंडलों के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि एस.बी.डी. के खंड 10 सीसी के तहत संवेदकों को लागत वृद्धि की कीमत भुगतान कर दी गई थी। किंतु, बिहार सरकार ने अपने हिस्से से कोई निधि प्रदान नहीं किया। नमूना- जाँचित पाँच कार्य प्रमंडलों ने एच.एल.ई.सी. से पूर्व अनुमति के बिना केंद्रीय निधि से संवेदक को लागत में वृद्धि के लिए ₹20.65 करोड़²⁸ (मार्च 2020) की राशि का भुगतान किया। यह वृद्धि परियोजना की असैनिक लागत में पूर्व से ही शामिल ₹284 करोड़ की लागत वृद्धि के अतिरिक्त थी। इसलिए, इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार के निधि से ₹20.65 करोड़ का विचलन हुआ।

विभाग ने जवाब दिया कि उसने गृह मंत्रालय को सही सहमति ज्ञापन प्रेषित किया, जो मूल्य तटस्थता के प्रावधान को शामिल करेगा तथा गृह मंत्रालय द्वारा पिपरा (सुपौल), अररिया और सीतामढ़ी के एक पैकेज के लिए संशोधित लागत अनुमोदित किया गया।

²⁷ बेतिया- ₹29.43 करोड़ और मधुबनी- ₹10.20 करोड़

²⁸ अररिया- ₹11.51 करोड़, बेतिया- ₹0.41 करोड़, किशनगंज- ₹4.76 करोड़, मधुबनी- ₹0.35 करोड़, मोतिहारी- ₹3.62 करोड़

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सी.सी.एस. (सितंबर 2010) तथा गृ.मं. (मार्च 2019) ने लागत में वृद्धि को भारत सरकार की निधि से भुगतान के लिए स्पष्ट रूप से मना किया था। इसके अतिरिक्त, संशोधित अनुमान में वृद्धि का प्रावधान केवल 2018 के बाद के एस.ओ.आर. के संबंध में था।

2.1.11 अनुबंध प्रबंधन

2.1.11.1 सहमति ज्ञापन

सी.सी.एस. (सितंबर 2010) के अनुसार, गृह मंत्रालय को भा.ने.सी.स.परि. के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों के साथ सहमति ज्ञापन हस्ताक्षर करने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि बिहार सरकार तथा गृह मंत्रालय के मध्य सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर जूलाई 2020 में परियोजना शुरू होने के 10 वर्ष बीत जाने पर किए गए थे। इस देरी का कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं था।

2.1.11.2 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन से संबंधित वित्तीय निविदा में संभावित फेरबदल

(i) निविदा मूल्य में अधिलेखन

अनुबंध की विशेष शर्त के निविदाकर्ता को अनुदेश (आई.टी.बी.) के कंडिका 18.2 के अनुसार निविदा के सभी पृष्ठ जहाँ संशोधन किए गए हैं, उन्हें निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और नियोक्ता द्वारा सुधार का प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मानक निविदा दस्तावेज (एसबीडी) के आई.टी.बी. के कंडिका 18.3 में यह प्रावधान है कि नियोक्ता के निर्देश का पालन करने के अतिरिक्त वित्तीय निविदा में कोई जोड़ और संशोधन नहीं किया जाना चाहिए।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य बि.रा.प.वि.नि.लि. (सितंबर 2010) को सौंपा गया था। सूचीबद्ध सलाहकारों से दर सूची (कोटेशन) आमंत्रित (दिसंबर 2010) किए गए थे। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि वित्तीय निविदा 28/12/2010 को एक समिति²⁹ के समक्ष खोली गई थी। वित्तीय निविदा के तुलनात्मक विवरण के अनुसार, मेसर्स आई.सी.ई.एपी., नई दिल्ली एल₁ (न्यूनतम निविदाकार) था तथा उसने ₹96,557/कि.मी. की न्यूनतम कीमत उद्धृत की थी।

हालाँकि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि दर को (निविदाकर्ता द्वारा तिथि दर्ज नहीं की गई) ₹77,144/कि.मी. से बदलकर ₹96,557/कि.मी. किया गया। नियोक्ता द्वारा उन पन्नों पर, जहाँ संशोधन किया गया था, सुधार का कोई प्रमाण अंकित नहीं किया गया था। इसके अलावा, दर के इस संशोधन के लिए नियोक्ता की ओर से भी कोई निर्देश नहीं पाया गया।

(ii) निविदा के उपरांत समझौता वार्ता

आगे, सी.वी.सी. के दिशानिर्देशों (जनवरी 2010) के अनुसार, एल₁ यानी सबसे कम निविदाकर्ता के साथ निविदा के उपरांत समझौता वार्ता अक्सर भ्रष्टाचार का स्रोत हो सकता है। इसलिए, यह निर्देशित किया गया था कि एल₁ के साथ निविदा के उपरांत समझौता वार्ता असाधारण परिस्थितियों में की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, बि.लो.नि.वि. सं. के नियम 164 के अनुसार, दर वार्ता सबसे कम निविदा लगाने वाले निविदाकर्ता के साथ तभी की जानी चाहिए, यदि उसका निविदा बहुत अधिक माना जाता है।

²⁹ मुख्य महाप्रबंधक (अध्यक्ष), महाप्रबंधक (सदस्य), तीन उप महाप्रबंधक (सदस्य) तथा मुख्य लेखा अधिकारी (सदस्य)

जाँच में यह पाया गया कि बि.रा.प.वि.नि.लि. की दर वार्ता समिति³⁰ द्वारा एल¹ सहित सभी निविदादाता के साथ दर वार्ता आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। 29/12/2010 को आयोजित दर वार्ता में समिति ने सभी निविदाकर्ता के साथ दर पर वार्ता की तथा ₹94,500 प्रति कि.मी. दर पर कार्य निष्पादित करने के लिए उनकी सहमति ली। तदनुसार, समिति ने सभी पाँचों निविदाकर्ता³¹ के बीच 564.16 किमी के पूरे खंडों को वितरित करने का निर्णय लिया।

इस प्रकार, दर को पहले अधिलेखन के माध्यम से बढ़ाया गया तथा सांकेतिक प्रावधान के खिलाफ सभी निविदाकर्ता के साथ वार्ता के माध्यम से दर कम किया गया, जो कि संभावित तौर पर दर में हेरफेर का मामला था। 564.16 किमी सड़क के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की बढ़ी हुई लागत ₹97.92 लाख³² थी। ₹5.13 करोड़ के एकरारित राशि के विरुद्ध, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु सलाहकारों को ₹4.80 करोड़ का भुगतान किया गया।

विभाग ने जवाब दिया कि एजेंसी द्वारा उद्धृत दर सामान्य दर से अधिक थी। इसलिए, समिति ने सभी निविदाकर्ता के साथ दर पर वार्ता करने का फैसला किया। वित्तीय निविदा (कोटेशन) में अभिलेखन के संबंध में, यह बताया गया कि आरएफपी की धारा 2.6.1 के अनुसार, वित्तीय प्रस्ताव में कोई अभिलेखन नहीं होनी चाहिए, बर्शते कि आवश्यकतानुसार सलाहकार द्वारा स्वयं किया जाए और प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा इसे आवश्यक रूप से हस्ताक्षरित किया जाए।

हालाँकि, तथ्य यह है कि विभाग ने कोई सामान्य दर तय नहीं की थी। सामान्यतः अनुबंध में, सामान्य/आरक्षित दर की खोज की जानी चाहिए, किन्तु लेखापरीक्षा को अभिलेख में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं मिली। इसके अतिरिक्त, बि.लो.नि.वि.सं. के नियम 164 का भी अनुपालन नहीं किया गया था। जिन पृष्ठों में संशोधन किए गए थे, वहाँ नियोक्ता द्वारा संशोधन संबंधी प्रमाण पत्र भी नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त, दर के संशोधन का औचित्य अभिलेखित नहीं था।

2.1.11.3 दो प्रमंडलों में निविदाकर्ता द्वारा परिमाण विपत्र (बी.ओ.क्यू.) से नीचे निविदा किया जाना

अनुबंध की विशेष शर्तों के कंडिका 8(जे)(बी) के अनुसार, निविदा करने वाले को यह बताते हुए दर विश्लेषण प्रस्तुत करना होगा कि वह उद्धृत असंतुलित दर³³ पर कार्य को कैसे पूरा करेगा।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि दो प्रमंडलों³⁴ में, तीन संवेदकों³⁵ ने तीन खंडों³⁶ के लिए परिमाण विपत्र दर से 15 प्रतिशत नीचे की दर प्रस्तुत की। हालाँकि, संवेदकों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे उद्धृत दर पर कार्य को कैसे पूर्ण करेंगे। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन तीन कार्यों में कोई भौतिक प्रगति नहीं हुई। परिणामस्वरूप, पथ निर्माण विभाग ने मेसर्स राज कुमार गर्ग और मेसर्स जे.के.एम. इंफ्रास्ट्रक्चर को दिए गए कार्य को रद्द कर

³⁰ मुख्य महाप्रबंधक (अध्यक्ष), महाप्रबंधक (सदस्य), तीन उप महाप्रबंधक (सदस्य) तथा मुख्य लेखा अधिकारी (सदस्य)

³¹ एस.एन. भोबे— 113 किमी, बी.के.एस. इंफ्राटेक— 113 कि.मी., कैरिटस— 113 कि.मी., सीईटीईएसटी— 113 कि.मी. और आईसीईएपी 113 कि.मी.

³² (94500—77144) * 564.16 कि.मी. = 97,91,560.96

³³ बी.ओ.क्यू. के नीचे उद्धृत निविदा दर को असंतुलित दर कहा जाता है।

³⁴ सीतामढ़ी और बेतिया

³⁵ मेसर्स जे.के.एम. इंफ्रास्ट्रक्चर, मेसर्स राजकुमार गर्ग और मेसर्स एन.के.सी. प्रोजेक्ट्स लिमिटेड।

³⁶ लालबकैया नदी पर फुलबरिया में, लालबकैया नदी से बाहर और मदनपुर से भंगहा।

दिया, जबकि मेसर्स एनकेसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ एकरारनामा समाप्त कर दिया गया। इन खण्डों के लिए पुनर्निविदा की गयी।

विभाग ने जवाब दिया कि निविदाकर्ता अपने लाभ या ओवरहेड को कम करके न्यूनतम स्वीकृति दर (एस.ओ.आर. से 15 प्रतिशत नीचे) का उद्धरण कर सकता है। हालांकि, मद दर अनुबंध कांट्रेक्ट में विभाग ने असंतुलित दर का औचित्य पूछा था।

जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अनुबंध की विशेष शर्तों के कंडिका 8(जे)(बी) के अनुसार, असंतुलित दर के लिए कारण का विश्लेषण करने की आवश्यकता इसलिए थी कि इस तरह के असंतुलित दर पर कार्य कैसे किया जा सकता है। अंततः, कार्य की प्रगति नहीं हो सकी और परियोजना की प्रगति प्रभावित हुई।

2.1.11.4 निविदा की क्षमता का मूल्यांकन नहीं किया जाना और अनियमित अनुबंध

बि.लो.नि.वि. संहिता के नियम 158 ए के अनुसार, अयोग्य निविदाकारों की भागीदारी तथा बाद में क्षमता के आधार पर अस्वीकृति से बचने के लिए टू बिड/इनवेलप प्रणाली का उपयोग किया जाना चाहिए। निविदा में, इच्छुक प्रतिभागियों को निविदा सूचना में निर्दिष्ट कार्य की आवश्यकता के अनुसार कार्मिक, उपकरणों और वित्तीय क्षमताओं के मानदंडों के आधार पर चुना जाएगा। इसके अतिरिक्त, एस.बी.डी. के अनुबंधों की विशेष शर्त के अनुसार, निर्माण की तारीख के साथ उपकरण और संयंत्र (टी एंड पी) के स्वामित्व/पट्टे समझौते को दर्शाने वाले साक्ष्य की प्रतियां और तकनीकी कार्य के निष्पादन में लगाये जाने वाले कर्मियों के साक्ष्य और उनके रोजगार के साक्ष्य की प्रतियाँ तकनीकी निविदा के साथ अपलोड/संलग्न करना होगा। उपकरण और संयंत्र तथा प्रमुख कर्मियों के मूल कागजात के सत्यापन के बाद ही एकरारनामा को निष्पादित किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संवेदक मेसर्स जे.के.एम. इन्फ्रा ने तीन खंडों में अलग-अलग अर्हता प्राप्त की थी जिसमें चार जिलों में फैले 15 खंडों में से सात (सड़क की कुल लंबाई का 47 प्रतिशत) शामिल थे। यह देखा गया कि मेसर्स जे.के.एम. इन्फ्रा ने प्रत्येक समूह के लिए एक ही निविदा दस्तावेज टी. एंड पी. और मुख्य कार्मिक सहित अलग-अलग प्रस्तुत किया।

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि मदनपुर से धुताहा (111.098 किमी) तक के खंड का कार्य प्रारंभ में एन.के.सी. को जनवरी 2013 में दिया गया था। हालाँकि, यह कार्य ₹6.47 करोड़ (अनुबंध की राशि का 2.2 प्रतिशत) के खर्च के बाद भी पूर्ण नहीं किया जा सका। पथ निर्माण विभाग ने जनवरी 2019 में मेसर्स एन.के.सी. के साथ एकरारनामा समाप्त किए बिना ही एन.आई.टी. (नोटिस इनवाइटिंग टेंडर) जारी किया और काम को चार पैकेज में बाँट दिया। चार में से दो पैकेज मेसर्स उज्जैन एनजिकॉन को दिए गए। इसके अलावा, संवेदक मेसर्स उज्जैन एनजिकॉन को पश्चिम चंपारण जिले में सड़क रखरखाव अनुबंध के कार्य भी दिए गए।

संवेदक को प्रत्येक समूह के लिए अलग-अलग टी. एंड पी. की उपलब्धता का विवरण प्रस्तुत करना था; हालाँकि, प्रत्येक समूह में समान उपकरण तथा संयंत्र और तकनीकी कर्मियों के दस्तावेज जमा किए गए थे। इससे यह साबित हुआ कि यद्यपि संवेदक के पास कार्य निष्पादित करने के लिए सीमित टी एंड पी और तकनीकी कर्मी थे फिर भी विभागीय तकनीकी निविदा मूल्यांकन समिति ने तकनीकी निविदा में मेसर्स जे.के.एम. और मेसर्स उज्जैन एनजिकॉन का चयन करते समय इस पर विचार नहीं किया। परिणामस्वरूप, मेसर्स जे.के.एम. को दिया गया कार्य प्रभावित हुआ तथा अपूर्ण रहा।

विभागीय निरीक्षण (नवंबर 2015) के दौरान भी टी. एंड पी. और तकनीकी कर्मियों की अनुपलब्धता की पुष्टि हुई। मेसर्स उज्जैन एनजिकॉन के काम की प्रगति कार्यपालक

अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बेतिया द्वारा अनुमोदित कार्य अनुसूची से बहुत पीछे थी।

विभाग ने जवाब दिया कि एक हलफनामा देकर संवेदकों ने आश्वासन दिया कि वे एक से अधिक पैकेज में सबसे कम निविदा लगाने वाले हैं और उनके द्वारा आवश्यक श्रमशक्ति की व्यवस्था के लिए नई नियुक्ति की जाएगी। उपकरण और संयंत्रों की अनुपलब्धता के बारे में प्राधिकारी के निरीक्षण के दौरान यह कहा गया कि बाद में इसे संवेदकों द्वारा ठीक किया गया था।

जवाब से लेखापरीक्षा टिप्पणी की पुष्टि होती है कि संवेदकों के पास निविदा करते समय पर्याप्त श्रमशक्ति, उपकरण और संयंत्र नहीं थे। इसके अतिरिक्त, संवेदक द्वारा नई नियुक्ति के बारे में या अपर्याप्त उपकरणों और संयंत्रों के सुधार के संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेखित नहीं था।

2.1.11.5 मिट्टी ढुलाई के दावे के विरुद्ध अधिक भुगतान

कार्यपालक अभियंता, प.नि.प्र., अररिया के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कार्य के दो खण्डों³⁷ में मिट्टी की ढुलाई और सबग्रेड के लिए प्रारंभिक स्वीकृत लीड एक कि.मी. था। कार्य की प्रगति के दौरान, संवेदक ने दोनों खंडों में एक कि.मी. की दूरी के भीतर मिट्टी की अनुपलब्धता के कारण पाँच किमी की अतिरिक्त ढुलाई की माँग की। कार्यपालक अभियंता ने सत्यापन के बाद संवेदकों के माँग को अधीक्षण अभियंता (अ.अभि.), पथ अंचल, पूर्णिया को प्रेषित किया।

तदनुसार, अधीक्षण अभियंता ने मीरगंज से रिप्यूजी कॉलोनी के खंड के लिए मिट्टी कार्य तथा सबग्रेड हेतु ₹53.43 प्रति क्यू. मी. की दर से अतिरिक्त ढुलाई की मंजूरी दी।

एक अन्य खंड मीरगंज से कुआरी तथा सिकटी से धावेली के लिए, अधीक्षण अभियंता ने तीन कि.मी. अतिरिक्त ढुलाई के लिए ₹38.48/क्यू.मी. के दर से 40 प्रतिशत मात्रा (मिट्टी कार्य) के लिए मंजूरी दी। शेष 60 प्रतिशत मात्रा के लिए, चार कि.मी. अतिरिक्त ढुलाई हेतु ₹68.24/क्यू.मी. के दर से मंजूरी दी गई। सबग्रेड के मामले में, अधीक्षण अभियंता ने चार कि.मी. अतिरिक्त ढुलाई के लिए ₹59.51/क्यू.मी. के दर से मंजूरी दी (सितंबर 2016)।

इसके अलावा, मार्च 2019 के दौरान, अधी.अभि. ने एक ही चैनेज के दो खंडों में मिट्टी एवं सबग्रेड के लिए चार किमी के अतिरिक्त ढुलाई की मंजूरी दी। रिप्यूजी कॉलोनी से मीरगंज के खंड में ₹53.43/क्यू.मी. की पूर्व स्वीकृत दर को बढ़ाकर ₹110.09/क्यू.मी. कर दी गई।

मीरगंज से धावेली खंड पर मिट्टी कार्य की दर ₹111.09/क्यू.मी. संशोधित (पूर्व में स्वीकृत 40 प्रतिशत मिट्टी कार्य मात्रा के लिए ₹38.48/क्यू.मी. तथा 60 प्रतिशत मिट्टी कार्य मात्रा के लिए ₹68.24/क्यू.मी.) कर दी गई। सबग्रेड के मामले में दर को ₹59.51/क्यू.मी. से संशोधित कर ₹120/क्यू.मी. कर दिया गया।

मिट्टी कार्य एवं सबग्रेड की एक ही मात्रा के लिए संवेदकों को दो बार भुगतान हुआ। परिणामस्वरूप, ₹8.96 करोड़ (मेसर्स ए.एस.आई.एफ. और ए.एम.आर. को ₹4.67 करोड़ तथा मेसर्स भारतीय इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को ₹4.29 करोड़) को दोहरा भुगतान किया गया था।

इंगित किए जाने पर का.अभि. ने जवाब दिया कि भुगतान सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद किया गया था।

³⁷ रिप्यूजी कॉलोनी से मीरगंज और मीरगंज से कुआरी- सिकटी से धावेली।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अनुचित भुगतान को न्यायसंगत नहीं ठहरा सकता है।

2.1.11.6 मूल्य के कम कटौती के कारण अधिक भुगतान

मेसर्स ए.एस.आई.पी. और ए.एम.आर. ने रिफ्यूजी कॉलोनी से मीरगंज तक के खंड के लिए बी.ओ.क्यू. से 9.65 प्रतिशत नीचे की दर पर कार्य करने के लिए का.अभि., प.नि.प्र., अररिया के साथ एकरारनामा किया था। इसलिए विपत्र के सकल मूल्य को 9.65 प्रतिशत कम करने के बाद सभी भुगतान किए जाने थे।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विपत्र मूल्य को 9.65 प्रतिशत से कम नहीं करके प्रमंडल ने संवेदक को ₹2.05 करोड़ के अतिरिक्त भुगतान के लिए दावों की स्वीकृति दी, जैसा कि तालिका सं.— 2.1.10 में दर्शाया गया है।

तालिका सं.— 2.1.10
दावा राशि के अधिक भुगतान का विवरण

(₹लाख में)

दावा संख्या	दावा का मद	अनुमत्य दावा मूल्य	अनुमान्य (बी ओ क्यू से 9.65 प्रतिशत नीचे)	अतिरिक्त भुगतान
दावा 2	कैरेज एग्रीगेट	778.22	703.12	75.10
दावा 4	कैरेज एग्रीगेट	262.15	236.85	25.30
दावा 5	वैट	114.67	103.60	11.07
दावा 7	एग्रीगेट	188.67	170.46	18.21
दावा 8	एग्रीगेट	134.90	121.88	13.02
एसकेलेशन	एसकेलेशन	640.64	578.82	61.82
कुल		2119.25	1914.73	204.52

(स्रोत— कार्य प्रमंडल अररिया का अभिलेख)

कार्यपालक अभियंता ने जवाब दिया कि आवश्यक कटौती की जाएगी। सरकार को मामले की सूचना दी गई है। जवाब अप्राप्त (जनवरी 2021) है।

2.1.11.7 जीएसटी दावे की अनियमित प्रतिपूर्ति

कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण प्रमंडल अररिया के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि संवेदक मेसर्स ए.एस.आई.पी. और ए.एम.आर. ने रिफ्यूजी कॉलोनी से मीरगंज खंड में किए गए कार्य के मद में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) देयता की प्रतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत किया था। संवेदक ने दावा किया कि उसने प्रत्येक छः प्रतिशत की दर से (कुल 12 प्रतिशत) सी.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी. का भुगतान किया था। कार्य के वर्तमान चालू विपत्र से जी.एस.टी. के टी.डी.एस. के रूप में केवल दो प्रतिशत की कटौती की गयी। हालाँकि, संवेदक मेसर्स ए.एस.आई.पी. और ए.एम.आर. ने वास्तव में 12 प्रतिशत की दर से जी.एस.टी. जमा किए जाने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था। कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण प्रमंडल अररिया तथा अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल पूर्णिया ने बिना कर देयता का सत्यापन किए एवं स्थानीय जी.एस.टी. प्राधिकरण से अनुपालन प्राप्त किए 10 प्रतिशत जी.एस.टी. दावे के अंतर राशि की स्वीकृति देते हुए ₹1.82 करोड़ के भुगतान की स्वीकृति दी। इसके परिणामस्वरूप ₹1.82 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण प्रमंडल, अररिया ने जवाब दिया कि सक्षम अधिकारी द्वारा भुगतान को मंजूरी दी गई थी। मामला सरकार को (अगस्त 2020) सूचित किया गया है। जवाब अप्राप्त (जनवरी 2021)।

2.1.11.8 बल्क और पैकड कोलतार (बिटुमिन) की लागत में अंतर की वसूली नहीं किया जाना

अनुबंध (जून 2013) के प्रावधान के अनुसार, विभिन्न कार्यों में पैकड बिटुमिन (वी.जी. 30 और सी.आर.बी.एम. 55) का उपयोग किया जाना था। कार्यों का प्राक्कलन भी पैकड अलकतरा (बिटुमिन) की दर शामिल करते हुए तैयार किया गया था।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कार्य प्रमंडल के दो कार्यों³⁸ में पैकड कोलतार (बिटुमिन) के बजाय 2545.56 एम.टी. बल्क बिटुमिन का उपयोग किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप, ₹1.18 करोड़ (दिसंबर 2014 से जनवरी 2018) का अतिरिक्त भुगतान हुआ। इसके बावजूद अतिरिक्त भुगतान की वसूली (मार्च 2020) नहीं हो सकी।

विभाग ने जवाब दिया कि अतिरिक्त भुगतान संवेदक के अंतिम विपत्र में समायोजित किया जाएगा।

2.1.11.9 मूल्य न्यूनीकरण (प्राइस न्यूट्रलाइजेशन) के लिए अतिरिक्त भुगतान

मानक निविदा दस्तावेज के खंड 10 सी.सी. के अनुसार, बिटुमिन के संबंध में मूल्य न्यूनीकरण की गणना के लिए विचाराधीन महीने के 15 वें दिन के निकटतम आई.ओ. सी. डिपो में बिटुमिन की आधिकारिक खुदरा कीमत की तुलना निविदाएं खोलने की तिथि से 28 दिन पहले प्रचलित मूल्य के साथ की जानी थी। इसी प्रकार, अन्य स्थानीय सामग्रियों में मूल्य परिवर्तन की गणना के लिए, महीने के अंतर्गत सकल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (सभी वस्तुओं) की तुलना निविदा के खुलने की तारीख से 28 दिनों के पहले प्रचलित मूल्य के साथ की जानी थी।

जाँच में पाया गया कि अररिया प्रमंडल से संबंधित दो एकरारनामों³⁹ के मामले में मूल्य न्यूनीकरण की गणना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बिटुमिन और भारतीय थोक मूल्य सूचकांक की कीमतें वास्तविक बिटुमिन और भारतीय थोक मूल्य सूचकांक की कीमतों से अलग थीं। इसलिए, ₹67.36 लाख का अधिक भुगतान मूल्य न्यूनीकरण के तहत किया गया, जैसा कि तालिका सं.- 2.1.11 में उल्लेखित है।

तालिका सं.-2.1.11

मूल्य न्यूनीकरण के तहत अतिरिक्त भुगतान

(₹ लाख में)

कार्य का नाम	भुगतान की गयी राशि		भुगतान योग्य राशि		अतिरिक्त भुगतान		
	बिटुमिन	अन्य स्थानीय सामग्री	बिटुमिन	अन्य स्थानीय सामग्री	बिटुमिन	अन्य स्थानीय सामग्री	कुल
कुआंरी से सिकटी और धावेली से फतेहपुर	54.95	64.52	31.48	56.28	23.47	8.24	31.71
मीरगंज-कुआंरी और सिकटी से धावेली	20.28	68.12	1.53	51.22	18.75	16.90	35.65
कुल							67.36

(स्रोत- कार्य प्रमंडल अररिया)

विभाग ने जवाब दिया कि बढ़ा हुआ भुगतान संवेदक के अंतिम विपत्र से समायोजित किया जाएगा।

³⁸ कुआंरी- सिकटी और धावेली-फतेहपुर तथा मीरगंज से कुआंरी और सिकटी से धावेली के लिए

³⁹ कुआंरी- सिकटी और धावेली-फतेहपुर तथा मीरगंज से कुआंरी और सिकटी से धावेली के लिए अनुबंध

2.1.11.10 अतिरिक्त परफॉर्मेंस गारंटी के नवीनीकरण नहीं किए जाने एवं इसे संवेदक को वापस कर अनुचित सहायता दिए जाने के कारण हानि

एस.बी.डी. के खंड 1 के अनुसार, संवेदक को अपरिवर्तनीय निष्पादन गारंटी (पी.जी.) अग्रधन सहित निविदा राशि की दो प्रतिशत उस रूप में जैसा कि बिहार वित्त नियमावली में वर्णित है, प्रस्तुत करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प.नि.वि. के निर्देशानुसार (अगस्त 2010), एक संवेदक को उसके द्वारा उद्धृत असंतुलित दर के लिए अतिरिक्त परफॉर्मेंस गारंटी (ए.पी.जी.) जमा करना था। अनुबंध के किसी भी खंड/शर्तों के प्रावधान के तहत अनुबंध को रद्द किए जाने की स्थिति में, पी.जी. पूर्ण रूप से आत्मसात कर लिया जाएगा।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि दो प्रमंडल, संवेदकों द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी (बी.जी.) की वैधता अवधि का विस्तार करने में विफल रहे, परिणामस्वरूप एपीजी की राशि ₹47.65 करोड़ व्यपगत हो गयी जैसा कि तालिका सं. –2.1.12 में वर्णित है।

तालिका सं.–2.1.12

व्यपगत अतिरिक्त परफॉर्मेंस गारंटी का विवरण

(राशि करोड़ में)

क्र० सं०	प्रमंडल	संवेदक	बैंक गारंटी सं०/ तिथि	राशि	वैधता अवधि
1	बेतिया	मेसर्स एन.के. सी. प्रोजेक्ट्स	पी.एस.बी.जी. / 2013/6/02/01/2013	25.75	20/10/2015
2	सीतामढ़ी	जे.के.एम. इन्फ्रा	316020448187एपी/01/05/2013	21.90	31/10/2015
	कुल			47.65	

(स्रोत— प.नि.वि. का अभिलेख)

दोनों मामलों में संवेदकों द्वारा कार्य बंद कर दिया गया था तथा इसका पुनर्निविदा किया गया था। इस प्रकार, बेतिया और सीतामढ़ी पथ निर्माण प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं द्वारा जोखिम और लागत राशि संवेदक से वसूल नहीं किए जाने के कारण ए.पी.जी. के गैर-नवीकरण के परिणामस्वरूप ₹47.65 करोड़ का नुकसान हुआ।

यह भी पाया गया कि दो नमूना-जाँचित प्रमंडलों⁴⁰ में, संवेदक के खराब प्रदर्शन के कारण प्रमंडल ने (अगस्त 2018) ए.पी.जी. की राशि ₹39.69 करोड़ भुना ली। हालाँकि, उक्त ए.पी.जी. (फरवरी 2019 – जून 2020) संवेदक को अनियमित रूप से वापस कर दिया गया था, जबकि कार्य बहुत प्रारंभिक चरण में था।

₹47.65 करोड़ के नुकसान के बारे में विभाग ने बताया कि दोनों संवेदकों ने पूर्व में ही लोक निर्माण संवेदक विवाद समझौता न्यायाधिकरण में अलग-अलग दावों को दायर किया था और संबंधित प्रमंडलों द्वारा प्रतिदावा प्रस्तुत करते समय जोखिम और लागत के साथ इस राशि को जोड़ा जाएगा।

2.1.12 तृतीय पक्ष से गुणवत्ता जाँच नहीं कराया जाना

सी.सी.एस. के निर्देशानुसार तृतीय-पक्ष गुणवत्ता जाँच आवश्यक था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्य की गुणवत्ता की जाँच तृतीय पक्ष द्वारा नहीं की गई थी। हालाँकि, संवेदक की प्रयोगशाला में गुणवत्ता परीक्षण किए जा रहे थे।

⁴⁰ किशनगंज— ₹20.69 करोड़ और मोतिहारी— ₹19.00 करोड़

प.नि.वि. ने जवाब दिया कि विभाग के उड़नदस्ते को गुणवत्ता निरीक्षण के लिए तृतीय पक्ष के रूप में माना जा रहा था। उड़नदस्ते का विवरण विस्तृत जवाब के साथ लेखापरीक्षा को प्रदान किया जाएगा।

जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उड़नदस्ते विभाग के कार्मिक थे इसलिए तृतीय पक्ष नहीं माने जा सकते।

2.1.13 निष्कर्ष

एस.एस.बी. की संपर्कता तथा गतिशीलता को बढ़ाने, जिससे वे बिहार में संवेदनशील सीमा पर प्रभावी ढंग से हावी हो सकें, के लिए भारत सरकार के मंत्रिमंडलीय रक्षा समिति ने (सितंबर 2010) अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समानांतर 564 कि.मी. भारत-नेपाल सीमा सड़क को स्वीकृति दी।

पथ निर्माण विभाग ने अप्रैल 2011 में संरेखण में बदलाव किया था, जिससे मूल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अप्रासंगिक हो गया।

दस वर्षों के अंतराल में, 64 प्रतिशत सीमा चौकी मुख्य संरेखण से असंबद्ध रहे, जो एस.एस.बी. की गतिशीलता को प्रभावित कर रहा था। पथ निर्माण विभाग द्वारा अप्रैल 2011 में तय किया गया दूसरा सड़क संरेखण कम से कम चार जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पाँच से 40 कि.मी. की दूरी पर था, जो एस.एस.बी. को सीमावर्ती क्षेत्रों पर हावी होने देने में बाधक था।

2016 में कुछ खंडों के संरेखण में और परिवर्तन के कारण, कम से कम 15 पुल, जो बिहार सरकार द्वारा ₹146.06 करोड़ की लागत से इस परियोजना के एक भाग के रूप में निर्मित किए गए थे, मुख्य संरेखण से अलग कर दिये गये और इस प्रकार पुलों का उपयोग नहीं किया जा सका।

भूमि अधिग्रहण के मुआवजे का कपटपूर्ण भुगतान, गैर संपर्कता के कारण अप्रयुक्त पुल, संरेखण परिवर्तन और संवेदक को अतिरिक्त भुगतान के मामलों ने कीमती सार्वजनिक संसाधनों को व्यर्थ किया है।

खराब योजना, संसाधन प्रबंधन और प्रारंभिक कार्य जैसे कि भूमि अधिग्रहण, वि.परि.प्रति. को अंतिम रूप देने, वैधानिक मंजूरी इत्यादि के अभाव में, भारत नेपाल सीमा सड़क के कुल भाग का केवल चार प्रतिशत (अक्टूबर 2020) पूरा हो सका। साथ ही, तृतीय पक्ष गुणवत्ता की जाँच भी नहीं की गई।

इस प्रकार, भारत नेपाल सीमा सड़क का प्रस्तावित संरेखण एस.एस.बी. की संपर्कता, गतिशीलता को बढ़ाने तथा सीमा क्षेत्रों पर प्रभावी ढंग से हावी होने की क्षमता प्रदान करने के वांछित उद्देश्यों के बिना अधूरा रहा।

2.1.14 अनुशंसाएं

बिहार सरकार:

- एस.एस.बी. की सुचारु गतिशीलता के लिए सीमा चौकी से संपर्कता सुनिश्चित कर सकती है।
- एस.एस.बी. को प्रभावी ढंग से सीमा पर हावी होने के लिए सीमा सड़क और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच की दूरी एक व्यवहारिक दूरी तक कम करना सुनिश्चित कर सकती है। संपर्क पथ और सीमा चौकियों की संपर्कता अवश्य होनी चाहिए।

- इच्छित उद्देश्यों के लिए नवनिर्मित पुलों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित कर सकती है।
- भूमि अधिग्रहण के मामले की जाँच कर सकती है तथा तदनुसार शीघ्रता से वास्तविक भूमि अधिग्रहित कर सकती है।
- उन परिस्थितियों की जाँच कर सकती है जिनके तहत जि.भू.पदा. द्वारा भूमि का प्रकार बदला गया था और कपटपूर्ण भुगतान किया गया था और इसके लिए जिम्मेदारी तय कर सकती है। भूमि अधिग्रहण कार्यालयों और अधिकारियों पर जिला प्रशासन की निगरानी को और मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।
- सुनिश्चित कर सकती है कि भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निधि का विचलन न किया जा सके।
- सी.सी.एस. के निर्देशानुसार गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को मजबूत कर सकती है।

ग्रामीण विकास विभाग

2.2 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्यान्वयन

2.2.1 परिचय

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को भारत सरकार (भा.स.) ने लागू किया (सितंबर 2005 में अधिसूचित) जिसका 2009 में नाम बदल कर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कर दिया गया। मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उन परिवारों को उपलब्ध कराना था जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) का लक्ष्य रोजगार के अवसर उपलब्ध कराके ग्रामीण भारत में रहने वाले सर्वाधिक लाभवंचित लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, टिकाऊ स्वरूप की परिसंपत्तियों का सृजन कर निर्धनों के लिए आजीविका सुरक्षा देना, सामाजिक रूप से लाभवंचित, विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जाति (अ.जा.) और अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के लोगों को अधिकार संपन्न बनाना, विभिन्न गरीबी उन्मूलन और आजीविका संबंधी पहलों में तालमेल के जरिए विकेंद्रीकृत, भागीदारी-पूर्ण नियोजन को सुदृढ़ करना इत्यादि था। मनरेगा ग्रामीण कामगारों को अधिनियम के कई प्रावधानों के द्वारा अनेक कानूनी तंत्रों⁴¹ का प्रावधान करता है।

2.2.2 संगठनात्मक ढांचा

बिहार में मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा.वि.वि.) नोडल विभाग था। यह पूर्ण रूप से विभाग के प्रधान सचिव के पर्यवेक्षण में कार्यरत था जो कि राज्य कार्यक्रम समन्वयक था। बिहार राज्य विकास संस्था (बी.आर.डी.एस.) पूर्ण रूप से ग्रा.वि. वि. के प्रशासनिक नियंत्रण में, राज्य स्तर पर इस योजना के अनुश्रवण के लिए नोडल एजेंसी थी और यह राज्य रोजगार गारंटी निधि (एस.ई.जी.एफ.) के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी थी। जिला पदाधिकारी जिला कार्यक्रम समन्वयक (डी.पी.सी.) के रूप में नामित थे और जिला स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी थे। इस योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न हितधारकों का संगठनात्मक स्वरूप, भूमिका और उत्तरदायित्व का विवरण **परिशिष्ट-2.2.1** में दिया गया है।

2.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि:

- परिवारों के पंजीकरण और जॉब कार्ड आवंटन की विधियाँ दक्ष थी;

⁴¹ (i) जॉब कार्ड पाने का अधिकार (ii) काम की मांग और 15 दिनों के अंदर काम प्राप्त करने का अधिकार (iii) बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार (iv) नियोजन और परियोजना के चरण को बनाने का अधिकार (v) घर से पाँच किमी के दायरे में काम पाने का अधिकार (vi) कार्यस्थल पर सुविधा का अधिकार (vii) अधिसूचित मजदूरी दर और मस्टर रॉल बंद करने के 15 दिनों के अंदर मजदूरी पाने का अधिकार (viii) मजदूरी के विलंब से भुगतान के लिए क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार (ix) सभी एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. व्यय के सामाजिक लेखापरीक्षा के आयोजन का अधिकार (x) समयबद्ध शिकायत निवारण का अधिकार

- ग्रामीण जनसंख्या के आजीविका सुरक्षा और ग्रामीण परिसंपत्तियों के सृजन के उद्देश्यों को योजना के कार्यों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कर सुनिश्चित किया गया था;
- योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार सरकार द्वारा विभिन्न स्तर पर पर्याप्त क्षमता निर्माण के उपाय किये गये थे;
- योजना के प्रावधानों के अनुपालन के अनुरूप निधियों की विमुक्ति, लेखाकरण और उपयोग किया गया था; तथा
- इस योजना के पारदर्शिता को बनाये रखने के लिए सभी हितधारकों को योजना निर्माण से अनुश्रवण और मूल्यांकन के विभिन्न स्तरों में शामिल किया गया था।

2.2.4 लेखापरीक्षा मानदंड

नि.ले.प. के लिए निम्नलिखित लेखापरीक्षा मानदंडों को अपनाया गया था;

- मनरेगा (अधिनियम, 2005 अधिनियम) और उसके संशोधन, भा.स./बि.स. द्वारा निर्गत अधिसूचनाएं, परिपत्र और दिशा-निर्देश।
- मनरेगा परिचालन से संबंधित दिशा-निर्देश, 2013 (दिशा-निर्देश)।
- मनरेगा योजना की लेखापरीक्षा नियमावली, 2011।
- मनरेगा कार्य क्षेत्र नियमावली।
- बिहार पंचायत राज अधिनियम (बि.पं.रा.अ.) 2006।
- मनरेगा वेबसाइट के प्रबंधन सूचना प्रणाली के ऑकड़े।

2.2.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

वर्ष 2014-19 की अवधि के 'मनरेगा योजना के कार्यान्वयन' के नि.ले.प. का कार्य नवंबर 2019 से मई 2020 के दौरान ग्रा.वि.वि., नौ जिलों, 18 प्रखंडों और 54 ग्रा.पं. द्वारा संधारित योजना से संबंधित अभिलेखों के नमूना जाँच के द्वारा की गयी (**परिशिष्ट-2.2.2**)।

इकाईयों का चयन वर्ष 2014-19 के दौरान विभिन्न निष्पादन सूचकांकों यथा वंचित ग्रामीण परिवारों, सक्रिय के साथ-साथ निष्क्रिय जॉब कार्डों, सृजित श्रमदिवसों, योजना पर व्यय, ग्राम पंचायतों द्वारा ली गयी योजनाओं इत्यादि का उपयोग कर किया गया था। इसके अलावा चयनित प्रत्येक ग्राम पंचायत के 15 लाभार्थियों⁴² का चयन सर्वेक्षण के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त चयनित ग्राम पंचायतों द्वारा 2014-19 के दौरान लिए गए कार्यों को चार विस्तृत श्रेणियों में बाँटकर प्रत्येक श्रेणी से दो कार्यों (अधिकतम एवं न्यूनतम व्यय वाले कार्य) का चयन संयुक्त भौतिक सत्यापन के लिए किया गया था।

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में अभिलेखों की संवीक्षा, लाभार्थियों का सर्वेक्षण, लेखापरीक्षा प्रश्नों के प्राप्त जवाब, संयुक्त भौतिक सत्यापन, प्रश्नावलियों से प्राप्त सूचनाओं और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) (नरेगासॉफ्ट) को सम्मिलित किया गया।

लेखापरीक्षा उद्देश्य, कार्यप्रणाली एवं कार्यक्षेत्र पर चर्चा हेतु दिनांक 18 नवंबर 2019 को आयुक्त, मनरेगा, ग्रा.वि.वि., बिहार सरकार के साथ एक आगम सम्मेलन किया गया। एक

⁴² निष्क्रिय जॉब कार्डधारी परिवार से तीन, सक्रिय जॉब कार्डधारी परिवार से नौ तथा महिला प्रमुख परिवार से तीन।

बहिर्गमन सम्मेलन दिनांक 8 जुलाई 2020 को आयुक्त, मनरेगा, ग्रा.वि.वि. के साथ किया गया। विभाग के टिप्पणी के लिए प्रतिवेदन जुलाई 2020 में प्रेषित किया गया था तथा अक्टूबर एवं दिसंबर 2020 में स्मार-पत्र निर्गत किया गया था। तथापि जवाब अप्राप्त था (जनवरी 2021)।

लेखापरीक्षा उपलब्धियाँ

2.2.6 अधिदृश्य

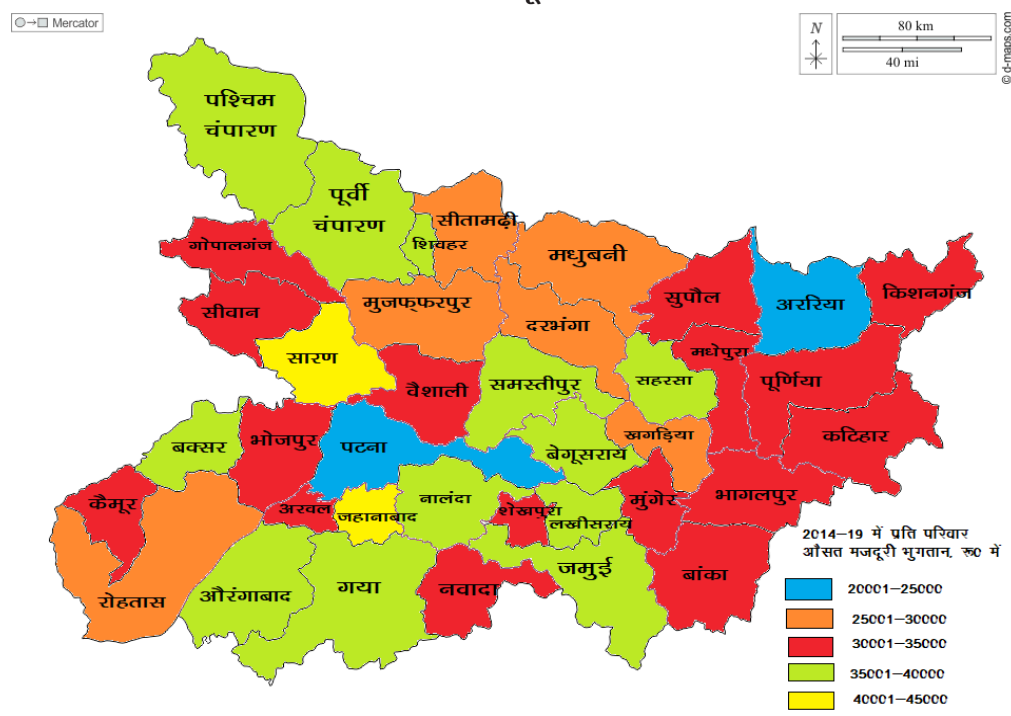
वर्ष 2014-19 के दौरान राज्य द्वारा योजना निधि की उपलब्ध राशि ₹ 11,181.72 करोड़ में से राशि ₹ 10,960.52 करोड़ (98 प्रतिशत) का उपयोग किया गया था। मजदूरी रोजगार 99.44 लाख परिवारों को उपलब्ध कराया गया था और ₹ 6,693.02 करोड़ का मजदूरी भुगतान कर 39.08 करोड़ मानव दिवसों का सृजन किया गया था। इस अवधि में राज्य में परिवारों द्वारा औसतन राशि ₹ 33,642⁴³ मजदूरी अर्जित की गयी थी, जो कि राष्ट्रीय औसत ₹ 37,639 से भी कम थी। औसत मजदूरी सृजन में इस राज्य का देश में 21वाँ स्थान था।

राज्य ने 5.98 लाख के विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों यथा ग्रामीण अवसंरचना, भूमि विकास, जल संचय इत्यादि का सृजन किया।

जिलों में 2014-19 के दौरान इस योजना से लाभान्वित होने वाले परिवारों द्वारा राशि ₹ 23,522 और ₹ 44,089 के बीच औसत मजदूरी अर्जित की गयी थी, जिसे नीचे नक्शा में दर्शाया गया है:

नक्शा-2.2.1

2014-19 के दौरान प्रत्येक परिवार (जिला वार) को भुगतान की गई औसत मजदूरी



(स्रोत: मनरेगा वेबसाइट)

⁴³ औसत मजदूरी 2014-15 (₹5,323.46), 2015-16 (₹6,853.74), 2016-17 (₹6,264.09), 2017-18 (₹7,834.53) और 2018-19 (₹7,366.15) = ₹33,641.97 अर्थात् ₹33,642

2.2.7 उद्देश्य-1: क्या परिवारों के पंजीकरण और जॉब कार्ड के आवंटन की प्रक्रिया दक्ष थी।

मनरेगा, एक मांग आधारित सार्वजनिक मजदूरी रोजगार कार्यक्रम था, जिसमें इच्छुक परिवारों को जब कभी भी कार्य की मांग हो, कार्य खोले गए थे एवं रोजगार के प्रस्ताव उपलब्ध कराए गए थे, जिसमें कामगारों को पंजीकृत करने एवं जॉब कार्ड निर्गत करने को सुगम करने की प्रणाली स्थापित किए जाने की आवश्यकता थी। पंजीकरण तथा जॉब कार्डों के निर्गत किए जाने से संबंधित पाए गए मामलों की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है:

2.2.7.1 पंजीकरण और जॉब कार्ड निर्गत किया जाना

- **परिवारों के पंजीकरण के लिए घर-घर सर्वेक्षण**

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना के अंतर्गत छूटे सभी योग्य एवं इच्छुक व्यक्तियों के पंजीकरण को सुनिश्चित करने हेतु योग्य परिवारों की पहचान एवं उनके पंजीकरण के लिए ग्रा.पं. स्तर पर प्रत्येक वर्ष घर-घर सर्वेक्षण किया जाना था।

लेखापरीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि इच्छुक परिवारों के पंजीकरण के लिए प्रति वर्ष घर-घर सर्वेक्षण नहीं किया गया था। इच्छुक परिवारों द्वारा पंजीकरण हेतु दिए गए आवेदनों के लिए विहित आवेदन पंजी का संधारण नमूना-जॉंचित 54 ग्रा.पं. में से केवल तीन ग्रा.पं. में किया गया था। नमूना-जॉंचित इकाईयों तथा विभाग द्वारा वार्षिक घर-घर सर्वेक्षण नहीं किए जाने का कोई विशिष्ट कारण नहीं बताया गया। हालांकि, लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि कर्मियों की कमी और कार्यक्रम पदाधिकारी के स्तर पर अनुश्रवण एवं समन्वय की कमी के कारण वार्षिक घर-घर सर्वेक्षण नहीं किया गया।

- **भूमिहीन आकस्मिक श्रमिकों के परिवारों का आंशिक आच्छादन**

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार (ग्रा.वि.मं.) ने निर्देश निर्गत किया था कि राज्य को सामाजिक-आर्थिक जातीय जनगणना (एस.ई.सी.सी.), 2011 के आँकड़ों के अनुसार भूमिहीन मैनुअल आकस्मिक श्रमिकों तक सक्रियता से पहुंचना था तथा इस योजना के अंतर्गत छूटे हुए एवं कार्य करने के लिए इच्छुक परिवारों को पंजीकृत करना था (दिसंबर 2016)। आगे, सितंबर 2017 तक एस.ई.सी.सी. के आँकड़ों के अनुसार मैनुअल आकस्मिक श्रमिकों के आँकड़ों का मैपिंग नरेगासॉफ्ट के जॉब कार्ड के आँकड़ों के साथ कर लिया जाना था।

लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि बिहार में भूमिहीन आकस्मिक श्रमिकों की संख्या 88.61 लाख थी जो देश में सर्वाधिक थी, जिसमें से केवल 60.88 लाख (69 प्रतिशत) का ही सर्वेक्षण किया गया था। इसमें से मात्र 3.34 प्रतिशत (90,161 इच्छुक भूमिहीन परिवारों में से 3,007) को ही जॉब कार्ड निर्गत किया गया था। नमूना-जॉंचित जिलों में, एक प्रतिशत से भी कम (22,678 इच्छुक परिवारों में से 146) जॉब कार्ड निर्गत किए गए थे तथा सर्वेक्षण कार्य बंद कर दिए गए थे (परिशिष्ट-2.2.3)। योजना के अंतर्गत सभी इच्छुक भूमिहीन आकस्मिक श्रमिकों को आच्छादित किए जाने तथा इच्छुक परिवारों को जॉब कार्ड निर्गत किए जाने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

विभाग द्वारा तकनीकी समस्याओं को बाधाओं के रूप में उद्धृत किया गया (जुलाई 2020) था तथा बताया गया कि नरेगासॉफ्ट में एस.ई.सी.सी. परिवारों के मैपिंग के लिए वर्तमान में लिंक कार्यरत नहीं था।

सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने से ऐसे परिवारों के पता लगाने में मदद मिलती जो अत्यधिक संवेदनशील थे तथा जिन्हें रोजगार की जरूरत थी। इच्छुक भूमिहीन आकस्मिक श्रमिकों

को जॉब कार्ड उपलब्ध कराने एवं उनके अधिक आच्छादन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए था। ऐसे श्रमिकों का पता लगाने तथा उनके नरेगासॉफ्ट में पंजीकरण किए जाने से ऐसे संवेदनशील व्यक्तियों की सहायता एवं आवश्यक डाटाबेस तैयार करने में बहुत मदद मिलती। किसी भी तकनीकी समस्या को ग्रा.वि.मं. के साथ मिलकर दूर किया जा सकता था। लेखापरीक्षा में एक कारण यह ज्ञात हुआ कि राज्य सरकार द्वारा 2014-19 की अवधि में ग्रा.पं. को जॉब कार्डों की पूर्ण उपलब्धता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका था।

• जॉब कार्ड के अद्यतनीकरण में धीमी प्रगति

इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, जॉब कार्ड पांच वर्ष की अवधि के लिए मान्य था और इसमें परिवारों के कार्य के लिए पात्र सदस्यों के नाम को जोड़ने/हटाने का प्रावधान था। ग्रा.पं. को परिवारों के पंजीकरण की तरह ही वार्षिक अद्यतनीकरण का कार्य करना था। बि.स. द्वारा सभी डी.पी.सी. को अद्यतनीकरण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किए जाने का निर्देश दिया गया था (नवंबर 2016)।

लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि मार्च 2020 तक राज्य में 57.08 लाख सक्रिय जॉब कार्डों (64 प्रतिशत) में से 36.45 लाख का सत्यापन और अद्यतन किया गया था। इसी प्रकार, नमूना-जाँचित जिलों में फरवरी 2020 तक 15.59 लाख सक्रिय जॉब कार्डों (70 प्रतिशत) में से 10.93 लाख का सत्यापन और अद्यतन किया गया था (परिशिष्ट-2.2.4)। लेखापरीक्षा में यह भी ज्ञात हुआ कि नमूना-जाँचित 54 ग्रा.पं. में से 16 ग्रा.पं.⁴⁴ में 287 परिवारों को एक से अधिक जॉब कार्ड निर्गत किए गए थे।

नमूना-जाँचित इकाईयों द्वारा जवाब दिया गया कि अद्यतनीकरण की प्रगति वांछनीय की तुलना में कम होने का कारण सत्यापन अवधि में परिवारों की अनुपस्थिति/पलायन कर जाने, आई.ए.वाई. लाभुकों को यथाशीघ्र जॉब कार्ड निर्गत किए जाने के निर्देश तथा परिवारों के फोटोग्राफ की अनुपलब्धता इत्यादि थी। एक से अधिक जॉब कार्ड निर्गत किए जाने के संबंध में इकाईयों द्वारा जवाब दिया गया कि आई.ए.वाई./पी.एम.ए.वाई.-जी. के लाभुकों को अभियान चलाकर एवं प्राथमिकता के आधार पर जॉब कार्ड निर्गत किया गया था तथा इसलिए ऐसे लाभुकों को पूर्व में निर्गत किए गए जॉब कार्डों का सत्यापन नहीं किया गया था।

पंचायत रोजगार सेवक (पं.रो.से.) को परिवारों के पास पुनः जाने की आवश्यकता थी और यदि यह पाया जाता कि परिवार स्थायी रूप से पलायन कर गये थे तो उनके जॉब कार्डों को निरस्त कर दिया जाना था। आई.ए.वाई. लाभुकों के मामलों में, ग्रा.पं. द्वारा पात्र लाभुकों को केवल सत्यापन के उपरांत ही जॉब कार्ड निर्गत किया जाना चाहिए था।

2.2.7.2 रोजगार के लिए मौखिक आवेदन का अभिलेखीकरण नहीं किया जाना/तिथियुक्त पावती निर्गत नहीं किया जाना।

योजना के दिशा-निर्देश में प्रावधान है कि पंजीकृत मनरेगा श्रमिकों को उनके कार्य करने की इच्छा के लिए आवेदन ग्रा.पं. कार्यालय में या कार्यस्थल पर उपस्थित हो कर या सादे कागज पर लिखित आवेदन समर्पित करने की अनुमति थी। कार्य की मौखिक मांग किए जाने की स्थिति में, पंचायत रोजगार सेवक द्वारा निर्धारित आवेदन प्रपत्र में अनुरोध का अभिलेखीकरण किया जाना था और बाद में इसे रोजगार पंजी में दर्ज किया जाना था। ग्रा.पं. और कार्यक्रम पदाधिकारी को कार्य के लिए वैध आवेदनों को मंजूर करना था तथा आवेदकों को तिथियुक्त पावती निर्गत करना था।

⁴⁴ अजना-23, बखरी-34, भुआलपुर-29, एकम्बा-11, फेनहारा-25, गोराई-6, खान पीपरा मधुरपुर-8, खरसंड वेस्ट-48, नौतन-9, निज गहुँआन-15, ओल्हानपुर-21, पकड़ी दीक्षित-2, परसौनी वाजिद-19, रूपौलिया-24, सरौजा-5 और सौथा-8 (कुल-287 परिवार)

लेखापरीक्षा पृच्छाओं के जवाब एवं भौतिक निरीक्षणों में, नमूना-जाँचित ग्रा.पं. में यह आकलन किया गया कि पंचायत रोजगार सेवक द्वारा इच्छुक आवेदकों द्वारा रोजगार की मांग के लिए दिए गए मौखिक आवेदनों को रोजगार पंजी में समुचित रूप से दर्ज नहीं किया गया था तथा किसी भी नमूना-जाँचित ग्रा.पं. के आवेदकों को तिथियुक्त पावती निर्गत नहीं किया गया था। इसलिए, रोजगार मांगने वाले परिवारों और मना किए गए परिवारों, यदि कोई हो, की वास्तविक संख्या को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इसके अलावा, मनरेगा कामगारों के उनके द्वारा मांगे गए कार्य की पावती पाने के अधिकार की भी रक्षा नहीं की जा सकी थी।

नमूना-जाँचित ग्रा.पं. के पंचायत रोजगार सेवकों द्वारा जवाब दिया गया कि इसे भविष्य में संधारित किया जाएगा।

2.2.7.3 रोजगार सृजन

अधिनियम में प्रावधान है कि इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों के प्रत्येक वयस्क सदस्य शारीरिक श्रम कार्य हेतु आवेदन के लिए हकदार थे और उन्हें कार्य के लिए आवेदन की तिथि से 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध कराया जाना था।

राज्य में 2014-19 की अवधि में पंजीकरण, कार्य की मांग और सृजित किए गए रोजगार की स्थिति नीचे दी गयी है:

तालिका सं.-2.2.1
2014-19 की अवधि में सृजित रोजगार (राज्य स्तर)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
मनरेगा के अंतर्गत पंजीकृत परिवार (लाख)	130.56	139.31	151.36	158.96	169.34
जॉब कार्ड जारी किए गए परिवार (लाख)	127.23	133.60	142.48	148.33	155.66
अनुमोदित श्रम बजट के अनुसार मानवदिवस (लाख)	848.64	937.91	1,425.00	1,250.00	1,400.00
कार्य की मांग करने वाले परिवार, लाख में (पंजीकृत परिवारों का प्रतिशत)	14.73 (11)	19.23 (14)	29.79 (20)	29.05 (18)	36.71 (22)
कार्य उपलब्ध कराए गए परिवार, लाख में (कार्य उपलब्ध कराए गए परिवारों का प्रतिशत)	10.34 (70)	14.87 (77)	22.95 (77)	22.47 (77)	29.25 (80)
सृजित मानवदिवस (लाख)	351.98	670.92	858.36	817.20	1,233.99
प्रति परिवार उपलब्ध कराए गए औसत मानवदिवस	34	45	37	36	42
100 दिन कार्य उपलब्ध कराए गए परिवार, लाख में (कार्य की मांग करने वाले परिवारों का प्रतिशत)	0.31 (2.10)	0.58 (3.02)	0.14 (0.47)	0.16 (0.55)	0.24 (0.65)
राज्य में अनु.जा./अनु.ज.जा. जनसंख्या (लाख में)/ग्रामीण	166	166	166	166	166
जॉब कार्ड जारी किए गए अनु.जा./अनु.ज.जा. परिवार (लाख में)	36.05	37.44	39.04	39.06	39.88
कार्य उपलब्ध कराए गए अनु.जा./अनु.ज.जा. परिवार (लाख में)	6.74	11.22	17.63	17.76	23.67
अनु.जा./अनु.ज.जा. परिवारों को उपलब्ध कराए गए मानवदिवस (लाख में)	92.06	173.10	212.71	186.29	263.70
प्रति अनु.जा./अनु.ज.जा. परिवार को उपलब्ध कराए गए औसत मानवदिवस	14	15	12	10	11

(स्रोत: मनरेगा वेबसाइट)

नमूना-जाँचित जिलों में, 40.48 लाख से 53.93 लाख पंजीकृत परिवारों में से, 3.90 लाख से 11.46 लाख परिवारों द्वारा रोजगार की मांग की गयी थी तथा 2.38 लाख से 9.31 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया था। 2014-19 की अवधि में कुल 86.42 लाख से 407.65 लाख मानवदिवस का कार्य उपलब्ध कराया गया था (परिशिष्ट-2.2.5)। रोजगार उपलब्ध कराने में पायी गई कमियों की चर्चा नीचे की गई है:

• कार्य की कम मांग एवं कम मानवदिवस का सृजन

नमूना-जाँचित जिलों में, कुल पंजीकृत परिवारों के सिर्फ 10 से 21 प्रतिशत परिवारों द्वारा कार्य की मांग की गई थी। इनमें से 61 से 82 प्रतिशत परिवारों को 2014-19 की अवधि में रोजगार उपलब्ध कराया गया था। एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की पात्रता के

विरुद्ध एक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराए गए औसत मानवदिवस का परास 36 दिन से 46 दिन के बीच था। हालाँकि, 2014-19 के दौरान मंदी की अवधि (जुलाई से नवंबर) में 26 से 36 प्रतिशत कार्य की मांग के विरुद्ध मात्र दो से नौ प्रतिशत परिवारों को ही रोजगार उपलब्ध कराया गया था।

- **एक परिवार को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाना**

इस योजना के दिशा-निर्देश ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करने को इच्छुक थे, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी का रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है।

लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि नमूना-जाँचित जिलों में 2014-19 की अवधि में कार्य की मांग करने वाले कुल परिवारों में से मात्र 0.59 से 2.82 प्रतिशत परिवारों (0.05 लाख से 0.15 लाख) को ही 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया था। इस प्रकार, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने के योजना के प्राथमिक उद्देश्य को केवल अंशतः प्राप्त किया जा सका था।

- **संवेदनशील समूहों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना**

इस योजना के दिशा-निर्देश में प्रावधान है कि रोजगार के पूर्वानुमानित मांग का आकलन तैयार करते समय, संवेदनशील समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए एवं ऐसे विशेष श्रेणी के लोगों को शामिल करने के लिए एक विशेष योजना बनायी जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि राज्य में 2014-19 की अवधि में इस योजना के अंतर्गत मात्र नौ से 14 प्रतिशत पंजीकृत दिव्यांग लोगों तथा पाँच से नौ प्रतिशत वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष एवं अधिक) को ही रोजगार उपलब्ध कराया गया था। संवेदनशील समूहों के कामगारों के नियोजन के लिए तैयार की गई कोई विशेष योजना नहीं पायी गयी।

विभाग द्वारा जवाब दिया गया (जुलाई 2020) कि कम मानवदिवस के सृजन का कारण योजना में श्रम विभाग द्वारा कृषि श्रमिकों के लिए निर्धारित दर की तुलना में योजना के अंतर्गत कम मजदूरी दर होना, मनरेगा कामगारों के लिए दरों की अनुसूची का पुनरीक्षण नहीं किया जाना, संभावित श्रमिकों का कम प्रतिशत इत्यादि था। आगे, विभाग द्वारा बताया गया कि सामग्री घटक से संबंधित निधियों की कमी के कारण भी अधिक प्रगति नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि विभाग ने मजदूरी भुगतान में विलंब, क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान नहीं होने तथा जागरूकता कार्यक्रम नहीं किए जाने जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए थे। वास्तव में, दरों की अनुसूची के पुनरीक्षण के लिए विभाग स्वयं उत्तरदायी था।

2.2.7.4 बेरोजगारी भत्ता का भुगतान नहीं किया जाना

अधिनियम के अनुसार, यदि किसी आवेदक को इस योजना के अंतर्गत रोजगार के लिए आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो वह बि.स. द्वारा निर्धारित दर से दैनिक बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा।

बि.स. ने बेरोजगारी भत्ता के भुगतान के लिए दर को अधिसूचित नहीं किया था तथा बेरोजगारी भत्ता के भुगतान की प्रक्रिया के नियमन के लिए नियमावली नहीं बनाए थे। जिन श्रमिकों को कार्य उपलब्ध नहीं कराए गए थे उन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया था।

नमूना-जाँचित 18 प्रखंडों में, 2017-19 की अवधि में 19,815 श्रमिकों को 2,18,254 दिनों के लिए बेरोजगारी भत्ता की ₹ 1.93 करोड़⁴⁵ राशि का भुगतान नहीं किया गया था (परिशिष्ट-2.2.6)।

विभाग द्वारा जवाब दिया गया (जुलाई 2020) कि 2014-19 की अवधि में बेरोजगारी भत्ता के लिए कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ था और कार्य की मांग करने वाले 129.51 लाख परिवारों में से 129.41 लाख को रोजगार का प्रस्ताव दिया गया था। केवल, परिवारों के कुछ भाग को ही कार्य का प्रस्ताव नहीं दिया गया था, अतः बेरोजगारी भत्ते का प्रश्न नहीं उठता।

बेरोजगारी भत्ता का दावा नरेगासॉफ्ट में स्वतः सृजित हुआ था तथा विभाग को इसका अनुश्रवण करना चाहिए था और व्यक्तियों/परिवारों तक पहुँचना चाहिए था। अधिनियम के अंतर्गत परिवारों को दावा करने की आवश्यकता नहीं थी। उपरोक्त जवाब के अनुसार यदि ऐसे परिवारों की संख्या लगभग 10,000 है जिन्हें कार्य का प्रस्ताव नहीं दिया गया था, तो भी इन परिवारों को बेरोजगारी भत्ते का पहल किया जाना चाहिए था एवं भुगतान किया जाना चाहिए था।

2.2.7.5 पूर्ण रोजगार के लिए आजीविका परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण नहीं दिया जाना

ग्रा.वि.मं. द्वारा निर्गत किए गए दिशा-निर्देश के अनुसार, पूर्ण रोजगार के लिए आजीविका (लाईफ) मनरेगा परियोजना को, मनरेगा योजना पर अत्यधिक निर्भर परिवारों के 18 से 35 वर्ष की आयु समूह के इच्छुक युवाओं को आजीविका प्राप्ति हेतु उन्हें कौशल प्रशिक्षण के लिए प्राथमिकता के आधार पर सक्रियता से अभिसरण के पहल के रूप में तैयार की गई थी (मई 2015)। इस परियोजना के अंतर्गत, उन ग्रामीण परिवारों के युवा सदस्य प्रशिक्षण⁴⁶ के पात्र थे जिनके सदस्य एक वित्तीय वर्ष में इस योजना के अंतर्गत कम से कम 15 दिन का कार्य पूर्ण किए थे। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (मिशन) इस परियोजना के लिए समग्र कार्यान्वयन एजेंसी थी।

लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि 2014-19 की अवधि में 71.19 लाख परिवारों के युवा इस परियोजना के अंतर्गत पात्र थे। विभाग द्वारा 11,496 युवाओं को प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और युवाओं की सूची (नरेगासॉफ्ट के अनुसार) मिशन को उपलब्ध कराया गया था। कुल लक्षित 11,496 युवाओं में से 7,985 युवाओं को परामर्श दिया गया था तथा 2016-20 की अवधि में मिशन द्वारा केवल 1,189⁴⁷ युवाओं को दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण स्व-रोजगार संस्थानों एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया था। ग्रा.वि.मं. द्वारा राज्य को मजदूरी घटक के कौशल विकास के लिए प्रथम किस्त का ₹ 7.42 करोड़ विमुक्त किया गया (सितंबर 2016) था। इस निधि को परियोजना के प्रशिक्षण व्यय के रूप में विहित शर्तों⁴⁸ के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए मिशन को विमुक्त किया जाना था परंतु

⁴⁵ अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, बेरोजगारी भत्ता का दर प्रथम 30 दिनों के लिए मजदूरी दर का एक चौथाई था और शेष अवधि के लिए मजदूरी दर के आधे से कम नहीं था।

⁴⁶ (i) मजदूरी के लिए कौशल विकास; (ii) स्व-रोजगार के लिए कौशल विकास; और (iii) आजीविका उन्नयन

⁴⁷ मजदूरी के लिए कौशल विकास के अंतर्गत-11 युवाएं, स्व-रोजगार का कौशल विकास-603 युवाएं और आजीविका उन्नयन के अंतर्गत-575 युवाओं का प्रशिक्षण

⁴⁸ (i) मिशन, पी.आई.ए. का नाम, परियोजना की स्वीकृति संख्या और प्रत्येक सदस्य के नाम के विरुद्ध चयनित ट्रेड की प्रविष्टि नरेगासॉफ्ट में करेगा (ii) मिशन प्रशिक्षण की पूर्णता और तत्पश्चात जॉब प्लेसमेंट को अभिलेखित करेगा।

मिशन द्वारा प्रशिक्षण व्यय की राशि की मांग विभाग से नहीं की गयी थी। परिणामस्वरूप, ग्रा.वि.मं. से प्राप्त ₹ 7.42 करोड़ राशि मई 2020 तक अव्यवहृत पड़ी हुई थी।

विभाग द्वारा जवाब दिया गया (जुलाई 2020) कि लाईफ परियोजना को मिशन द्वारा कार्यान्वित किया जाना था परंतु उनसे प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। मिशन द्वारा बताया गया (दिसंबर 2020) कि अन्य पात्र युवाओं को प्रशिक्षण नहीं दिया गया क्योंकि वे उपलब्ध ट्रेडों में प्रशिक्षण लेने के लिए उत्सुक नहीं थे, बल्कि वे कृषि आधारित ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते थे।

लाईफ परियोजना को, जैसा कि ऊपर वर्णित है विभिन्न योजनाओं के साथ अभिसरण कर लागू करना था, लेकिन इसमें कृषि आधारित ट्रेड को शामिल नहीं किया गया था। चूंकि एक विशेष संख्या में युवाओं को लक्षित किया गया था, मांग के आधार पर आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण के प्रकार को सुनिश्चित किया जाना चाहिए था और तदनुसार संसाधनों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए था। आयुक्त, मनरेगा द्वारा पात्र एवं इच्छुक लाभुकों की जरूरत को ज्ञात करने के लिए एक सर्वेक्षण कराए जाने की आवश्यकता थी। मिशन भी सभी लक्षित युवाओं को मांग के अनुरूप ट्रेडों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराने में विफल रहा।

2.2.7.6 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.)

लाभुकों के सभी भुगतानों को उनके आधार से लिंक बैंक खातों में जमा किया जाना था। मनरेगा कामगारों के मजदूरी को उनके बैंक खातों में वास्तविक समय आधारित अन्तरण के लिए संबंधित कामगारों की सहमति लेकर आधार से जोड़ने और उन खातों को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एन.पी.सी.आई.) के मैपर से मैपिंग करने की अनिवार्यता थी। डी.बी.टी. को शीघ्रता से लागू किए जाने में कमियों की चर्चा नीचे की गई है:

• आधार आधारित भुगतान (ए.बी.पी.) प्रणाली

कार्यक्रम पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करना था कि सत्यापित आधार को कोर बेसलाईन बैंकिंग प्रणाली तथा एन.पी.सी.आई. मैपर में सीड कर दिया गया था। सभी सक्रिय कामगारों के आधार सीडिंग तथा शत-प्रतिशत भुगतान को आधार आधारित भुगतान (ए.बी.पी.) से किए जाने का कार्य जून 2019 तक पूर्ण कर लिया जाना था।

लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि योजना के अंतर्गत 58.43 लाख सक्रिय कामगारों में से 49.12 लाख (84 प्रतिशत) कामगारों के खातों को नरेगासॉफ्ट में आधार से जोड़ा गया था परंतु केवल 30.62 लाख (आधार से जुड़े खाते का 62 प्रतिशत) कामगारों के खातों को ही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) से सत्यापित/प्रमाणित किया गया था। आगे, केवल 14.65 लाख कामगारों (सक्रिय कामगारों का 25 प्रतिशत) का भुगतान ही आधार से जुड़े बैंक खातों में किया गया था।

आगे, नमूना-जाँचित नौ जिलों में, सक्रिय कामगारों के 70 से 92 प्रतिशत को आधार से जोड़ा गया था जबकि ए.बी.पी. का प्रतिशत 17 से 32 प्रतिशत के बीच था (परिशिष्ट-2.2.7)।

लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि कार्यक्रम पदाधिकारी के स्तर पर आधार के ऑकड़ों के सत्यापन लंबित होने तथा नरेगासॉफ्ट में सीड किए गए आधार के ऑकड़ों का जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण ग्रा.वि.मं. के स्तर पर लंबित होने के परिणामस्वरूप कम संख्या में आधार का प्रमाणीकरण हुआ था। आगे, कार्यक्रम पदाधिकारी के स्तर पर अनुश्रवण की कमी और बैंक के स्तर पर आधार के एन.पी.सी.आई. मैपिंग का कार्य लंबित रहने के कारण फरवरी 2020 तक राज्य में मात्र 48 प्रतिशत एवं नमूना-जाँचित जिलों में 47 प्रतिशत (औसतन) सत्यापित आधार को ही ए.बी.पी. में परिवर्तित किया गया था।

आगे, राज्य में 3.16 लाख सक्रिय परिवारों के संयुक्त बैंक खातों को मार्च 2020 तक एकल खातों में परिवर्तित नहीं किया गया था जिसकी आधार सीडिंग एवं डी.बी.टी. के लिए आवश्यकता थी।

विभाग द्वारा जवाब दिया गया (जुलाई 2020) कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में इस मामले को उठाए जाने के बावजूद बैंक के स्तर पर आधार के एन.पी.सी.आई. मैपिंग के लंबित रहने तथा ग्रा.वि.मं. के स्तर पर आधार सीडिंग के प्रमाणीकरण का अनुमोदन लंबित रहने के कारण आधार सीडिंग एवं ए.बी.पी. परिवर्तन की प्रतिशतता कम थी। आगे यह भी बताया गया कि कई परिवारों द्वारा मनरेगा कार्य में रूचि नहीं लिया गया था तथा इस कारण वे आधार सीडिंग के लिए आगे नहीं आए एवं कई कामगार पलायन कर गए थे।

विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है कि कार्यक्रम पदाधिकारी के स्तर पर लंबित मामलों का यथाशीघ्र निपटारा हो तथा मामलों का निकटता से अनुश्रवण हो।

2.2.7.7 मजदूरी का भुगतान

इस योजना के कार्यान्वयन के लिए मजदूरी का ससमय भुगतान एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। अधिनियम में प्रावधान है कि मस्टर रॉल (एम.आर.) के बंद होने के 15 दिनों के अंदर कामगारों को भुगतान कर दिया जाना था। मजदूरी के भुगतान में लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

• मजदूरी के भुगतान में विलंब

विभाग के स्तर पर अभिलेखों एवं एम.आई.एस. ऑकड़ों की संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि 2014-18 की अवधि में बड़ी संख्या में मजदूरी का भुगतान विलंब से किया गया था। हालाँकि, वर्ष 2018-19 में स्थिति में सुधार हुआ था जिसे नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-2.2.2

मजदूरी के भुगतान में विलंब (राज्य स्तर)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विलंब से भुगतान				कुल विलंबित भुगतान	कुल मजदूरी भुगतान	विलंब का प्रतिशत
	16-30 दिन	31-60 दिन	61-90 दिन	90 दिनों से अधिक			
2014-15	36.36	52.40	38.14	237.66	364.56	431.90	84
2015-16	251.96	320.16	170.83	240.68	983.63	1,164.14	84
2016-17	280.04	332.02	216.09	171.03	999.18	1,471.35	68
2017-18	312.82	189.17	42.25	19.26	563.50	1,419.59	40
2018-19	226.03	39.46	4.57	2.58	272.64	2,149.65	13

(स्रोत: मनरेगा वेबसाइट)

नमूना-जाँचित जिलों में 2014-19 की अवधि में कुल ₹ 2,057.72 करोड़ के मजदूरी भुगतान में से ₹ 900.98 करोड़ (44 प्रतिशत) का भुगतान विलंब से किया गया था (परिशिष्ट-2.2.8)। लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि कार्य की मापी के अभिलेखीकरण में विलंब, मजदूरी सूची सृजित किए जाने में विलंब, बड़े पैमाने पर निधि अंतरण आदेश (एफ.टी.ओ.) अस्वीकृत होने एवं अस्वीकृत एफ.टी.ओ. के पुनर्सृजन में विलंब के कारण भुगतान में विलंब हुआ था।

नमूना-जाँचित प्रखंडों के कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा जवाब दिया गया कि पर्याप्त निधि की अनुपलब्धता, मजदूरी सूची सृजित किए जाने में विलंब, ग्रा.पं. स्तर पर आधारभूत संरचनाओं की कमी और एफ.टी.ओ. की अस्वीकृति विलंब से भुगतान के कारण थे। हालाँकि, विभाग द्वारा जवाब दिया गया (जुलाई 2020) कि मजदूरी सूची को विलंब से सृजित होने, मापी में

विलंब होने, एफ.टी.ओ. के विलंब से सृजित होने के लिए योजना कर्मी जिम्मेवार थे तथा बैंक खातों में विभिन्न प्रकार की कमियों के लिए लाभुक जिम्मेवार थे।

उपरोक्त जवाब दर्शाता है कि कर्मियों के साथ संपर्कता की अधिक आवश्यकता थी और भुगतान में विलंब की कमियों को दूर करने के लिए विभागीय अधिकारियों के सख्त अनुश्रवण की आवश्यकता थी।

- **एन.ई.-एफ.एम.एस. लागू होने के बाद भी मजदूरी के भुगतान में विलंब** राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एन.ई.-एफ.एम.एस.) ग्रा.वि.मं. द्वारा श्रमिकों के मजदूरी को नरेगासॉफ्ट पर अपलोड किए जाने के 48 घंटे (टी+2) के अंदर उनके खाते में अंतरित करने के लिए लागू (अप्रैल 2016) किया गया था जिससे निधि की विमुक्ति के विभिन्न स्तरों से बचा जा सके तथा श्रमिकों को मजदूरी का ससमय भुगतान हो सके। इसके अंतर्गत, कार्यान्वयन इकाईयों को एक एफ.टी.ओ. सृजित करना था तथा कार्य एवं मस्टर रॉल के सत्यापन के उपरांत इसे टी+8 दिन के अंदर नरेगासॉफ्ट के सर्वर पर अपलोड करना था। मजदूरी के भुगतान के दो स्तर थे (i) स्तर-I: कार्यान्वयन इकाईयों द्वारा एफ.टी.ओ. सृजित किए जाने तथा अपलोड करने तक (ii) स्तर-II: ग्रा.वि.मं. द्वारा लोक निधि प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.) के माध्यम से लाभुकों के खाते में मजदूरी को जमा करना। लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि एफ.टी.ओ. के संसाधन में दोनों स्तरों पर विलंब हुआ था।

स्तर-I विलंब: ग्रा.वि.मं. के दिशा-निर्देशों के अनुसार (मई 2016), कार्य की मापी टी+3 दिनों में कर लिया जाना था जबकि मजदूरी सूची को टी+6 दिनों में सृजित कर लिया जाना था। बि.स. ने नियमावली (सितंबर 2017) तैयार की थी जिसमें मजदूरी सूची सृजित करने के लिए टी+9 दिनों की समयावधि नियत की गयी थी। लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि 2016-19 की अवधि में एफ.टी.ओ. के सृजन में काफी विलंब हुआ था, जो राज्य स्तर पर 69 से 13 प्रतिशत तथा नमूना-जाँचित जिलों में 64 से 10 प्रतिशत थी, जिसकी विवरणी नीचे दी गयी है:

तालिका सं.-2.2.3

एफ.टी.ओ. के सृजन में विलंब (राज्य एवं नमूना-जाँचित जिला स्तर)

इकाई	वर्ष	भरे गये मस्टर रोल की सं.	टी+8 दिनों के अंदर सृजित किए गए एफ.टी.ओ. (प्रतिशत में)	टी+9 से टी+15 दिनों में सृजित किए गए एफ.टी.ओ. (प्रतिशत में)	टी+15 दिनों के बाद सृजित किए गए एफ.टी.ओ. (प्रतिशत में)
राज्य	2016-17	14,32,757	14.24	17.17	68.59
	2017-18	12,88,761	24.08	34.79	41.13
	2018-19	28,89,641	44.01	43.05	12.94
नमूना-जाँचित जिला	2016-17	4,92,453	17	19	64
	2017-18	4,60,695	25	34	41
	2018-19	9,70,325	50	40	10

(स्रोत: एम.आई.एस. ऑकड़े)

(परिशिष्ट-2.2.9)

नरेगासॉफ्ट में मजदूरी के ससमय भुगतान की स्थिति का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रतिवेदनों⁴⁹ के सृजन का प्रावधान था लेकिन कार्यक्रम पदाधिकारियों के साथ ही जिला और राज्य स्तर के प्राधिकारी मजदूरी के ससमय भुगतान की स्थिति का अनुश्रवण करने में विफल रहे। नमूना-जाँचित प्रखंडों के कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा जवाब दिया गया कि कार्य की मापी देर से होने, मजदूरी सूची का सृजन विलंब से होने, मानवबल की कमी और आधारभूत संरचनाओं की कमी आदि के कारण एफ.टी.ओ. विलंब से सृजित

⁴⁹ आर-4.1 (निर्गत किए गए एम.आर. के विरुद्ध भरे गए एम.आर.), आर-14.3 (विभिन्न स्तरों पर लंबित एम.आर.), आर-14.2 (T+15 दिनों से अधिक लंबित एम.आर. की सूची), आर-8.1.1 (द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर के लिए लंबित एफ.टी.ओ.)

किए गए थे। विभाग द्वारा जवाब दिया गया (जुलाई 2020) कि सभी उत्तरदायी कर्मियों को एफ.टी.ओ. के प्रसंस्करण में विलंब से बचने और अस्वीकृत एफ.टी.ओ. को ससमय पुनर्सृजित करने के लिए निर्देश निर्गत किए गए थे। विभाग द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारियों के साथ मिलकर एफ.टी.ओ. को ससमय सृजित किए जाने में होने वाली परेशानियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने की आवश्यकता है।

स्तर-II विलंब: पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से ग्रा.वि.मं. के स्तर पर एफ.टी.ओ. का प्रसंस्करण किया जाना था तथा एफ.टी.ओ. को नरेगासॉफ्ट में अपलोड किए जाने के 48 घंटे (टी⁶⁰+2 दिनों) के अंदर लाभुकों के खातों में भुगतान किया जाना था। हालांकि, 2016-19 के लिए समग्र रूप में 90 प्रतिशत एफ.टी.ओ. का प्रसंस्करण टी+2 दिनों के बजाय तीन या अधिक दिनों में किया गया था।

इस प्रकार, एन.ई.-एफ.एम.एस. लागू होने के उपरांत, यद्यपि विलंब से अंतरण होने की स्थिति में समग्र रूप से कमी हुई थी, तथापि मात्र 10.41 प्रतिशत¹ एफ.टी.ओ. का प्रसंस्करण ही लाभुकों के खाते में मजदूरी को समय पर जमा करके की गई थी।

• मजदूरी सूची का विलंब से सृजन/सृजन नहीं किया जाना

योजना संचिकाओं एवं अन्य संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि नमूना-जाँचित 54 ग्रा.पं. में से 12 ग्रा.पं.⁵² के 41 कार्यों में मजदूरी सूची के सृजन में दो से 443 दिनों (एक वर्ष से अधिक) का विलंब हुआ था। राज्य स्तर पर, 2014-19 की अवधि में उन 7,37,020 श्रमिकों के मजदूरी सूची को सृजित नहीं किया गया था जिनका विवरण मस्टर रॉल में भरा हुआ पाया गया था।

नमूना-जाँचित इकाइयों द्वारा जवाब दिया गया कि पी.आर.एस. पर कार्य के अत्यधिक बोझ होने, कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा नरेगासॉफ्ट पर कामगारों के बैंक खातों को अपलोड नहीं किए जाने और पी.आर.एस. द्वारा भरे हुए मस्टर रॉल एवं मापी पुस्तों के आँकड़ों को प्रखंड स्तर पर प्रविष्टि के लिए विलंब से समर्पित किए जाने के कारण मजदूरी सूची के सृजन में विलंब हुआ।

• कार्य की मापी दर्ज किए जाने में विलंब

इस योजना के दिशा-निर्देश में प्रावधान है कि साप्ताहिक मस्टर रॉल बंद किए जाने के तीन दिनों के अंदर सक्षम तकनीकी कर्मियों⁵³ द्वारा कार्यों की साप्ताहिक मापी की जानी थी। हालांकि, योजना संचिकाओं और संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि नमूना-जाँचित 54 ग्रा.पं. में से छः ग्रा.पं.⁵⁴ के 17 कार्यों में पांच से 512 दिनों के विलंब से मापी दर्ज की गई थी। इसके परिणामस्वरूप एफ.टी.ओ. के सृजन में विलंब हुआ जिसके कारण अंततः मजदूरी के भुगतान में विलंब हुआ। लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि तकनीकी कर्मियों की कमी, ग्रा.पं. स्तर पर आवश्यक आधारभूत संरचनाओं की कमी और कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा अनुश्रवण की कमी के परिणामस्वरूप कार्य की मापी में विलंब हुआ।

• अस्वीकृत एफ.टी.ओ. का सृजन नहीं किए जाने के कारण मजदूरी का भुगतान नहीं

इस योजना के दिशा-निर्देश में प्रावधान है कि कार्यक्रम पदाधिकारी कामगारों के बैंक खाता खोलने और सत्यापन के उपरांत बैंक खातों को उनके जॉब कार्ड के लिंक करने

⁵⁰ टी वह दिन है जब द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता द्वारा एफ.टी.ओ. हस्ताक्षर किया जाता है।

⁵¹ पी.एफ.एम.एस. को भेजे गए कुल एफ.टी.ओ.-2,94,92,933; टी+2 दिनों में प्रसंस्कृत किए गए एफ.टी.ओ.-30,71,294

⁵² बभनगामा, बनपुरा, जमाल नगर, कटेयां, महारस, महखड़, नौतन, ओल्हानपुर, पकड़ी दीक्षित, रसलपुर, सरौजा और साँठा।

⁵³ कनीय अभियंता और पंचायत तकनीकी सहायक

⁵⁴ अकबरपुर बरारी-1, फेनहारा-1, गोरई-12, पगड़ा-1, पकड़ी दीक्षित-1 और रूपौलिया-1 (17 कार्य)

में सक्रिय भूमिका निभायेंगे ताकि सही लाभुकों को शीघ्रता से भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि 2014-19 की अवधि में राज्य स्तर पर ₹ 245.06 करोड़ राशि वाले 11.33 लाख संव्यवहारों को अस्वीकृत कर दिया गया था। यह भी ज्ञात हुआ कि वर्ष 2014-19 की अवधि में अस्वीकृत संव्यवहारों की संख्या 67,511 से बढ़कर 2,76,585 हो गयी थी। नमूना-जाँचित जिलों में, 2014-19 की अवधि में मजदूरी भुगतान से संबंधित 3,54,256 संव्यवहारों वाले ₹ 62.83 करोड़ राशि के एफ.टी.ओ. को तथा सामग्री भुगतान से संबंधित 6,554 संव्यवहारों वाले ₹ 15.31 करोड़ राशि के एफ.टी.ओ. को गलत खाता संख्या, निष्क्रिय आधार, लंबित अपने ग्राहकों को जानो (के.वाई.सी.) इत्यादि के कारण अस्वीकृत किए गए थे। हालाँकि, 2014-19 की अवधि में ₹ 46.86 करोड़ के 2,06,783 अस्वीकृत संव्यवहारों को सफलतापूर्वक पुनर्सृजित किया गया था। लेकिन ₹ 16.67 करोड़ के 85,148 संव्यवहार कार्यक्रम पदाधिकारी के स्तर पर पुनर्सृजित किए जाने के लिए लंबित थे जबकि ₹ 14.10 करोड़ के 69,307 संव्यवहार बैंक के स्तर पर पुनर्सृजित के लिए लंबित थे, जहाँ विलंब एक से पाँच वर्ष के बीच था **(परिशिष्ट-2.2.10)**।

लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि अस्वीकृत एफ.टी.ओ. का सृजन नहीं किए जाने का मुख्य कारण कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा लाभुकों के बैंक खातों को नरेगासॉफ्ट में जोड़ने से पूर्व सत्यापित करने में लापरवाही बरतने और अस्वीकृत संव्यवहारों को पुनर्सृजित करने के लिए कमियों को दूर करने में गंभीर नहीं रहना था। आगे, सभी अस्वीकृत एफ.टी.ओ. कार्यक्रम पदाधिकारियों के लॉग-इन में प्रदर्शित भी नहीं थे। दो बार अस्वीकृत होने वाले एफ.टी.ओ. राज्य एवं जिला स्तर के लॉग-इन में प्रदर्शित थे और कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा इसके सत्यापन के लिए जिला से संपर्क नहीं किया गया था एवं अस्वीकृत एफ.टी.ओ. को पुनर्सृजित नहीं किया गया था। यह भी देखा गया कि संव्यवहारों के अस्वीकृत हो जाने की स्थिति में लाभुक का बैंक खाता निष्क्रिय हो जाता और भुगतान की पूरी प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाना था, जो काफी समय-साध्य था।

नमूना-जाँचित इकाईयों द्वारा जवाब दिया गया कि एफ.टी.ओ. के अस्वीकृत होने का कारण लाभुकों के खातों के बंद होने, गलत बैंक खाता संख्या, लंबित के.वाई.सी. आदि था। एफ.टी.ओ. के दो बार अस्वीकृत होने ने यह इंगित किया कि कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा प्रथम अस्वीकृति की कमियों को समुचित रूप से दूर नहीं किया गया था तथा जिला एवं राज्य स्तर के प्राधिकारियों द्वारा भी इसका अनुश्रवण नहीं किया गया था।

विभाग द्वारा जवाब दिया गया (जुलाई 2020) कि लाभुकों के बैंक खातों में विसंगतियों एवं श्रमिकों के पलायन कर जाने के कारण एफ.टी.ओ. के पुनर्सृजन में परेशानियाँ हुईं, हालाँकि विभाग द्वारा सभी अस्वीकृत संव्यवहारों के पुनर्सृजन के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए गए थे।

विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा एफ.टी.ओ. का संधारण समय पर किया जाए और अगर यदि कोई एफ.टी.ओ. अस्वीकृत हो जाए तो उसका विहित समयावधि में सावधानी से जाँच की जाए ताकि पूर्व से ही नुकसान उठा चुके वंचित कामगारों की कठिनाईयों को कम किया जा सके।

● **मजदूरी के विलंब से भुगतान के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाना**

अधिनियम और बि.स. द्वारा तैयार किए गए क्षतिपूर्ति के भुगतान की नियमावली, 2017 में प्रावधान किया गया है कि मजदूरी के भुगतान में विलंब होने की स्थिति में, मस्टर रॉल बंद होने के 16वें दिन के उपरांत भुगतान नहीं किए गए मजदूरी के लिए प्रतिदिन 0.05 प्रतिशत की दर से क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना था। दिशा-निर्देश में प्रावधान है कि प्रत्येक कार्यक्रम पदाधिकारी, विलंब क्षतिपूर्ति के देय होने के 15 दिनों के अंदर, यह

निर्णय करेगा कि नरेगासॉफ्ट पर स्वतः गणना किए गए क्षतिपूर्ति की राशि भुगतान है अथवा नहीं। अस्वीकृत किए गए सभी मामलों में, कार्यक्रम पदाधिकारी को नरेगासॉफ्ट पर अस्वीकृति का विस्तृत कारण देना था और इससे संबंधित अभिलेखों का संधारण करना था। आगे, क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान एस.ई.जी.एफ. के अपफ्रंट से किया जाना था और इस प्रयोजन के लिए एक अलग खाते का संधारण किया जाना था एवं विलंब के लिए उत्तरदायी कर्मियों से भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति की राशि की वसूली की जानी थी।

लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा 2014-19 की अवधि में राज्य स्तर पर 91 प्रतिशत क्षतिपूर्ति के कुल दिवसों के दावों को तथा नमूना-जाँचित जिलों में 93 प्रतिशत दावों को अस्वीकृत कर दिया गया था जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका सं.-2.2.4

2014-19 की अवधि में मजदूरी भुगतान में विलंब के लिए क्षतिपूर्ति की स्थिति

इकाई	भुगतान विलंब क्षतिपूर्ति		अनुमोदित विलंब क्षतिपूर्ति		अस्वीकृति के कारण (लाख दिनों में)					भुगतान किए गए विलंब क्षतिपूर्ति (₹ लाख में)	देय भुगतान राशि (₹ लाख में)
	दिन (लाख)	राशि (लाख)	दिन (लाख)	राशि (लाख)	अपर्याप्त निधि	प्राकृतिक आपदा	क्षतिपूर्ति देय नहीं	अन्य	कुल अस्वीकृत (प्रतिशत)		
राज्य	12,255	9,858	458	409	805	873	6,492	2,976	11,146 (91)	257	152
नमूना-जाँचित जिला	3,461	2,861	86	71	197	369	1,818	830	3,214 (93)	46	25

(स्रोत: 16 नवंबर 2019 के एम.आई.एस. के ऑकड़ें) [परिशिष्ट-2.2.11 (अ) एवं 2.2.11 (ब)]

राज्य में 2014-19 की अवधि में अनुमोदित किए गए क्षतिपूर्ति दावा की ₹ 4.09 करोड़ में से ₹ 1.52 करोड़ (37 प्रतिशत) का भुगतान नवंबर 2019 तक श्रमिकों को नहीं किया गया था। भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति (₹ 2.57 करोड़) एस.ई.जी.एफ. के सामग्री मद से किया गया था जिसमें केन्द्र और राज्य का अंश जमा था और इस प्रयोजन के लिए अलग से खाते का संधारण नहीं किया गया था।

एम.आई.एस. के ऑकड़ों के अनुसार, कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा क्षतिपूर्ति अस्वीकृति का कारण क्षतिपूर्ति देय नहीं (58 प्रतिशत), अपर्याप्त निधि (सात प्रतिशत), प्राकृतिक आपदा (आठ प्रतिशत) और अन्य (27 प्रतिशत) बताया गया था। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा राज्य स्तर पर क्षतिपूर्ति के 6.51 करोड़ दिनों⁵⁵ के दावों का सत्यापन नहीं किया गया था। 'प्राकृतिक आपदा' जैसे कारणों को क्षतिपूर्ति की अस्वीकृति के लिए उद्धृत करना सही नहीं था और 'अन्य' कारण अस्पष्ट थे। आगे, कार्यक्रम पदाधिकारियों एवं विभाग द्वारा अपर्याप्त निधि की समस्या को समय से पूर्व ही समाधान किया जाना था ताकि कामगारों की कठिनाईयों को कम किया जा सके।

विभाग द्वारा जवाब दिया गया (जुलाई 2020) कि ग्रा.वि.मं. से अनुरोध किया गया था कि विलंब से मजदूरी भुगतान के लिए जिम्मेवार कर्मियों से वसूल की जाने वाली राशि के विवरण का प्रतिवेदन नरेगासॉफ्ट पर उपलब्ध कराया जाए। विभाग द्वारा संबंधित जिम्मेवार कर्मियों से राशि वसूल करने के लिए सक्रिय कार्रवाई करनी चाहिए और क्षतिपूर्ति दावों के अस्वीकृति के कारणों का बारीकी से निगरानी किया जाना चाहिए एवं समय-समय पर नमूना चयन के आधार पर इसके आवधिक जाँच के लिए प्रणाली बनाया जाना चाहिए।

⁵⁵ कुल 122.55 करोड़ भुगतान दिनों - 4.58 करोड़ अनुमोदित दिनों - 111.46 करोड़ अस्वीकृत दिनों = 6.51 करोड़ दिनों सत्यापन के लिए लंबित

2.2.8 उद्देश्य-2: क्या ग्रामीण जनसंख्या के आजीविका सुरक्षा और ग्रामीण परिसंपत्तियों के सृजन के उद्देश्यों को योजना के कार्यों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कर सुनिश्चित किए गए थे।

मनरेगा योजना का एक उद्देश्य टिकाऊ एवं स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन तथा ग्रामीण गरीबों के आजीविका आधार को बढ़ावा देना था जिससे आजीविका सुरक्षा में वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का टिकाऊ विकास हो सके। अधिनियम के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, सूखा रोधन, सिंचाई, परम्परागत जल निकायों के पुनर्जीवीकरण, भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण, ग्रामीण संपर्कता इत्यादि कार्यों को प्राथमिकता देना था।

2.2.8.1 कार्यों का निष्पादन

अधिनियम (संशोधित) के अनुसार, अनुमेय कार्यों को चार व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत विभिन्न उप-श्रेणियों⁵⁶ में वर्गीकृत किया गया था यथा: श्रेणी-क: प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एन.आर.एम.) से संबंधित कार्य, श्रेणी-ख: संवेदनशील समूहों के लिए सामुदायिक एवं व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों का सृजन, श्रेणी-ग: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एम.) के स्वयं-सहायता समूहों के लिए आम बुनियादी ढांचे का सृजन तथा श्रेणी-घ: ग्रामीण बुनियादी ढांचे का सृजन। आगे, अपूर्ण कार्यों की बड़ी संख्या के मामले को दूर करने के लिए योजना के दिशा-निर्देश में प्रावधान किया गया था कि उन कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा नए कार्य आरंभ करने हेतु स्वीकृति नहीं दी जाएगी जिन्होंने एक वित्तीय वर्ष से अधिक की अवधि में कार्यों को पूर्ण नहीं किया है।

2014-19 की अवधि में, राज्य द्वारा 42.87 लाख कार्यों को लिया गया था और इन कार्यों के निष्पादन पर मार्च 2020 तक कुल ₹10,370.13 करोड़ का व्यय किया गया था जिसे नीचे दर्शाया गया है:

तालिका सं.-2.2.5

2014-19 की अवधि में लिए गए कार्यों की स्थिति (राज्य स्तर)

कार्यों की व्यापक श्रेणियाँ	कुल लिये गये कार्यों की सं. (3+4+5)	चल रहे कार्यों की सं.	पूर्ण कार्यों की सं.	प्रारंभ नहीं किए गए कार्यों की सं.	पूर्ण और चल रहे कार्यों पर व्यय (₹करोड़ में)	श्रेणी वार कार्य की प्रतिशतता	श्रेणी वार व्यय की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
क	8,12,917	4,69,385	2,10,345	1,33,187	4,162.89	18.97	40.14
ख	25,42,889	20,92,942	1,41,807	3,08,140	869.49	59.32	8.39
ग	2,552	899	281	1,372	3.19	0.06	0.03
घ	9,28,182	4,86,651	2,45,437	1,96,094	5,334.56	21.65	51.44
कुल	42,86,540	30,49,877	5,97,870	6,38,793	10,370.13		

(स्रोत: मनरेगा वेबसाइट; दिनांक 17 मार्च 2020)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2014-19 के दौरान लिए गए 42.87 लाख कार्यों में से केवल 5.98 लाख (14 प्रतिशत) कार्यों को ही मार्च 2020 तक पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी 38 जिलों में लिये गये कार्यों की तुलना में, छ: जिलों⁵⁷ ने 20 से 29 प्रतिशत कार्य पूर्ण किए थे तथा सात जिलों⁵⁸ ने छ: से 10 प्रतिशत कार्य पूर्ण किए थे जबकि शेष जिलों द्वारा 10 से 18 प्रतिशत कार्य पूर्ण किए गए थे।

⁵⁶ वनरोपण, भूमि विकास, सड़क संपर्कता, ग्रामीण स्वच्छता, जल संरक्षण, घरों का निर्माण, भूमि उत्पादकता में वृद्धि इत्यादि।

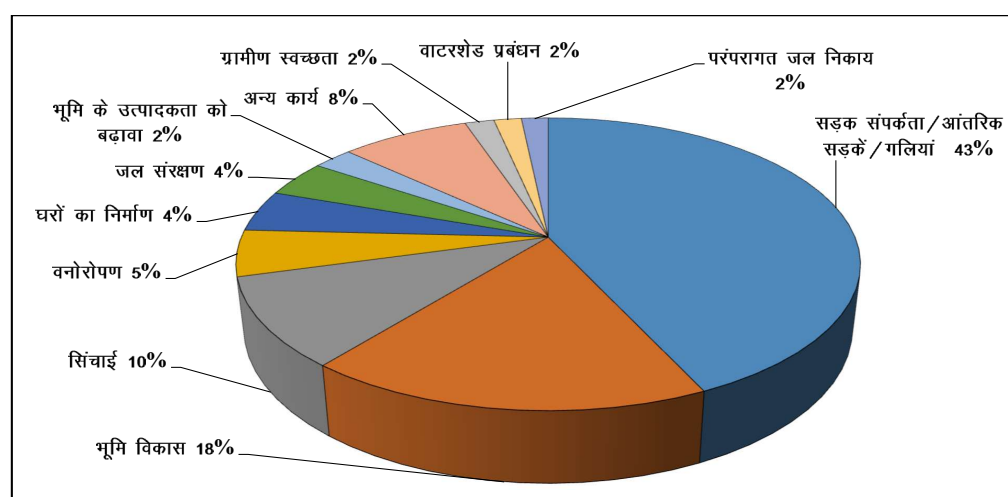
⁵⁷ बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, किशनगंज, नवादा और शेखपुरा।

⁵⁸ बाँका, दरभंगा, खगड़िया, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पटना, और सहरसा

व्यय के आधार पर ग्रामीण बुनियादी ढांचे के सृजन (श्रेणी घ) के कार्यों को उच्च प्राथमिकता दी गयी थी जबकि श्रेणी ग⁵⁹ के कार्यों पर एक प्रतिशत से कम व्यय किया गया था। अधिनियम में अनुमेय कार्यों की सूची में ग्रामीण संपर्कता को निम्न प्राथमिकता दी गयी थी। हालाँकि, समस्त कार्यों पर किए गए व्यय के 43 प्रतिशत राशि का व्यय कर इन कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी।

लेखापरीक्षा में आगे यह भी ज्ञात हुआ कि राज्य के 38 जिलों में से सात जिलों को सिंचाई वंचित श्रेणी के अंतर्गत चिन्हित किया गया था लेकिन इन जिलों में भी सड़क संपर्कता से संबंधित कार्य को 27 से 78 प्रतिशत की व्यय के साथ उच्च प्राथमिकता दी गयी थी। कार्य के पूर्णता का दर भी कम था तथा यह 32 प्रतिशत (2014–15) एवं दो प्रतिशत (2018–19) के बीच था और 2014–19 के दौरान पाँच वर्षों की अवधि में से तीन वर्षों में यह पाँच प्रतिशत से कम था। विभिन्न उप-श्रेणी के कार्यों पर किए गए व्यय की प्रतिशतता को नीचे चार्ट-2.2.2 में दर्शाया गया है:

चार्ट-2.2.2
2014–19 की अवधि में उप-श्रेणी वार कार्यों पर किए गए व्यय



ग्रामीण गरीबों के आजीविका आधार को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम के अनुसूची-I के कंडिका 5 में जोड़े गये लाभुकों⁶⁰ के लिए विशेष रूप से व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों⁶¹ (श्रेणी ख के कार्य) के सृजन पर पर्याप्त जोर दिया जाना वांछित था। हालाँकि, इस श्रेणी के लाभार्थियों के व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों के सृजन पर कुल व्यय का मात्र आठ प्रतिशत ही व्यय किया गया था।

वर्ष 2014–19 के दौरान, राज्य में 61,090 से 4,02,944 नये कार्य लिए गए थे जिसमें से मार्च 2019 तक 45,540 से 3,25,520 कार्य एक से अधिक वित्तीय वर्षों से अपूर्ण पड़े हुए थे। लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि इसका कारण स्थलों पर भूमि विवाद और सामग्रियों के लिए निधियों की कमी थी।

⁵⁹ जैव-उर्वरक की आवश्यकता, कृषि उपज के भंडारण की सुविधा इत्यादि के लिए टिकाऊ बुनियादी ढाँचा के सृजन से कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्य

⁶⁰ अ.जा., अ.ज.जा., घुमंतू/अधिसूचित नहीं किए गए जनजाति, बी.पी.एल. परिवार और अन्य संवेदनशील समूह परिवार।

⁶¹ सिंचाई द्वारा भूमि उत्पादकता में वृद्धि, वृक्षारोपण, रेशम उत्पादन, परती भूमि के विकास, पशुधन के लिए बुनियादी ढाँचा के निर्माण इत्यादि के द्वारा आजीविका में सुधार।

नमूना-जाँचित ग्रा.पं. में 2014-19 की अवधि में कुल 17,404 कार्य लिये गये थे, जिसमें से 11,310 कार्य (65 प्रतिशत) एक से पाँच वर्षों से अपूर्ण पड़े हुए थे जिसमें 6,869 (61 प्रतिशत) प्रारंभ नहीं किए गए कार्य शामिल थे जिसे नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-2.2.6

नमूना-जाँचित ग्रा.पं. में कार्यों के निष्पादन की स्थिति

वर्ष	लिए गए कार्यों की सं.	पूर्ण कार्यों की सं.	पूर्ण कार्यों पर व्यय (₹लाख में)	अपूर्ण कार्य
2014-15	1,379	336	420.82	1,043
2015-16	4,729	2,128	2,380.72	2,601
2016-17	2,197	904	1,714.46	1,293
2017-18	3,745	1,223	1,371.86	2,522
2018-19	5,354	1,503	1,104.41	3,851
कुल	17,404	6,094	6,992.27	11,310

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट)

आगे, 2014-19 के दौरान 167 ग्राम सभा बैठकों⁶² में 33,137 कार्यों को अनुमोदित किया गया था, जिसमें से केवल 2,499 कार्यों (आठ प्रतिशत) को ही निष्पादन के लिए लिया गया था (**परिशिष्ट-2.2.12**)। सामग्रियों के लागत के भुगतान में विलंब, कार्यान्वयन स्तरों पर कर्मियों की कमी एवं कार्य की कम मांग कार्यों के कम लिए जाने के कुछ कारण थे।

आगे, विभाग के निर्देश (मार्च 2018) के अनुसार, वर्ष 2018-19 में नमूना-जाँचित 18 पंचायत समितियों में से सात पंचायत समितियों⁶³ द्वारा भी कार्य कराए गए थे। पंचायत समितियों द्वारा कुल 353 कार्यों को निष्पादन के लिए लिया गया था और उसमें से 31 कार्यों (नौ प्रतिशत) को पूर्ण किया गया था जबकि 322 कार्य अपूर्ण पड़े हुए थे (91 कार्यों में कोई व्यय नहीं किया गया था) (**परिशिष्ट-2.2.13**)।

इस प्रकार, बड़ी संख्या में कार्यों के अपूर्ण रहने, पूर्व वर्षों के कार्यों के अपूर्ण रहने के बावजूद नये कार्यों को लिए जाने, गरीबों की आजीविका के लिए कम कार्य लिए जाने, कार्यों की पूर्णता दर कम रहने इत्यादि के कारण इस योजना के परिसंपत्तियों के सृजन और आजीविका का स्रोत उपलब्ध कराने के वांछित उद्देश्य को अंशतः ही प्राप्त किया गया था।

विभाग द्वारा जवाब दिया गया (जुलाई 2020) कि पी.एम.ए.वाई.-जी. के अंतर्गत कार्यों की पूर्णता लाभार्थियों द्वारा कार्यों के कार्यान्वयन के स्तर की प्रक्रिया पर निर्भर था। वृक्षारोपण कार्य छः वर्ष की अवधि में पूर्ण किए गए थे। आगे, सामग्री मद में निधि की कमी ने आंगनवाड़ी केन्द्र, ग्रामीण संपर्कता, सोख्ता गड्ढा, वर्मी कंपोस्ट, मवेशी आश्रय इत्यादि से संबंधित कार्यों को प्रभावित किया। विभाग का जवाब अंशतः ही सही था क्योंकि कार्यान्वयन एजेंसियों की समस्याओं यथा: सामग्री लागत के भुगतान में विलंब, भूमि विवाद, ग्रा.पं. स्तर पर अवसंरचना सुविधा में कमी, रिक्त पदों के कारण पी.आर. एस. पर कार्य के दबाव इत्यादि को दूर नहीं किया जा सका था। वास्तव में वृक्षारोपण एवं पी.एम.ए.वाई.-जी. के अलावा 4,20,263 कार्यों में से 3,13,516 कार्य (75 प्रतिशत) अपूर्ण थे।

⁶² ग्रा.प. हफनिया (पूर्णिया जिला) ने अनुमोदित कार्यों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया

⁶³ पूर्वी चंपारण (कल्याणपुर-62 कार्य), पूर्णिया (अमौर-53 कार्य), सहरसा (सिमरी बख्तियारपुर-9 कार्य), समस्तीपुर (दलसिंहसराय-4 कार्य और कल्याणपुर-124 कार्य) और सारण (लहलादपुर-10 कार्य और मढ़ौरा-92 कार्य)

2.2.8.2 कार्यों के लक्ष्यों की उपलब्धि में कमी

• कृषि एवं इससे संबंधित कार्यों का कम आच्छादन

डी.पी.सी. को यह सुनिश्चित करना था कि जिले में लागत के संदर्भ में कम से कम 60 प्रतिशत ऐसे उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन हेतु कार्यों को लिया जाए जो कि भूमि, जल एवं वृक्षों के विकास के माध्यम से सीधे कृषि एवं इससे सम्बद्ध क्रियाकलापों⁶⁴ से जुड़े हों। लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि 2014–19 के दौरान, राज्य और नमूना-जाँचित जिलों में कृषि एवं इससे संबंधित कार्यों पर कुल व्यय का क्रमशः 38 से 54 प्रतिशत तथा छः से 59 प्रतिशत राशि व्यय की गयी थी (**परिशिष्ट-2.2.14**)। इस प्रकार, इन मामलों में कृषि परिसंपत्तियों के सृजन में व्यय के सांविधिक सीमा को सुनिश्चित नहीं किया गया और छोटे/सीमांत किसानों के आय में वृद्धि के उद्देश्य के अलावा खेती भूमि के कृषि उत्पादकता को अंशतः ही प्राप्त किया गया था।

विभाग द्वारा जवाब दिया गया (जुलाई 2020) कि इस योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में घरों के निर्माण की योजनाएं (पी.एम.ए.वाई.-जी.) लिए जाने और 30–40 प्रतिशत व्यय पी.एम.ए.वाई.-जी. पर किए जाने के कारण, कृषि एवं इससे संबंधित कार्यों पर व्यय कम हुआ। इस योजना के अंतर्गत व्यय की कोई सीमा निर्धारित नहीं थी, अतः विभाग इस कमी को दूर कर सकता था तथा श्रम बजट में संशोधन का प्रस्ताव ग्रा.वि.मं. के पास वर्ष के दौरान किसी भी समय रखा जा सकता था।

• विशेष ध्यान दिए जाने वाले कार्यों के लक्ष्यों को कम प्राप्त किया जाना

ग्रामीण गरीबों की आजीविका स्रोत के आधार के सुदृढीकरण हेतु ग्रा.वि.मं. ने निर्देश (अप्रैल 2016) दिया था कि व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के सृजन यथा: खेत पोखरी का निर्माण, वर्मी/एन.ए.डी.ई.पी. कंपोस्टिंग गड्ढा, ऑगनवाड़ी केन्द्र, आई.एच.एच.एल. और सड़क किनारे वृक्षारोपण पर पर्याप्त जोर दिया जाए जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी। वर्ष 2016–18 के दौरान राज्य स्तर पर लक्ष्य एवं उपलब्धि की स्थिति नीचे दी गयी है:

तालिका-2.2.7

राज्य में वर्ष 2016–18 की अवधि में विशेष क्षेत्र कार्यों की स्थिति

विशेष क्षेत्र के कार्य	2016–17			2017–18		
	लक्ष्य (सं.)	उपलब्धि		लक्ष्य* (सं.)	उपलब्धि	
		(सं.)	(प्रतिशत)		(सं.)	(प्रतिशत)
खेत पोखरी	15,000	2,137	14.24	14,764	3,325	22.52
वर्मी/एन.ए.डी.ई.पी. कंपोस्टिंग	40,000	49	0.12	33,959	2,966	8.73
ऑगनवाड़ी केन्द्र	1,000	0	0	1,971	34	1.72
सड़क किनारे वृक्षारोपण (इकाई में)	20,000	अनु [#]	—	4,500	अनु [#]	—
पी.एम.ए.वाई.-जी. लाभार्थियों के लिए आई.एच.एच.एल.	2,31,000	9,623	4.17	12,13,886	9,201	0.76

(स्रोत: ग्रा.वि.वि., बि.स. का बजट अभिलेख)

अनु = अनुपलब्ध

नोट: वर्ष 2018–19 में राज्य द्वारा लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

* 2016–17 में ले जाये गये कार्य सहित

[#] सड़क किनारे वृक्षारोपण की बजाय विभाग द्वारा कुल वृक्षारोपण के आँकड़े उपलब्ध कराए गए थे।

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 2016–18 की अवधि में राज्य में विशेष क्षेत्र के कार्यों के लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धि बहुत कम थी और यह एक प्रतिशत से कम एवं 23

⁶⁴ व्यक्तिगत/सामुदायिक भूमि का विकास, वृक्षारोपण, सामाजिक वानिकी, कम्पोस्ट गड्ढा, समुदाय के लिए नहर का निर्माण, वर्मी-कम्पोस्ट के लिए ढोंचा इत्यादि।

प्रतिशत की सीमा में थी। नमूना-जाँचित जिलों में उपरोक्त चार क्षेत्रों⁶⁵ में 5,29,714 कार्यों के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 10,082 कार्यों (दो प्रतिशत) को ही पूर्ण किया गया था। पंचायत स्तर पर संधारित प्रतिवेदनों, योजना अभिलेखों की संवीक्षा और चयनित मामलों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में भी यह देखा गया कि 2016-18 के लिए सड़क किनारे वृक्षारोपण के 34,64,000 लक्ष्य के विरुद्ध फरवरी 2020 तक मात्र 1,99,415 वृक्षों (छः प्रतिशत) को ही लगाया गया था (परिशिष्ट-2.2.15)। इस प्रकार, इन कार्यों की कम पूर्णता के कारण ग्रामीण गरीबों को आजीविका सुरक्षा उपलब्ध कराने के वांछित उद्देश्य को पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं किया जा सका।

विभाग द्वारा जवाब दिया गया (जुलाई 2020) कि विशेष क्षेत्रों से संबंधित कार्य अत्यधिक सामग्री के उपयोग वाले थे और खेत पोखरी के मामले में परिवारों के पास कम भूमि होने के कारण लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग द्वारा ग्रा.पं. और लाइन विभागों द्वारा सामग्री पर होने वाले व्यय को पूरा करने वाले कार्यों को अभिसरण के तहत नहीं लिया गया था और ऐसे कार्य जिनमें छोटे भूखण्डों की आवश्यकता हो, के लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं किया गया था।

● असफल वृक्षारोपण कार्य पर निष्फल व्यय

ग्रा.वि.वि., बि.स. ने प्रत्येक ग्रा.पं. में सामुदायिक/व्यक्तिगत भूमि पर, विद्यालयों, नदी किनारे, सड़क किनारे उपलब्ध भूमि पर अधिक मानवदिवस के सृजन हेतु विशेषकर खाली समय में कार्य की उपलब्धता के लिए 20,000 पौधों (100 इकाई) को लगाने का लक्ष्य निर्धारित (फरवरी 2015) किया था। इस लक्ष्य को सितंबर 2015 तक प्राप्त कर लिया जाना था।

नमूना-जाँचित प्रखंडों जिसमें 267 ग्रा.पं. थे में से 205 ग्रा.पं. द्वारा स्वीकृत किए गए 3,516 वृक्षारोपण के कार्यों में से 144 ग्रा.पं. द्वारा केवल 2,521 कार्यों को ही प्रारंभ किया गया था। आगे, प्रारंभ किए गए 2,521 कार्यों (72 प्रतिशत) में से, 595 कार्यों (24 प्रतिशत) को ₹ 1.71 करोड़ व्यय के उपरांत बीच में ही बंद कर दिया गया था (परिशिष्ट-2.2.16)।

		
स्थल पर कोई पौधा नहीं पाया गया। (प्राक्कलित राशि ₹ 6.35 लाख) (व्यय ₹ 2.29 लाख) कार्य का कोड: 20221530 (16-17) ग्राम चौसंडी में सड़क किनारे वृक्षारोपण (ग्रा.पं. बथानी) (पं.स.-बथानी, जिला-गया) संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि: 22 जनवरी 2020	स्थल पर कोई पौधा नहीं पाया गया। (प्राक्कलित राशि ₹ 2.17 लाख) (व्यय ₹ 0.02 लाख) कार्य का कोड:- 20283584 निजी भूमि में वृक्षारोपण। ग्रा.पं. दिघौरा (पं.स.-टिकारी, जिला-गया) संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि: 17 जनवरी 2020	एक चलित चापाकल के अलावा स्थल पर कोई पौधा नहीं पाया गया। (प्राक्कलित राशि ₹ 8.56 लाख) (व्यय ₹ 0.21 लाख) कार्य का कोड:- 89007 सड़क किनारे वृक्षारोपण कार्य। ग्रा.पं. अंबा (पं.स.-शाहकुंड, जिला-भागलपुर) संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि: 27 फरवरी 2020

फोटोग्राफ: संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाए गए पौधों की स्थिति

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में यह भी ज्ञात हुआ कि नमूना-जाँचित 54 ग्रा.पं. में से 31 में वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया था जबकि शेष 23 ग्रा.पं. में 22 प्रतिशत कार्य

⁶⁵ सड़क किनारे वृक्षारोपण के अतिरिक्त

मानसून ऋतु के पहले (अप्रैल से जून) किए गए थे, 44 प्रतिशत कार्य मानसून के बाद की अवधि में किए गए थे और 34 प्रतिशत वृक्षारोपण कार्य मानसून ऋतु में किए गए थे।

इस प्रकार, अधिक मानव दिवस सृजन करने, वर्ष के खाली समय (वर्षा ऋतु) में रोजगार उपलब्ध कराने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सरकार के पहल के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

नमूना-जाँचित प्रखंडों के कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा जवाब दिया गया कि वनपोषक (पौधों के अभिरक्षक) की उपेक्षा, सड़कों के चौड़ीकरण, जलस्तर में गिरावट, निजी भूमि में पौधारोपण के मामले में लाभार्थियों की उपेक्षा, बाढ़ इत्यादि के कारण पौधे नष्ट हो गए थे तथा इसलिए कार्यों को बीच में ही बंद कर दिया गया था। जवाब यह इंगित करता है कि पौधारोपण कार्य में इस योजना के कर्मियों के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में कमी थी और पौधारोपण कार्य की कमियों को दूर करने के लिए कदम नहीं उठाए गए थे। लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि वनपोषकों को एक महीने में आठ दिन के लिए ही काम पर रखा गया था तथा उनकी मजदूरी का भुगतान भी ससमय नहीं किया गया था इसलिए उन्होंने पौधों की सुरक्षा में रुचि नहीं ली।

• एन.आर.एम. से संबंधित कार्यों पर कम व्यय

अधिनियम के अनुसार, जल संरक्षण से संबंधित कार्यों को अनुमान्य कार्यों की सूची में उच्च प्राथमिकता दी गई थी। ग्रा.वि.मं. ने दिशा-निर्देश निर्गत किया था (सितंबर 2016) कि जल संरक्षण से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी जाए जिससे अतिरिक्त सिंचाई क्षमता बढ़ाई जा सके तथा जल संरक्षण मिशन (एम.डब्लू.सी.) वाले प्रखंडों में यह अनिवार्य कर दिया था कि कुल व्यय का कम-से-कम 65 प्रतिशत एन.आर.एम. के कार्यों पर व्यय किया जाए।

राज्य में, सात जिलों के 100 प्रखंडों को ग्रा.वि.मं. द्वारा सिंचाई वंचित श्रेणी के रूप में चिन्हित किया गया था और इन्हें एम.डब्लू.सी. प्रखंड घोषित किया गया था। एन.आर.एम. कार्यों पर व्यय के प्रतिशत की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका-2.2.8

एन.आर.एम. कार्यों पर व्यय

वर्ष	कुल कार्यों पर व्यय (₹ लाख में)	कुल एन.आर.एम. कार्य	एन.आर.एम. कार्यों पर कुल व्यय (₹ लाख में)	एन.आर.एम. कार्यों पर प्रतिशत व्यय	एन.आर.एम. कार्यों पर व्यय करने वाले प्रखंडों की सं०		
					65 प्रतिशत से अधिक	50-65 प्रतिशत के बीच	50 प्रतिशत से कम
2017-18	56,580.95	36,595	29,548.18	52	23	24	53
2018-19	86,284.85	53,263	42,160.55	49	18	17	65

(स्रोत: मनरेगा वेबसाइट)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि एम.डब्लू.सी. प्रखंडों के द्वारा एन.आर.एम. कार्यों पर 65 प्रतिशत की अनिवार्य सीमा से कम व्यय किया गया था। इस प्रकार, एम.डब्लू.सी. प्रखंडों में सिंचाई सुविधा के अतिरिक्त स्रोतों के सृजन के उद्देश्य को आंशिक रूप से ही पूरा किया जा सका था। विभाग द्वारा जवाब दिया गया कि एन.आर.एम. से संबंधित कार्य यथा: वृक्षारोपण, चेक-डैम निर्माण इत्यादि अत्यधिक सामग्री उपयोग वाले कार्य थे और सामग्री की देयता लंबित रहने के कारण विक्रेता उधार देने के लिए इच्छुक नहीं थे। जवाब पूर्ण रूप से स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग ने एन.आर.एम. कार्यों को कृषि/सिंचाई विभाग (समेकित जलसंभरण प्रबंधन कार्यक्रम) के कार्यों के साथ अभिसरण के लिए कदम नहीं उठाया था और न ही प्रखंडों की अन्य योजनाओं के सामग्री व्यय को पूरा करने के लिए कोई समेकित योजना बनायी थी।

● **गैर-टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन/अमान्य कार्यों का कार्यान्वयन**

योजना दिशा-निर्देश में अच्छे गुणात्मक परिसंपत्तियों के सृजन और ग्रामीण गरीबों के आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए इसके टिकाऊपन को सुनिश्चित करने तथा मजबूत ग्रामीण बुनियादी संरचनाओं को सृजित करने के लिए प्रावधान किया गया था। लेखापरीक्षा में निम्न विसंगतियाँ पायी गई:

- नमूना-जाँचित 11 ग्रा.पं. में, वर्ष 2017-19 की अवधि में व्यक्तिगत परिवारों के घरों में मिट्टी भराई के 267 कार्यों के कार्यान्वयन पर ₹ 14.51 करोड़ का व्यय किया गया था। इन कार्यों से न तो भूमि की उत्पादकता बढ़ी एवं न ही गरीबों के आजीविका स्रोत में वृद्धि हुई।
- नमूना-जाँचित 35 ग्रा.पं./पं.स. में, वर्ष 2014-19 की अवधि में मिट्टी की सड़कों से संबंधित 228 कार्यों को ₹ 5.47 करोड़ का व्यय कर कार्यान्वित कराया गया था (**परिशिष्ट-2.2.17**) जिसने इस योजना के अंतर्गत टिकाऊ परिसंपत्तियों के सृजन के उद्देश्य को विफल किया क्योंकि इस योजना में केवल मिट्टी की सड़कों का निर्माण मान्य नहीं था।
- नमूना-जाँचित चार ग्रा.पं. में, 2014-19 की अवधि में स्नान-घाट के निर्माण और निजी भूमि में तालाब की पुनर्खुदाई के कार्य पर ₹81.85 लाख का व्यय किया गया था जो इस योजना के अंतर्गत अनुमेय नहीं था।

		
आवास में मिट्टी भराई। (नितिश नगर वार्ड सं.-03 महादलित टोला घर में मिट्टी भराई।) 0523012001/एलडी/20249884 (प्राक्कलित राशि ₹ 3.10 लाख, व्यय- ₹ 3.05 लाख) (ग्रा.पं.-अकम्बा, पं.स.-जलालगढ़, जिला-पूर्णियाँ) संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि: 20 फरवरी 2020	पुराने तालाब के जीर्णोद्धार (उड़ाही) की योजना, 2017-18। निजी भूमि में तालाब निर्माण (मनौव्वर आलम) (प्राक्कलित राशि ₹ 1.09 लाख, व्यय- ₹ 0.74 लाख) ग्र.पं.-सौथा (पं.स.-जलालगढ़, जिला-पूर्णियाँ) संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि: 19 फरवरी 2020	पुराने तालाब के जीर्णोद्धार (उड़ाही) की योजना, 2017-18। निजी भूमि में तालाब निर्माण (मो. नैयर आलम) (प्राक्कलित राशि ₹ 0.85 लाख, व्यय- ₹ 0.75 लाख) (ग्रा.पं.-सौथा, पं.स.-जलालगढ़, जिला-पूर्णियाँ) संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि: 19 फरवरी 2020

फोटोग्राफ: संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाये गये पौधों की स्थिति

इन अमान्य कार्यों पर व्यय की गयी राशि लाभार्थियों और इन कार्यों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार कर्मियों से वसूलनीय है।

नमूना-जाँचित इकाईयों द्वारा जवाब दिया गया कि कार्यान्वित कराए गए कार्य ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित थे। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कार्यक्रम पदाधिकारी और डी.पी.सी. को यह सुनिश्चित करना था कि केवल अनुमेय कार्यों को ही ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना में शामिल किया जाना था।

● **योजना के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों का जियो-टैगिंग**

ग्रा.वि.मं. ने योजना की पारदर्शिता, जवाबदेही एवं दृश्यता को बढ़ाने के उद्देश्य से भौगोलिक सूचना तंत्र (जी.आई.एस.) आधारित जियो-मनरेगा को संस्थागत बनाया था (मार्च 2017) तथा योजना के अंतर्गत परिसंपत्तियों के व्यवस्थित डाटाबेस तैयार करने हेतु

तकनीकी सहयोग जैसे मोबाईल आधारित जियो-टैगिंग का उपयोग कर जी.आई.एस. को लागू करना प्रारंभ किया था। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र के भुवन जियो पोर्टल को अनुकूलित किया गया था जिसमें सृजित किए गए प्रत्येक परिसंपत्ति को दो फोटोग्राफ के साथ जियो-टैग किया जाना था।

ग्रा.वि.मं. के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अप्रैल 2017 से सभी पूर्ण परिसंपत्तियों को उनके पूर्ण होने के 30 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से चरणबद्ध तरीके से जियो-टैग किया जाना था। आगे, इस योजना के प्रारंभ से (2006-07 से) पूर्ण हो चुके कार्यों को भी जियो-टैग करना था (फेज-I)। विभाग ने वर्ष 2018-19 तक पूर्ण हो चुके शत प्रतिशत कार्यों को 15 जून 2019 तक जियो टैगिंग कर लिए जाने का निर्देश (अप्रैल 2019) दिया था।

ग्रा.पं. स्तर पर पी.आर.एस., मनरेगा स्थानिक प्रगणक (एम.एस.ई.) था जिसे स्थल का जियो-टैग करना था और परिसंपत्तियों के कार्यस्थल का फोटोग्राफ लेना था। एम.एस. ई. द्वारा साझा किए गए आँकड़ों को प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा 48 घंटे के अंदर प्रमाणित और मॉडरेट करना था तथा मॉडरेट किए गए आँकड़ों को भुवन वेब जी.आई.एस. पर आगे बढ़ाना था जहाँ यह भुवन एप पर दर्शाया गया था। फेज-II के अंतर्गत (नवंबर 2017 से), जियो-टैगिंग का कार्य तीन स्तरों पर किया जाना था अर्थात् कार्य प्रारंभ होने से पहले, कार्य के दौरान (कार्य की प्राक्कलित राशि के 30 से 60 प्रतिशत व्यय के उपरांत) और कार्य पूर्ण होने के बाद।

भुवन एप पर प्रदर्शित आँकड़ों के अनुसार, राज्य में मई 2020 तक इस योजना के अंतर्गत फेज-I में 8,83,165 सृजित परिसंपत्तियों में से 8,21,721 परिसंपत्तियों (93 प्रतिशत) और फेज-II में कुल 5,57,505 कार्यों में से 4,51,998 कार्यों (81 प्रतिशत) का जियो-टैग किया गया था। आगे, भुवन एप एवं नरेगासॉफ्ट के आँकड़ों में अंतर था जिसका विवरण नीचे तालिका-2.2.9 एवं 2.2.10 में दिया गया है:

तालिका सं.-2.2.9

फेज-I के जियो टैगिंग की स्थिति (योजना के प्रारंभ से)

भुवन एप		नरेगासॉफ्ट	
सृजित परिसंपत्तियाँ	8,83,165	सृजित परिसंपत्तियाँ	8,80,095
जियो-टैग किए गए	8,21,721	जियो-टैग किए गए	8,04,341
जियो-टैग किए जाने वाले	58,359	जियो-टैग के लिए लंबित	75,754
मॉडरेट किये जाने वाले	1,004		
जियो-टैग नहीं किए गए	1,524		
अस्वीकृत	557		

(स्रोत: मनरेगा वेबसाइट)

तालिका सं.-2.2.10

फेज-II के जियो टैगिंग की स्थिति

भुवन एप				नरेगासॉफ्ट			
विवरण	पहले	दौरान	बाद में	विवरण	स्टेज-I	स्टेज-II	स्टेज-III
कुल कार्य	5,57,505	2,66,871	43,537	कुल कार्य	1,93,523	1,90,599	24,136
जियो-टैग किए जाने वाले	97,662	88,183	15,616	साझा किए गए लेकिन जियो-टैग नहीं किए गए	1,03,759	82,303	0
स्वीकृत किए गये जियो-टैग	4,51,998	1,76,595	26,984	जियो-टैग किये गये	89,738	1,08,296	24,136
अस्वीकृत	3,423	849	60	साझा करने के लिए लंबित	26	0	0
सुधार किए जाने वाले	4,422	1,244	319				
जियो-टैग नहीं होने वाले			558				

(स्रोत: मनरेगा वेबसाइट)

इस प्रकार, जैसा कि उपर्युक्त तालिका-2.2.10 में इंगित किया गया है, 1,03,785 कार्यों⁶⁶ को साझा किया गया था लेकिन जियो-टैग नहीं किया गया था तथा इसलिए इन कार्यों (फ़ेज- II) का कार्यान्वयन प्रारंभ नहीं किया जा सका था क्योंकि कार्य के जियो-टैगिंग के बिना कोई व्यय संभव नहीं था। यह भी पाया गया कि नमूना-जाँचित 18 प्रखंडों में 1,507 कार्यों को भौतिक रूप से पूर्ण दर्शाया गया था परंतु इन कार्यों में सामग्री भुगतान का दायित्व रहने के कारण जियो-टैग नहीं किया गया था। आगे, पी.आर.एस. को जियो-टैगिंग के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ जैसे इंटरनेट सुविधा के साथ मोबाइल प्रणाली उपलब्ध नहीं कराया गया था तथा कार्यक्रम पदाधिकारी स्तर पर मॉडरेशन किया जाना लंबित था।

विभाग द्वारा जवाब दिया गया (जुलाई 2020) कि भुवन एप और नरेगासॉफ्ट के ऑकड़ों में अंतर का कारण इनके बीच सॉफ्टवेयर और तादात्म्य का मामला था। आगे, विभाग द्वारा कार्यक्रम पदाधिकारी स्तर पर पी.आर.एस. द्वारा साझा किए गए जियो-टैग परिसंपत्तियों के मॉडरेशन के लंबित रहने को स्वीकार किया गया और बताया गया कि कमियों को दूर करने के लिए निर्देश निर्गत किए गए थे एवं पी.आर.एस. को जियो-टैगिंग करने के लिए कम्प्यूटर टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा।

2.2.8.3 कार्यों के कार्यान्वयन में अनियमितताएँ

योजना अभिलेखों, वार्षिक योजना और मनरेगा वेबसाइट पर उपलब्ध ऑकड़ों की संवीक्षा में योजना के कार्यान्वयन में निम्न कमियाँ ज्ञात हुईं:

- **ग्राम सभा की अनुशंसा के बिना कार्यों का कार्यान्वयन**

इस योजना के दिशा-निर्देशों में प्रावधान था कि ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किए गए कार्यों को वार्षिक योजना में शामिल किया जाना था। हालाँकि लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि नमूना-जाँचित 12 ग्रा.पं. में, ₹ 1.49 करोड़ वाले 111 कार्यों को अनुमोदित वार्षिक योजना में शामिल किए बिना ही क्रियान्वित किए गए थे (**परिशिष्ट-2.2.18**)। नमूना-जाँचित ग्रा.पं. के पी.आर.एस. द्वारा जवाब दिया गया कि विभाग एवं जिला स्तरीय प्राधिकारियों के निर्देश के आलोक में कुछ नये प्रकार के कार्यों को लिया गया था। यह पूरी तरह से अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन था क्योंकि इसने भागीदारीपूर्ण योजना के सिद्धांत का उल्लंघन किया था।

- **कार्यों का कार्यान्वयन नहीं**

अधिनियम में प्रावधान था कि कार्यों की पर्याप्त सूची को अनुमोदित किया जाएगा और प्रत्येक ग्रा.पं. में हर समय उपलब्ध कराया जाएगा ताकि कार्य मांगने वालों की मांग को पूरा किया जा सके तथा कार्य निरंतर उपलब्ध रहे। हालाँकि, राज्य स्तर पर पाया गया कि 2014-18 की अवधि में चार ग्रा.पं. (2017-18) से 1,030 ग्रा.पं. (2015-16) में कार्यों का निष्पादन नहीं कराया गया था।

नमूना-जाँचित 12 ग्रा.पं.⁶⁷ में लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014-19 की अवधि में ग्राम सभा द्वारा 22 से 636 कार्यों के अनुमोदन के बावजूद भी एक से चार वर्षों में किसी भी कार्य का कार्यान्वयन नहीं कराया गया था। आगे, 21 नमूना-जाँचित ग्रा.पं. में 2014-19 के दौरान एक से दो वर्षों में कोई मानव दिवस सृजित नहीं किया गया था (**परिशिष्ट-2.2.19**)। ग्रा. पं. में कार्यों का कार्यान्वयन नहीं कराए जाने के कारण योजना के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध

⁶⁶ नरेगासॉफ्ट के अनुसार 1,03,785 (1,03,759+26) कार्यों को स्टेज-I में जियो-टैग नहीं किया जा सका था

⁶⁷ अकबरपुर बरारी-593, बम्बईया हरलाल-115, गोरई-798, हरनथ-409, इस्माईलपुर वेस्ट भिट्ठा-78, जमाल नगर-109, खारसंड वेस्ट-580, कोरारी-468, पपरौर-89, पुनपुन-118, सरडीहा-651, सरौजा-374 (कुल 4,382 कार्य)।

कराने का प्राथमिक उद्देश्य विफल रहा। विभाग द्वारा जवाब दिया गया (जुलाई 2020) कि वर्ष 2014-16 की अवधि निधि संवितरण के मामले में संक्रमण काल था क्योंकि राज्य में ई-एफ.एम.एस./पी.एफ.एम.एस. फरवरी-मार्च 2015 में लागू हुआ था और इसके पूर्व निधि का प्रवाह बहुत सुचारु नहीं था तथा बकाया की बड़ी राशि लंबित थी और यह शून्य व्यय होने का कारण था। विभाग का जवाब केवल आंशिक स्वीकार्य था क्योंकि 12 ग्रा.पं. में से आठ ग्रा.पं. में 2017-19 की अवधि में 2,994 कार्यों के अनुमोदन के बावजूद कोई कार्य कार्यान्वित नहीं कराया गया था। आगे, विभाग को योजना के क्रियान्वयन के लिए निधि की उपलब्धता एवं रोजगार के अवसर के सृजन को सुनिश्चित करना चाहिए था।

● **मनरेगा श्रमिकों के लिए कार्य स्थल पर पर्याप्त सुविधाओं का प्रावधान नहीं**

अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि मनरेगा कामगार कार्य स्थल पर साफ पेयजल, क्रैच, शेड और प्राथमिक उपचार बॉक्स जैसी सुविधाएं पाने के हकदार थे। लेकिन नमूना-जाँचित 54 ग्रा.पं. में से 40 में कार्य स्थल पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराए गए थे जबकि 14 ग्रा.पं. में क्रैच, शेड, प्राथमिक उपचार बाक्स जैसी सुविधाएं आंशिक रूप से उपलब्ध कराए गए थे। नमूना-जाँचित ग्रा.पं. द्वारा कार्यस्थल पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराये जाने या आंशिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर कोई उत्तर नहीं दिया गया।

● **मनरेगा कामगारों के लिए दरों की अनुसूची (एस.ओ.आर.) तैयार नहीं किया जाना**

दिशा-निर्देश में प्रावधान किया गया था कि इस योजना के अंतर्गत कार्यों के लिए एक अलग एस.ओ.आर. तैयार किया जाना चाहिए क्योंकि ठेकेदारी और मशीन आधारित एस.ओ.आर. शारीरिक रूप से किये जाने वाले कार्यों के लिए उचित नहीं है। मनरेगा कार्यों के लिए एस.ओ.आर., एक विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा कार्य, समय एवं गति अध्ययन पर आधारित होनी चाहिए थी। बि.स. द्वारा ग्रा.वि.मं. को सूचित किया गया था कि मार्च 2018 तक यह अध्ययन पूर्ण कर लिया जाएगा परंतु, अध्ययन पूर्ण नहीं किया जा सका और जुलाई 2020 तक मनरेगा के अंतर्गत कार्यों के लिए एक अलग से एस.ओ.आर. तैयार नहीं किया जा सका था तथा अब तक राज्य के भवन प्रमंडल विभाग के एस.ओ.आर. को ही अपनाया जा रहा था।

विभाग द्वारा जवाब दिया गया (जून 2020) कि बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान (बी.आई.टी.), पटना द्वारा किए गए कार्य, समय एवं गति अध्ययन के आधार पर मनरेगा के अंतर्गत कार्यों के लिए एस.ओ.आर. को संशोधित किया जाएगा, अध्ययन को पूर्ण कर लिया गया है और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत इसे लागू किया जाएगा। बी.आई.टी., पटना द्वारा मनरेगा श्रमिकों हेतु पुरुष और महिला के लिए वर्तमान 80 घनफुट और 68 घनफुट के बदले क्रमशः 65 घनफुट और 57 घनफुट कार्य किए जाने की अनुशंसा की गयी थी जो यह इंगित करता है कि मनरेगा कामगारों द्वारा अधिक मात्रा में काम किया जा रहा था और इसके परिणामस्वरूप भी राज्य में कम मानव दिवस का सृजन हुआ।

● **मजदूरी एवं सामग्री अनुपात कायम नहीं रखा जाना**

योजना के दिशा-निर्देश में प्रावधान था कि मजदूरी लागत एवं सामग्री लागत के अनुपात का न्यूनतम मानदण्ड 60:40 से कम नहीं होना चाहिए। मजदूरी लागत एवं सामग्री लागत में 60:40 के अनुपात को जिला स्तर पर कायम रखा जाना चाहिए था। लेकिन, 2014-19 की अवधि में नमूना-जाँचित पाँच जिलों⁶⁸ में एक से तीन वर्षों के लिए मजदूरी एवं सामग्री के अनिवार्य अनुपात को कायम नहीं रखा गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक (ए.डी.पी.सी.) बेगूसराय ने जवाब दिया कि बेगूसराय के एक औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ कच्चे कार्य की अधिक संभावना

⁶⁸ बेगूसराय (2016-17, 2017-18, 2018-19), भागलपुर (2014-15, 2017-18, 2018-19), पूर्णियाँ (2014-15, 2018-19), सारण (2014-15, 2016-17, 2017-18), और समस्तीपुर (2014-15)

नहीं थी जबकि ए.डी.पी.सी. समस्तीपुर ने जवाब दिया कि वर्ष 2015-16 से इस अनुपात को कायम रखा गया था। ए.डी.पी.सी. बेगूसराय द्वारा दिया गया जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित और वार्षिक योजना में प्रदर्शित कार्यों के केवल आठ प्रतिशत कार्यों का ही कार्यान्वयन किया गया था तथा डी.पी.सी. द्वारा इस योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों में जिला स्तर पर मजदूरी लागत एवं सामग्री लागत में 60:40 के अनुपात को सुनिश्चित नहीं किया गया था। जबकि भागलपुर, पूर्णियाँ और सारण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

• कार्यों में ट्रैक्टर का उपयोग

विभाग द्वारा निर्गत निर्देश (जून 2010) के अनुसार, संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी को इस प्रमाणपत्र के साथ ट्रैक्टर के उपयोग के लिए तिथि युक्त आदेश निर्गत करना था कि ट्रैक्टर के उपयोग से मजदूरी विस्थापन को बढ़ावा नहीं मिले। लेकिन नमूना-जाँचित 14 ग्रा.पं.⁶⁹ में सड़कों और घरों में मिट्टी भराई के 84 कार्यों में ट्रैक्टर के उपयोग पर ₹ 1.04 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था जिसमें कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा ट्रैक्टर के उपयोग की आवश्यकता का प्रमाणपत्र नहीं दिया गया था। नमूना-जाँचित इकाईयों द्वारा जवाब दिया गया कि कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी थी, अतः मनरेगा कार्य में ट्रैक्टर के उपयोग हेतु अलग से प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कार्यक्रम पदाधिकारी को स्थल की आवश्यकता का आकलन करने के पश्चात ट्रैक्टर के उपयोग के लिए विशिष्ट आदेश निर्गत किए जाने की आवश्यकता थी।

• परित्यक्त कार्यों पर निष्फल व्यय

नमूना-जाँचित 13 ग्रा.पं.⁷⁰ में, ग्राम सभा द्वारा सड़कों में सोलिंग के साथ मिट्टी भराई और पी. सी.सी. सड़क निर्माण से संबंधित 62 कार्यों को अनुमोदित किया गया था (2014-19)। लेकिन कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा ₹ 1.43 करोड़ का व्यय कर सिर्फ मिट्टी भराई का कार्य किया गया था। कार्यों के शेष भाग को मई 2015 से फरवरी 2019 से अपूर्ण और परित्यक्त छोड़ दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप इन कार्यों पर ₹ 1.43 करोड़ का व्यय निष्फल हुआ क्योंकि इन कार्यों के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका सं.-2.2.11

परित्यक्त कार्यों पर निष्फल व्यय

वर्ष	कार्यों की सं.	प्राक्कलित मूल्य (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में)	परित्यक्तता की अवधि
2014-15	7	40.83	13.29	मई से दिसंबर 2015
2015-16	19	11.31	63.02	जनवरी 2016 से फरवरी 2019
2016-17	13	80.38	24.98	दिसंबर 2016 से फरवरी 2019
2017-18	19	106.45	35.37	मई 2017 से अगस्त 2019
2018-19	4	21.38	6.35	मई 2018
कुल	62	260.35	143.01	

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट)

नमूना-जाँचित ग्रा.पं. के पी.आर.एस. द्वारा जवाब दिया गया कि बाढ़⁷¹, सामग्री का भुगतान नहीं होने इत्यादि के कारण कार्यों को पूर्ण नहीं किया जा सका था। ग्रा.पं. का जवाब कि कार्यों को बाढ़ के कारण छोड़ दिया गया था वैध नहीं था क्योंकि कार्यों को मानसून प्रारंभ होने से पूर्व (मई-जून 2018) ही बीच में बंद कर दिया गया था। आगे, विभाग भी सामग्री की लागत के ससमय भुगतान को सुनिश्चित करने में विफल रहा।

⁶⁹ एकम्बा-1, बेकेनिया-1, बनपुरा-2, बेलछी-2, भवानीपुर-1, भुआलपुर-6, हफनियां-1, महारस-5, महखड़-1, निज गेहूयां-1, ओल्हानपुर-1, रसलपुर-25, सरडीहा-13, सरोजा-24 (कुल 84 कार्य)

⁷⁰ एकौना-4, अंबा-16, भवानीपुर-2, दिघौरा-3, जमालनगर-2, कमलाकुंड-2, महारस-1, महखर-3, नारायणपुर लक्ष्मीपुर-2, ओल्हानपुर-9, पुनपुन-7, रसलपुर-6, सरडीहा-5

⁷¹ ग्रा.पं. नारायणपुर लक्ष्मीपुर और कमलाकुंड

● सिर्फ सामग्री पर/बिना विपत्रों के भुगतान

पाँच नमूना-जाँचित जिलों के 65 प्रखंडों में सामग्रियों की आपूर्ति पर ₹ 5.57 करोड़ (1,004 कार्यों⁷² में) का व्यय किया गया था परंतु मजदूरी के भुगतान/मानव दिवस के सृजन पर कोई व्यय नहीं किया गया था। एम.आई.एस. पर 31 प्रखण्डों के 89 कार्यों के विवरणों के लेखापरीक्षा समीक्षा में उदघाटित हुआ कि 55 कार्यों में एम.आर. निर्गत नहीं किया गया था, पाँच कार्यों में एम.आर. निर्गत किया गया था परंतु बाद में इन्हें निरस्त कर दिया गया था जबकि 29 कार्यों में एम.आर. को शून्य उपस्थिति के साथ दर्शाया गया था लेकिन, इन कार्यों के कार्यान्वयन के लिए सामग्रियों⁷³ की आपूर्ति पर कुल ₹ 1.51 करोड़ राशि का व्यय दर्शाया गया था। इस प्रकार, 84 कार्यों⁷⁴ में, ₹ 1.44 करोड़ मूल्य के सामग्रियों की आपूर्ति की गई थी परंतु कोई श्रमिक नहीं लगाया गया था जबकि पाँच कार्यों में, संबंधित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था।

नमूना-जाँचित शाहकुंड प्रखंड ने उत्तर दिया कि आठ कार्यों में, एम.आर. निर्गत किया गया था लेकिन श्रमिकों को उनके बैंक खातों की गैर-उपलब्धता के कारण भुगतान नहीं किया जा सका था, हालाँकि, एम.आई.एस. पर दर्शाए गए पौधे की लागत का भुगतान विक्रेता को किया गया था। यह भी बताया गया कि आपूर्ति किए गए पौधे उनको सुरक्षा प्रदान करने वाले गैबियन की गैर-आपूर्ति के कारण नष्ट हो गए थे। डी.आर.डी.ए., भागलपुर द्वारा जवाब दिया गया कि मजदूरी भुगतान से संबंधित एफ.टी.ओ. के निरस्त होने एवं व्यय की प्रविष्टि के नहीं रहने के कारण मजदूरी भुगतान एम.आई.एस. पर नहीं दर्शाया गया था। डी.आर.डी.ए. का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एम.आई.एस. के ऑकड़ों से उदघाटित हुआ कि नमूना-जाँचित 12 कार्यों में मस्टर रॉल निर्गत नहीं किया गया था जबकि कार्यक्रम पदाधिकारी, शाहकुंड के उत्तर ने स्वयं बताया कि कार्य के कार्यान्वयन का समुचित अनुश्रवण नहीं किया गया था। विभाग और चार नमूना-जाँचित जिलों का जवाब अप्राप्त था।

ग्रा.पं., गोरार्ई में पौधारोपण कार्य के 12 इकाईयों में, ₹10.74 लाख की सामग्री के लिए भुगतान विक्रेता से विपत्र प्राप्त किए बिना किया गया। योजना संचिकाओं की संवीक्षा और भौतिक सत्यापन में यह ज्ञात हुआ कि कार्य स्थल पर 50 प्रतिशत पौधे उपलब्ध नहीं थे और इसलिए वनपोषक को भुगतान पिछले 10 महीने से बंद कर दिया गया था तथा मापी पुस्त (एम.बी.) के अनुसार कार्य की मापी से ₹ 3.21 लाख अधिक भुगतान भी किया गया था। आगे, पी.आर.एस. एवं मुखिया द्वारा बिना सत्यापन के भुगतान किया गया और प्रखण्ड स्तर पर, विपत्रों की फर्जी विवरणियों को नरेगासॉफ्ट में दर्ज किया गया। पी.आर.एस. गोरार्ई ने जवाब दिया (दिसंबर 2019) कि आपूर्तिकर्ता को भुगतान प्रखंड द्वारा किया गया था और उसे किए गए भुगतान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी तथा संबंधित प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारी ने भी पी.आर.एस. के जवाब को स्वीकार किया था।

इस प्रकार, विक्रेता को न सिर्फ ₹ 10.74 लाख का अनियमित भुगतान किया गया था बल्कि बिना विपत्रों के भुगतान और 50 प्रतिशत पौधों की गैर-उपलब्धता के कारण संदेहास्पद धोखाधड़ी के जोखिम से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

2.2.8.4 मस्टर रॉल में अनियमितताएँ

योजना के दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि विहित मस्टर रोल में पी.आर.एस. या सहायक द्वारा प्रतिदिन कार्य में संलग्न श्रमिकों के उपस्थिति को अंकित करना अनिवार्य

⁷² भागलपुर-97 कार्य (₹ 0.63 करोड़), गया- 154 कार्य (₹ 1.42 करोड़), समस्तीपुर- 83 कार्य (₹ 0.21 करोड़), पूर्णियाँ- 528 कार्य (₹1.58 करोड़) और सारण-142 कार्य (₹ 1.73 करोड़)

⁷³ ईंट, सीमेंट, छड़, स्टोन चिप्स, बालू, पौधे, सूचना पट्ट इत्यादि।

⁷⁴ 55 कार्य (₹ 95.81 लाख) + 29 कार्य (₹ 48.42 लाख)

है। मस्टर रॉल, कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा निर्गत और प्राधिकृत किया जाना था एवं एम.आर. का एक अभिलेख पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित किया जाना था। नमूना-जाँचित इकाईयों के लेखापरीक्षा में, निर्गत एम.आर. को कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत नहीं किए जाने (₹ 24.47 लाख), कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा भरे हुए एम.आर. को अस्वीकृत किए जाने (₹ 0.70 लाख), खाली एम.आर. पर भुगतान (₹ 4.54 लाख) और एम.आर. में काट-छांट एवं अधिलेखन (₹ 0.85 लाख), 296 श्रमिकों को 3,501 दिनों के लिए बिना हस्ताक्षर/अंगुठे के निशान के ₹ 6.19 लाख का भुगतान इत्यादि के मामले पाये गये (परिशिष्ट-2.2.20)। आगे, नमूना-जाँचित इकाईयों में प्रखंड स्तर पर एम.आर. निर्गत पंजी और ग्रा.पं. स्तर पर एम.आर. प्राप्ति पंजी का संधारण नहीं किया गया था। इस प्रकार, इन मामलों में कार्य स्थल पर एम.आर. संधारित नहीं किए गए थे तथा इससे निधियों के दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

2.2.9 उद्देश्य-3: क्या योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त क्षमता निर्माण के उपाय किये गये थे।

अधिनियम के अनुसार, बि.स. को योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए डी.पी.सी. और कार्यक्रम पदाधिकारी को आवश्यक कर्मी और तकनीकी सहायता को उपलब्ध कराना अनिवार्य था। योजना के क्रियान्वयन इकाईयों के स्तर पर क्षमतावर्द्धन और आधारभूत सुविधाओं की स्थिति की चर्चा नीचे की गयी है:

2.2.9.1 मानवबल की कमी

राज्य एवं नमूना-जाँचित जिलों में विभिन्न संवर्गों में योजना के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण पदों में स्वीकृत पदों, कार्यरत बल और रिक्त पदों का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका सं.-2.2.12

स्वीकृत पद और कार्यरत बल (जुलाई 2020)

पदों का प्रकार	राज्य स्तर				नमूना जाँच किये गये जिला स्तर			
	स्वीकृत पद	कार्यरत बल	रिक्त पद	रिक्तता (प्रतिशत)	स्वीकृत पद	कार्यरत बल	रिक्त पद	रिक्तता (प्रतिशत)
कार्यक्रम पदाधिकारी	640	464	176	28	193	137	56	29
लेखापाल	534	299	235	44	172	98	74	43
कम्प्यूटर ऑपरेटर/ कार्यकारी सहायक	534	113	421 [#]	79	175	114	61	35
पंचायत रोजगार सेवक	8,886	5,642	3,244	37	2,752	1,821	931	34
कार्यपालक अभियंता	38	23	15	39	9	7	2	22
सहायक अभियंता	64	36	28	44	17	8	9	53
कनीय अभियंता (जे.ई.)	846	606	240	28	259	184	75	29
पंचायत तकनीकी सहायक	2,218	814	1,404	63	661	303	358	54
योग	13,760	7,997	5,763	42	4,238	2,672	1,566	37

(स्रोत: विभाग और चयनित जिलों द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचना)

[#]आउटसोर्स कर्मचारी (परिशिष्ट-2.2.21)

नमूना-जाँचित जिलों और राज्य स्तर पर विभिन्न संवर्गों में कुल क्रमशः 37 प्रतिशत और 42 प्रतिशत कर्मियों की कमी थी। योजना के कार्यान्वयन के लिए ग्रा.पं. में पंचायत रोजगार सेवक एकमात्र सरकारी कर्मी था जबकि प्रखण्ड स्तर पर कार्यक्रम पदाधिकारी योजना के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी था। लेकिन राज्य स्तर एवं नमूना-जाँचित जिलों में पंचायत रोजगार सेवक के क्रमशः कुल 37 प्रतिशत और 34 प्रतिशत

पद तथा कार्यक्रम पदाधिकारी के क्रमशः कुल 28 प्रतिशत और 29 प्रतिशत पद रिक्त थे। ग्राम पंचायत स्तर पर मापी दर्ज⁷⁵ करने के लिए पंचायत तकनीकी सहायक और कनीय अभियंता तकनीकी कर्मी थे लेकिन राज्य में पंचायत तकनीकी सहायक के कुल 63 प्रतिशत पद और कनीय अभियंता के कुल 28 पद रिक्त थे। लेखापरीक्षा में यह भी प्रकट हुआ कि लंबे समय से रिक्तियों विद्यमान थीं और 2014-19 की अवधि में 38 से 41 प्रतिशत पद रिक्त थे। परिणामस्वरूप, इस योजना के कर्मियों को ग्राम पंचायतों और प्रखण्डों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था जिससे योजना के कार्यान्वयन की प्रगति में बाधा पहुँच रही थी।

ग्रा.वि.मं. ने कार्य के लिए प्राक्कलन तैयार करने, कार्य निष्पादन की निगरानी करने, अभिलेख, मापी, तकनीकी सर्वेक्षण को संचालित करने इत्यादि के लिए मनरेगा कर्मचारियों के परिवारों के संबंधियों, अपने सिविल कार्यों में प्रशिक्षण देने के बाद बेयरफुट तकनीशियनों (बी.एफ.टी.) की नियुक्ति के लिए निर्देश जारी (जनवरी 2016) किए। यद्यपि, राज्य में 1,081 बी.एफ.टी. की आवश्यकता के विरुद्ध 841 बी.एफ.टी. को ही प्रखण्डों में तैनात (जून 2017 से फरवरी 2019 की अवधि में) किया गया था।

योजना के दिशा-निर्देश में प्रावधान किया गया था कि विशिष्ट कार्यों⁷⁶ के लिए प्रत्येक कार्य-स्थल पर मेट को रखा जाना था और उसका चयन ग्राम सभा के अनुमोदन से करना था। यद्यपि, 37 ग्राम पंचायतों में से मात्र 12⁷⁷ में मेट की नियुक्ति मुखिया के कार्यस्थल के नजदीकी निवासियों द्वारा किया गया न कि ग्राम सभा के द्वारा।

इस प्रकार, बि.स. द्वारा सभी स्तरों पर पर्याप्त मानवबल, योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पूर्वापेक्षित की नियुक्ति नहीं की गयी थी। विभाग द्वारा जवाब दिया गया कि (जुलाई 2020) रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है और 2020-21 में नियुक्ति पूर्ण कर ली जाएगी। विभाग का जवाब संतोषप्रद नहीं था क्योंकि ये पद लंबे समय से रिक्त थे और इन रिक्तियों को भरने के लिए 2014-19 की अवधि में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया था।

2.2.9.2 ग्रा.पं. स्तर पर आधारभूत संरचना का अभाव

योजना के नियोजन और कार्यान्वयन के लिए ग्रा.पं. केन्द्रीय निकाय था। ग्रा.पं. के महत्वपूर्ण कार्य थे (i) परिवारों को पंजीकृत करना (ii) जॉब कार्ड जारी करना (iii) कार्य के लिए आवेदन प्राप्त करना और कार्यों को आवंटित करना (iv) कार्य के लिए मांग का आकलन करना (v) लेखाओं और अभिलेखों को संधारित करना इत्यादि। पंचायत रोजगार सेवकों को इन सभी कार्यों को करने के लिए ग्रा.पं. को सहायता करने का दायित्व सौंपा गया था और उन्हें नरेगासॉफ्ट के प्रयोग द्वारा ग्रा.पं. डाटा प्रविष्टि पृष्ठ पर उन कार्यों का निष्पादन करना था।

लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि नमूना-जाँचित ग्रा.पं. में आवश्यक आधारभूत संरचना अर्थात् कार्यालय भवन, कम्प्यूटर, इंटरनेट संबद्धता इत्यादि की कमी थी।

⁷⁵ एक पी.टी.ए. पाँच ग्रा.पं. के लिए जबकि एक से दो जे.ई. प्रत्येक प्रखण्ड के लिए

⁷⁶ प्रारंभिक मापी, कार्यस्थल की सुविधाओं को उपलब्ध करवाने, मजदूरों को उनके अधिकारों एवं मनरेगा के अन्तर्गत उनके दावों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने इत्यादि।

⁷⁷ बेलथु, हरनथ, ईस्माइलपुर वेस्ट भिटठा, कमलाकुण्ड, नरायणपुर लक्ष्मीपुर (भागलपुर); बकैनिया, भवानीपुर (पूर्णिया); महारस, महखड़, रसलपुर, सरौजा, सरडीहा (सहरसा);

	
पं.स. बेलछी (पटना) के अंतर्गत ग्रा.पं. कोरासी-मनरेगा भवन के निर्माण पर नवंबर 2019 तक ₹ 6.58 लाख का व्यय किया गया था। भवन पूर्ण पाया गया लेकिन पेंटिंग का कार्य नहीं किया गया था। वर्तमान में ग्रा.पं. द्वारा भवन को कार्यालय के रूप में उपयोग नहीं किया जा रहा था।	पं.स. मढौरा (सारण) के अंतर्गत ग्रा.पं. ओल्हानपुर- वर्तमान में इस भवन का व्यवसायिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है। मनरेगा कार्यालय इस भवन में नहीं चल रहा है। प्राक्कलित राशि- ₹10 लाख, व्यय- ₹7.867 लाख

फोटोग्राफ: योजना निधि से निर्मित कुछ भवनों के कार्यपद्धति की अवस्था जैसा कि संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान देखा गया।

परिणामस्वरूप, पी.आर.एस. को भरे हुए एम.आर. के प्रस्तुतीकरण और डाटा प्रविष्टि के लिए कार्य की मापी सहित कार्यों⁷⁸ के लिए बार-बार प्रखण्ड कार्यालय जाना पड़ता था जो कि समय व्यर्थ करने वाला था और मजदूरी सूची के सृजन में विलंब एफ.टी.ओ. के सृजन में विलंब का कारण बना और कार्य की पूर्णता को भी प्रभावित किया। विभाग द्वारा उत्तर दिया गया (जुलाई 2020) कि हाल ही में मोबाईल अनुश्रवण पद्धति प्रारंभ की गयी है और यह योजना बनायी गयी है कि पी.आर.एस. को कामगारों के उपस्थिति को एम.आर. में भरने, परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग करने और अन्य सौंपे गये कार्यों को करने के लिए कम्प्यूटर टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा।

● मनरेगा भवनों के निर्माण के लिए लक्ष्य की कम उपलब्धि

इस योजना के दिशा-निर्देशों में निवासियों के साथ अधिक से अधिक पारदर्शी वार्ता के लिए स्थान प्रदान करने के लिए प्रखण्ड एवं ग्रा.पं. स्तर पर संकुल संसाधन केन्द्र के रूप में भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र के निर्माण का प्रावधान था। विभाग ने प्रत्येक ग्रा.पं. और प्रखण्ड में मनरेगा भवन के निर्माण और उन्हें अप्रैल-मई 2016 से क्रियाशील बनाने का निर्णय लिया (अक्टूबर 2010)। प्रावधान किया गया था कि प्रखण्ड और ग्रा.पं. स्तर पर लोगों को बड़ा और अधिक पारदर्शी पारस्परिक व्यवहार के लिए ज्ञान संसाधन केन्द्र के रूप में भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र (मनरेगा भवन) के निर्माण के लिए जगह उपलब्ध कराया जाएगा। विभाग ने निर्णय लिया था (अक्टूबर 2010) कि प्रत्येक ग्रा.पं. और प्रखण्ड में मनरेगा भवन का निर्माण किया जाएगा और उसे अप्रैल-मई 2016 तक क्रियाशील बनाया जाएगा।

नौ नमूना-जाँचित जिलों में ग्रा.पं. और प्रखण्ड स्तर⁷⁹ पर 2859 मनरेगा भवनों के निर्माण के लक्ष्य⁸⁰ के विरुद्ध 1977 मनरेगा भवनों (69 प्रतिशत) के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी लेकिन मात्र 240 भवन (12 प्रतिशत) ही पूर्ण हुए थे (परिशिष्ट-2.2.22)।

⁷⁸ कार्य की मॉग सूचित करना, ई-मस्टर रोल प्राप्त करना, मजदूरी सूची का सृजन, एफ.टी.ओ. का सृजन।

⁷⁹ ग्रा.पं.-2,687 और प्रखण्ड-172

⁸⁰ नमूना-जाँचित जिलों के कुल ग्रा.पं. और प्रखण्ड



पं.स. पुनपुन (पटना)— प्राक्कलित राशि ₹31.23 लाख के विरुद्ध मनरेगा भवन के निर्माण पर अक्टूबर 2014 तक ₹9.15 लाख का व्यय किया गया था, लेकिन केवल प्लिंथ का काम किया गया और कार्य को छोड़ दिया गया था (सितम्बर 2019)।

पं.स. बेलछी (पटना)— प्राक्कलित राशि ₹31.23 लाख के विरुद्ध मनरेगा भवन के निर्माण पर ₹10 लाख का व्यय किया गया था, लेकिन कार्य को छोड़ दिया गया था (नवंबर 2019)।

फोटोग्राफ: संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान दृष्टिगत हुए कुछ मनरेगा भवन के कार्यशीलता की स्थिति जो योजना निधि से बनाये गये थे

निर्माण का कार्य 2014–18 की अवधि में प्रारंभ किया गया था और इसे चार से छः माह में पूर्ण करना था लेकिन विभाग द्वारा प्राक्कलन पुनरीक्षण (मई 2018) के बावजूद फरवरी 2020 तक 88 प्रतिशत कार्य अपूर्ण था। इस प्रकार, प्रखण्ड और ग्रा.पं. स्तर पर लोगों के पारस्परिक व्यवहार के लिए बनाये जाने वाले ज्ञान संसाधन केन्द्र के उद्देश्य को आंशिक रूप से ही प्राप्त किया जा सका। विभाग द्वारा जवाब दिया गया (जुलाई 2020) कि उचित भूमि की अनुपलब्धता, भूमि विवाद, सामग्री के मूल्य के भुगतान में विलंब इत्यादि मनरेगा भवनों के निर्माण नहीं होने के कारण थे। विभाग का जवाब स्वीकार करने योग्य नहीं था क्योंकि विभाग कार्यों के प्रगति का अनुश्रवण करने में विफल था और कार्य के कार्यान्वयन की कमियों को दूर करने के लिए अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण कर सामग्री के मूल्य को उससे पूरा नहीं किया गया था।

2.2.10 उद्देश्य-4: क्या योजना के प्रावधानों के अनुपालन में निधियों की विमुक्ति, लेखाकरण और उपयोग किया गया था।

2.2.10.1 वार्षिक योजना एवं श्रम बजट की तैयारी

श्रम बजट की तैयारी एक अनिवार्य वार्षिक कार्य योजना अभिलेख थी जिसमें योजना, अनुमोदन, वित्त-पोषण और परियोजना निष्पादन की कार्य-विधि सम्मिलित थी। कार्य की मांग और पूर्ति के बीच सही सामंजस्य योजना की प्रक्रिया थी तथा इसे श्रम बजट तैयार कर प्राप्त किया जाना था। डी.पी.सी. को जिला में अकुशल शारीरिक कार्य के लिए पूर्वानुमानित मांग के विवरणों को शामिल करते हुए तैयार करना था। इसे यह शामिल करते हुए तैयार करना था (i) कार्य की मांग के लिए अनुमानित मात्रा तथा समय (ii) कार्य की मांग की पूर्ति हेतु परियोजनाओं की सूची⁸¹।

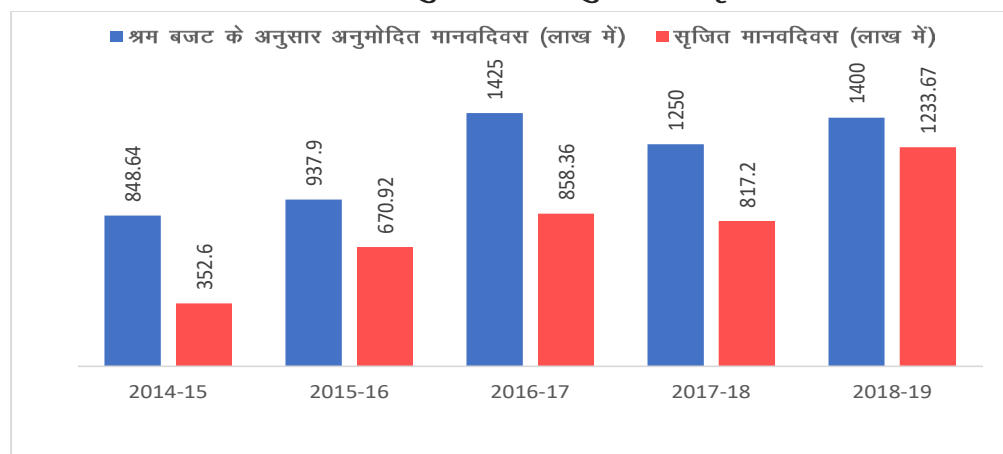
रोजगार की मांग की मात्रा और समय के आकलन के लिए प्रत्येक परिवारों का एक बेसलाईन सर्वेक्षण परिप्रेक्ष्य कार्य योजना एवं श्रम बजट के सूत्रीकरण के लिए कमजोर परिवारों पर विशेष ध्यान के साथ प्रत्येक ग्रा.पं. में प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा एक पंचवर्षीय

⁸¹ परियोजना का अर्थ है इस योजना के अंतर्गत आवेदकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गए कार्य।

अवधि के लिए संचालित किया जाना था। इसके अतिरिक्त, पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर एक व्यवस्थित भागीदारी योजनाभ्यास समयबद्ध⁸² तरीके से प्रति वर्ष शुरू करना था और ग्रा.पं. द्वारा निष्पादित सभी कार्यों को प्राथमिकता और अनुमोदन के लिए ग्राम सभा में चिन्हित करना एवं चर्चा किया जाना था। ग्रा.पं. को कार्यक्रम पदाधिकारी को स्वीकृत वार्षिक योजना के साथ श्रम बजट प्रस्तुत करना था और समीक्षा के बाद, कार्यक्रम पदाधिकारी को अनुमोदन के लिए पंचायत समिति के समक्ष ग्रा.पं. की समेकित योजना प्रस्तुत की जानी थी और इसके बाद जिला पंचायत को प्रखण्ड विकास योजना प्रस्तुत करना था। डी.पी.सी. को प्रखण्ड योजनाओं का समेकन और इसे अनुमोदन के लिए जिला पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करना था। अनुमोदनोपरांत, श्रम बजट को एम.आई.एस. प्रविष्टि के लिए ग्राम पंचायतों को भेजा जाना था और भा.स. को प्रस्तुत करने के लिए जिला स्तरों पर जमा किया जाना था।

श्रम बजट, एम.आई.एस. आँकड़ों और ग्रा.वि.मं. स्तर के अधिकार सशक्त समिति के बैठकों के कार्यवृत्त के संवीक्षा में ज्ञात हुआ कि 2014-19 की अवधि के लिए अनुमोदित 5,861.54 लाख मानवदिवसों (राज्य द्वारा सहमत श्रम बजट के अनुसार) के विरुद्ध मात्र 3,932.75 लाख मानवदिवसों का सृजन किया गया था जिसका विवरण नीचे चार्ट-2.2.3 में दिया गया है:

चार्ट-2.2.3
2014-19 की अवधि में अनुमोदित की तुलना में सृजित मानवदिवस



(स्रोत: श्रम बजट, 28 जनवरी 2020 के एम.आई.एस. आँकड़े, सशक्त समिति के बैठक का कार्यवृत्त)
श्रम बजट को पुनरीक्षित कर 2017-18 में 1,400 लाख से 1,250 लाख एवं 2018-19 में 900 लाख से 1,400 लाख किया गया था।

जैसा कि उपर्युक्त चार्ट-2.2.3 से स्पष्ट है कि श्रम बजट के अनुसार अनुमोदित मानव दिवसों एवं वास्तविक उत्पन्न मानव दिवसों के बीच बड़ा अंतर था जो 2014-19 के दौरान 58 प्रतिशत (2014-15) और 12 प्रतिशत (2018-19) के बीच था।

विभाग द्वारा उत्तर दिया गया (जुलाई 2020) कि मानव दिवसों के कम सृजन के कारणों में मुख्यतः कृषि श्रमिक के लिए श्रम विभाग के दरों की तुलना में योजना के तहत कम

⁸² ग्रा.पं. के वार्षिक योजना का अनुमोदन-15 अगस्त (2014-15 से 2015-16), 9 से 11 फरवरी (2016-17), 2 अक्टूबर से 30 नवंबर (2017-18 से 2018-19); प्रखण्ड के वार्षिक योजना का अनुमोदन- 2 अक्टूबर (2014-15 से 2015-16), 16 फरवरी (2016-17), 20 दिसंबर (2017-18 से 2018-19); जिला के वार्षिक योजना का अनुमोदन- 1 दिसंबर (2014-15 से 2015-16), 29 फरवरी (2016-17), 31 जनवरी (2017-18 से 2018-19); भा.स. को श्रम बजट प्रस्तुत किया जाना- 31 जनवरी (2014-15 से 2015-16), 10 मार्च (2016-17), 15 फरवरी (2017-18 से 2018-19)।

मजदूरी दर, मनरेगा कार्य के लिए अनुसूचित दर का गैर-पुनरीक्षण, केन्द्र सरकार से पर्याप्त एवं ससमय निधियों की गैर-प्राप्ति, मातृ संस्वीकृति की समाप्ति (2-3 महीने की बढ़ी अवधि जब मजदूरी भुगतान मातृ संस्वीकृति की बढ़ी अवधि तक रुकी हुई थी) राज्य में तीन चुनाव, बाढ़ इत्यादि थे। तथापि, लेखापरीक्षा ने योजना के आयोजन में निम्नलिखित विसंगतियों को अवलोकित किया जिससे अनुमोदित मानव दिवसों और वास्तविक उत्पन्न मानव दिवसों के बीच बड़ा अन्तर पैदा किया।

- **कार्य की मात्रा और मांग के समय का आकलन नहीं**

काम के लिए मांग की मात्रा और समय का आकलन करने के लिए गृहस्वामियों के द्वार से द्वार तक सर्वेक्षण 2015-16 और 2017-19 में किसी नमूना-जाँचित ग्रा.पं. में नहीं किया गया था। यद्यपि गृहस्वामियों का सर्वेक्षण क्रमशः समेकित भागीदारी योजना अभ्यास (स. भा.यो.अ.)-I और II के तहत हमारा गांव हमारी योजना⁸³ के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 और 2016-17 में संचालित किया गया था लेकिन सर्वेक्षण डाटा को उचित रूप से संकलित नहीं किया गया तथा वार्षिक योजना की तैयारी के लिए प्रयोग नहीं किया गया।

नमूना जाँचित ग्रा.पं. ने मात्र अगले वित्तीय वर्ष के लिए कार्यों की सूची बनायी थी और योजना के दिशा-निर्देशों में नियत किये गये कार्यों के अपेक्षित परिणाम के साथ श्रम बजट के लिए कार्य के मांग की मात्रा और समय का आकलन नहीं किया गया था। विभाग ने उत्तर दिया कि ग्रा.पं. स्तर पर कार्य की मात्रा और माँग के समय का आकलन करने के लिए परिवारों के घर-घर सर्वेक्षण के सुदृढीकरण के लिए कदम उठाए जाएंगे, जबकि, वर्ष 2019-20 से मिशन अंत्योदय के अंतर्गत संग्रहित किये गये आँकड़ों का मनरेगा में उपयोग किया जा रहा था।

- **ग्राम सभा बैठक के लिए गणपूर्ति पूरा नहीं किया जाना**

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में प्रावधान है कि ग्राम सभा के बैठक की कार्यसाधक संख्या ग्राम सभा के कुल सदस्यों के बीसवें भाग (पाँच प्रतिशत) से पूरी की जानी थी। बिहार ग्राम सभा नियमावली और विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों (दिसंबर 2015) में प्रावधान था कि पंचायत के उच्चतर स्तरों के लोक प्रतिनिधि, प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर सरकार के कर्मियों इत्यादि को ग्राम सभा बैठक में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाना था।

यह देखा गया कि अवधि 2014-19 के लिए नमूना-जाँचित ग्रा.पं. में वार्षिक योजना के अनुमोदन के लिए आयोजित की जाने वाली कुल 270⁸⁴ ग्राम सभा बैठकों में से, मात्र 168 ग्राम सभा बैठकों की कार्यवाही पंजियों को लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया गया तथा बैठक के उस कार्यसाधक संख्या में से 140 बैठकों (83 प्रतिशत) (परिशिष्ट-2.2.23) में पूरा नहीं किया गया। नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतों में, न तो प्रखण्डों और जिला स्तरों पर सरकारी कार्यकर्ताओं न ही पंचायतों के उच्चतर स्तरों के लोक प्रतिनिधियों (न ही उनके प्रतिनिधियों) ने 2014-19 के दौरान ग्राम सभा बैठकों में भाग लिया। इसलिए, योजना को अंतिम रूप देने में ग्राम सभा के सदस्यों की भागीदारी, जैसा पं.रा.सं.अ. तथा अधिनियम में उद्धृत और पंचायतों के विकास में विभिन्न हितधारकों के सहभागी भूमिका को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

नमूना-जाँचित ग्रा.पं. के पं.रो.से. द्वारा जवाब दिया गया कि ग्रामीणों को ग्राम सभा बैठक में शामिल होने के लिए सूचना दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा भाग नहीं लिया गया।

⁸³ निर्णय लेने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने और ग्राम सभा में विकास कार्यों का अनुमोदन के उद्देश्य से बॉटम-अप एप्रोच का निर्माण करना।

⁸⁴ 270 बैठकें = 54 ग्रा.पं. X 5 वर्षों (2014-15 से 2018-19)

ग्राम सभा सदस्यों को दी गई सूचनाएं लेखापरीक्षा में सत्यापनीय नहीं थी और योजना में किए गए प्रावधान से कामगारों को जागरूक करने के लिए आई.ई.सी. क्रियाकलापों⁸⁵ को भी नमूना-जाँचित ग्रा.पं. में संचालित नहीं किया गया था।

2.2.10.2 अभिसरण योजना के कार्यान्वयन का अभाव

योजना के दिशा-निर्देशों में प्रावधान था कि योजना के अन्तर्गत स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन और ग्रामीण गृहस्वामियों की आजीविका की सुरक्षा को पंचायतों और क्रम विभागों की अन्य योजनाओं के मनरेगा के अभिसरण द्वारा प्राप्त किया जाना था। दोनों अंतर विभागीय एवं विभागों के बीच के स्तर पर अभिसरण के उद्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना था।

बि.स. ने वर्ष 2014-15 में अभिसरण के लिए दिशा-निर्देश तैयार किया जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि कार्यो यथा आँगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण (ए.डब्लू.सी.), आई.ए.वाई./पी.एम.ए.वाई.-जी लाभार्थियों के लिए व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय (आई.एच.एच.एल.), सिंचाई सुविधा, वृक्षारोपण, तालाबों का निर्माण इत्यादि संबंधित क्रम विभागों के साथ अभिसरण कर किया जाना था। इसके अतिरिक्त, ग्रा.वि.मं. के निर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत सड़कों के निर्माण, पी.एम.ए.वाई.-जी. के अंतर्गत घरों के निर्माण को भी एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के साथ अभिसरण कर कार्यान्वित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि किसी भी नमूना-जाँचित ग्राम पंचायत को योजना के साथ अभिसरण में निष्पादित किए जाने वाले कार्यो के लिए ग्रा.पं. की वार्षिक योजना में समावेश हेतु अन्य क्रम विभागों से योजनाएं प्राप्त नहीं हुई तथा मात्र आई.ए.वाई./पी.एम.ए.वाई.-जी. लाभार्थियों के आवासों के निर्माण से संबंधित कार्यो एवं आँगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण संबंधित क्रम विभागों के साथ अभिसरण के तहत नमूना जाँचित ग्रा.पं. द्वारा क्रियान्वयन के लिए शुरू किया गया जबकि मुख्यमंत्री नली-गली योजना, पंचम वित्त आयोग, वन विभाग, कृषि विभाग इत्यादि से पथों के निर्माण के तहत कार्यो के साथ अभिसरण नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने अभिसरण के तहत कार्यो के निष्पादन में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी:

• आँगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए प्राप्त निधियों का गैर-उपयोग

एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. और समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) के संसाधनों का अभिसरण करते हुए ₹ 7 लाख⁸⁶ के प्राक्कलित लागत से ए.डब्लू.सी. का निर्माण करना था। सात नमूना-जाँचित डी.आर.डी.ए.⁸⁷ को जून 2017 से नवंबर 2018 के बीच 459 ए.डब्लू.सी. के निर्माण के लिए आई.सी.डी.एस. से ₹ 8.74 करोड़⁸⁸ प्राप्त हुआ था लेकिन मार्च 2020 तक सिर्फ 15 ए.डब्लू.सी. पूर्ण⁸⁹ हुआ था। आई.सी.डी.एस. से निधियों की विमुक्ति के एक से दो वर्षों से अधिक के बीत जाने के बाद डी.आर.डी.ए. ने कार्यक्रम पदाधिकारियों को मात्र ₹ 2.68 करोड़ हस्तांतरित (जनवरी 2018 से सितंबर 2019) किया। डी.आर.डी.ए., सहरसा ने आई.सी.डी.एस. को ₹ 1.40 करोड़ लौटाया⁹⁰ जबकि शेष राशि ₹ 4.91 करोड़⁹¹ मार्च 2020 तक डी.आर.डी.ए. के खाते में पड़ी हुई थी (परिशिष्ट-2.2.24)।

⁸⁵ दीवार लेखन, घर-घर जाकर लोगों से मिलना, पोस्टर प्रदर्शनी, सूचना पट्ट इत्यादि।

⁸⁶ ₹ 5 लाख एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. खाते से और ₹ 2 लाख आई.सी.डी.एस. खाते से मिलाना था।

⁸⁷ बेगूसराय, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, पूर्णियाँ, सारण, समस्तीपुर और सहरसा

⁸⁸ भागलपुर जिला के छः कार्यक्रम पदाधिकारियों द्वारा ₹ 0.44 करोड़ के आवंटन को लिया गया था।

⁸⁹ विवरण परिशिष्ट-2.2.15 में

⁹⁰ डी.आर.डी.ए. सहरसा ने ₹ 1.40 करोड़ 27 मार्च 2019 को आई.सी.डी.एस. को वापस किया था।

⁹¹ ₹ 4.66 करोड़ (अवशेष निधि) + ₹ 0.25 करोड़ (ब्याज)

विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2020) कि ए.डब्ल्यू.सी. का निर्माण सामग्री आधारित कार्य है और सामग्री घटक हेतु निधि की कमी के कारण, योजना को लक्ष्य के अनुरूप नहीं लिया गया था। भूमि की उपलब्धता भी एक कारण था जिसने प्रगति को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। विभाग का जवाब कि भूमि उपलब्ध नहीं था स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आई.सी.डी.एस. द्वारा निधियों की विमुक्ति भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरांत की गयी थी और भूमि विवाद को प्रखण्ड और जिला स्तर के कर्मियों द्वारा हल करना था।

• **आई.ए.वाई./पी.एम.ए.वाई.-जी. योजना के साथ अभिसरण**

योजना के दिशा-निर्देशों में प्रावधान था कि 90/95 अकुशल मानव दिवसों के रोजगार को माफ की गई मजदूरी के रूप में एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के तहत आई.ए.वाई./पी.एम.ए.वाई.-जी. लाभार्थियों को प्रदान करना था तथा घरों की निर्माण लागत को पी.एम.ए.वाई.-जी. से पूरा करना था। घरों के निर्माण में प्रगति की स्थिति के साथ चार चरणों में लाभार्थियों को रोजगार प्रदान करना था और एम.आर. का तदनुसार सृजन करना था। हालांकि, 34 नमूना-जाँचित ग्रा.पं. में, 318 लाभार्थियों को घरों के लिए शामिल ₹ 27.41 लाख (परिशिष्ट-2.2.25) के 15486 मानव दिवसों को रोजगार प्रदान करना था जो पहले ही पूरे किए गए थे। इसलिए, इन कार्यों के लिए ई-एम.आर., एफ.टी.ओ. का सृजन और एम.आई.एस. का एवं अन्य संबंधित अभिलेखों को संधारित करना पूर्व की घटनाओं को नियमित करने की मात्र एक प्रक्रिया थी और सृजित दर्शाए गए मानव दिवसों को वास्तव में सृजित नहीं किया गया था। विभाग ने लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार किया और कहा कि भविष्य में चरणवार भुगतान प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि विभागों एवं क्रियाशील इकाइयों के बीच संस्थागत व्यवस्थाओं और उचित समन्वय का अभाव था और राज्य ने पी.एम.जी.एस.वाई. के साथ संचालन अभिसरण को पी.एम.जी.एस.वाई. और एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.के वरीय कर्मियों को करते हुए एक अभिसरण दल का गठन नहीं किया गया था तथा जिला, प्रखण्ड एवं ग्रा.पं. स्तरों पर संसाधन समूहों को नहीं बनाया गया। परिणामस्वरूप, अभिसरण के माध्यम से टिकाऊ परिसंपत्तियां आंशिक रूप से प्राप्त हुईं।

विभाग ने उत्तर दिया (जून/जुलाई 2020) कि राज्य में एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. तथा अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में भिन्नता⁹² थी और इसके कारण क्रम विभाग अभिसरण का हिस्सा बनने को इच्छुक नहीं थे।

2.2.10.3 योजना के अंतर्गत निधियों की प्राप्तियां एवं उपयोग

• **योजना की वित्तपोषण पद्धति और निधि प्रवाह प्रक्रिया तंत्र**

अधिनियम के अनुसार, योजना का कार्यान्वयन भा.स. और राज्य के बीच एक लागत-वहन आधार पर करना था। निधियों का केन्द्रीय अंश सहमत श्रम बजट के प्रक्षेपण पर आधारित था और दो किस्तों में विमुक्त किया जाना था। योजना की वित्तपोषण पद्धति नीचे दर्शाई गई है:

⁹² मजदूरी दर में अंतर, कार्य के लिए एस.ओ.आर., एम.आर. का संधारण, मशीन का उपयोग एवं मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया इत्यादि।

तालिका सं.-2.2.13
एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. की वित्तपोषण पद्धति

घटक	केन्द्रांश	राज्यांश
अकुशल श्रमिकों की मजदूरी	100 प्रतिशत	100 मानव दिवसों से अधिक की मजदूरी और भा.स. द्वारा अधिसूचित मजदूरी से अधिक ऊँची मजदूरी
कुशल/अर्द्ध-कुशल श्रमिकों की मजदूरी और सामग्री की लागत	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत
अन्य घटक	प्रशासनिक व्यय का 100 प्रतिशत जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।	बेरोजगारी भत्ता का 100 प्रतिशत जब ऐसे मामले उत्पन्न हो कि रोजगार को इच्छुक द्वारा रोजगार के आवेदन के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया गया था।
रोजगार गारंटी परिषद	केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद (सी.ई.जी.सी.) का प्रशासनिक व्यय	राज्य रोजगार गारंटी परिषद (एस.ई.जी.सी.) का प्रशासनिक व्यय

(स्रोत: अधिनियम और योजना का दिशा-निर्देश)

बि.स. ने योजना के अन्तर्गत निधियों के प्राप्ति, हस्तांतरण और उपयोग के प्रभावी संचालन के लिए एस.ई.जी.एफ. (राज्य निधि) को स्थापित किया था (मई 2011)। योजना के अंतर्गत, भा.स. (केन्द्रांश) और बि.स. (राज्यांश) से प्राप्त निधियों को एस.ई.जी.एफ. खाते में जमा करना था। निधियों को राज्य स्तर पर एक खाते (ई.-एफ.एम.एस. डेबिट खाता) में रखना था जो सभी कार्यान्वयन इकाइयों के साथ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जुड़ा था और कार्यान्वयन इकाइयों द्वारा कार्य और एम.आर. का सत्यापन कर लाभार्थियों के खाते में राशि के सीधे हस्तांतरण के लिए निधि अंतरण आदेश (एफ.टी.ओ.) सृजित करना था। आगे, वर्ष 2016-17 से, मजदूरी का भुगतान ग्रा.पं. द्वारा श्रमिकों के खाते में सीधे एन.ई.-एफ.एम.एस. के माध्यम से जमा की गई थी।

वित्तीय लागत एवं व्यय

वर्ष 2014-19 की अवधि में कुल उपलब्ध निधि ₹ 11,181.72 करोड़⁹³ में से ₹ 10,960.52 करोड़ (98 प्रतिशत) का उपयोग योजना के कार्यान्वयन पर किया गया था। राज्य में 2014-19 की अवधि योजना के अन्तर्गत निधियों की वर्षवार उपलब्धता और उपयोग किए गए निधियों की विवरणी नीचे दी गयी है:

तालिका सं.-2.2.14
2014-19 की अवधि में निधियों की उपलब्धता एवं उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रा.शं.	प्राप्ति				कुल उपलब्ध निधि	व्यय					अ.शं.
		केन्द्रांश	राज्यांश	अन्य	कुल प्राप्ति		श्रमिक	सामग्री	प्रशासनिक	अन्य	कुल	
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2+6)	8	9	10	11	12 (8+9+10+11)	13 (7-12)
2014-15	525.31	959.68	350.00	56.95	1,366.63	1,891.94	561.40	442.54	145.77	1.21	1,150.92	741.02
2015-16	741.02	1,024.12	124.61	99.61	1,248.34	1,989.36	1,035.07	514.73	121.68	0.50	1,671.98	317.38
2016-17	317.38	1,569.14	310.18	58.56	1,937.88	2,255.26	1,190.61	601.14	123.66	1.41	1,916.82	338.44
2017-18	338.44	2,516.89	500.98	34.55	3,052.42	3,390.86	1,890.78	1,058.34	150.59	1.79	3,101.50	289.36
2018-19	289.36	2,733.58	312.00	5.56	3,051.14	3,340.50	2,015.16	931.47	171.38	1.29	3,119.30	221.20
योग		8,803.41	1,597.77	255.23	10,656.41		6,693.02	3,548.22	713.08	6.2	10,960.52	

(स्रोत: सी.ए. प्रतिवेदन और विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना)

लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि नौ नमूना-जाँचित जिलों में से पाँच में एक से दो वर्षों के प्रारंभिक शेष और अंत शेष में अंतर था और इसे चार्टर्ड एकाउण्टेंट (सी.ए.) द्वारा समाशोधित नहीं किया गया था। सी.ए. द्वारा सत्यापित योजना के वित्तीय आँकड़े सभी नमूना-जाँचित जिलों में एम.आई.एस. डेटा के अनुरूप नहीं थे (परिशिष्ट-2.2.26)।

⁹³ 2014-15 का प्रा.शं. ₹ 525.31 करोड़ और 2014-19 की अवधि की कुल प्राप्तियाँ ₹10656.41 करोड़।

विभाग द्वारा बताया गया कि अंतर के समाशोधन के लिए कदम उठाये जायेंगे। वित्तीय प्रबंधन में विसंगतियों को आगे की कड़िकाओं में वर्णन किया गया है:

• **बि.स. को अपर्याप्त केन्द्रांश की प्राप्ति**

योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार, केन्द्रांश के प्रथम किस्त को सहमत श्रम बजट की जरूरतों के अनुसार समानुपातिक आधार पर वित्तीय वर्ष के प्रथम छः माह की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए या राज्य के सहमत श्रम बजट के 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, को एम.आई.एस. में परिलक्षित आरंभ शेष को घटा कर विमुक्त करना था। द्वितीय किस्त की विमुक्ति का आधार (i) अव्यवहृत शेष तथा (ii) वर्ष के दौरान राज्य के सहमत श्रम बजट की वास्तविक उपलब्धि थी। इसके अलावा राज्य को द्वितीय किस्त के लिए समेकित प्रस्ताव कुल उपलब्धि निधियों के 60 प्रतिशत का उपयोग करने एवं ग्रा.वि.मं. द्वारा नियत किये गये पूर्वापेक्षाओं⁹⁴ के अनुपालन के उपरांत ही मंत्रालय को भेजना था। लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि राज्य स्तर पर निम्न विसंगतियों के परिणामस्वरूप बि.स. को केन्द्रांश कटौती कर प्राप्त हुई:

➤ 2014-19 की अवधि में पर्याप्त अंतशेष जो ₹ 741 करोड़ से ₹ 221 करोड़ की सीमा में था जिसमें विभिन्न एजेंसियों के पास असामंजित पड़ी हुयी अग्रिम, डाकघर की प्रवाही राशि, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) की अवशेष राशि, ट्रांजिट में पड़े हुए चेक, निष्क्रिय खातों में पड़ी हुई राशि इत्यादि शामिल थी। नमूना-जाँचित इकाईयों के लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि योजना निधि की राशि ₹ 37.16 करोड़ बाधित पड़ी हुई थी जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका सं.-2.2.15
योजना निधि की बाधित राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि	अभियुक्ति
निष्क्रिय बैंक खाते	2.43	बि.स. ने निर्देश (अगस्त 2017) दिया था कि ग्रा.पं., प्रखण्डों और जिलों (प्रखण्ड और जिला स्तर पर एक खाता को छोड़कर) में संधारित किए गए सभी बैंक खातों को बंद करना था और इन खातों में अवशेष पड़ी राशि को एस.ई.जी.एफ. के निर्दिष्ट खातों में जमा करना था। जबकि 894 बैंक खातों को बंद नहीं किया गया था।
बाधित बैंक ब्याज	8.24	नमूना-जाँचित पाँच जिलों में, 2014-15 से बैंक ब्याज की राशि ₹8.24 करोड़ ⁹⁵ बैंक खातों में बाधित पड़ी हुई थी।
एस.जी.आर.वाई. से एम.जी.एन.आर.ई. जी.एस. खातों में हस्तांतरित नहीं की गयी अनुपयोगी निधियाँ	4.78	एस.जी.आर.वाई. को एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. में समाविष्ट कर दिया गया था (अप्रैल 2007) और विभाग द्वारा जिला स्तरीय प्राधिकारियों को एस.जी.आर.वाई. की अनुपयोगी पड़ी निधियों को एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. खातों में हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया था (अगस्त 2007)। जबकि नमूना -जाँचित छः जिलों में एस.जी.आर.वाई. के नगद घटक का ₹4.78 करोड़ ⁹⁶ मार्च 2020 तक इस योजना के खातों में हस्तांतरित नहीं किया गया था।
बकाया अग्रिम	21.71	नमूना-जाँचित आठ जिलों में, विभिन्न कार्यकारी एजेंसियों ⁹⁷ को एस.जी.आर.वाई. / एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. खातों से अग्रिम दी गयी राशि ₹ 21.71 करोड़ ⁹⁸ का सामंजस्य पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित पड़ी हुई थी (मार्च 2020 तक)।
योग	37.16	

(स्रोत: नमूना-जाँचित इकाईयों के अभिलेख)

⁹⁴ पूर्व वित्तीय वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, पूर्व वर्ष का यू.सी., अद्यतन वित्तीय प्रगति

⁹⁵ गया- ₹1.43 करोड़, पूर्णियाँ- ₹1.39 करोड़, सारण- ₹1.43 करोड़, पटना- ₹1.95 करोड़ और सहरसा- ₹2.04 करोड़

⁹⁶ बेगूसराय- ₹0.55 करोड़, गया- ₹0.82 करोड़, पटना- ₹0.18 करोड़, पूर्वी चंपारण- ₹0.59 करोड़, पूर्णियाँ- ₹0.62 करोड़ और सारण- ₹2.02 करोड़

⁹⁷ जिला परिषद, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, कार्यक्रम पदाधिकारी, पी.आर.एस. इत्यादि।

⁹⁸ बेगूसराय- ₹0.26 करोड़, भागलपुर- ₹0.44 करोड़, गया- ₹8.23 करोड़, पटना- ₹4.64 करोड़, पूर्वी चंपारण- ₹0.66 करोड़, पूर्णियाँ- ₹2.47 करोड़, सारण- ₹0.03 करोड़ और समस्तीपुर- ₹4.98 करोड़।

विभाग द्वारा उत्तर दिया गया (जुलाई 2020) कि इस मामले को समाप्त करने और इसे शून्य करने के लिए पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं। जबकि आठ वर्षों से अधिक समय से अग्रिम के सामंजस्य और बाधित पड़ी राशि के उपयोग हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया था।

➤ बि.स. संपूर्ण राज्य के कुल उपलब्ध निधियों के 60 प्रतिशत का उपयोग कर द्वितीय किस्त के लिए समेकित प्रस्ताव समय पर ग्रा.वि.मं. को भेजने में विफल था और द्वितीय किस्त की विमुक्ति के लिए अन्य पूर्वपेक्षाओं का भी अनुपालन नहीं किया। 2014-16 की अवधि के लिए सी.ए. द्वारा योजना के लेखापरीक्षा का कार्य चार से छः माह विलंब से पूर्ण किया गया था जबकि द्वितीय किस्त का प्रस्ताव और 2014-17 की अवधि के लिए पूर्व वर्षों का यू.सी. चार से छः माह विलंब से प्रस्तुत किया गया था। परिणामस्वरूप बि.स. ने वर्ष 2014-15 की निधियाँ सितंबर 2014 के बाद फरवरी 2015 में प्राप्त किया था और 2015-16 का द्वितीय किस्त प्राप्त नहीं किया था।

विभाग द्वारा लेखापरीक्षा में ज्ञात बिन्दुओं को स्वीकार किया गया और उत्तर दिया गया (जुलाई 2020) कि 2014-17 की अवधि में योजना के लेखाओं के लेखापरीक्षा में विलंब के कारण द्वितीय किस्त के प्रस्ताव को भेजने में विलंब हुआ लेकिन अनुदानों की विमुक्ति में विलंब का संबंध यू.सी. या प्रस्तावों के विलंब से भेजने से नहीं था। इसके अतिरिक्त यह भी जवाब दिया गया कि केन्द्र से निधियों का प्राप्त नहीं होना हमारे नियंत्रण में नहीं था और राज्य द्वारा बढ़ते हुए दायित्वों के भुगतान को ध्यान में रखते हुए 2016-19 की अवधि में मैचिंग अंश (राज्य अंश से ₹ 307.33 करोड़ से ₹ 512.69 करोड़ अधिक) के अलावा भी निधियों की विमुक्ति की गयी थी।

● **केन्द्रीय निधियों का एस.ई.जी.एफ. खाते में हस्तांतरण में विलंब**

ग्रा.वि.मं. द्वारा निर्गत किये गये अनुदान स्वीकृत्यादेश पत्रों के निर्देशों के अनुसार, बि.स. को केन्द्र के साथ ही राज्य अंश से प्राप्त निधियों को निधि प्राप्त होने के तीन दिनों के अंदर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एस.ई.जी.एफ. खाते में हस्तांतरित कर देना था तथा ऐसा नहीं करने की स्थिति में नियत अवधि से बाद की विलंब अवधि के लिए बि.स. 12 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी।

लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि 2014-19 की अवधि में केन्द्र से प्राप्त निधियों (₹3,636.37 करोड़) को एस.ई.जी.एफ. खाते में हस्तांतरित करने में पाँच से 74 दिनों का विलंब हुआ था। परिणामस्वरूप बि.स. पर दण्डात्मक ब्याज के रूप में ₹ 25.80 करोड़ का परिहार्य दायित्व उत्पन्न हुआ (परिशिष्ट-2.2.27)। विभाग द्वारा बताया गया (जून 2020) कि विलंब से हस्तांतरण का कारण प्रक्रियात्मक था और राशि ₹ 200 करोड़ से अधिक के मामले में, ग्रा.वि.मं. को वित्त मंत्रालय के स्वीकृति की आवश्यकता थी जो कि 10 से 15 दिनों का समय लेता था। विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ₹ 200 करोड़ से कम के मामले में भी विलंब सूचित किया गया था और 15 दिनों से अधिक का भी विलंब हुआ था।

● **प्रशासनिक व्यय की निधियों के उपयोग में अनियमितताएँ**

योजना के दिशा-निर्देशों में प्रावधान किया गया था कि राज्य एक वित्तीय वर्ष में योजना पर हुए कुल व्यय के छः प्रतिशत तक की राशि का प्रशासनिक व्यय करने का हकदार था। अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, अगर जरूरत थी, तो बि.स. पूरक व्यवस्था करती लेकिन वर्ष 2014-19 की अवधि में राज्य द्वारा ₹ 130.37 करोड़ का अधिक प्रशासनिक व्यय किया गया था और इसमें से ₹ 114.22 करोड़ की प्रतिपूर्ति बि.स. द्वारा कर ली गयी थी और शेष ₹ 16.15 करोड़ की प्रतिपूर्ति की जानी बाकी थी जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका-2.2.16
अधिक प्रशासनिक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मजदूरी पर व्यय	सामग्री पर व्यय	कुल व्यय	व्यय की स्वीकार्य राशि (6 प्रतिशत)	वास्तविक प्रशासनिक व्यय	अधिक	राज्य अंश के विरुद्ध समायोजित राशि
2014-15	561.40	442.54	1,003.94	60.24	145.77	85.53	85.53
2015-16	1,035.07	514.73	1,549.80	92.99	121.68	28.69	28.69
2016-17	1,190.61	601.14	1,791.75	107.51	123.66	16.15	—
2017-18	1,890.78	1,058.34	2,949.12	176.95	150.59	0.00	—
2018-19	2,015.16	931.47	2,946.63	176.80	171.38	0.00	—
योग						130.37	114.22

(स्रोत: सी.ए. प्रतिवेदन और यू.सी.)

विभाग द्वारा उत्तर दिया गया (जुलाई 2020) कि मानदेय पर व्यय एक स्थायी व्यय था तथा ग्रा.वि.मं. द्वारा छः प्रतिशत की अनुमति वास्तविक व्यय पर आधारित थी लेकिन यह सीमित थी क्योंकि पूर्व वर्ष के दायित्वों को अग्रसित करने के कारण स्पष्टतः विमुक्ति में गिरावट थी। यह भी बताया गया कि ग्रा.वि.मं. से अनुरोध किया गया था कि ए.ई. के छः प्रतिशत की सीमा को योजना के कार्यान्वयन पर हुए उपचय के आधार पर व्यय करने का विचार किया जाए और न कि एक विशेष वर्ष में किये गये व्यय के आधार पर। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि भा.स. ने ए.ई. की स्वीकार्य सीमा के शर्तों को पुनरीक्षित नहीं किया था और इस शीर्ष के अंतर्गत कम निधियाँ उपलब्ध होने का मुख्य कारण कम मानवदिवसों का सृजन था।

● **निधियों का विचलन**

योजना के दिशा-निर्देशों में प्रावधान किया गया था कि योजना निधियों को अन्य प्रयोजनों के लिए विचलन नहीं किया जाना था और राज्य को द्वितीय किस्त के अनुदानों के विमुक्ति के प्रस्ताव के साथ योजना के निधियों से गैर-विचलन का एक प्रमाण-पत्र देना था। चार नमूना-जाँचित जिलों के योजना निधियों से 2015-19 की अवधि में राशि ₹ 4.17 करोड़⁹⁹ (जिसमें से ₹ 1.29 करोड़ योजना क्रियान्वयन से संबंधित था) का विचलन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.) स्थापना के वेतन एवं अन्य प्रयोजनों में किया गया था और इसमें से ₹ 0.53 करोड़ की प्रतिपूर्ति कर ली गई थी और शेष ₹ 3.64 करोड़ मार्च 2020 तक प्रतिपूर्ति करने के लिए बाकी थी।

विभाग द्वारा जवाब दिया गया (जुलाई 2020) कि निर्देश निर्गत किये गये थे कि जब कभी और जैसे ही डी.आर.डी.ए. स्थापना के लिए निधियाँ उपलब्ध हों प्राथमिकता के आधार पर विचलित राशि की प्रतिपूर्ति की जाए। विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मनरेगा निधि से विचलन योजना के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध था और ग्रा.वि.मं. को एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. निधियों से गैर-विचलन से संबंधित प्रमाण-पत्र देना था, जो कि नहीं किया गया था।

● **लंबित मजदूरी और सामग्री के मूल्य के भुगतान का दायित्व**

अधिनियम में अनिवार्य किया गया था कि मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर और किसी भी हालत में इस कार्य को किए जाने की तारीख से अधिक से अधिक 15 दिनों में किया जाना था।

⁹⁹ गया- ₹0.28 करोड़ (2015-17), सारण- ₹2.24 करोड़ (2015-19), समस्तीपुर- ₹0.93 करोड़ (2016-19) और सहरसा- ₹0.72 करोड़ (2016-19),

लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि 2012-19 की अवधि के मजदूरी और सामग्री के मूल्य की राशि ₹11,016.65 करोड़ का भुगतान 20 मार्च 2020 तक लाभार्थियों को एक से आठ वर्षों तक का नहीं किया गया था जिसे नीचे दर्शाया गया है:

तालिका सं.-2.2.17
वर्ष 2018-19 तक बकाया दायित्व (अक्टूबर 2019 तक)

(₹ लाख में)

वर्ष	मजदूरी	सामग्री	प्रशासनिक	कुल दायित्व
1	2	3	4	5 (2+3+4)
2012-14	22,829.66	7,342.41	—	30,172.07
2014-15	7,872.28	3,390.85	—	11,263.13
2015-16	1,596.27	5,359.10	—	6,955.37
2016-17	3,382.28	4,065.02	—	7,447.30
2017-18	2,424.71	4,057.00	—	6,481.71
2018-19	3,894.22	35,128.99	322.68	39,345.89
योग	41,999.42	59,343.37	322.68	1,01,665.47

(स्रोत: सी.ए. प्रतिवेदन और यू.सी.)

विभाग द्वारा बताया गया (जुलाई 2020) कि दायित्वों के बढ़ते जाने का कारण केन्द्र सरकार से पर्याप्त और समय पर निधियों की प्राप्ति नहीं होना था। इसके अतिरिक्त 2015 तक दर्शाए गए दायित्वों में गलती थी क्योंकि इस अवधि में भुगतान की प्रविष्टि ऑफलाईन की जा रही थी और बहुत मामलों में भुगतान की तिथि की प्रविष्टि छूटी हुई थी एवं इस प्रकार दर्शाए गए दायित्वों की राशि एम.आई.एस. में प्रदर्शित हो रही राशि से कम थी और इन मामले को कई बार ग्रा.वि.मं. में रखा गया कि पर्याप्त निधि विमुक्त किया जाए लेकिन राज्य दायित्वों को समाप्त करने के लिए पर्याप्त निधि नहीं प्राप्त कर सका। विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग केन्द्र सरकार से पर्याप्त निधियों को समय पर प्राप्त करने के मानदंडों को पूरा करने में विफल था और यहाँ तक की पाँच वर्षों से अधिक के बीत जाने के बावजूद गलतियों (यदि कोई था) को सुधारने में विफल था, परिणामस्वरूप इस अवधि का दायित्व जुलाई 2020 तक बना हुआ था। इसके अलावा, जवाब यह भी इंगित करता था कि विभाग दायित्वों के निपटारे के लिए वास्तविक राशि को सुनिश्चित नहीं कर सका था।

• **मजदूरी का कम दर पर भुगतान**

अधिनियम प्रावधानित करता है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में प्रावधान निहित किये जाने के बावजूद, केन्द्र सरकार इस योजना के अंतर्गत अकुशल मजदूरों के लिए विशेष मजदूरी दर अधिसूचित कर सकती है। चूँकि, बिहार के अकुशल कामगारों के लिए भा.स. द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर (₹ 158 से ₹ 168) बि.स. द्वारा कृषि श्रमिकों के लिए अधिसूचित मजदूरी दर (₹ 177 से ₹ 246) से कम था, बि.स. ने इस योजना के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों को वही मजदूरी भुगतान करने का निर्णय लिया (जुलाई 2013) जो कृषि श्रमिकों के लिए मजदूरी दर समय-समय पर अधिसूचित किया जायेगा और मजदूरी दरों में अंतर के कारण उत्पन्न वित्तीय बोझ को वहन करेगा।

लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि श्रम संसाधन विभाग (एल.आर.डी.), बि.स. द्वारा वर्ष 2014-19 की अवधि में मजदूरी दरों का पुनरीक्षण ₹ 177 से ₹ 246 करने के बावजूद एम.जी.एन. आर.ई.जी.एस. कामगारों को ₹ 177 का ही भुगतान किया जा रहा था, जिसे नीचे दर्शाया गया है:

तालिका सं.-2.2.18
एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. कामगारों के लिए 2014-19
की अवधि में मजदूरी दर

वर्ष	भा.स. द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर (₹ प्रति दिवस)	एल.आर.डी., बि.स. द्वारा कृषि श्रमिकों के लिए अधिसूचित मजदूरी दर (₹ प्रति दिवस)	बि.स. द्वारा एम.जी.एन.आर.जी.ई.एस. के अंतर्गत अधिसूचित मजदूरी दर (₹ प्रति दिवस)	कम मजदूरी दर (₹ प्रति दिवस)
1	2	3	4	5 (3-4)
2014-15	158	177 और 178	177 *	1
2015-16	162	186 और 189	177	9 से 12
2016-17	167	197 और 227	177	20 से 50
2017-18	168	232 और 237	177	55 से 60
2018-19	168	244 और 246	177	67 से 69

(स्रोत: एल.आर.डी., आर.डी.डी./बि.स. और भा.स. द्वारा निर्गत अधिसूचना)

*अप्रैल से जुलाई 2014 के लिए ₹162

परिणामस्वरूप मनरेगा कामगार इस योजना के अंतर्गत काम करने के इच्छुक नहीं थे और 2014-19 की अवधि में अनुमानित मानव दिवसों का सृजन नहीं किया जा सका।

विभाग द्वारा जवाब दिया गया (मई 2020) कि राज्य ने मजदूरी के अंतर को अपने स्वयं के स्रोतों से पूरा किया लेकिन भा.स. द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर और राज्य द्वारा कृषि श्रमिकों के लिए अधिसूचित किये गये न्यूनतम मजदूरी दर में बड़ा अंतर हो गया और इसके कारण राज्य एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. कामगारों के मजदूरी दर को पुनरीक्षित नहीं कर सका।

2.2.11 उद्देश्य-5: क्या इस योजना के पारदर्शिता को बनाये रखने के लिए सभी स्टेकहोल्डरों को योजना निर्माण से अनुश्रवण और मूल्यांकन के विभिन्न स्तरों में शामिल किया गया था।

अधिनियम एवं योजना के दिशा-निर्देश में योजना के प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन हेतु अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रावधान किये गये हैं। लेखापरीक्षा में योजना के क्रियान्वयन में अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं पारदर्शिता में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी:

2.2.11.1 राज्य रोजगार गारंटी परिषद का गठन (एस.ई.जी.सी.)

राज्य स्तर पर योजना के कार्यान्वयन के नियमित अनुश्रवण एवं संवीक्षा के लिए अधिनियम में राज्य रोजगार गारंटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। एस.ई.जी.सी. को योजना के कार्यान्वयन पर राज्य विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना था। एस.ई.जी.सी. का अर्द्धवार्षिक बैठक करना अनिवार्य था।

अधिनियम के लागू होने के सात वर्षों के उपरांत मंत्री, ग्रा.वि.वि. की अध्यक्षता में बि.स. द्वारा मई 2012 में एस.ई.जी.सी. का गठन किया गया। तब भी, एस.ई.जी.सी. की नियमित बैठकें आयोजित नहीं की गईं। 2014-19 की अवधि में 10 बैठकों के बदले सिर्फ तीन बैठकों का ही आयोजन किया गया (अंतिम बैठक 17 जुलाई 2018 को आयोजित की गई थी)। इसके अतिरिक्त, 2014-19 की अवधि के लिए योजना के कार्यान्वयन का वार्षिक प्रतिवेदन भी तैयार नहीं किया गया था। बैठकों में मजदूरी का विलंब से भुगतान, मजदूरी के विलंब से भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति का भुगतान, लाईफ मनरेगा कार्यक्रम, मनरेगा भवनों के निर्माण की धीमी प्रगति, सभी जिलों में लोकपाल की गैर-नियुक्ति इत्यादि के संबंध में विचार-विमर्श किया गया लेकिन इस संबंध में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई थी।

विभाग द्वारा जवाब नहीं दिया गया कि बैठकें नियमित रूप से क्यों नहीं आयोजित की गयीं, तथापि यह बताया गया कि बैठकों एवं इसके अवधि के संबंध में भा.स. द्वारा सी.ई.जी.सी. के लिए बनाई गई नियमों का राज्य में पालन किया जा रहा था। जबाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सी.ई.जी.सी. के बैठक हेतु बनाये गये अवधि का पालन नहीं किया गया था।

2.2.11.2 सामाजिक लेखापरीक्षा की अपर्याप्त व्यवस्था

योजना लेखापरीक्षा नियमावली, 2011 में प्रावधान किया गया है कि बि.स. को प्रत्येक ग्राम पंचायत में इस योजना के अंतर्गत लिए गये योजनाओं का कम से कम छह माह में एक बार सामाजिक लेखापरीक्षा कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। बिहार सरकार ने अप्रैल 2017 में सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी (एस.ए.एस.) का गठन किया था लेकिन यह प्रभावी तरीके से कार्य नहीं कर रही थी जिसका वर्णन नीचे किया गया है:

• संसाधन सेवियों की अपर्याप्त संख्या

बि.स. ने एस.ए.एस. के कार्य करने हेतु संविदा आधारित विभिन्न पदों का सृजन (जून 2015) किया था लेकिन महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियाँ नहीं की गयी थीं एवं एस.ए.एस. कम मानवबल के साथ कार्य कर था जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका— 2.2.19
सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन हेतु स्वीकृत एवं कार्यरत बल

क्र. सं.	पदों का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल
1	निदेशक	1	0#
2	सामाजिक अंकेक्षण सलाहकार	1	0#
3	राज्य संसाधन सेवी	5	1
4	जिला संसाधन सेवी (डी.आर.पी.)	62	31
5	प्रखण्ड संसाधन सेवी (बी.आर.पी.)	534	0
6	लेखापाल	5	0
7	कार्यालय सहायक	3	0
	कुल	611	32

(स्रोत – सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी, बि.स. से प्राप्त सूचनाएँ)
ग्रा.वि.वि. के पदाधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार

एस.आर.एल.एम., बिहार को एस.ए.एस. की मदद से ग्राम संसाधन सेवियों (भी.आर.पी.) की पहचान करनी थी जो सामाजिक लेखापरीक्षा कराने में ग्राम सभा की मदद करते। मार्च 2020 तक 4,347 भी.आर.पी. प्रशिक्षण में भाग लिये थे, जबकि सिर्फ 1,523 भी.आर.पी. ही कार्य कर रहे थे तथा बड़ी संख्या में इन्होंने काम छोड़ दिया था (65 प्रतिशत)। बी.आर.पी. की भी नियुक्ति प्रखण्डों में नहीं की गई थी तथा डी.आर.पी. के 50 प्रतिशत पद खाली थे। एस.ए.एस. और नमूना जाँच किये गये जिलों¹⁰⁰ के डी.आर.पी. द्वारा काम छोड़ने के निम्न कारण बताये गये (i) भी.आर.पी. जीविका की 'महिलाएँ थीं एवं अन्य प्रखण्डों में रात में ठहरने में असुविधा महसूस करती थीं (ii) पारिश्रमिक भुगतान में विलंब (iii) एस.एच.जी. के कार्यों में उनके लगे रहने के कारण सामाजिक लेखापरीक्षा के कार्यों का बाधित होना (iv) भी.आर.पी. के पारिश्रमिक में कटौती इत्यादि। यह भी ज्ञात हुआ की भी.आर.पी. का चयन सिर्फ जीविका के एस.एच.जी. सदस्यों में से किया गया था और सिविल सोसाईटी संगठनों, नेहरू युवा केंद्र, स्वयं सेवी संस्थाओं इत्यादि के सदस्यों से नहीं किया गया था।

एस.ए.एस. द्वारा जवाब दिया गया (जून 2020) कि संसाधन सेवियों एवं अन्य कर्मियों के भर्ती के लिए मानव संसाधन एजेंसी के चयन की प्रक्रिया प्रगति पर थी।

¹⁰⁰ सहरसा और समस्तीपुर

● अपर्याप्त सामाजिक लेखापरीक्षा कराना

लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि वर्ष 2018-19 से सात जिलों¹⁰¹ के ग्रा.पं. के ग्राम सभा में सुगमतापूर्वक सामाजिक लेखापरीक्षा कराने का कार्य एस.ए.एस. द्वारा प्रारंभ किया गया था। निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में सिर्फ क्रमशः 85 प्रतिशत एवं 39 प्रतिशत ग्रा.पं. के लेखापरीक्षा (वर्ष में एक बार) का कार्य किया गया था जिसकी विवरणी नीच दी गई है:

तालिका-2.2.20

2017-19 की अवधि में कराये गये सामाजिक लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष	वर्ष में कुल ग्रा. पं.	कराये जाने वाले सामाजिक लेखापरीक्षा	वर्ष में एक बार लेखापरीक्षा हेतु लक्षित ग्राम पंचायत	लेखापरीक्षा कराये गये ग्रा.पं. की सं०
2017-18	8,386	16,772	300	7 जिलों के 255
2018-19	8,386	16,772	6,840	#32 जिलों के 2,644

(स्रोत: ग्रा.वि.वि. तथा एस.ए.एस. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएँ)

#2,644 ग्रा.पं.का वर्ष में एक बार जबकि एक ग्राम पंचायत का एक वर्ष में दो बार लेखापरीक्षा।

जब राज्य के सामाजिक लेखापरीक्षा कराये जाने वाले कुल ग्रा.पं. की तुलना की गयी तो पाया गया कि वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में क्रमशः दो प्रतिशत एवं 16 प्रतिशत ही सामाजिक लेखापरीक्षा हुए थे। इसके अतिरिक्त, राज्य के छः जिलों¹⁰² के किसी भी ग्रा.पं. में 2018-19 की अवधि का सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं कराया गया था। 2014-16 की अवधि के लिए एक से 21 प्रतिशत ग्रा.पं. के ग्राम सभा द्वारा स्वयं (बिना सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी की मदद से) सामाजिक लेखापरीक्षा किया गया था जबकि वर्ष 2016-17 की अवधि का एक भी सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं कराया गया था।

इस प्रकार, ग्राम सभा सामाजिक लेखापरीक्षा के द्वारा ग्राम पंचायतों के योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण पर्याप्त एवं प्रभावी तरीके से नहीं कर सका। एस.ए.एस. द्वारा जवाब दिया गया कि कम लेखापरीक्षा का कारण अपर्याप्त मानव बल, बड़ी संख्या में भी. आर.पी. द्वारा काम छोड़ना, निर्वाचन एवं प्राकृतिक आपदाएँ थी।

● सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों को प्रतिवेदित नहीं किया जाना/प्रतिवेदन की गुणवत्ता

योजना लेखापरीक्षा नियमावली के नियम 3(2) के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष के दौरान कराये गये सामाजिक लेखापरीक्षा उपलब्धियों के सार को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्रस्तुत करना था। लेकिन, इसे प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सिर्फ नियमित विसंगतियाँ यथा जॉब कार्ड अद्यतन/नवीनीकरण नहीं, कामगारों को मजदूरी पर्ची जारी नहीं, रोजगार दिवस का आयोजन नहीं, कार्यस्थल पर सुविधायें नहीं, मेट की नियुक्ति नहीं इत्यादि को ही सिर्फ प्रतिवेदित किया गया था। लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि भी.आर.पी. जीविका दीदी (बी. आर.एल.पी.एस. के स्वयं सहायता समूहों की 8 वीं पास) थीं और वे कार्यों के कार्यान्वयन की तकनीकी पहलुओं की जाँच करने एवं संतोषप्रद प्रतिवेदन तैयार करने में सक्षम नहीं थीं। एस.ए.एस. द्वारा यह जवाब दिया गया कि लेखापरीक्षा उपलब्धियों के सार को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को भविष्य में प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकार राज्य में एस.ए.एस. की प्रणाली प्रभावी तरीके से राज्य में कार्यान्वित नहीं थी।

2.2.11.3 कार्यों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण नहीं

अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि इस योजना के अंतर्गत लिए गए कार्यों की उचित गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण और पर्यवेक्षण के साथ ही साथ

¹⁰¹ बोंका, गया, खगड़िया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नवादा और पूर्णिया

¹⁰² जमुई, कैमूर, पटना, पूर्वी चंपारण, सारण एवं सिवान

यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पूर्ण किये गये कार्य की गुणवत्ता और संख्या के अनुपात में मजदूरी का भुगतान किया गया है। नमूना-जाँच किये गये कार्यान्वित इकाईयों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण (यदि कोई हो) का अभिलेख संधारित नहीं किया गया था। तथापि, लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान 803 लाभार्थियों में से 455 द्वारा बताया गया कि उच्च प्राधिकारियों द्वारा कार्यों का पर्यवेक्षण नहीं किया गया था।

2.2.11.4 अपर्याप्त शिकायत निवारण तंत्र

• शिकायत पंजी का गैर-संधारण

ग्रा.प., प्रखण्ड तथा जिला स्तर पर एक शिकायत पंजी का संधारण करना था जिसमें शिकायतों की प्रविष्टि करनी थी एवं शिकायतकर्ता को तारीख युक्त एवं क्रम संख्यायुक्त पावती देना था। शिकायतों का निष्पादन वैधानिक समय सीमा के अंदर करना था तथा उच्च स्तर पर प्रति माह निष्पादन का अनुश्रवण करना था। लेकिन, नमूना-जाँच किए गए इकाईयों में से किसी के भी द्वारा शिकायत पंजी का संधारण नहीं किया गया था। तथापि, नरेगासॉफ्ट से ज्ञात हुआ कि जिला स्तर पर 2014-19 की अवधि में नागरिको, मजदूरों तथा अन्य द्वारा दर्ज कुल 752 ऑनलाइन शिकायतों में से मार्च 2020 तक 698 शिकायतों का निष्पादन लंबित था (**परिशिष्ट-2.2.28**)।

राज्य स्तर पर जनवरी 2014 से मई 2020 की अवधि में कुल 386 शिकायतें ऑनलाइन (सी.पी. ग्राम¹⁰³ पर) प्राप्त हुयी थीं जिसमें से 250 शिकायतों का निष्पादन किया गया था और 136 शिकायतें निष्पादन हेतु लंबित थीं तथा इन शिकायतों का औसत निष्पादन समयावधि 334 दिन था। इसके अतिरिक्त, बि.स. द्वारा उपयुक्त शिकायत निवारण प्रणाली बनाने हेतु नियम निर्धारित नहीं किया गया था। इस प्रकार, शिकायत निवारण प्रणाली अपर्याप्त थी।

• लोकपाल के कार्यालय में रिक्तियाँ

योजना के दिशा-निर्देश में योजना के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों के शीघ्र निष्पादन हेतु सभी जिलों में लोकपाल के कार्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तथापि, यह देखा गया है कि नमूना जाँच किये गये नौ जिलों¹⁰⁴ में से छः जिलों¹⁰⁵ में लोकपाल का पद एक से चार वर्षों¹⁰⁶ तक रिक्त था। इसके अतिरिक्त, सारण में लोकपाल का पद 2014-19 की अवधि में पाँच वर्षों तक रिक्त था। राज्य में, लोकपाल नौ जिलों में पदस्थापित थे, आठ जिलों¹⁰⁷ में लोकपाल अतिरिक्त प्रभार में थे और शेष जिलों में लोकपाल के भर्ती की प्रक्रिया प्रगति पर थी। विभाग द्वारा यह उत्तर दिया गया कि रिक्तियों का प्राथमिक कारण कम पारिश्रमिक तथा 20 वर्षों का आवश्यक अनुभव था, अब पारिश्रमिक को बढ़ाया गया है एवं आवश्यक अनुभव को भी घटाकर 10 वर्ष किया गया है एवं तदनुसार नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। लोकपाल के पद के रिक्त होने के कारण एम.जी.एन.आर.

¹⁰³ सी.पी. ग्राम (केन्द्रीकृत नागरिक शिकायत निवारण तथा निगरानी प्रणाली) भारत सरकार द्वारा तैयार की गई एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जाती है तथा शिकायतों के निष्पादन की ऑनलाइन निगरानी की जाती है।

¹⁰⁴ लोकपाल की कार्य अवधि-बेगूसराय (जनवरी 2016 से जनवरी 2017, नवम्बर 2018 से मार्च 2019); भागलपुर (अप्रैल 2014 से जून 2017); गया (अप्रैल 2014 से जून 2017, सितम्बर 2017 से मार्च 2019); पटना (जुलाई 2017 से मार्च 2019); पूर्वी चंपारण (अप्रैल 2014 से नवम्बर 2015, सितम्बर 2016 से सितम्बर 2018); पूर्णियाँ (अप्रैल 2014 से मई 2017); सारण (2014-19 में कार्यरत नहीं); समस्तीपुर (सितम्बर 2016 से दिसम्बर 2018) तथा सहरसा (अप्रैल 2014 से जनवरी 2015)

¹⁰⁵ बेगूसराय, भागलपुर, पटना, पूर्णियाँ, सहरसा तथा समस्तीपुर

¹⁰⁶ पूर्वी चंपारण, खगड़िया, नालंदा, पटना, भोजपुर, रोहतास, अरवल, शेखपुरा, नवादा

¹⁰⁷ जहानाबाद, बक्सर, वैशाली, औरंगाबाद, लखीसराय, बेगूसराय, गया और मुजफ्फरपुर

ई.जी.एस. के कामगारों एवं अन्य लोगों को एक स्वतंत्र प्राधिकार के समक्ष शिकायतों को दर्ज करने की व्यवस्था तथा दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कारवाई, यदि कोई हो, को सरकार द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जा सका था।

2.2.11.5 ग्रा.पं. स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समिति का गठन नहीं

योजना के दिशा-निर्देश में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में छः माह एवं एक वर्ष से कम की अवधि के लिए सतर्कता एवं निगरानी समिति (भी.एम.सी.) का गठन किया जाएगा जिसमें 10 सदस्य हों। भी.एम.सी. के सदस्यों को शिक्षकों, आँगनवाड़ी कर्मियों, एस.एच.जी. सदस्यों इत्यादि में से चुना जाना था तथा उन्हें ग्राम सभा द्वारा नियुक्त किया जाना था। भी.एम.सी. के कार्यों में शामिल था कार्यस्थल का दौरा करना, कामगारों से संपर्क बनाए रखना, कामगारों के अधिकारों का प्रचार-प्रसार करना, कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाओं का सत्यापन तथा कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता की निगरानी एवं समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु मंच का कार्य करना और ग्राम सभा में चर्चा हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। तथापि, नमूना-जॉंचित 54 ग्रा.पं. में से 48 में भी.एम.सी. का गठन नहीं किया गया था जबकि छः¹⁰⁸ नमूना-जॉंचित ग्रा.पं. में भी.एम.सी. का गठन कार्यस्थल पर मुखिया द्वारा की गई थी न कि ग्राम सभा द्वारा। इस प्रकार, ग्रा.पं. में भी.एम.सी. के द्वारा कार्यों के कार्यान्वयन की निगरानी को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

2.2.11.6 मजदूरी पर्ची का वितरण नहीं

योजना के दिशा-निर्देश में प्रावधान किया गया है कि मजदूरी पर्ची जिसमें मजदूरी का दर, किए गए कार्य दिवसों की संख्या, कामगार द्वारा अर्जित मजदूरी की राशि इत्यादि का ब्यौरा शामिल होगा को प्रत्येक मजदूर को दी जाएगी जिससे कि योजना कार्यान्वयन में पारदर्शिता बढ़ेगी। जबकि, नमूना जॉंच किये गये किसी भी ग्रा.पं. में कामगारों को मजदूरी पर्ची का वितरण नहीं किया गया था। मजदूरी पर्ची का वितरण नहीं किया जाना निगरानी की कमी को इंगित करता था क्योंकि एन.ई.-एफ.एम.एस. के लागू होने के उपरांत मजदूरी पर्ची स्वतः सृजित हो जाती थी एवं इसका प्रिन्ट निकालकर कामगारों को वितरित किया जाना था।

2.2.12 कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन का परिणाम

नमूना-जॉंचित ग्रा.पं. द्वारा 2014-19 की अवधि में इस योजना के अंतर्गत स्वीकार्य सभी चार विस्तृत श्रेणियों में से लिए गये कुल 17,404 कार्यों में से 423¹⁰⁹ कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन लेखापरीक्षा द्वारा किया गया (नवम्बर 2019 से फरवरी 2020)। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान गैर टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण, अस्वीकार्य कार्यों का कार्यान्वयन, लाभार्थियों को आई.ए.वाई. घरों में रोजगार देने के बावजूद उन घरों का निर्माण नहीं किया जाना, गैबियन के लगाये बिना ही उसका भुगतान किया जाना, निष्फल वृक्षारोपण कार्य, अधिक भुगतान इत्यादि पाये गये। उपर्युक्त 423 कार्यों में से 59 कार्यों में विसंगतियाँ सूचित की गयीं जैसे कार्यों को बीच में ही बन्द कर देना/छोड़ देना (34 कार्य), कार्यस्थल पर कोई कार्य नहीं पाया जाना (18 कार्य), सृजित परिसंपत्तियों का निहित उद्देश्यों हेतु प्रयोग नहीं किया जाना (तीन कार्य) तथा अस्वीकार्य कार्यों का कार्यान्वयन (चार कार्य)। विवरणी परिशिष्ट-2.2.29 पर।

¹⁰⁸ जमालनगर, महरस, महखड़, रसलपुर, सरौजा एवं सरडीहा

¹⁰⁹ बेगूसराय अन्तर्गत ग्रा.पं. अकबरपुर बरई के छः कार्यों एवं खान पिपरा, कोरारी व जमालपुर के एक-एक कार्य का संयुक्त भौतिक सत्यापन आवागमन में असुविधा के कारण नहीं किया जा सका।

2.2.13 लाभार्थी सर्वेक्षण का परिणाम

54 नमूना-जाँचित ग्रा.पं. के कुल 803 लाभार्थियों का सर्वेक्षण (नवंबर 2019- फरवरी 2020) किया गया और उनके द्वारा दी गयी जानकारी इंगित किया कि एम.जी.एन.आर.ई. जी.एस. कामगार अधिनियम एवं योजना के दिशा-निर्देश में प्रावधानित मुख्य हकदारियों से अवगत नहीं थे यथा एक वर्ष में प्राप्त होने वाले कार्य की मात्रा, योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली न्यूनतम मजदूरी, योजना के अंतर्गत पंजीकरण तथा काम की मांग के विविध माध्यम, पंजीकरण हेतु दिए गए आवेदन का दिनांकित प्राप्ति रसीद, एक दिन में किए जानेवाले कार्यों की मात्रा इत्यादि। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों द्वारा मजदूरी का भुगतान विलंब से करने, क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं करने, कार्यों की निरंतर अनुपलब्धता, कार्यस्थल पर सुविधाओं के उपलब्ध नहीं कराने इत्यादि के संबंध में भी अपने मतव्य व्यक्त किये गये। इस प्रकार, कामगारों को अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त होने वाले अपने अधिकारों एवं हकदारियों की उचित जानकारी नहीं थी (परिशिष्ट-2.2.30)।

2.2.14 अन्य बिन्दु

2.2.14.1 ई- शक्ति कार्यक्रम के द्वारा मजदूरी भुगतान में अनियमितताएँ

मनरेगा योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु, ग्रा.वि.वि. द्वारा ई-शक्ति कार्यक्रम (दिसम्बर 2007) की शुरुआत पायलट आधार पर पटना जिला में इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत कामगारों को एक सुरक्षित एवं उच्च क्षमतायुक्त इलैक्ट्रॉनिक स्मार्ट कार्ड निर्गत कर किया गया था जिससे सही लाभार्थियों को दोष रहित व समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। ग्रा.वि.वि. द्वारा राज्य में ई-शक्ति परियोजना को लागू करने के लिए बिहार स्टेट इलैक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (कम्पनी) को स्वीकृति दी गई थी। कम्पनी ने स्मार्थ टेक अनिल प्रिंटर्स लिमिटेड एवं फेस टेक्नोलॉजिल (प्रोपराईटीज) को कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विक्रेता के रूप में चयन किया गया था।

जि.ग्रा.वि.ए. पटना ने श्रमिकों के मजदूरियों के वितरण के लिए विक्रेता को निधियों के हस्तांतरण करने के लिए सेन्ट्रल बैंक और इंडिया (सी.बी.आई.) में एक पृथक बैंक खाता खोला (दिसम्बर 2009)। बैंक ने बैंक स्तर पर संधारित किए गए पूल खाता के जरिये श्रमिकों के खातों को जि.ग्रा.वि.ए. खाता से निधियाँ भेजा। श्रमिकों के खातों में मजदूरी जमा करने के बाद, सेवा प्रदाता की भूमिका व्यापार संवाददाता को उनके हाथ से पकड़े हुए उपकरण के साथ ग्राम पंचायतों में जाने हेतु निर्देश देना था जिसके जरिये एक श्रमिक बायोमैट्रिक पहचान के माध्यम से अपने बैंक खातों से राशि निकासी कर सकता था। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कमियाँ पाई:

- श्रमिकों को उनके बैंक खातों तक सीधी पहुँच नहीं थी और वे अपने भुगतान पाने हेतु व्यापार संवाददाताओं पर पूरी तरह से निर्भर थे, मजदूरी की बकाया राशि और लाभार्थियों को किए गए वास्तविक भुगतान के संबंध में डाटा को प्रखंड और जि.ग्रा.वि.ए. स्तरों पर उपलब्ध नहीं कराया गया जिसने पारदर्शिता और अनुश्रवण प्रणाली में गंभीर अभाव को इंगित किया।
- जि.ग्रा.वि.ए. ने दिसम्बर 2009 से जनवरी 2016 के बीच इस उद्देश्य के लिए बनाए गए बैंक खाता (खाता सं. 3057970573) में ₹45.25 करोड़ हस्तांतरित किया और सम्पूर्ण राशि श्रमिकों के बैंक खाताओं में उनके बकाया मजदूरी के रूप में जमा

किया गया। यद्यपि, मार्च 2020 तक, ₹8.16 करोड़ (ब्याज सहित) राशि चार वर्षों से ज्यादा के लिए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 10 सम्पर्क शाखाओं में लाभार्थियों के खातों में पड़ी हुई थी।

- नरेगासॉफ्ट के साथ ई-शक्ति पोर्टल पर डाटा का एकीकरण नहीं किया गया। इसलिए, अप्रैल 2014 से जनवरी 2016 की अवधि के लिए पटना जिला में सृजित किए गए 'मानवदिवस', श्रमिकों को किया गया मजदूरी भुगतान, देय मजदूरी, मस्टर रॉल विवरणों, सृजित परिसम्पतियों इत्यादि के संबंध में डाटा नरेगासॉफ्ट में उपलब्ध नहीं था।
- आगे, पाँच नमूना-जाँचित प्रखंडों के अभिलेखों के अनुसार, लेखापरीक्षा ने पाया कि श्रमिकों के उपस्थिति को दर्ज करने हेतु कोई मस्टर रॉल प्रखंडों द्वारा निर्गत नहीं किया गया। श्रमिकों को किए गए भुगतानों को विक्रेताओं द्वारा या जिला स्तर प्राधिकारियों द्वारा प्रखंडों को सूचित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, श्रमिकों को किए गए भुगतान को ग्राम पंचायतों के रोकड़ बही में दर्ज पाया नहीं गया।

परियोजना को 23 जनवरी 2016 की तिथि से समाप्त किया गया और ई-शक्ति पोर्टल पर डाटा को मई 2020 तक नरेगासॉफ्ट के साथ एकीकृत नहीं किया गया। मनरेगा आयुक्त ने कहा कि ई-शक्ति पोर्टल और नरेगासॉफ्ट के डाटा का एकीकरण के लिए, मामले को रा.सू.के. के समक्ष उठाया गया था और उनके खातों से राशि निकालने में सक्षम करने हेतु श्रमिकों को सुलभ बनाने के लिए लाभार्थियों के निष्क्रिय बैंक खातों को सक्रिय बनाने हेतु कदम उठाए गए थे।

2.2.15 अभिलेखों और पंजियों का संधारण

उचित अभिलेख संधारण योजना के कार्यान्वयन में सफलता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कारकों में से एक था। ग्रा.वि.म. ने क्षेत्रीय स्तर के कर्मियों के कामकाज को आसान बनाने के लिए ग्रा.प. स्तर पर संधारित किए जा रहे 22 पंजियों को सात पंजियों तक सरल बनाया (अक्टूबर 2016)। राज्य को ग्राम पंचायतों द्वारा उन सात पंजियों का संधारण सुनिश्चित करना था। उन सात पंजियों में से, तीन पंजियों (पंजी 2, 3 और 5) और पंजी -1 का भाग सी को हाथ से संधारित किया जाना था और शेष पंजियों को नरेगासॉफ्ट से प्रिंट लेने और संबंधित पंजियों में इसे चिपका कर संधारित किया जाना था। तथापि, यह पाया गया कि सभी सात पंजियों को किसी नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतों द्वारा उचित रूप से संधारित नहीं किया गया। अभिलेखों के संधारण और गैर-संधारण के परिणामों की स्थिति **परिशिष्ट-2.2.31** में दिया गया है। नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतों के पी.आर.एस. ने अभिलेखों के गैर-संधारण के लिए कारणों के रूप में कार्यभार, पंजियों की विलंबित प्राप्ति, मुद्रण की आकस्मिकता मद का प्रावधान न होना इत्यादि का हवाला दिया।

2.2.16 निष्कर्ष

योजना के कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण हेतु लिए गए संस्थागत व्यवस्थाओं और उपायों को और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। पदों के विभिन्न संवर्गों में नमूना-जाँचित जिलों (37 प्रतिशत) और राज्य स्तर (42 प्रतिशत) पर मानवबल की गंभीर कमी थी। आवश्यक आधारभूत संरचनाएँ जैसे पर्याप्त मानवबल, कार्यालय भवनों, आई.टी. आधारित संरचनाएँ इत्यादि ग्राम पंचायतों के स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं जिसे प्राथमिकता के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

योजना के बॉटम-अप दृष्टिकोण का पालन नहीं किया गया। ग्राम सभा बैठकों में पर्याप्त लोक भागीदारी को सुनिश्चित नहीं किया जा सका और बैठकों में कार्यसाधकों की संख्या 168 बैठकों में से 140 में पूरी नहीं की जा सकी। आधारभूत सर्वेक्षण और गृहस्वामियों के साथ बात-चीत के बिना प्रखंड स्तर पर श्रम बजट की तैयारी ने 2014-19 के दौरान स्वीकृत मानवदिवसों और वास्तविक रूप से सृजित कार्यदिवसों के बीच व्यापक अंतर पैदा किया।

वित्तीय प्रबंधन में कमी थी जो लंबित मजदूरी और सामग्रियों की लागत के संबंध में काफी बड़ी देयताओं, योजना निधियों का विचलन, रा.रो.गा.नि. खाता में भा.स. द्वारा विमुक्त राशियों को जमा करने में विलंब, निधियों का गैर-उपयोग, लंबे समय से अग्रिमों का लंबित समायोजन, निष्क्रिय बैंक खातों की गैर-समाप्ति इत्यादि से अवलोकित हुआ।

राज्य में कम रोजगार सृजन था। राज्य में निबंधित कुल गृहस्वामियों में से, आठ से 17 प्रतिशत को 2014-19 के दौरान रोजगार प्रदान किया गया जबकि राज्य में रोजगार मांगने वाले गृहस्वामियों के 0.55 से 3.02 प्रतिशत को 100 दिनों का रोजगार दिया गया। मानवदिवसों के कम सृजन की वजह से कम मजदूरी दर, मजदूरी की भुगतान में देरी, बेरोजगारी भत्ता का गैर-भुगतान, विलंबित भुगतान के लिए क्षतिपूर्ति का गैर-भुगतान, रोजगार सुरक्षा इत्यादि थी जिसने योजना के अंतर्गत रोजगार का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों को हतोत्साहित किया।

राज्य में, निबंधित विकलांग व्यक्तियों के सिर्फ नौ से 14 प्रतिशत और वरिष्ठ नागरिकों का पाँच से नौ प्रतिशत को 2014-19 के दौरान रोजगार प्रदान किया गया। आगे, निबंधित अ.जा./अ.जजा./गृ. के केवल 22 से 24 प्रतिशत को 10 से 15 औसत मानवदिवसों का रोजगार दिया गया। किसी भी नमूना-जाँचित प्रखंडों में मजदूरी के भुगतान में देरी के लिए बेरोजगारी भत्ता का भुगतान नहीं किया गया।

मजदूरी और सागग्री की लागत का भुगतान समय पर नहीं किया गया और विलंब एक से पाँच वर्षों के बीच था और यह अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (रा.ई.-नि.प्र.प्र.) के शुरुआत के बाद भी जारी रहा। योजना के अंतर्गत 58.43 लाख सक्रिय श्रमिकों में से, 49.12 लाख (84 प्रतिशत) श्रमिकों का आधार सीडिंग नरेगासॉफ्ट में नहीं किया गया लेकिन सिर्फ 25 प्रतिशत श्रमिकों को आधार आधारित भुगतान (आ.आ.भु.) में बदला गया जबकि नमूना-जाँचित जिलों में; आ.आ.भु. 17 से 32 प्रतिशत के बीच था।

सब मिलाकर, 2014-19 के दौरान शुरू किए गए 14 प्रतिशत कार्य मार्च 2020 तक अपूर्ण थे। 2014-19 के दौरान शुरू किए गए 42.87 लाख कार्यों में से, 36.89 लाख कार्य राज्य में अपूर्ण रह गया जबकि नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतों में 11,310 कार्य (65 प्रतिशत) एक वर्ष से ज्यादा अवधि के लिए अपूर्ण थे। इसके अलावा अपूर्ण और परित्यक्त कार्यों पर निष्फल व्यय, कृषि, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और सामाजिक वानिकी से संबंधित कार्यों की कम व्याप्ति, गैर-टिकाऊ/गैर-स्वीकार्य कार्यों का निष्पादन, ग्राम सभा के अनुमोदन के बिना और ग्राम सभा द्वारा तय कार्यों को प्राथमिकता के बिना कार्यों के निष्पादन ने इंगित किया कि कार्यों को योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार निष्पादित नहीं किया गया।

पारदर्शिता उपायों और अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए तंत्र का अभाव था जैसा योजना के कार्यान्वयन के मूल्यांकन के लिए राज्य रोजगार गारंटी परिषद (एस.ई.

जी.सी.) सभा को नियमित रूप से आयोजित नहीं किया गया और राज्य में मनरेगा योजना की स्थिति पर वार्षिक प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया था और विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। सामाजिक अंकेक्षण संस्था (सा.अं.सं.) कम मानवबल के साथ कामकाज कर रहा था और राज्य के सिर्फ दो से 16 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को सम्मिलित किया, नमूना-जाँचित जिलों में लोकपाल की गैर-नियुक्ति, उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा कार्यों का गैर-पर्यवेक्षण, श्रमिकों को वेतन पर्चियों का गैर-वितरण इत्यादि से स्पष्ट है।

कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन ने असफल वृक्षारोपण कार्य, अस्वीकार्य कार्यों का निष्पादन, लाभार्थियों को भुगतान के बावजूद आई.ए.वाई./पी.एम.ए.वाई.-जी. आवासों का गैर-निर्माण इत्यादि प्रकट किया। चयनित लाभार्थियों के लाभार्थियों सर्वेक्षण और लेखापरीक्षा निष्कर्षों ने प्रकट किया कि आई.ई.सी. को और सुदृढ़ किए जाने की जरूरत है और श्रमिकों को अधिनियम के अंतर्गत अधिकारों और हकदारियों यथा; एक वर्ष में रोजगार का अधिकार, न्यूनतम मजदूरी दर, कार्य के निबंधन और मांग रखने के लिए विभिन्न चैनल, निबंधन के लिए आवेदन के दिनांकित रसीद की प्राप्ति इत्यादि के बारे में जागरूक किया जाना था।

2.2.17 अनुशंसाएँ

बिहार सरकार :

- योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी स्तरों पर पर्याप्त और समर्पित मानवबल प्रदान कर सकती है और योजना पदाधिकारियों को उन्हें नियत कार्य कुशलतापूर्वक करने के लिए विशेष रूप से ग्राम स्तर पर आवश्यक आधारभूत संरचना जैसे इंटरनेट सुविधा प्रदान कर सकती है।
- प्रभावी आई.ई.सी. गतिविधियों और नागरिक समाज संस्था इत्यादि को शामिल करने के जरिये कार्य करने के लिए श्रमिकों को प्रेरित करने के द्वारा एक वर्ष में गृहस्वामियों को न्यूनतम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार प्रदान करने के लिए अपेक्षित प्रयास कर सकती है।
- प्रभावी रूप से आधार समर्थित भुगतान प्रणाली को सरल बनाने एवं समय पर एफ.टी.ओ. के सृजन के द्वारा सही लाभार्थियों के खातों में मजदूरी एवं सामग्री अवयवों के समायोजित भुगतान सुनिश्चित कर सकती है।
- परियोजना लाईफ मनरेगा कार्यक्रम के माध्यम से मनरेगा योजना पर काफी हद तक निर्भर गृहस्वामियों के युवाओं को कुशल बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाया जा सकता है ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके और पूर्ण रोजगार पाने के लिए उनके कौशल आधार में सुधार किया जा सके।

एस.ई.जी.सी. की समय पर बैठक सुनिश्चित कर सकती है और योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त रूप से और उचित रूप से सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित कर सकती है।

અધ્યાય-III
અનુપાલન લેખાપરીક્ષા

अध्याय-III अनुपालन लेखापरीक्षा

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

3.1 बिहार महादलित विकास मिशन की कार्यप्रणाली

3.1.1 परिचय

भारत के संविधान¹¹⁰ ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अ.जा. और अ.ज.जा.) समुदायों को समाज की मुख्य धारा में लाने पर विशेष बल दिया है। अनुसूचित जातियों के एक वर्ग, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, को बिहार में महादलित (अनुसूचित जाति के कुल सूचीबद्ध 23 जातियों में से 21 जातियाँ) माना गया है। 2001 की जनगणना और राज्य महादलित आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, महादलित की आबादी राज्य की कुल आबादी (8.30 करोड़) का 10.83 प्रतिशत (0.90 करोड़) है। महादलितों की शैक्षिक और सामाजिक स्थिति के उत्थान के माध्यम से महादलित समुदाय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए, बिहार महादलित विकास मिशन (बि.म.वि.मि.) की स्थापना (अप्रैल 2008) अ.जा. एवं अ.ज.जा. कल्याण विभाग, बिहार सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक पंजीकृत समिति¹¹¹ के रूप में बिहार सरकार (बि.स.) द्वारा की गई थी। बि.म.वि.मि. का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर महादलित परिवारों को लक्षित करके चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के सुचारु क्रियान्वयन को सुगम बनाना था।

3.1.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

बि.म.वि.मि. (राज्य मिशन कार्यालय) के मई 2017 से मई 2019 तक की अवधि के लिए लेखाओं की लेखापरीक्षा जून 2019 एवं अगस्त-सितंबर 2019 की अवधि के दौरान की गई थी।

3.1.3 वित्तीय प्रबंधन

बि.म.वि.मि. के अभिलेखों की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने बि.म.वि.मि. के वित्तीय प्रबंधन में गंभीर त्रुटियाँ पायी जिसे आगे की कड़िकाओं में वर्णित किया गया है:

3.1.3.1 बैंक खातों का संचालन

बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 349 में संशोधन से संबंधित जुलाई 2014 और अप्रैल 2015 में वित्त विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार राज्य सरकार के सभी बोर्डों, प्राधिकरणों, एजेंसियों, समितियों आदि को कोषागार में व्यक्तिगत खाता (पी. एल. खाता) खोलना अपेक्षित था। उन्हें बैंक में पी.एल.खाते की राशि का अधिकतम 20 प्रतिशत रखने की अनुमति दी गयी थी, जिसका उपयोग आवश्यकतानुसार ठेकेदारों को तत्काल भुगतान के लिए किया जाना था। इसके अलावा वित्त विभाग द्वारा अगस्त 2015 में जारी निर्देशों के अनुसार, सरकारी एजेंसी के कारोबार का कोई भी प्राधिकार निजी क्षेत्र के बैंकों को नहीं दिया जाना था।

बि.म.वि.मि. से संबंधित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि उनके द्वारा पी.एल. खाते के अतिरिक्त 2017-18 में 15 बैंक खातों और 2018-19 में 13 बैंक खातों का संचालन किया गया था। ये बैंक खाते बिना ठेकेदारों को तत्काल भुगतान की आवश्यकता के

¹¹⁰ अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 46

¹¹¹ सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 21 के अंतर्गत

संचालित किए जा रहे थे (क्योंकि बि.म.वि.मि. के द्वारा सभी योजनाओं को विभागीय रूप से निष्पादित किया जा रहा था) (परिशिष्ट 3.1.1 अ तथा परिशिष्ट 3.1.1 ब)। बि.म. वि.मि. के पास 2018-19 में उपलब्ध कुल निधि का 32 प्रतिशत इन बैंक खातों में था। 13 बैंक खातों में से एक खाता निजी बैंक (एच.डी.एफ.सी, शाखा: बोरिंग रोड, पटना) में था।

कई बैंक खाते खोलने के विषय को अप्रैल 2015 से अप्रैल 2017 तक की अवधि की पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित करने के बावजूद, इन खातों को बंद करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया था। कई खातों के संचालन में निधियों के दुरुपयोग का जोखिम होता है। जवाब में विभाग ने कहा (अक्टूबर 2020) कि मिशन कार्यालय अब केवल नौ बैंक खातों का संचालन कर रहा था और शेष बैंक खातों को बंद करने के लिए नियमित प्रयास किए जा रहे थे।

3.1.3.2 बैंक खातों का रोकड़ बही के साथ मिलान

वित्त विभाग, बिहार सरकार ने नवंबर 2018 के अपने पत्र द्वारा रोकड़ बही की शेष राशियों का बैंक शेषों के साथ मासिक समाधान की आवश्यकता पर बल दिया था। इसके अलावा, बि.म.वि.मि. के बाईलॉज के अनुसार, सदस्य सचिव सह परियोजना निदेशक खातों के संचालन, मासिक लेनदेन और मासिक प्राप्ति एवं व्यय विवरण के सत्यापन के लिए उत्तरदायी थे, जिसे आवश्यकतानुसार कार्यकारी समिति के समक्ष रखा जाएगा।

बि.म.वि.मि. के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि रोकड़ बही के अंतर्शेष का समाधान बैंक खातों के साथ नहीं किया गया था और बि.म.वि.मि. के द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं किया गया था। बैंक और रोकड़ बही शेषों के समाधान नहीं किए जाने से निम्नलिखित तथ्यों का पता चला:

- इलाहाबाद बैंक, पटना शाखा में बि.म.वि.मि. के एक बचत खाते से उपलब्ध राशि ₹37.60 लाख की निकासी के पश्चात् खाते को दिनांक 08/03/2017 को बंद कर दिया गया था। हालाँकि, इस राशि का अग्रेतर उपयोग अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। लेखापरीक्षा में इंगित करने पर बि.म.वि.मि. के द्वारा ₹37.60 लाख की राशि, जो कि माँग पत्र के रूप में थी, का पता लगाया गया एवं दो साल और 10 महीने (जनवरी 2020) के बाद अपने बैंक खाते में जमा किया गया।
- मध्य बिहार ग्रामीण बैंक (म.बि.ग्रा.बै.), कंकड़बाग, पटना (खाता संख्या 73212100011655) और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक (उ.बि.ग्रा.बै.), मुजफ्फरपुर (खाता संख्या 1000011030004078) द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक विवरणियों के अनुसार, क्रमशः सितंबर 2016 और जुलाई 2019 के बाद से इन खातों की शेष राशि 'शून्य' थी। हालाँकि, रोकड़ बही में क्रमशः ₹99.73 लाख और ₹49.05 लाख की राशि इन खातों (मई 2019) में शेष के रूप में दर्ज की गयी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बि.म.वि.मि. के द्वारा ₹35.00 करोड़ की निधियों का हस्तांतरण (सितंबर 2013 से मार्च 2015) म.बि.ग्रा.बै. (₹30.00 करोड़) और उ.बि.ग्रा.बै. (₹5.00 करोड़) को सचिव, अ. जा. और अ.ज.जा. कल्याण विभाग के नेतृत्व में संचालित संयुक्त देयता समूह (जे.एल.जी.) के अंतर्गत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को बैंक-एंड सब्सिडी के रूप में ₹10,000 प्रति लाभार्थी भुगतान किया गया था। बि.म.वि.मि. को इन बैंकों को प्रदत्त

निधियों के उपयोगिता की निगरानी करना था। किन्तु, बि.म.वि.मि. बैंकों से ₹99.73 लाख (म.बि.ग्रा.बै.) और ₹50.00 लाख (उ.बि.ग्रा.बै.) की बैंक-एंड सब्सिडी का भुगतान विवरण प्राप्त करने में विफल रहा और रोकड़ बही (मई 2019) में उक्त राशि को संबंधित बैंकों के पास शेष के रूप में दिखाया गया। मिशन निदेशक, बि.म.वि.मि. ने जवाब दिया (अक्टूबर 2020) कि संबंधित बैंकों से राशि की उपयोगिता के बारे में पूछा जा रहा है। इस प्रकार, निधियों के संवितरण के पाँच साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी बि.म.वि.मि. को बैंकों से ₹1.49 करोड़ की उपयोगिता प्राप्त करना शेष था जो बि.म.वि.मि. के वित्तीय प्रबंधन के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं।

- बि.म.वि.मि. के अभिलेखों के अनुसार, दो बैंक खाते (एच.डी.एफ.सी. खाता सं. 50100132779273 और कॉर्पोरेशन बैंक खाता सं. 520101067608740) 2017-18 के पूर्व ही बंद कर दिए गए थे लेकिन बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरणियों के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2019 को इन बैंकों में शेष के रूप में ₹12.85 लाख पाये गये। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जुलाई 2017 में बैंकों को क्लोजर पत्र भेजने के बाद बि.म.वि.मि. द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी। जवाब में बि.म.वि.मि. ने कहा (अक्टूबर 2020) कि अग्रेतर कार्रवाई हेतु बैंकों से अद्यतन विवरणी की माँग की गयी है।
- यह भी पाया गया कि 2017-19 के दौरान बैंक खातों में अर्जित ₹8.65 करोड़ के ब्याज की प्रविष्टि रोकड़ बही में एक से 14 महीने के विलंब से किया गया था। इसके अलावा, ₹2.22 करोड़ के ब्याज की राशि के प्रविष्टि रोकड़ बि.म.वि.मि. बही (परिशिष्ट-3.1.2) में नहीं पायी गयी। इंगित करने पर मिशन निदेशक, बि.म.वि.मि. ने बताया (अक्टूबर 2020) कि रोकड़ बही में ₹2.22 करोड़ के ब्याज की राशि दर्ज कर ली जाएगी।

बैंक शेष का रोकड़ बही शेष के साथ मिलान नहीं किया जाना धोखाधड़ी और गबन के जोखिम से परिपूर्ण था।

3.1.3.3 खातों का रखरखाव

बि.म.वि.मि. के उप-नियमों की कंडिका 16 (1) के अनुसार, राज्य समिति को लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का पालन करना था तथा प्राप्ति और भुगतान खाता, आय और व्यय खाता और बैलेंस शीट तैयार करना था, जिसका चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा अंकक्षण किया जाना था। बि.म.वि.मि. का आंतरिक अंकक्षण करने के लिए एक अंकक्षक को, जो वित्तीय विवरणों का अंकक्षण करने वाले से भिन्न हो, के नियुक्त किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017-19 के दौरान बि.म.वि.मि. की रोकड़बही का संधारण लेखाओं के एकल प्रविष्टि प्रणाली में की गयी थी और अंतिम खातों जैसे- प्राप्ति और भुगतान खाता, आय और व्यय खाता और बैलेंस शीट तैयार एवं संधारण नहीं किया गया था। रोकड़ बही को मासिक रूप से बंद और समाधानित नहीं किया गया था जो कि बिहार वित्तीय नियमों के तहत आवश्यक था। रोकड़ बही के अंतशेष का समाधान भी बैंक खातों (31 मार्च 2019 को) के साथ नहीं किया गया था और बैंक का अंतशेष रोकड़ बही के अंतशेष से ₹26.87 करोड़ (परिशिष्ट-3.1.1 अ) अधिक था। इसके अतिरिक्त, रोकड़ बही में अंतशेष का विश्लेषण भी नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में बि.म.वि.मि. निधि के गलत इस्तेमाल के जोखिम से परिपूर्ण थी।

विभाग ने उत्तर (अक्टूबर 2020) दिया कि रोकड़ बही का संधारण दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में किया गया था और 2017-19 के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता, आय और व्यय खाता और बैलेंस शीट का संधारण किया गया था। उत्तर सही नहीं है। लेखापरीक्षा में प्रस्तुत की गयी रोकड़ बही का संधारण एकल प्रविष्टि प्रणाली में की गयी थी और कई स्मार पत्र जारी करने के बाद भी सहायक अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

3.1.3.4 बजट प्रबंधन

बिहार बजट नियमावली के प्रावधान के अनुसार, नियंत्री अधिकारी को यह देखने के लिए संवितरण अधिकारी से प्राप्त बजट की जाँच करनी चाहिए कि वे औपचारिक रूप से सही हैं, सभी विवरण और स्पष्टीकरण (जहाँ आवश्यक हो) दिए गये हैं और यह स्पष्टीकरण (जहाँ भी दिए गये हैं) पर्याप्त हैं। यदि अपर्याप्त है, तो बजट प्रावधान को बदल दिया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि जिला/प्रखंड स्तर के कार्यालयों से बि.म.वि.मि. द्वारा बजटीय आवश्यकताओं की माँग नहीं की गई (2016-19) और बजट पिछले वर्ष में किए गए व्यय के आधार पर ही तैयार किया गया था। विभाग ने कहा कि मिशन कार्यालय ने डीपीओ के साथ आयोजित समीक्षा बैठकों के आधार पर बजट अनुमान तैयार किया था। किन्तु, मिशन कार्यालय में डी.पी.ओ. द्वारा प्रस्तुत निधि की आवश्यकताओं से संबंधित कोई भी दस्तावेज का साक्ष्य लेखापरीक्षा में नहीं दिखाया गया।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2017-18 के दौरान, बजटीय प्रावधान (3 मई 2017) अ.जा. एवं अ.ज.जा. कल्याण विभाग द्वारा बि.म.वि.मि. से बजट प्रस्ताव की प्राप्ति (15 मई 2017) से पूर्व ही कर लिया गया था, जो यह दर्शाता है कि अ. जा. एवं अ. ज.जा. कल्याण विभाग द्वारा बजट पहले से ही निर्धारित कर लिया गया था। बि.म. वि.मि. के बजट और व्यय का विवरण इस प्रकार था:

तालिका सं.-3.1.1:

बिहार महादलित विकास मिशन के बजट एवं खर्च का विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	शीर्ष	प्राप्त अनुदान	व्यय	अंतर
1.	2016-17	वेतन	1.30	1.30	शून्य
		संपत्तियों का निर्माण	80.00	67.56	12.44
		वेतन के अलावा	169.00	169.00	शून्य
2.	2017-18	वेतन	1.30	1.30	शून्य
		संपत्तियों का निर्माण	105.00	62.78	42.22
		वेतन के अलावा	169.00	169.00	शून्य
3.	2018-19	वेतन	1.30	1.30	शून्य
		संपत्तियों का निर्माण	126.00	126.00	शून्य
		वेतन के अलावा	181.20	179.17	2.03
कुल			834.10	777.41	56.69

उत्तर में, विभाग ने उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2020) और कहा कि केवल ₹56.69 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र 2016-19 की अवधि के लिए लंबित है और उनके प्रस्तुतीकरण के लिए स्मारपत्र जारी किए गए थे।

3.1.4 मानव संसाधनों की महत्वपूर्ण कमी

लेखापरीक्षा में जिला/प्रखंड स्तर पर संस्वीकृत कार्य बल और कार्यरत बल के बीच महत्वपूर्ण कमी देखी गयी जैसा कि नीचे दिया गया है:

तालिका सं.-3.1.2:

अक्टूबर 2019 तक स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की स्थिति

क्र. सं.	कार्यालय	स्वीकृत पद	कार्यरत बल	रिक्ति
1	राज्य मिशन कार्यालय	30	21	09 (30 प्रतिशत)
2	जिला मिशन कार्यालय	304 ¹¹²	45	259 (85 प्रतिशत)
3	ब्लॉक मिशन कार्यालय	1068 ¹¹³	0	1068 (100 प्रतिशत)
कुल		1402	66	1336

(स्रोत: बि.म.वि.मि. द्वारा प्रदान किये गये आँकड़े)

जिला और प्रखंड स्तर पर मिशन कार्यालयों को कार्यालय के लिए समर्पित अधिकारियों की अध्यक्षता में नेतृत्व नहीं किया जा रहा था। जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों/प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों के कर्तव्यों का निर्वहन जिला कल्याण पदाधिकारियों¹¹⁴ (जि.क. पदा.)/प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों (प्र.क.पदा.) द्वारा किया जा रहा था। बि.म.वि.मि. की स्थापना (2008) के बाद से जिला परियोजना अधिकारियों के सभी 38 महत्वपूर्ण पदों के साथ ही अधीनस्थ कर्मचारियों के 221 पद खाली थे। इसके अतिरिक्त, जिला स्तर पर केवल 45 सहायक-सह-डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की गयी थी। मानवबल की कमी एवं अन्य कार्यालयों पर निर्भरता ने बि.म.वि.मि. के कामकाज और इसके द्वारा जिला और प्रखंड स्तर पर निष्पादित योजनाओं को प्रभावित किया।

विभाग ने बताया (अक्टूबर 2020) कि मानव संसाधन नीति तैयार की जा रही थी।

मिशन द्वारा विकास मित्रों¹¹⁵ की भी नियुक्ति की गयी, जिन्हें जिला कल्याण पदाधिकारी-सह-जिला परियोजना पदाधिकारी और प्रखंड कल्याण पदाधिकारी-सह-प्रखंड परियोजना पदाधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करना था और वे कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण के लिए छात्रों के संग्रहण और मिशन के द्वारा ग्रामीण स्तर पर निर्मित सामुदायिक भवनों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार थे। बि.म.वि.मि. द्वारा 11763 पंचायतों/शहरी वार्डों (पंचायत-8386, शहरी वार्ड -3377) की आवश्यकता के लिए 9540 विकास मित्र (मार्च 2019) नियुक्त किये गये थे और 2016-19 तक की अवधि में उन्हें ₹348.45 करोड़ मानदेय के रूप में भुगतान किया गया था।

3.1.5 अप्रभावी निरीक्षण

आम सभा और कार्यकारी समिति की बैठकें क्रमशः वर्ष में कम से कम दो बार और तीन महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जानी थीं। कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन, अंकेक्षित वार्षिक लेखे और अंकेक्षण प्रतिवेदन को आम सभा की वार्षिक बैठक (हर वर्ष 30 जून से पहले) के समक्ष रखा जाना था और इन प्रतिवेदनों की अनुमोदित प्रति बिहार सरकार को और रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज, बिहार को भी हर साल 30 जून तक या जैसा कानून द्वारा आवश्यक हो, भेजी जानी थी।

¹¹² जिला परियोजना पदाधिकारी (38), लेखापाल (38), भंडार रक्षक (38), सहायक-सह-डाटा एंट्री ऑपरेटर (76), चालक (38), चपरासी (38) और रात्रि प्रहरी (38)।

¹¹³ प्रखंड परियोजना पदाधिकारी (534) और लिपिक-सह-लेखापाल (534)।

¹¹⁴ अनु. जाति और अनु. जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार

¹¹⁵ साक्षात्कार के आधार पर महादलित समुदायों के बीच से चयन किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आम सभा की अंतिम बैठक जून 2016 में हुई थी। 2016–19 के दौरान, वार्षिक बजट/कार्य योजना न तो आम सभा द्वारा अनुमोदित किया गया था और न ही राज्य सरकार और रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीज, बिहार को भेजा गया था। अतः, बि.म.वि.मि., जैसा कि परिकल्पित किया गया था, अपने कुशल कामकाज के लिए समग्र योजना मार्गदर्शन के साथ-साथ दिशा-निर्देशों का लाभ नहीं प्राप्त कर सका। इस संबंध में पूछे जाने पर विभाग ने बताया (अक्टूबर 2020) कि आमसभा की बैठक जल्द आयोजित की जाएगी।

आगे यह पाया गया कि 2016–19 के दौरान कार्यकारी समिति की 12 बैठकों के स्थान पर केवल पाँच बैठकें हुईं। इस अवधि में राज्य समिति के खातों के अंकेक्षण के लिए अंकेक्षकों की नियुक्ति नहीं की गयी थी। विभाग ने जवाब दिया (अक्टूबर 2020) कि वार्षिक खातों के अंकेक्षण की प्रक्रिया चल रही थी।

3.1.6 अनुश्रवण

जिला महादलित मिशन समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता और सदस्य सचिव जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं 11 अन्य सदस्यों¹¹⁶ सहित प्रत्येक जिले में गठित किया जाना था। समिति जिला महादलित मिशन कार्यालय के मामलों का संचालन करने के लिए सभी सलाहकारी, कार्यकारी और वित्तीय शक्ति के साथ महादलितों से संबंधित जिले के कार्यों और मामलों को नियंत्रित और प्रबंधित करने के लिए जिम्मेवार थी। इसी प्रकार, प्रत्येक प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में, प्रखंड परियोजना पदाधिकारी (बी.पी.ओ.), सदस्य सचिव के रूप में तथा छः¹¹⁷ अन्य सदस्यों के साथ महादलितों से संबंधित प्रखंड के कार्यों और मामलों के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए प्रखंड महादलित मिशन समिति का गठन किया जाना था। इन समितियों को क्रमशः जिलों और प्रखंडों के लिए वार्षिक बजट/कार्य योजना तैयार करनी थी और मिशन द्वारा संचालित योजनाओं का अनुश्रवण/मूल्यांकन करना था। किन्तु, बहिर्गमन सम्मेलन में मिशन निदेशक ने जवाब दिया कि इन समितियों का गठन नहीं किया गया था।

जिला महादलित मिशन समिति, प्रखंड महादलित मिशन समिति, कॉल सेंटर की सलाहकार समिति, सामुदायिक भवन के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर रखरखाव समिति की गैर-स्थापना, आम सभा की बैठकों का गैर-आयोजन, कार्यकारी समिति की कम संख्या में बैठकें आयोजित करने, बि.म.वि.मि. के जिला और प्रखंड स्तर के कार्यालयों में कर्मचारियों की कुल रिक्ति और परिणामतः जिला और प्रखंड स्तर के कार्यालयों की स्थापना नहीं होने से अनुश्रवण कार्य और बि.म.वि.मि.के क्रियाकलापों से संबंधित ऐसे पहलू प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए जैसा कि पूर्व की कड़िकाओं में उल्लेख किया गया है।

विभाग ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2020) कि सामुदायिक भवन और अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी जिला पदाधिकारियों के माध्यम से प्राप्त हुई थी। राज्य मिशन कार्यालय में बैठकों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी अनुश्रवण किया गया।

¹¹⁶ डी.डी.सी, डी.एस.ई., कार्यकारी अभियंता, पी.एच.ई.डी., जिला कृषि पदाधिकारी, सिविल सर्जन, श्रम अधीक्षक, जीएम, जिला उद्योग केंद्र, जिला पशुपालन अधिकारी, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आइ.सी.डी.एस., जिला कल्याण पदाधिकारी।

¹¹⁷ अंचलाधिकारी, सी.डी.पी.ओ., प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, महिला प्रसार पदाधिकारी/प्रसार पदाधिकारी।

3.1.7 योजनाओं का क्रियान्वयन

बि.म.वि.मि. द्वारा निम्नलिखित पाँच¹¹⁸ प्रमुख योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया था और 2016–19 के दौरान उन पर प्राप्तियों और व्यय का विवरण नीचे दिया गया है। लेखापरीक्षा में बि.म.वि.मि. के क्रियाकलाप की जाँच दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के क्रियान्वयन और सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड के निर्माण के संबंध में की गई। संबंधित अवलोकन आगे की कंडिकाओं में दिए गये हैं:

तालिका सं.–3.1.3
2016–19 के दौरान योजनावार प्राप्ति और व्यय की स्थिति

(₹करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2016–17		2017–18		2018–19		कुल प्राप्ति	कुल व्यय
		प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय		
1	सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड	80.00	67.56	105.00	62.78	126.00	126.00	311.00	256.34
2	विकास मित्रों को मानदेय	118.54	113.19	128.43	96.33	118.50	138.93	365.47	348.45
3	आवासीय विद्यालय–सह–छात्रावास (नारी गुंजन प्रेरणा)	1.28	0.42	1.28	0.56	1.28	1.35	03.84	02.33
4	सहायता कॉल सेंटर	0.15	0.07	0.25	0.04	0.25	0	0.65	0.11
5	दशरथ मांझी कौशल विकास योजना	7.30	0	0	0	7.38	0.82	14.68	0.82
	कुल	207.27	128.29	234.96	138.55	253.41	223.19	695.64	608.05

टिप्पणी: रोकड़ बही अंतशेष का विश्लेषण तैयार नहीं किया गया था और रोकड़ बही में अंकित नहीं किया गया था। इस प्रकार, योजनावार राशियों का अंतशेष सुनिश्चित नहीं किया जा सका जैसा कि पहले की कंडिका 3.1.3.2 में चर्चा की गयी है।

3.1.7.1 दशरथ मांझी कौशल विकास योजना (द.मां.कौ.वि.यो.)

(द.मां.कौ.वि.यो.) की शुरुआत (2010) महादलित समुदाय को निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से की गई थी विशेष रूप से उनकी सांस्कृतिक परंपरा के साथ–साथ युवाओं की रुचि के अनुसार तैयार की गयी हो और जिससे उन्हें रोजगार प्रदान करने से आर्थिक स्थिति में सुधार हो। बाद में (मई 2018), योजना के लाभ का विस्तार अ.जा. और अ.ज.जा. समुदाय के तहत सभी उप–जातियों को दिया गया।

बिहार कौशल विकास मिशन (बि.कौ.वि.मि.) को जनवरी 2017 से बिहार में सभी कौशल विकास प्रशिक्षणों के लिए राज्य सरकार द्वारा नोडल एजेंसी घोषित किया गया था और इस तरह के प्रशिक्षण बि.कौ.वि.मि. द्वारा बि.म.वि.मि. को उपलब्ध कराई गई प्रशिक्षण एजेंसियों¹¹⁹ के द्वारा दिए जाने थे। ये प्रशिक्षण एजेंसियाँ बि.म.वि.मि. के समग्र पर्यवेक्षण/निर्देशों के तहत पात्र उम्मीदवारों के सर्वेक्षण, संग्रहण, प्रशिक्षण, प्लेसमेंट और पोस्ट प्लेसमेंट ट्रेकिंग के लिए जिम्मेदार थी।

प्रशिक्षण बैच शुरू करने के लिए प्रशिक्षण एजेंसियों को बि.कौ.वि.मि. पोर्टल पर छात्रों (बैच वार) का विवरण डालना आवश्यक था। बि.म.वि.मि. से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उन

¹¹⁸ दशरथ मांझी कौशल विकास योजना, सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड योजना, विकास मित्र, आवासीय विद्यालय–सह–छात्रावास और सहायता कॉल सेंटर। इसके अतिरिक्त विद्यालय–सह–छात्रावास (नारी गुंजन प्रेरणा छात्रावास) पटना और गया जिले में बि.म.वि.मि. द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।

¹¹⁹ बि.कौ.वि.मि. पोर्टल पर अपलोडेड ऑनलाइन आवेदनों में से बि.कौ.वि.मि. के द्वारा चयनित और पंजीकृत और बि.कौ.वि.मि. की जिला मिशन टीम द्वारा उनकी आधारभूत संरचना (आवेदन के साथ अपलोडेड) के भौतिक सत्यापन के पश्चात्।

एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाना था। प्रशिक्षण एजेंसियों को भुगतान चरणवार¹²⁰ तरीके से नेफ्ट के माध्यम से छात्रों की संख्या और बि.कौ.वि.मि. के अनुमोदित लागत और मानदंडों के अनुसार किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बि.कौ.वि.नि. के नाम को नोडल एजेंसी के रूप में अंतिम रूप देने (जनवरी 2017) में प्रक्रियात्मक देरी और बि.कौ.वि.नि. द्वारा बि.म.वि.मि. को प्रशिक्षण एजेंसियों की सूची प्रदान करने में अनुवर्ती विलंब (मार्च 2017 के बाद) के कारण 2016–17 में द.मां.कौ.वि.यो. के तहत कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

इसके अलावा, यह पाया गया कि 2017–19 के दौरान द.मां.कौ.वि.यो. के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बि.म.वि.मि. को प्रदान की गई 118 प्रशिक्षण एजेंसियों में से 109 प्रशिक्षण एजेंसियों की सेवाएँ, 103 एजेंसियों द्वारा छात्रों का प्रशिक्षण हेतु संग्रहण न किए जाने के कारण और बि.म.वि.मि. द्वारा छह एजेंसियों का प्रदर्शन खराब पाए जाने के कारण, बि.कौ.वि.मि. को वापस कर दी गयी। इस प्रकार, बि.म.वि.मि. के पास केवल नौ प्रशिक्षण एजेंसियाँ (अक्टूबर 2019) ही बची थी।

पुनः, लेखापरीक्षा में उद्घाटित हुआ कि 2017–19 के दौरान अ.जा. और अ.ज.जा.कल्याण विभाग द्वारा तय किये गये 11,000 उम्मीदवारों के कुल लक्ष्य में से केवल 340 उम्मीदवारों (3.09 प्रतिशत) को नामांकित किया गया था जिसमें से 102 प्रशिक्षु ₹82.29 लाख (5.6 प्रतिशत) के व्यय के पश्चात् अपना प्रशिक्षण पूरा कर सके। इसके अलावा, केवल 65 प्रशिक्षुओं को ही नौकरी मिल सकी। इस प्रकार, प्रशिक्षण एजेंसियाँ एकरारनामे के अनुसार शेष 37 प्रशिक्षुओं के नौकरी को सुनिश्चित नहीं कर सकीं और न ही बि.म.वि.मि. ने इस संबंध में कोई प्रयास किया। पूछे जाने पर बि.म.वि.मि. ने बताया कि जैसा कि प्रशिक्षण एजेंसियों द्वारा बताया गया, छात्रों के गैर-संग्रहण का कारण उनके संबंधित क्षेत्रों में महादलितों की कम आबादी थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि योजना का लाभ अ.जा. और अ.ज.जा. समुदाय (मई 2018) के तहत सभी उप-जातियों को दे दिया गया था और जवाब बि.म.वि.मि. द्वारा लक्ष्य के अवास्तविक निर्धारण को भी प्रतिबिंबित करता था।

इसके अलावा, नामांकित उम्मीदवारों की तुलना में प्रशिक्षण पूरा करने वाले उम्मीदवारों की कम संख्या के बारे में बि.म.वि.मि. ने बताया (अक्टूबर 2020) कि यह छात्रों द्वारा (64 छात्रों) मूल्यांकन परीक्षा के गैर निर्गम/उपस्थिति मानदंडों के गैर पालन और उनके खराब प्रदर्शन के कारण (174 छात्रों) प्रशिक्षण के मध्य संस्थानों का बंद होना इत्यादि था।

इस प्रकार, पात्र प्रशिक्षण एजेंसियों की कम उपलब्धता और बि.म.वि.मि. द्वारा प्रशिक्षण एजेंसियों को छात्रों के सर्वेक्षण और संग्रहण की जिम्मेवारी सौंपने के कारण द.मां.कौ.वि. योजना महादलित समुदायों के आर्थिक सुधार के लिए निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकीं।

3.1.7.2 सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड

बि.म.वि.मि. द्वारा सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड का निर्माण (तीन/छह महीने 2010–16 और बाद में क्रमशः) महादलित केंद्रित ग्राम पंचायतों में (अ. जा. और अ. ज.जा. समुदाय के तहत सभी उप-जातियों को मई 2018 से), उनके त्योहारों और अन्य सांस्कृतिक, सामाजिक और रचनात्मक गतिविधियों को मनाने के लिए एक सामुदायिक स्थान प्रदान करने के लिए किया जाना था।

¹²⁰ 30 प्रतिशत- पाठ्यक्रम की अवधि के 1/3 तक पूरा होने पर, 50 प्रतिशत- अंतिम मूल्यांकन पास करने पर, 10 प्रतिशत- न्यूनतम 50 प्रतिशत बैच के प्लेसमेंट पर और शेष 10 प्रतिशत- 12 महीनों के बाद ट्रेकिंग पूर्णता और अनुपालन पर।

सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए भूमि का चयन जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तर पर गठित छह सदस्यीय समिति¹²¹ द्वारा किया जाना था। विकास मित्र 2015-16 तक सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए अभिकर्ता थे और उसके बाद जिला कल्याण पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में स्थानीय क्षेत्र इंजीनियरिंग संगठन¹²² (एल.ए.इ.ओ.) को अभिकर्ता बनाया गया था।

दिशा-निर्देशों के अनुसार, ग्राम स्तर पर सामुदायिक भवन के रख-रखाव के लिए एक पाँच सदस्यीय रखरखाव समिति¹²³ का गठन ग्राम पंचायत के मुखिया की अध्यक्षता में और विकास मित्र, सदस्य सचिव के रूप में किया जाना था। इसके अलावा, सामुदायिक भवन के उपयोग जैसे-विवाह समारोह के लिए हॉल की बुकिंग, उपलब्ध सामग्री के लेनदेन और वित्तीय कार्यों के निष्पादन के अनुश्रवण के लिए एक विनियमन, दिशा-निर्देशों की पुस्तिका तैयार की जानी थी। सामुदायिक भवनों के निर्माण की धीमी प्रगति, उपयोगिता प्रमाण पत्र न जमा करने, इन भवनों के खराब रखरखाव आदि से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियों के बारे में नीचे वर्णन किया गया है:-

सामुदायिक भवन के निर्माण में देरी

2016-19 के दौरान जिलों को ₹141.21 करोड़ के कुल आवंटन के विरुद्ध सामुदायिक भवन के निर्माण का लक्ष्य 916 था। यद्यपि, ₹32.57 करोड़ (23.06 प्रतिशत) के व्यय के पश्चात् केवल 147 भवन (16.05 प्रतिशत) पूरा किया जा सका और 161 भवन (17.58 प्रतिशत) का निर्माण कार्य प्रगति पर था (जनवरी 2020)। शेष 608 सामुदायिक भवन से संबंधित कार्य विभिन्न कारणों¹²⁴ से शुरू नहीं हुए थे। लेखापरीक्षा में देखा गया कि जिलों को अनुदान का आवंटन जिला पदाधिकारी द्वारा भूमि के चयन के पश्चात् ही किया जाना था। भूमि चयन प्रक्रिया में (226 मामलों में) भी खामियाँ थीं। बि.म.वि.मि. द्वारा सामुदायिक भवन के निर्माण में देरी के लिए कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नहीं किया जाना

₹141.21 करोड़ के कुल आवंटन में से ₹ 7.77 करोड़ (5.50 प्रतिशत) का उपयोगिता प्रमाण पत्र एल.ए.इ.ओ. से जनवरी 2020 तक प्राप्त हुआ था, जो बि.म.वि.मि. के अपर्याप्त अनुश्रवण का द्योतक था। इसके अलावा, बि.म.वि.मि. द्वारा सामुदायिक भवनों के उपयोग के अनुश्रवण के लिए विनियमन पुस्तिका तैयार नहीं की गयी थी और यह सामुदायिक भवनों के उपयोग की स्थिति से भी अनभिज्ञ थी। पूछे जाने पर मिशन निदेशक ने जवाब दिया कि इस संबंध में जानकारी एकत्र करने के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र जारी किया गया था और जानकारी प्राप्त होने के बाद संकलित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाएगा।

¹²¹ जिला परियोजना पदाधिकारी-सह-जिला कल्याण पदाधिकारी- सदस्य सचिव, एडीएम, भू-राजस्व, जिला पदाधिकारी द्वारा नामित कार्यकारी अभियंता, अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी, प्र. वि. पदा.।

¹²² योजना और विकास विभाग, बिहार सरकार का एक कार्यालय।

¹²³ ग्राम सेवक, टोला सेवक, मुखिया द्वारा नामित महादलित समुदाय का एक वरीय नागरिक।

¹²⁴ भूमि के चयन में देरी (130 मामले), भूमि विवाद (40 मामले), भूमि का अतिक्रमण (13 मामले), भूमि की अनुपलब्धता, कम भूमि या अनुचित भूमि (43 मामले), निविदा, पुनः निविदा और एकरारनामे में देरी आदि (32 मामले)।

सामुदायिक भवनों का रख-रखाव नहीं किया जाना

किसी भी जिले में सामुदायिक भवन के रख-रखाव के लिए न तो धन का प्रावधान किया गया और न ही ग्राम स्तर पर मुखिया की अध्यक्षता में रख-रखाव समिति का गठन किया गया। परिणामस्वरूप, भवनों की स्थिति जर्जर और अपूर्ण थी, जिसे सितंबर 2018 में जिला पदाधिकारियों द्वारा संचालित किए गए 1921 सामुदायिक भवनों (4056 भवनों में से) के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन द्वारा भी पुष्टि की गई। उनमें से 219 भवन (11.40 प्रतिशत) मरम्मत और संधारणके अभाव में जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थे, 588 भवन (30.60 प्रतिशत) अपूर्ण¹²⁵ थे और 15 भवन अतिक्रमिता थे। जवाब में बि.म.वि.मि. ने बताया (अक्टूबर 2020) कि भौतिक सत्यापन के बाद जिला पदाधिकारी को उचित कार्रवाई सुनिश्चित करनी थी। हालाँकि, इस तरह की उचित कार्रवाई करने वाले किसी भी विशिष्ट अभिलेख को लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त, मिशन निदेशक, बि.म.वि.मि. ने कहा कि कार्य योजना की संबंधित तैयारी के लिए भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार को एक पत्र (सितंबर 2020) जारी किया गया है। जिला पदाधिकारियों द्वारा रिपोर्टिंग के दो साल की देरी के बाद बि.म.वि.मि. ने इन भवनों की मरम्मत के लिए कार्रवाई शुरू की।

इस प्रकार, सामुदायिक भवन के निर्माण की गति धीमी थी और पूर्ण योजनाओं के मामले में, निधियों की व्यवस्था नहीं होने और अनुश्रवण के अभाव में सामुदायिक भवन के रखरखाव की स्थिति खराब थी। विभाग ने बताया (अक्टूबर 2020) कि योजना की निगरानी आवधिक बैठकों में की गयी थी। हालाँकि, उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों (महादलितों सहित) को सामुदायिक स्थान प्रदान करने की योजना का वांछित उद्देश्य पर्याप्त रूप से अपूर्ण रहा।

3.1.8 निष्कर्ष

बि.म.वि.मि. का वित्तीय प्रबंधन अप्रभावी था, जो अवास्तविक बजट आवंटन, उपयोगिता प्रमाणपत्रों के जमा न करने, रोकड़ बही के गैर-समाधान से स्पष्ट था और कई बैंक खातों का संचालन धन के दुरुपयोग और गबन के जोखिम से भरा था। इसके अलावा, राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर मानवबल की गंभीर कमी थी, जिसका योजनाओं के निष्पादन और निगरानी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सामुदायिक भवनों के निर्माण की गति धीमी थी और विद्यमान सामुदायिक भवनों के अनुरक्षण की स्थिति निधि का प्रावधान न होने के कारण खराब थी।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग

3.2 “क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण” (कैम्पा) निधियों का उपयोग

3.2.1 परिचय

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण, केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के अलावा, कोई भी वन भूमि या उसके हिस्से का उपयोग किसी भी गैर-वन प्रयोजन के लिए करने का निर्देश देने वाला आदेश नहीं देगा। वन भूमि आम-तौर पर विकासात्मक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए

¹²⁵ छत, प्लास्टर, छत ढलाई एवं रंगाई-पुताई का अभाव

वनेतर उद्देश्यों के लिए विचलन की जाती है। भारत की राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में वन और वृक्ष आच्छादन के अंतर्गत देश के 33 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को प्राप्त करने के लक्ष्य की परिकल्पना की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण का उद्देश्य 'भूमि द्वारा भूमि के नुकसान' और 'वृक्षों द्वारा वृक्षों के नुकसान' की भरपाई करना है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया (अक्टूबर 2002) कि क्षतिपूरक वनीकरण कोष बनाया जाएगा जिसमें उपयोगकर्ता-एजेंसियों से क्षतिपूरक वनीकरण, दंडनीय क्षतिपूरक वनीकरण¹²⁶, वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.)¹²⁷ इत्यादि से प्राप्त सभी राशियों को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (अधिनियम) के तहत जमा किया जाएगा। पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार ने पूरे भारत में अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) का गठन (अप्रैल 2004) किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया (मई 2006) कि कैम्पा अब तक चालू नहीं हुई थी। इसलिए, इसने एक तदर्थ निकाय के गठन के लिए आदेश दिया, जिसे 'तदर्थ कैम्पा' के रूप में जाना जाता है। तदनुसार, तदर्थ कैम्पा नामक एक केंद्रीय स्तर की संस्था का गठन मई 2006 में किया गया था।

भारत सरकार की उपरोक्त व्यवस्था के अनुसरण में, बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य क्षतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (राज्य कैम्पा) का गठन (जनवरी 2010) किया गया था। इसके अलावा, बिहार सरकार ने दिसंबर 2018 में राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष की स्थापना की और वर्ष 2019-20 से बिहार में एक पूर्ण-रूपेण कैम्पा कार्यान्वित किया जा रहा है।

भारतीय वन सर्वेक्षण के 2019 के प्रतिवेदन के अनुसार, भौगोलिक क्षेत्र के तुलना में वन अच्छादन का राष्ट्रीय प्रतिशत 21.67 प्रतिशत था जबकि बिहार में यह 7.76 प्रतिशत था। पिछले एक दशक में भारत और बिहार में क्रमशः 0.65 और 0.53 प्रतिशत वन क्षेत्र में वृद्धि थी।

कैम्पा के उद्देश्य थे:

- प्राकृतिक वनों का संरक्षण, सुरक्षा, पुनर्जनन और प्रबंधन;
- संरक्षित क्षेत्रों के भीतर और बाहर वन्यजीवों और उनके आवास के संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन;
- क्षतिपूरक वनीकरण
- चराई, पर्यटन, वन्यजीव संरक्षण और जीवन समर्थन जैसी पर्यावरणीय सेवाएँ; तथा
- अनुसंधान, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

¹²⁶ दंडात्मक क्षतिपूरक वनीकरण वनभूमि के विचलन के अनुमोदन के दौरान उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा उचित प्राधिकार के बिना किये गये कार्य पर लगाए जाते हैं।

¹²⁷ वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य का अर्थ है कि वन क्षेत्र को गैर-वानिकी उपयोगों के लिए प्रदान करने उपरांत पर्यावरणीय सेवाओं की मात्रा का निर्धारण जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर नियुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है।

3.2.2 संगठनात्मक ढाँचा

राज्य कैम्पा में एक शासी निकाय और दो समितियाँ शामिल हैं, जैसे, संचालन समिति और कार्यकारी समिति। शासी निकाय¹²⁸ कैम्पा की नीतियों का निर्माण और समीक्षा करता है। वार्षिक कार्य योजना (वार्षिक योजना) की तैयारी, निगरानी और कार्यान्वयन के लिए संचालन समिति¹²⁹ और कार्यकारी समिति¹³⁰ जिम्मेवार हैं।

3.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

कैम्पा कोष के उपयोग की अनुपालन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या:

- पर्याप्त नियोजन प्रक्रिया लागू थी;
- वित्तीय और क्रियान्वयन प्रावधानों का पालन किया गया; तथा
- प्रभावी निगरानी तंत्र अस्तित्व में था।

3.2.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र और कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2014–19 की अवधि को आच्छादित किया था और यह जून से सितंबर 2019 के बीच आयोजित किया गया था। राज्य में कैम्पा के कामकाज का आकलन राज्य के 29 वन प्रमंडल कार्यालयों में से पाँच¹³¹ योजना कार्यान्वयन इकाइयों यानी वन प्रमंडल कार्यालय को आच्छादित करने के साथ ही अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना (नोडल पदाधिकारी) और प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, पटना के अभिलेखों के अनुपालन लेखापरीक्षा के माध्यम से किया गया था। कार्यान्वयन इकाइयों का चयन राज्य कैम्पा द्वारा विभिन्न वन प्रमंडलों में जारी किए गए निधि के परिमाण और व्यय के आधार पर किया गया था।

3.2.5 योजना

3.2.5.1 वार्षिक कार्य योजना का विलंब से तैयारी

राज्य कैम्पा के मार्गदर्शिका के कंडिका 15 (2) (ii) के अनुसार, अगले वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक योजना पूर्ववर्ती वर्ष के दिसंबर के अंत तक तैयार की जानी थी। जबकि, यह देखा गया कि वर्ष 2014–19 के दौरान दो से 10 महीने तक की देरी के साथ कार्यकारी समिति द्वारा वार्षिक योजनाएँ तैयार की गयी थीं।

जिसके परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष के जनवरी/फरवरी में वर्षा ऋतु वृक्षारोपण के अग्रिम कार्य किए गए और अगले वित्तीय वर्ष के जुलाई/अगस्त में वृक्षारोपण कार्य को अंजाम दिया गया। इस प्रकार, वार्षिक योजनाओं की तैयारी में कमी के कारण वर्षा ऋतु वृक्षारोपण को अगले वर्ष तक स्थानांतरित कर दिया गया।

इसे इंगित किये जाने पर, नोडल पदाधिकारी, राज्य कैम्पा ने कहा (मई 2019) कि आगामी वित्तीय वर्ष में जारी किये जाने वाली निधि के परिमाण के बारे में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय

¹²⁸ जिसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री करेंगे

¹²⁹ जिसकी अध्यक्षता बिहार सरकार के मुख्य सचिव करेंगे

¹³⁰ जिसकी अध्यक्षता प्रधान मुख्य वन संरक्षक करेंगे

¹³¹ अररिया, बाँका, बेगूसराय, गया और सहरसा

से पत्र प्राप्त होने के बाद राज्य में वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया था। यह आम तौर पर केवल मार्च या अप्रैल माह में किया जाता है।

उत्तर न्यायोचित नहीं था क्योंकि पिछले वर्ष की शेष राशि और चालू वर्ष की जमा राशि के माध्यम से धन की उपलब्धता पहले से ही राज्य कैम्पा को ज्ञात थी। इसके अलावा, जनवरी 2016 के पहले सप्ताह में और फरवरी 2017 के तीसरे सप्ताह में तदर्थ कैम्पा द्वारा धन के आकार की सूचना के बावजूद, क्रमशः मार्च 2016 और मई 2017 के महीने में वार्षिक योजनाएँ तैयार की गयीं।

3.2.5.2 क्षतिपूरक वनीकरण के लिए निधियों का अनुचित प्रावधान

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया (जुलाई 2009) कि संबंधित राज्य से मूलधन¹³² का 10 प्रतिशत तदर्थ कैम्पा द्वारा शर्तों के अधीन जारी किया जाएगा:

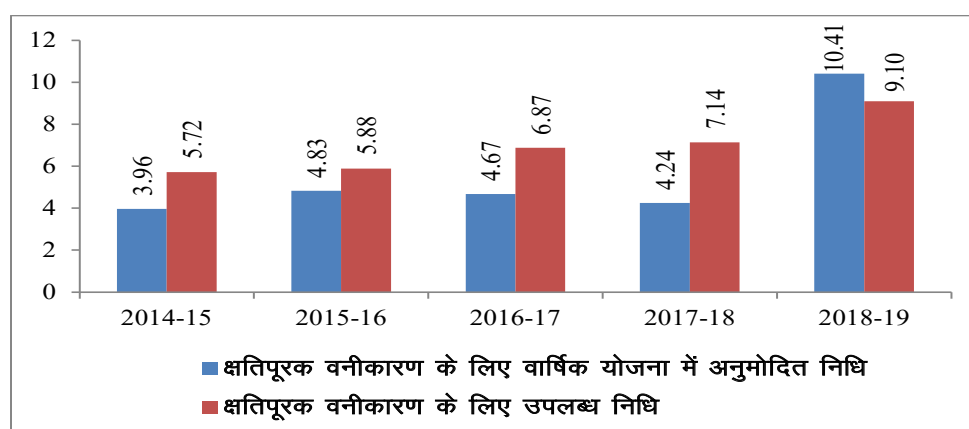
- एनपीवी और संरक्षित क्षेत्र के लिए जमा राशि राज्य की संचालन समिति द्वारा वार्षिक योजना के अनुमोदन के बाद जारी की जानी थी; तथा
- अधिनियम के तहत पूर्व स्वीकृति प्रदान किये जाने के समय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित निर्धारित स्थल के कार्यों के क्रियान्वयन के लिए तदर्थ कैम्पा द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त क्षतिपूरक वनीकरण¹³³ और दंडनीय क्षतिपूरक वनीकरण के लिए राशि तुरंत जारी की जानी थी।

यह पाया गया कि, राज्य कैम्पा ने वर्ष 2014-18 के दौरान क्षतिपूरक / दंडनीय क्षतिपूरक वनीकरणयोजनाओं के लिए उपलब्ध निधियों के विरुद्ध (उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त किया गया कुल क्षतिपूरक / दंडनीय क्षतिपूरक वनीकरण निधियों का 10 प्रतिशत) वार्षिक योजना में निधियों का अपर्याप्त प्रावधान किया था, जिसके परिणामस्वरूप वनीकरण के लिए धन की उपलब्धता कम रही, इसे चार्ट-3.2.1 में दर्शाए गए हैं:

चार्ट- 3.2.1:

क्षतिपूरक वनीकरण के लिए उपलब्ध निधियों के तुलना में वार्षिक योजना में क्षतिपूरक वनीकरण के लिए प्रावधानित की गयी निधियों की तुलना

(₹ करोड़ में)



¹³² वन भूमि के विचलन के विरुद्ध उपयोगकर्ता एजेंसियों के द्वारा जमा की गई राशि।

¹³³ “अतिरिक्त क्षतिपूरक वनीकरण” वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर-वानिकी उपयोग के लिए वही वन भूमि पर या उसके आस-पास वनीकरण के लिए उपयोगकर्ता एजेंसी पर लगायी गयी एक शर्त है।

इसे इंगित किये जाने पर, नोडल पदाधिकारी, राज्य कैम्पा ने कहा (सितम्बर 2019) कि अंतर का कारण क्षतिपूरक /दंडनीय क्षतिपूरक वनीकरण योजनाओं का द्वितीय चरण¹³⁴ के अनुमोदन के बाद लिया जाना है। नोडल पदाधिकारी के जवाब मान्य नहीं था क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार क्षतिपूरक /दंडनीय क्षतिपूरक वनीकरण योजनाओं को निष्पादित किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकार, क्षतिपूरक /दंडनीय क्षतिपूरक वनीकरण के लिए वार्षिक योजनाओं की निधियों के अपर्याप्त प्रावधान ने राज्य कैम्पा के लिए दायित्व और वित्तीय बोझ का निर्माण किया, जो आगे के कंडिकाओं में वर्णित हैं।

3.2.5.3 क्षतिपूरक वनीकरण का क्रियान्वयन नहीं/विलंब से किया जाना

अधिनियम के कंडिका 3.1 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनीकरण के लिए एक व्यापक योजना होनी चाहिए, जो संबंधित राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित हो।

आगे, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा राज्य कैम्पा के लिए जारी दिशा-निर्देशों (जुलाई 2009) में कहा गया है कि धन प्राप्त होने के बाद, राज्य कैम्पा को वनीकरण को एक वर्ष या दो वर्धन मौसम, जो उपयुक्त हो, के भीतर पूरा करना चाहिए, जिसके लिए क्षतिपूरक वनीकरण निधि में धनराशि जमा की जाती है।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य में जनवरी 2010 से मार्च 2019 के दौरान वन भूमि विचलन के 274¹³⁵ मामलों (3308.60 हेक्टेयर) के लिए पूर्व स्वीकृति दी। कैम्पा के दिशानिर्देशों के अनुसार वन भूमि के विचलन के 130 मामलों के लिए दिसंबर 2017¹³⁶ तक क्षतिपूरक वनीकरण निधि जमा किये गये थे, जिनको वर्ष 2011-19 की अवधि के दौरान वार्षिक योजनाओं में लिया जाना था। 130 मामलों के अंतर्गत वनीकरण कार्यों की विवरणी तालिका संख्या 3.2.1 में दिखाया गया है:

तालिका सं. 3.2.1

वन भूमि विचलन के मामले जिनके लिए जनवरी 2010 से दिसम्बर 2017 के दौरान वनीकरण निधियाँ जमा की गई थी

क्र. सं.	विवरणी	मूल्य
1	2	3
1.	274 मामलों में से वनभूमि के विचलन के वे मामले जिनके लिए निधियाँ जमा की गयी थी	130
2.	130 मामलों के विरुद्ध प्रस्तावित वनीकरण योजनाएँ	169
3.	169 वनीकरण योजनाओं में शामिल क्षेत्रफल एवं लंबाई	2970 हे० और 377 कि.मी.
4.	वर्ष 2018-19 तक वार्षिक योजना में लिए गये वनीकरण योजनाओं (169 के विरुद्ध) की संख्या	115
5.	मार्च 2019 तक बकाया वनीकरण योजनाओं की संख्या	54
6.	बकाया 54 वनीकरण योजनाओं में शामिल क्षेत्रफल एवं लंबाई	1613 हे० और 152 कि.मी.
7.	बकाया 54 वनीकरण योजनाओं के अंतर्गत पौधारोपण किये जाने वाले पौधों की संख्या	27.77 लाख

(स्रोत: राज्य कैम्पा के अभिलेख)

वर्ष 2013-14 से बकाया 54 वनीकरण (परिशिष्ट-3.2.1) योजनाओं के फलस्वरूप न केवल पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई वंचित हुई, बल्कि ₹ 114 (अप्रैल 2010) से ₹ 257

¹³⁴ वन भूमि विचलन के प्रस्ताव को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय दो चरणों में पूर्व स्वीकृति प्रदान करती है: पहला सैद्धांतिक रूप में या प्रथम चरण अनुमोदन और दूसरा, सैद्धांतिक रूप से प्राप्त अनुमोदन में निहित शर्तों के अनुपालन उपरान्त, अंतिम या दूसरा चरण अनुमोदन

¹³⁵ दुर्गावती जलाशय परियोजना (2029.80 हे.) को छोड़कर क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (2013) के आलोक में इस निधि के लिए एक पृथक संग्रह बनाया गया था।

¹³⁶ मार्गदर्शिका के अनुसार वर्ष 2018-19 के संचालन की वार्षिक योजना दिसम्बर 2017 तक तैयार किया जाना था।

(अक्टूबर 2018) तक मजदूरी दर में वृद्धि के कारण राज्य कैम्पा पर देयता भी सृजित हुई। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि इन वनीकरण योजनाओं के क्रियान्वयन नहीं होने के कारण राज्य कैम्पा द्वारा ₹ 14.54 करोड़ (उपलब्ध धन का 47 प्रतिशत) की देयता (मार्च 2019) बनाई गयी थी। देयता का सारांश तालिका संख्या 3.2.2 में नीचे दिया गया है:

तालिका सं. 3.2.2
बकाया वनीकरण योजनाओं पर देयता

(₹ लाख में)

मजदूरी दर जिस पर उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा राशि जमा की गई (₹में)	योजनाओं की संख्या	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा जमा राशि स्तंभ 1 के मजदूरी दर के अनुसार	स्तम्भ 1 की तुलना में ₹257 (अक्टूबर 2018) की दर से मजदूरी दर में प्रतिशत वृद्धि	मार्च 2019 तक में देयता का सृजन
1	2	3	4	5
114	1	18.29	125.44	22.94
144	13	534.54	78.47	419.45
151	8	410.38	70.20	288.09
168	4	156.67	52.98	83.00
176	6	452.35	46.02	208.17
184	1	2.75	39.67	1.09
186	2	22.02	38.17	8.41
194	7	676.31	32.47	219.60
197	3	188.37	30.46	57.38
206	4	566.55	24.76	140.28
237	2	43.16	8.44	3.64
242	1	29.68	6.20	1.84
247	2	7.73	4.05	0.31
कुल	54	3108.80		1454.20

(स्रोत: राज्य कैम्पा के अभिलेख)

इसके अलावा, उपर्युक्त 115 क्रियान्वित योजनाओं (तालिका संख्या 3.2.1) में से आठ वनीकरण योजनाएँ (वर्ष 2011-16) एक से दो वर्ष तक की देरी से क्रियान्वित की गयी थी। विलंबित क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप ₹ 1.47 करोड़ (परिशिष्ट-3.2.2) का अधिक व्यय हुआ क्योंकि स्थान विशेष के लिए क्षतिपूरक वनीकरण के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा जमा किए गए धन के मुकाबले मजदूरी दर बढ़ गयी थी।

इसे इंगित किए जाने पर नोडल पदाधिकारी, राज्य कैम्पा ने कहा (सितंबर 2019) कि बकाए का विवरणी, यदि उपलब्ध हो, तैयार किया जाएगा और संबंधित योजनाओं को अगले वार्षिक योजनाओं में लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि स्टेज-II (अंतिम) मंजूरी के बाद क्षतिपूरक/दंडनीय क्षतिपूरक वनीकरण योजनाएँ शुरू की गई थीं, इसलिए वृक्षारोपण की लागत बढ़ गई। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा राशि जमा करने के तुरंत बाद वनीकरण योजनाओं को लिया जाना था।

3.2.5.4 वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना उपयोगकर्ता एजेंसियों से राशि की माँग

भारत सरकार द्वारा वनेतर उपयोगों के लिए वन भूमि के गैर-आरक्षित या विचलन के प्रस्तावों को मंजूरी देते समय क्षतिपूरक वनीकरण सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक है। ऐसे सभी प्रस्तावों के लिए यह जरूरी¹³⁷ है कि, एक व्यापक योजना तैयार की जाय और इस तरह के वनीकरण कार्यों के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा कैम्पा खाते में आवश्यक धनराशि जमा कराई जाये।

¹³⁷ अधिनियम के कंडिका 3.1 के अनुसार

● योजनाओं की कम क्रियान्वयन अवधि के कारण अत्यधिक मांग

राज्य कैम्पा के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला है कि अवक्रमित वन पुनर्वास (आर.डी. एफ.) मामले में नौ से 11 वर्षों के लिए और लौह गैबियन¹³⁸ वृक्षारोपण योजनाओं के लिए 10 से 12 वर्षों रख-रखाव अवधि सहित के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियों से राशि की मांग की गई थी। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशों (नवंबर 2013 से सितंबर 2017) के आलोक में निधियों की मांग की गई थी, जो रखरखाव की अवधि सात से 10 वर्ष रखने का उल्लेख करती थी। हाँलांकि, यह देखा गया कि योजनाओं को रखरखाव अवधि सहित केवल तीन से पाँच वर्षों के लिए प्रावधानित/क्रियान्वित किया गया था। आगे, राज्य कैम्पा द्वारा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के साथ वृक्षारोपण योजनाओं के लिए क्रियान्वयन अवधि की वास्तविक आवश्यकता से संबंधित मुद्दा नहीं उठाया गया था। यह इंगित करता है कि उपयोगकर्ता एजेंसियों से राशि की माँग और वृक्षारोपण योजनाओं के क्रियान्वयन की अवधि के लिए राशि की वास्तविक आवश्यकता/उपयोग के आधार के बीच कोई सामंजस्य नहीं था। इस तरह वास्तविक आवश्यकता के बिना उपयोगकर्ता एजेंसियों से अतिरिक्त राशि की माँग की गयी थी। योजनावार विवरणी **परिशिष्ट-3.2.3** में दिए गये हैं और धनराशि की अतिरिक्त माँग का सारांश नीचे तालिका सं. 3.2.3 में दिया गया है:

तालिका सं. 3.2.3
उपयोगकर्ता एजेंसियों से अतिरिक्त माँग

(राशि ₹में)

विवरणी	आर.डी.एफ. योजनाएँ	लौह गैबियन योजनाएँ	कुल
वन भूमि के विचलन के मामलों की सं०	16	10	26
विचलन का क्षेत्रफल	315.22 हे०	6.32 हे०	321.54 हे०
वनीकरण का क्षेत्रफल	612 हे०	-----	612 हे०
पौधों की सं.	14,54,598	2,146	14,56,744
वृक्षारोपण और योजना के रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या जिसके लिए निधि जमा की गयी थी	9 से 11 वर्ष	10 से 12 वर्ष	---
वार्षिक योजना में परिलक्षित वृक्षारोपण और रखरखाव के योजना के लिए वर्षों की संख्या	5 वर्ष	3 वर्ष	---
वार्षिक योजनाओं का वर्ष	2015-16 से 2018-19	2018-19	---
उपयोगकर्ता एजेंसियों के द्वारा जमा राशि	11,76,59,056	2,32,63,383	14,09,22,439
वार्षिक योजना में योजना के लिए प्रावधानित राशि	10,25,55,901	85,72,170	11,11,28,071
उपयोगकर्ता एजेंसियों से अधिक माँग की गयी राशि	1,51,03,155	1,46,91,233	2,97,94,388

(स्रोत: राज्य कैम्पा के अभिलेख)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि राज्य कैम्पा द्वारा ₹ 2.98 करोड़ की अधिक राशि की माँग की गयी थी और उसी को संबंधित कैम्पा खातों में उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा 16 आर.डी.एफ और 10 लौह गैबियन योजनाओं के विरुद्ध जमा (मई 2014 से अक्टूबर 2017 तक) किया गया था।

● योजनाओं की विशिष्टियों में परिवर्तन के कारण अधिक माँग

(i) 16 वनीकरण योजनाओं में यह पाया गया कि, राज्य कैम्पा द्वारा ₹ 56.01 लाख राशि की माँग की गयी थी और जिसे उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा लौह गैबियन वृक्षारोपण योजनाओं के विरुद्ध पाँच से 11 वर्ष के क्रियान्वयन अवधि (रखरखाव सहित) के लिए जमा (जून 2015 से अगस्त 2016 तक) किया गया था। जबकि, इन योजनाओं को ₹ 25.41 लाख के लिए वार्षिक योजना (वर्ष 2017-18) में इसे लौह गैबियन के स्थान पर बाँस गैबियन का उपयोग करके क्रियान्वित करने हेतु प्रावधानित किया गया था और वह भी

¹³⁸ लौह गैबियन पौधारोपण के लिए लोहे की जाल के साथ पौधों का सुरक्षा कवच हैं

केवल तीन वर्षों की क्रियान्वयन अवधि के लिए। कार्य के मद की विशिष्टियों में परिवर्तन और छोटी क्रियान्वयन अवधि के परिणामस्वरूप उपयोगकर्ता एजेंसियों से ₹ 30.60 लाख (परिशिष्ट-3.2.4) की अधिक धनराशि की माँग की गयी थी।

(ii) आगे, एन.एच.-77 (मुजफ्फरपुर-सोनबरसा सड़क पर 0 से 89 कि.मी. के दूरी पर) को मजबूत बनाने और चौड़ीकरण के लिए 128.10 हेक्टेयर वन भूमि के विचलन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के दोगुने अवक्रमित वन क्षेत्र में (256.20 हे. आर.डी.एफ. का क्षेत्र) उपयोगकर्ता एजेंसी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की लागत पर क्षतिपूरक वनीकरण के निर्धारित शर्त के साथ वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने विचलन की मंजूरी दी (मई 2011 और जून 2013) थी। लेकिन, राज्य कैम्पा ने ₹ 10.59 करोड़ की लागत से आर.डी.एफ. योजना के बदले में दो¹³⁹ स्थलों (117 कि.मी.) पर सड़क किनारे वृक्षारोपण के लिए एक प्राक्कलन तैयार किया। तदनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कैम्पा कोष में प्राक्कलित राशि जमा (दिसंबर 2011 और अप्रैल 2013) किया। यह पाया गया कि राज्य कैम्पा ने वार्षिक योजना वर्ष 2015-16 में सड़क किनारे वृक्षारोपण के बजाय अवक्रमित वन भूमि के 256.20 हेक्टेयर में क्षतिपूरक वनीकरण की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए केवल ₹ 3.00 करोड़ का प्रावधान किया था। इस प्रकार, राज्य कैम्पा ने उपयोगकर्ता एजेंसी से ₹ 7.59 करोड़ की अधिक राशि की माँग की।

इसे इंगित किए जाने पर, नोडल पदाधिकारी, राज्य कैम्पा ने उत्तर दिया (सितंबर 2019) कि राज्य की विभागीय मजदूरी दर के आधार पर क्षतिपूरक योजनाओं पर व्यय का प्रावधान किया गया था। वृक्षारोपण के विशिष्टियों में परिवर्तन के कारणों के परिणामस्वरूप उपयोगकर्ता एजेंसियों से धन की अधिक माँग बारे में विशेष उत्तर राज्य कैम्पा (जनवरी 2021) से प्राप्त नहीं हुआ था।

3.2.6 वित्तीय प्रबंधन

3.2.6.1 वास्तविक निधि के आकार के आधार पर वार्षिक योजना की तैयारी न करना

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तदर्थ कैम्पा को प्रतिवर्ष प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के मूलधन के 10 प्रतिशत के बराबर राशि निर्गत करने का आदेश (मार्च 2014) दिया, जो वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रभावी था। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान तदर्थ कैम्पा द्वारा वास्तव में जारी की जाने वाली निधि का विवरण तालिका संख्या 3.2.4 में दिया गया है:

तालिका सं. 3.2.4
निर्गत की जाने वाली और निर्गत की गयी निधियों की विवरणी

(₹ लाख में)

वार्षिक योजना का वर्ष	राज्य कैम्पा के अनुसार निर्गत की जाने वाली निधियाँ	तदर्थ कैम्पा के अनुसार निर्गत की जाने वाली निधियाँ	तदर्थ कैम्पा के द्वारा वास्तविक निर्गत की गई निधियाँ	स्तम्भ 3 की तुलना में कम निर्गत	राशि जिसके लिए वार्षिक योजना तैयार की गयी	व्यय
1	2	3	4	5 (4-3)	6	7
2014-15	2523.42	2523.42	1814	709.42	1814.12	1896.09
2015-16	2504.03	2702.80	2702	0.8	2701.99	2575.25
2016-17	2710.43	3429.70	3429	0.7	3793.25	3680.17
2017-18	2415.68	3692.60	3600	92.6	3686.90	3035.12
2018-19	2816.33	3794.00	3762	32	3793.80	4448.90
कुल	12969.89	16142.52	15307	835.52	15790.06	15635.53

(स्रोत: राज्य कैम्पा के अभिलेख और तदर्थ कैम्पा के द्वारा निर्गत पत्र)

¹³⁹ (i) राष्ट्रीय उच्चपथ-104 और (ii) राजकीय उच्च पथ-87

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट था कि वर्ष 2014-15 के अतिरिक्त वर्ष 2014-19 के दौरान तदर्थ कैम्पा द्वारा प्रतिवेदित की गयी धनराशि की उपलब्धता राज्य कैम्पा के अभिलेखों के अनुसार उपलब्ध धन से अधिक थी। यह इंगित करता था कि राज्य कैम्पा द्वारा न तो धन के अभिलेखों को ठीक से संधारण किया जा रहा था और न ही इसका समाशोधन किया जा रहा था। इसके कारण तदर्थ कैम्पा से राज्य कैम्पा द्वारा वास्तविक हिस्सेदारी का दावा नहीं किया गया। इसके अलावा, वर्ष 2014-15 में राज्य कैम्पा द्वारा कम राशि की वार्षिक योजना तैयार की गयी, जिसके कारण तदर्थ कैम्पा से कम धनराशि निर्गत हुई। परिणामस्वरूप, वर्ष 2014-19 के दौरान राज्य कैम्पा ₹ 8.35 करोड़ राशि पाने से वंचित रहा।

इसे इंगित किये जाने पर, नोडल पदाधिकारी, राज्य कैम्पा ने कहा (सितंबर 2019) कि तदर्थ कैम्पा के साथ समाशोधन के लिए पत्राचार किया जाएगा और तदर्थ कैम्पा से प्राप्त होने वाली धनराशि की मात्रा के पत्र के आधार पर वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक योजना तैयार की गई थी।

उत्तर न्यायसंगत नहीं था क्योंकि तदर्थ कैम्पा के साथ राज्य की निधियों का नियमित रूप से समाशोधन करते हुए वास्तविक धन राशि के आधार पर वार्षिक योजना तैयार की जानी चाहिए थी। गौरतलब है कि तदर्थ कैम्पा ने 31 मार्च 2014 के अनुसार समाशोधित धनराशि की मात्रा के बारे में राज्य कैम्पा को सूचित (अगस्त 2014) कर दिया था। इसलिए, वर्ष 2014-15 के लिए इस बात की सूचना मिलने के साथ ही अनुपूरक वार्षिक योजना तैयार की जानी चाहिए थी।

3.2.6.2 अनियमित व्यय

राष्ट्रीय कैम्पा सलाहकार परिषद (जनवरी 2012) और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार (अप्रैल 2015) के निर्देशानुसार था कि वन-प्रक्षेत्र पदाधिकारी स्तर से ऊपर के पदाधिकारियों के लिए वाहन, पेट्रोल, तेल और स्नेहक आदि की खरीद पर व्यय, कैम्पा कोष से अनुमान्य नहीं होगा।

अभिलेखों की जाँच से पता चला (मई 2019) कि राज्य कैम्पा के द्वारा वर्ष 2014-17 के लिए तैयार की गयी वार्षिक योजनाओं के माध्यम से शुद्ध वर्तमान मूल्य, वन भूमि के विचलन के विरुद्ध प्राप्त अन्य स्रोत की राशि एवं ब्याज शीर्ष से प्राप्त राशि से वन-प्रक्षेत्र पदाधिकारियों के पद से ऊपर के पदाधिकारियों के उपयोग के लिए बोलेरो, स्कॉर्पियो, टाटा सफारी आदि 13 वाहनों की खरीद पर ₹ 154.55 लाख के व्यय की अनुमति दी गयी थी।

इसे इंगित किये जाने पर, नोडल पदाधिकारी, राज्य कैम्पा ने कहा कि धन के अन्य स्रोत तदर्थ कैम्पा का हिस्सा नहीं थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि धन के अन्य स्रोत भी उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा केवल वनीकरण प्रयोजनों के लिए जमा किए गए थे और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गैर-वनीकरण उद्देश्य से वन भूमि के विचलन का अनुमोदन के समय जारी निर्देशों के तहत वनीकरण भी किया गया था।

3.2.6.3 अभिलेखों का असंधारण/अनियमित संधारण

राज्य कैम्पा के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य स्तर की कार्यकारी समिति योजना के कार्यान्वयन एजेंसी स्तर पर लेखा के संधारण हेतु संहिता विकसित करेगी। राज्य कैम्पा ने खातों के रख-रखाव और कैम्पा कोषों के लेखा-परीक्षण के संबंध में दिशानिर्देश

जारी किए (अगस्त 2010)। लेकिन, बैंक समाशोधन विवरणी (बी.आर.एस) की तैयारी के प्रावधान, जो वित्तीय तंत्र पर आंतरिक नियंत्रण रखने के लिए वित्तीय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है, को दिशानिर्देश में शामिल नहीं किया गया था। इसलिए नमूना-जाँचित किसी भी प्रमण्डल में बैंक समाशोधन विवरणी नहीं पाया गया।

आगे, नमूना-जाँचित प्रमण्डलों के लेखापरीक्षा के दौरान राज्य कैम्पा के निर्देशों के विरुद्ध निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयीं:

- वन प्रमण्डल, बेगूसराय को अतिरिक्त नमूना-जाँचित प्रमण्डलों में न तो मासिक लेखा तैयार किया गया था और न ही संबंधित वन संरक्षक (व.सं) को उपस्थापित किया गया।
- तीन¹⁴⁰ प्रमण्डलों में विगत तीन वर्षों से तथा वन प्रमण्डल, बेगूसराय में विगत छः माह से कैम्पा कोष की रोकड़ बही का संधारण नहीं किया जा रहा था।
- वन प्रमण्डल, सहरसा में कैम्पा कोष की खाता बही (लेजर) का संधारण नहीं किया जा रहा था और दो¹⁴¹ वन प्रमण्डलों में इसका संधारण अपूर्ण था।
- वन प्रमण्डल, सहरसा में कैम्पा कोष के लिए अलग बैंक खाता का संधारण नहीं किया जा रहा था।
- नमूना-जाँचित प्रमण्डलों में वन रोपण पुस्तिका एवं मापी पुस्त का संधारण अपूर्ण था।

इन अनियमितताओं के दृष्टांतों के परिणामस्वरूप:

- (i) वन प्रमण्डलों, अररिया और बांका में बचत बैंक ब्याज का अनधिकृत व्यय हुआ
 - (ii) वन प्रमण्डल, सहरसा में बचत बैंक ब्याज का अनियमित लेखांकन हुआ
 - (iii) वन प्रमण्डल, सहरसा एवं बांका में बैंक से वास्तविक राशि की निकासी की तुलना में लेखा बही में अग्रिमों की कम प्रविष्टि की गयी और
 - (iv) वन प्रमण्डलों गया, सहरसा तथा बेगूसराय में असमायोजित वन अग्रिम पाए गए।
- (परिशिष्ट-3.2.5)।

3.2.7 कैम्पा कोष के अन्तर्गत किये गये कार्यों का क्रियान्वयन

3.2.7.1 निष्फल व्यय

यह देखा गया (मई 2019) कि राज्य कैम्पा ने आठ¹⁴² वन प्रमण्डलों में चार माह के अंदर टर्न-की आधार पर उच्च तकनीक वाले (हार्ड टेक) पौधशाला के निर्माण हेतु मे0 शील बायोटेक लिमिटेड, नई दिल्ली नामक एजेंसी को कार्यादेश (नवम्बर 2011) निर्गत किया था। इन पौधशालाओं का उद्देश्य प्रतिवर्ष एक लाख उच्च गुणवत्तायुक्त पौधों का उत्पादन करना था। उपर्युक्त एजेंसी के द्वारा पौधशालाओं का निर्माण और संबंधित वन प्रमण्डलों को हस्तगत करने का कार्य तीन से इक्कीस माह की देरी से किया गया तथा ₹2.20 करोड़ का भुगतान सितम्बर 2013 से फरवरी 2015 के बीच किया गया।

¹⁴⁰ अररिया, सहरसा और गया

¹⁴¹ अररिया (मार्च 2011 तक) तथा गया (मार्च 2016 तक)

¹⁴² बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भोजपुर, नालंदा, रोहतास और बांका

यह देखा गया कि आठ पौधशालाओं में से छह पौधशालाएँ (मोतिहारी और मुजफ्फरपुर को छोड़कर जो वर्ष 2017-18 से संचालित थे और क्रमशः 67,123 तथा 5,531 पौधे उत्पादित किए) कैम्पा कोष से ₹ 164.98¹⁴³ लाख का व्यय होने के बावजूद विगत चार सालों से पौधा उत्पादन के लिए संचालित नहीं हो पायी थीं।



हाईटेक पौधशाला, सुपहा (बांका)

पौधशाला के अक्रियाशील होने की अगली पुष्टि सुपहा, बांका स्थित हाईटेक पौधशाला के संयुक्त भौतिक सत्यापन (जुलाई 2019) के दौरान हुई। आगे, पौधशाला के उपकरण निष्क्रिय पड़े हुए थे और धीरे-धीरे जीर्ण-शीर्ण होने की प्रक्रिया में थे। पृच्छा किये जाने पर वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बांका ने कहा कि प्रशिक्षित मानव बल के अभाव में पौधशाला क्रियाशील नहीं हो सकी। वन प्रमण्डल पदाधिकारी का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि मानव बल के नियोजन के निर्णय के बारे में पहले ही प्रमण्डल को सूचित किया जा चुका था (जुलाई 2012)।

इस तरह उपर्युक्त तथ्य प्रकट करते थे कि राज्य कैम्पा और विभाग द्वारा पौधशालाओं के उपयोग के प्रति योजना के अभाव तथा ढीले-ढाले रवैये के कारण इन पौधशालाओं की स्थापना पर कैम्पा कोष से ₹ 164.98 लाख की धनराशि का किया गया व्यय निष्फल हो गया क्योंकि अभिप्रेत उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

3.2.7.2 पौधारोपण के संपोषण कार्य पर अधिक व्यय

- पौधों के वास्तविक उत्तर जीविता अनुपात को बिना ध्यान में रखे संपोषण पर व्यय

राज्य कैम्पा द्वारा जारी दिशा निर्देशों (मई 2017 और जुलाई 2018) के अनुसार दूसरे और तीसरे वर्ष में पौधों के संपोषण पर व्यय पौधों के वास्तविक उत्तर जीविता अनुपात के अनुरूप किया जाना था।

पाँच¹⁴⁴ वन प्रमण्डलों के अभिलेखों के नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया कि दूसरे और तीसरे वर्ष में संपोषण पर व्यय पौधों के उत्तर जीविता अनुपात¹⁴⁵ को ध्यान में रखे बिना किया गया। इसके परिणाम स्वरूप पौधों के संपोषण पर तालिका सं0 3.2.5 में दिये गये विवरण के अनुसार ₹ 61.56 लाख का अधिक व्यय किया गया:

¹⁴³ आठ पौधशालाओं के लिए भुगतान: ₹219.97 लाख; इसलिए छः नहीं संचालित पौधशालाओं पर किया गया भुगतान ₹164.98 लाख था।

¹⁴⁴ अररिया, बांका, बेगूसराय, गया और सहरसा

¹⁴⁵ संपोषण वर्ष में पौधों की मृत्युदर: प्रथम वर्ष: 80 प्रतिशत; द्वितीय वर्ष : 70 प्रतिशत और तृतीय वर्ष: 60 प्रतिशत राज्य कैम्पा के दिशा निर्देशों के अनुसार पौधों के उत्तर जीविता अनुपात के आधार पर व्यय को सीमित किया जाना चाहिए था।

तालिका सं. 3.2.5
पौधारोपण के संपोषण पर अधिक व्यय को दर्शाती विवरणी

(लाख ₹ में)

प्रमण्डल का नाम	कार्यों की संख्या (पौधारोपण का वर्ष)	वित्तीय लक्ष्य	किया गया खर्च	उत्तरजीविता (प्रतिशत में)	किया जाने वाला व्यय (उत्तरजीविता के अनुसार)	अधिकाई व्यय
गया	26(2010-17)	186.72	178.27	66 to 97	159.02	19.25
अररिया	08(2015-16)	70-62	70.62	75 to 93	60.25	10.37
सहरसा	08(2014-15)	58.48	58.48	80 to 84	47.59	10.89
बाँका	07(2013-17)	68.12	65.46	69 to 94	59.11	6.35
बेगूसराय	05 (2015-16)	111.15	110.85	67 to 94	96.15	14.70
कुल		495.09	483.68		422.12	61.56

(स्रोत: नमूना-जाँचित वन प्रमण्डलों के अभिलेख)

संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारियों (व.प्र.प.) द्वारा जवाब दिया गया कि संपोषण अवधि के दौरान पौधों का संपोषण मृत पौधों के बदलाव के साथ किया गया। संबंधित व.प्र.प. का जवाब उचित नहीं था क्योंकि मृत-पौधों के बदलाव का कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अलावे मृत पौधों का बदलाव उत्तरजीविता दर में वृद्धि चाहिए थी परन्तु संपोषण अवधि के दौरान पौधारोपण के उत्तरजीविता प्रतिवेदन में यह प्रतिबिम्बित नहीं हो रहा था। इसलिए राज्य कैम्पा के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 61.56 लाख का अधिक व्यय हुआ।

● **अधिक मजदूरों के प्रावधान के साथ संपोषण पर व्यय**

कैम्पा कोष के तहत किए गए वानिकी कार्य विभागीय अनुसूचित दर पर किये जाने थे। विभागीय अनुसूचित दर (01 अक्टूबर 2016) के अनुसार, रख-रखाव कार्य को तीन घटकों जैसे संरक्षण कार्य, कोड़नी-निकोनी और पटवन में वर्गीकृत किया गया था, जोकि, प्रति 1000 पौधों के लिए 243, 49 और 73 मजदूरों का क्रमशः घटकों के लिए प्रावधान किया गया था। इसके अलावा, प्रत्येक 1000 पौधों के लिए रखरखाव के कार्यों में आवश्यक सामग्री के लिए ₹175 का प्रावधान किया गया था।

लेखापरीक्षा (जुलाई 2019) के दौरान यह देखा गया कि वन प्रमंडल बेगूसराय में वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान पौधों के संपोषण कार्य के केवल दो घटक यानि सुरक्षा और कोड़नी-निकोनी ही कराए गए थे। अभिलेखों पर पौधों को पटवन किये जाने का कोई प्रमाण नहीं था। पटवन कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में प्रति 1000 पौधों में केवल 292 मजदूरों को रखरखाव के काम में लगाया जाना था। फिर भी यह देखा गया कि आवश्यकता से अधिक मजदूरों को लगाया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹61.33 लाख का अधिक व्यय हुआ। विवरणी निम्न तालिका संख्या 3.2.6 में दी गई है:

तालिका सं. 3.2.6
कार्यों के देय घटकों के विरुद्ध अधिक व्यय

(राशि ₹ में)

पौधारोपण वर्ष (संपोषण वर्ष)	कार्यस्थल की संख्या	पौधों की संख्या	एस.ओ.आर. के अनुसार अनुमानित व्यय			वास्तविक व्यय	अधिक व्यय
			मजदूरी पर व्यय @ 292 मजदूर/ 1000 पौधे	समग्री पर व्यय @₹ 175 /1000	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8 (7-6)
व्यय वर्ष 2017-18; मजदूरी दर ₹242 (अप्रैल 2017 से) और ₹ 247 (अक्टूबर 2017 से), इसलिए, पूरे वर्ष के लिए औसत मजदूरी दर ₹ 244.50							
2014-15 (तृतीय वर्ष)	03 ¹⁴⁶ योजनाएँ	56000	3998064	9800	4007864	4907900	900036
2015-16 (द्वितीय वर्ष)	04 ¹⁴⁷ योजनाएँ	108000	7710552	18900	7729452	9486500	1757048
कुल (2017-18)			11708616	28700	11737316	14394400	2657084
व्यय वर्ष 2018-19; मजदूरी दर ₹ 254 (अप्रैल 2018 से) और ₹ 257 (अक्टूबर 2018 से) इसलिए, पूरे वर्ष के लिए औसत मजदूरी दर ₹ 255.50							
2015-16 (तृतीय वर्ष)	04 योजनाएँ	108000	8057448	18900	8076398	10010900	1934552
2016-17 (द्वितीय वर्ष)	06 ¹⁴⁸ योजनाएँ	101490	7571763	17761	7589524	9130687	1541163
कुल (2018-19)			15629211	36661	15665872	19141587	3475715
कुल योग (2017-18 और 2018-19)			27337827	65361	27403188	33535987	6132799

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि ₹ 274.03 लाख ही केवल कार्य के निष्पादित घटक (सुरक्षा कार्य, कोड़नी-निकोनी और सामग्री घटक) के लिए व्यय किया जाना था। हालाँकि प्रमंडल ने संपोषण कार्य पर कुल ₹ 335.36 लाख का व्यय किया। इस प्रकार, पटवन के काम के निष्पादन के बिना, निर्धारित मजदूरी की राशि¹⁴⁹ को सुरक्षा कार्य और कोड़नी-निकोनी के लिए विचलित किया गया। परिणामस्वरूप संपोषण कार्यों के दूसरे और तीसरे वर्ष में ₹ 61.33 लाख रुपये का अधिक व्यय किया गया।

इसे इंगित किये जाने पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगुसराय ने बताया (जुलाई 2019) कि अभिलेखों की जाँच के बाद जवाब दिया जाएगा।

3.2.8 कैम्पा निधि के उपयोग का अनुश्रवण

3.2.8.1 संचालन समिति की बैठक में कमी

राज्य कैम्पा के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य कैम्पा द्वारा जारी धन के उपयोग की प्रगति की निगरानी के लिए संचालन समिति छः महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी एवं कार्यकारी समिति द्वारा तैयार वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदित करेगी।

यह देखा गया कि वर्ष 2014-19 के दौरान आवश्यक दस बैठकों के विरुद्ध राज्य कैम्पा की संचालन समिति की केवल सात बैठकें हुईं। इसके अलावा, संचालन समिति की बैठकों

¹⁴⁶ (i) गुप्ता बांध थर्मल (ii) खगड़िया अलोल्ली पथ (iii) रोहनी से महेशखुट
¹⁴⁷ (i) बुढ़ी गंडक बांध (ii) मुंगेर घाटसिरिया (iii) एनएच 31 मानसी से रोहनी (iv) एनएच 31 पित्थिजिया ढाला
¹⁴⁸ (i) एन.एच. 31 हरिनगर से सतीशनगर (ii) कटारमल से बिशुनपुर (iii) रेलवे रिटायर्ड बाँध से पुरानी मानसी जंक्शन (iv) एनएच 31 भरत खंडरेल (v) रेलवे रिटायर्ड बाँध से भरत खंड (vi) रेलवे रिटायर्ड बाँध से मक्का कारखाना
¹⁴⁹ प्रत्येक 1000 पौधों पर 73 मजदूरों के दर पर

के कार्यवाही प्रतिवेदन (वार्षिक योजना) की जाँच से पता चला कि बैठकों के दौरान केवल प्रस्तावित योजनाओं पर चर्चा की गयी थी और उन्हें मंजूरी दी गयी थी। बैठकों में न तो पिछली योजनाओं की प्रगति और न ही योजनाओं के बैकलॉग की निगरानी की गयी थी। पिछली योजनाओं/योजनाओं के बैकलॉग की समीक्षा के अभाव में, कैम्पा निधि के उपयोग की पर्याप्त निगरानी सुनिश्चित नहीं की जा सकी। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय भार, देयता का सृजन, निष्फल व्यय जैसे मामले देखे गये जैसा कि पूर्ववर्ती कंडिकाओं में वर्णित है।

इसे इंगित किए जाने पर नोडल पदाधिकारी, राज्य कैम्पा ने जवाब दिया कि निर्धारित समय अवधि के भीतर क्षतिपूरक योजनाओं के निष्पादन के संबंध में समिति में विस्तृत चर्चा की गई थी और कार्य के निष्पादन से संबंधित व्यय को वार्षिक योजना के एजेंडा नोट में संचालन समिति के पास रखा गया था। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्धारित समय अवधि के भीतर क्षतिपूरक योजनाओं के निष्पादन के बारे में कोई भी टिप्पणी बैठकों के कार्यवाही प्रतिवेदन में उल्लिखित नहीं की गयी थी।

3.2.8.2 अपर्याप्त संगामी अनुश्रवण

राज्य कैम्पा के दिशानिर्देश के अनुसार, राज्य कैम्पा के पास उपलब्ध धन का हर साल खर्च की जानेवाली राशि के दो प्रतिशत के दायरे में निगरानी और मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा, उपलब्ध धन का प्रभावी और उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्यों में लागू किए गए कार्यों के संगामी निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र प्रणाली विकसित और कार्यान्वित की जाएगी।

राज्य कैम्पा के अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2018–19¹⁵⁰ में केवल वर्ष 2014–15 और 2015–16 के लिए संगामी निगरानी और मूल्यांकन किया गया था। इससे ज्ञात होता है कि वार्षिक आधार पर कार्यों के संगामी निगरानी और मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र प्रणाली विकसित नहीं हो पायी थी। इसके परिणामस्वरूप, राज्य कैम्पा निधि के उपयोग का अनुश्रवण अपर्याप्त और अनुपयुक्त था।

3.2.9 निष्कर्ष

तदर्थ कैम्पा के साथ निधि के मिलान के अभाव में राज्य कैम्पा वार्षिक योजना को समयानुसार तैयार किए जाने को सुनिश्चित नहीं कर सका। वार्षिक योजना में निधि के अनुपयुक्त प्रावधान के कारण कार्यों के क्रियान्वयन में देरी हुई। बकाया क्षतिपूरक वन रोपण योजनाओं के कारण राज्य कैम्पा पर वित्तीय भार पड़ा। इसके अलावे उपयोगकर्ता एजेंसियों से निधि की माँग और वनीकरण हेतु वास्तविक आवश्यकता/निधि के उपयोग के बीच अनुरूपता नहीं थी क्योंकि उपयोगकर्ता एजेंसियों से अधिक राशि की माँग के दृष्टांत देखे गये। अपर्याप्त अनुश्रवण तंत्र ने निधि के अप्रभावी उपयोग को अनियमित, निष्फल और अधिक व्यय में योगदान दिया।

¹⁵⁰ वर्ष 2014–15 और 2015–16 के लिए वन अनुसंधान केंद्र, इको-रिहैबिलिटेशन, प्रयागराज द्वारा संगामी निगरानी और मूल्यांकन वर्ष 2018–19 में किया गया था

पथ निर्माण विभाग

3.3 परिहार्य व्यय

अभियंता प्रमुख द्वारा जारी अनुदेशों का उल्लंघन कर कार्यपालक अभियंता, मानपुर, गया (निकटतम खदान) के स्थान पर कोडरमा, झारखंड से स्टोन चिप्स को लाने की अनुमति देने के निर्णय के परिणामस्वरूप ₹2.73 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

अभियंता प्रमुख (प्र.अभि.) सह-अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.), बिहार ने एक प्रावधान के साथ निकटतम खदान से ग्रेनुलर-सब-वेस और वेट-मिक्स-मैकेडम सामग्री की आपूर्ति के लिए स्वीकार्य और न्यूनतम लीड के संबंध में अनुदेश जारी किया कि यदि सामग्री आकलन में अनुमोदित लीड की तुलना में निकटतम लीड से उपलब्ध है, कटौतियाँ तदनुसार संवेदकारों के भुगतानों से की जानी चाहिए।

कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल-1 गया के अभिलेखों की संवीक्षा (सितम्बर 2018) में ज्ञात हुआ कि पथ निर्माण विभाग ने वर्ष 2015-16 के लिए 0.00 कि.मी. से सात कि.मी. से बेला-रामपुर-मुख्य रोड़ के निर्माण/संवर्द्धन (चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण) सह आउटपुट एवं निष्पादन आधारित पथ परिसम्पत्ति अनुरक्षण कार्य के लिए ₹14.52 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (अगस्त 2015)। मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार विंग, प.नि.वि., पटना ने कार्य के लिए ₹14.75 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किया (अप्रैल 2017) तथा प्राक्कलन में स्टोन चिप्स के लिए ढुलाई डोमचांच (कोडरमा), झारखंड से प्रदान किया गया। का.अभि., प.नि.वि.-1, गया ने कार्य के लिए निविदा आमंत्रित की (अगस्त 2015) और विभागीय निविदा समिति ने झा के माध्यम से सबसे कम बोली के पक्ष में अंतिम रूप दिया (अगस्त 2016)। का.अभि., प.नि.वि., गया का चयनित एजेन्सी के साथ समझौता हुआ (30 सितम्बर 2016)। कार्य पूर्ण किया गया (अक्टूबर 2017) और ₹10.44 करोड़ का भुगतान एजेन्सी को किया गया (दिसम्बर 2017)।

जिला खनन कार्यालय, गया से संग्रहित सूचना (दिसम्बर 2020) के अनुसार मानपुर खदान जो सिर्फ 38 कि.मी. दूर अवस्थित है, मई 2016 से चालू थी। तथापि, जैसा बताया गया, प्राक्कलन में कोडरमा, झारखंड अर्थात् 130 कि.मी. पर से स्टोन चिप्स के ढुलाई के लिए लीड मानपुर खदान की उपेक्षा करते हुए प्रदान किया गया। इसलिए, मु.अभि. के निर्देशों के संदर्भ में प्राक्कलन में दिए अतिरिक्त लीड की कटौती की जानी चाहिए थी।

निकटतम खदान के लीड के उपलब्धता के मामले में संवेदक को भुगतानों से अतिरिक्त ढुलाई की कटौती के संबंध में मु.अभि. के निर्देशों के गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप कार्यों पर ₹2.73 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ (**परिशिष्ट-3.3**)।

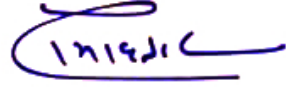
इंगित किए जाने पर, विभाग ने कहा (जुलाई 2020) कि पत्थर गया के खदानों में फरवरी तक उपलब्ध नहीं था। हालाँकि, यह मार्च 2017 से सीमित मात्रा में गया में उपलब्ध था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खनन विभाग ने फरवरी और मार्च 2016 के दौरान गया के खदानों के लिए प्रतिष्ठानों के साथ पट्टा अनुबंध किया और प्रतिष्ठानों ने अप्रैल 2016 से संचालन और विभाग को रॉयल्टी जमा करना शुरू किया। यह उल्लेख करना भी उचित है कि दूसरे पथ के निर्माण के लिए अनुबंध 5 अक्टूबर 2016 को किया गया जिसमें

मानपुर (गया) से लीड का प्रावधान था (उपर्युक्त कार्य के पाँच दिन बाद जहाँ लीड खदान कोडरमा, झारखण्ड से प्रावधान किया गया था)। इसलिए, का. अभि. को इस तथ्य की पूरी जानकारी थी कि मानपुर (गया) खदान चालू थी।

इस प्रकार, अभियंता प्रमुख द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर निकटतम खदान के बजाय कोडरमा, झारखण्ड से पत्थर के चिप्स के ढुलाई की अनुमति देने के का.अभि. और अ.अभि. के निर्णय के परिणामस्वरूप ₹2.73 करोड़ का पत्थर के चिप्स की ढुलाई पर परिहार्य व्यय हुआ।

पटना
दिनांक 10 जुलाई, 2021


(रामावतार शर्मा)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 14 जुलाई, 2021


(गिरीश चन्द्र मुर्मु)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक



परिशिष्ट-1.1
(संदर्भ: कडिका-1.3.; पृष्ठ-2)
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/कडिकाएँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सामान्य प्रक्षेत्र			सामाजिक प्रक्षेत्र			आर्थिक प्रक्षेत्र		
	नि. प्र. की सं.	कडिकाओं की सं.	राशि	नि. प्र. की सं.	कडिकाओं की सं.	राशि	नि. प्र. की सं.	कडिकाओं की सं.	राशि
2009-10	90	386	368.8	549	3078	6184.56	352	1796	1732.47
2010-11	85	312	548.69	480	2523	7444.19	260	1280	4877.24
2011-12	3	15	10.12	83	561	7132.87	83	529	11893.71
2012-13	51	388	3015.79	437	2664	31791.57	98	689	6368.22
2013-14	154	1140	1604.23	545	3250	10593.43	169	1154	16282.94
2014-15	147	765	5505.5	529	3480	11801.79	223	1411	24891.17
2015-16	175	865	1683.98	579	4323	13882.75	188	1284	10990.17
2016-17	227	1332	7348.68	554	5221	26041.59	211	1420	20164.69
2017-18	139	828	1581.81	454	4650	44835.81	162	1274	60536.38
2018-19	12	108	763.08	64	819	2164.43	15	139	2945.25
dy	1083	6139	22430.68	4274	30569	161872.99	1761	10976	160682.24

परिशिष्ट-1.2
(संदर्भ: कंडिका-1.3; पृष्ठ-2)
निरीक्षण प्रतिवेदनों के संबंधित कंडिकाओं में अनियमितताओं के विभिन्न प्रकार

वर्ष	नि.प्र. की संख्या	लेखापरीक्षा में पाए गए घोखाघड़ी/ दुर्विनियोजन/गबन/हानि	लेखापरीक्षा में पाए गए वसूली एवं अधिक भुगतान के मामले	संविदात्मक दायित्वों का उल्लंघन एवं संवेदकों को अनुचित लाभ	परिहार्य/अधिकाई व्यय	व्यर्थ/निरर्थक व्यय	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिनाकिए गए व्यय	एक योजना से दूसरे या एक भीर्ष से दूसरे में निधियों का विचलन	निधियों के व्ययगत होने से बचने के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों का एक साथ आहरण	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना प्रतिबंध लगा दिए गए वस्तुओं या विशेष प्रकृति की वस्तुओं पर व्यय	निधियों के व्यपगत होने से बचने के लिए वास्तविक जरूरत से अधिक भंडार/ गोदाम का क्रय	धन का निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय स्थापना/निधियों का अवरोधन	निष्क्रिय कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान	उपकरणों की अधिष्ठापना में देरी/ निष्क्रिय उपकरण औरतत् संबंधी परिणाम	उद्देश्यों की गैर-उपलब्धि/निष्फल व्यय	विविध अवलोकन	कुल कंडिकाएँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2009-10	991	154	297	162	141	309	48	234	3	3	1	286	25	21	306	3270	5260
2010-11	825	57	312	66	84	214	19	163	1	6	16	242	18	17	244	2656	4115
2011-12	169	9	62	51	20	53	6	24	2	0	4	70	5	2	78	719	1105
2012-13	586	20	194	85	203	182	52	127	8	27	9	284	25	36	219	2271	3742
2013-14	868	100	213	145	229	287	43	118	13	73	13	437	33	39	319	3482	5544
2014-15	899	129	364	207	180	242	31	112	11	7	12	455	10	30	308	3558	5656
2015-16	942	57	270	198	311	390	106	204	25	11	61	530	17	21	444	3827	6472
2016-17	992	64	182	346	417	386	87	195	68	96	80	644	26	40	594	4747	7972
2017-18	755	78	136	466	285	333	46	41	61	11	12	859	26	16	397	3985	6752
2018-19	91	16	18	41	66	16	8	14	3	0	6	94	5	2	66	711	1066
dy	7118	684	2048	1768	1936	2452	446	1232	195	234	214	3901	190	224	2975	29226	47684

परिशिष्ट-1.3
(संदर्भ: कंडिका-1.5; पृष्ठ-4)
मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा / विषयगत लेखापरीक्षा से संबंधित लेखापरीक्षा ज्ञापनों की स्थिति

क्र. सं.	नि. ले.प./ वि.ले.प./ दी.प्रा.कं.	निष्पादन लेखापरीक्षा/ विषयगत/ लेखापरीक्षा/दी. प्रा.कं. का नाम	नि.ले.प./वि. ले./दी.प्रा.कं. जिनका उत्तर प्राप्त हुआ	लेखापरीक्षित इकाईयों की सं.	संबंधित अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं करने वाले इकाईयों की सं.	जारी किए गए ज्ञापनों की सं.	ज्ञापनों की सं. जिनका पूरा उत्तर प्राप्त हुआ	ज्ञापनों की सं.जिनका आंशिक उत्तर प्राप्त हुआ	ज्ञापनों की सं.जिनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
1	नि.ले.प.	भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना	हाँ	08	3	32	32	0	0
2		महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन	नहीं	81	81	1934	1484	300	150
3	दी.प्रा.कं.	बिहार महादलित विकास मिशन की कार्यप्रणाली	हाँ	1	1	33	28	1	4
4		क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा)	नहीं	7	2	39	34	2	3
		कुल		97	87	2038	1578	303	157

परिशिष्ट-1.4
(संदर्भ: कड़िका-1.8; पृष्ठ-5)
राज्य विधान मंडल में स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

क्रम सं.	स्वायत्त निकायों के नाम	लेखापरीक्षा सौंपे जाने की स्थिति	लेखापरीक्षा के लेखों का प्रस्तुतीकरण		पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का निर्गमन		विधान मंडल में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति	टिप्पणी
			लेखों का वर्ष	दिनांक	लेखों का वर्ष	दिनांक		
1	बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना	स्थायी	2016-17 एवं 2017-18	15.10.2018 एवं 20.06.2019	2015-16	22.06.2018	विधानसभा- 18.02.2019 एवं विधान परिषद 15.02.2019 (पृ.ले.प. 2015-16)	स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा लेखाओं के देर से प्राप्त होने एवं पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के क्रमबद्ध प्रसंस्करण के कारण संपादित नहीं की गई है।
2	बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	2015-16	2016-17	05.07.2019	2008-09 तक	27/08/2014	उपलब्ध नहीं	वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 तक की अवधि के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि के लिए आगे प्रेषण हेतु पत्राचार किया गया है।
3	बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना	2009-10	2009-10	-	2009-10	-	-	विभाग द्वारा वर्ष 2001-02 तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विध ान मंडल में प्रस्तुत किया गया है जैसा कि आगे उप-सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना द्वारा पत्रांक 05/सं. उद्योग/खादी विविध के माध्यम से सूचित किया गया है कि वर्ष 2002-03 से 2009-10 की अवधि के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति विधान मंडल के पटल पर प्रस्तुत करने हेतु उप-सचिव, बिहार राज्य विधान मंडल को भेजी जा सकती है।
4	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर	2016-17	2015-16	-	2013-14	-	27.11.2018	वर्ष 2014-15 और 2015-16 की अवधि के लिए लेखाएं उपलब्ध कराई गई हैं लेकिन लेखाओं को प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।
5	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	2014-15	2017-18	-	2013-14	28/10/2016	-	वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 की अवधि के लिए लेखाएं उपलब्ध कराई गई हैं लेकिन वर्ष 2015-16 एवं आगे की अवधि के लिए लेखापरीक्षा सौंपी नहीं गई है।

(स्रोत:- इस कार्यालय के विभिन्न प्रक्षेत्रों से संकलित सूचना)

परीशिष्ट- 2.1.1
(संदर्भ: कंडिका-2.1.7; पृष्ठ-16)

असैनिक कार्य की प्रगति

(क) 6 खंडों की स्थिति और विवरण। 6 खंडों में से 2 खंड पूर्ण हो चुका है, 3 खंड प्रगति पर है और 1 खंड का एकरारनामा विखंडित कर दिया गया है।
(30.11.2019 को स्थिति)

क्रम सं.	राज्य/जिला	सड़क खंड का नाम (संवैदक का नाम)	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	एच.एल.ई.सी. के अनुसार लागत (₹ करोड़ में)	उपलब्ध/अधिग्रहित लंबाई (किमी में)	अर्जनधीन भू-खंड की लंबाई (किमी में)	प्रगति (कि.मी. में)		अन्य प्रगति (भौतिक एवं वित्तीय)	अभ्युक्ति
							फोरमेशन	सरफेसिंग (एस.डी.बी.सी.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बिहार/सीतामढ़ी	लालबकिया नदी पर फुलबारिया घाट से बहार गाँव तक (ए.ए.आर. पी.ई.ई. इफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड)	24.050	70.560	24.000	0.050	13.000	0.000	जी.एस.बी-4.00 कि.मी., सी.डी.-0 /3, पुल-0 /4 पूर्ण। फाउंडेशन और सबस्ट्रक्चर 4 नं पुल में पूरा हुआ। बाकी पर काम चल रहा है। व्यय-₹26.0670 करोड़।	1. फुलवारीघाट से बहार गाँव की सड़क 24.05 किमी के लिए पुनर्निविदा। विभागीय निविदा समिति (वि.नि.स.) में 19.08.2019 को तकनीकी निविदा प्रस्तुत की गई है। निविदादाताओं का प्रति निधित्व समीक्षास्त है। वि.नि.स. की बैठक 28.08.19 को हुई थी, जिसके बाद ए.ए.आर.पी.ई.ई. इफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा अ.अभि. के कार्यालय में और न्यायालय में शिकायत दर्ज की गई, इसलिए वित्तीय निविदा नहीं खोली गई। 2. 64 वे एच.एल.ई.सी. बैठक में ₹61 करोड़ की पुनरीक्षित अनुमानित कार्य स्वीकृत की गई। 3. 24.05 कि.मी. में से 24.00 कि.मी. के लिए भू.अ. प्रक्रिया पूरी हो चुकी है बाकी प्रक्रियाधीन है।
2	बिहार/सुपौल	सरायगढ़ (गरिया चौक) से रिप्यूजी कॉलोनी तक (ए.एस.आई.पी.-ए. एम.आर. (जे.वी.), हैदराबाद	40.990	117.700	40.990	0.000	39.600	31.000	जी.एस.बी.-38.75 कि.मी., डब्ल्यू.एम.एम.-37.50 कि.मी., डी.बी.एम.-36.50 कि.मी., डी.एल.सी.-2.3 किमी, पी.व्यू.सी.-2.0 किमी, फलैंक में जी.एस.बी.-19 किमी, ढलान का ई./डब्ल्यू (1:3)-27.5 किमी, टर्फिंग 14 कि.मी. में और 2.00 कि.मी. में बॉल्डर पिचिंग का कार्य। ओपेन ड्रेन में-400 मी, बाकी प्रगति पर है। स्थायी सूट ढलान नाली 50 की सं0 में , बाकी प्रगति पर है।	1. कार्य प्रगति पर है। 2. ₹190.44 करोड़ के लिए संशोधित अनुमान 64वीं एच.एल.ई.सी. की बैठक में अनुमोदित किया गया है, अनुपूरक समझौता किया गया है। 3. दिसंबर 2019 तक समय विस्तार (ई.ओ. टी.) मंजूर की गयी। 4. भू.अ. पूरा हो गया है। 5. कार्य प्रगति पर है।

क्रम सं.	राज्य/जिला	सड़क खंड का नाम (संवेदक का नाम)	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	एच.एल.ई.सी. के अनुसार लागत (₹ करोड़ में)	उपलब्ध/अधिग्रहित लंबाई (कि.मी में)	अर्जनधीन भू-खंड की लंबाई (कि.मी में)	प्रगति (कि.मी. में)		अन्य प्रगति (भौतिक एवं वित्तीय)	अभ्युक्ति
							फोरमेशन	सरफेसिंग (एस.डी.बी.सी.)		
									सी.डी.- 11 / 23 (तो प्रगति पर), पुल-1 / 4 पूर्ण। 1 पुल पूरा हुआ। बाकी कार्य प्रगति पर है। व्यय-₹138.0071 करोड़।	
3	बिहार/अररिया	रा.रा.- 57ए पर (मीरगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास) रिप्यूजी कॉलोनी से मीरगंज चौक तक (ए.एस.आई. पी.-ए.एम.आर. (जे.पी.), हैदराबाद)	44.328	128.030	39.470	4.858	37.250	30.800	1. जी.एस.बी.-35.40 कि.मी., डब्ल्यू.एम.-33.70 कि.मी., डी.बी.एम.- 30.90 कि.मी., सी.डी.- 58 / 75 पूर्ण। 2 प्रगति पर है। मिट्टी कार्य, जी.एस.बी., डब्ल्यू.एम. एवं संरक्षण कार्य भू.अ. समस्या के कारण धीमी गति से चल रहा है। व्यय-₹131.9347 करोड़।	कार्य प्रगति पर है। 1. ₹185.97 करोड़ के लिए संशोधित अनुमान 64वीं एच.एल.ई.सी. की बैठक में अनुमोदित किया गया है. अनुपूरक समझौता किया गया है। दिसंबर 2019 तक ई.ओ.टी. मंजूर की गयी। 2. चरण-I, आवश्यक लंबाई के लिए वन मंजूरी प्राप्त कर ली गई है और काम करने की अनुमति दी गई है। चरण-II मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण लगभग पूरी हो चुकी है। 3. 39.47 कि.मी. के लिए मू.अ.। 4. कार्य प्रारंभ हो चुका है।
4	बिहार/अररिया	मीरगंज रेलवे क्रॉसिंग से धबेली (33.700 किमी मीरगंज से कुआरी + 12.10 किमी सिकंदी से धबेली) (भारतीय इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, गौहाटी)	45.800	134.007	31.500	14.300	29.000	19.100	जी.एस.बी.-24.00 कि.मी., डब्ल्यू.एम.-20.44 किमी, डी.बी.एम.-19.10 कि.मी., सी.डी.- 51 / 76 पूर्ण। 4 प्रगति पर है। डी.एल.सी. 0.8 कि.मी. पी.क्यू.सी.- 0.25 किमी पूर्ण। ई./डब्ल्यू. जी. एस.बी. और डी.एल.सी. कार्य प्रगति पर है। व्यय-₹92.0674 करोड़।	1. काम की प्रगति धीमी है। 2. संशोधित अनुमान (मीरगंज रेलवे क्रॉसिंग से धबेली (33.700 कि.मी. मीरगंज से कुआरी + 12.10 कि.मी. सिकंदी से धबेली) ₹162.8439 करोड़, गृ.म., भारत सरकार को प.नि.वि. के पत्र सं०- 2008 (ई.) डब्ल्यू.ई. दिनांक 21.04.17 द्वारा प्रस्तुत। पूर्व संशोधित अनुमान ₹182 करोड़ को संशोधन के लिए वापस। 3. चरण-I, आवश्यक लंबाई के लिए वन मंजूरी प्राप्त तथा कार्य की अनुमति दी गई। 4. जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण लगभग पूरा हो चुका है।

क्रम सं.	राज्य/जिला	सड़क खंड का नाम (सर्वेदक का नाम)	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	एच.एल.ई.सी. के अनुसार लागत (₹ करोड़ में)	उपलब्ध/ अधिग्रहित लंबाई (किमी में)	अर्जनधीन भू-खंड की लंबाई (किमी में)	प्रगति (कि.मी. में)		अन्य प्रगति (भौतिक एवं वित्तीय)	अभ्युक्ति
							फोरमेशन	सरफेसिंग (एस.डी.बी.सी.)		
										5. 45.80 किमी में से 31.500 किमी में भूअ. पूर्ण। 6. काम शुरू कर दिया गया है।
5	बिहार/अररिया	कुआरी बाय पास से सिकटी तक (सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी, पटियाला)	12.000	30.080	11.500	0.500	11.500	11.500	जी.एस.बी.-11.50 कि.मी., डब्ल्यू. एम.एम.-11.50 किमी, डी.बी.एम.- 11.50 किमी, सीडी- 12/ 12 पूर्ण। व्यय-₹34.2310 करोड़।	कार्य पूर्ण (वास्तविक लंबाई 11.50 कि.मी.)।
6	बिहार/अररिया (किशनगंज का भाग)	धबेली से फतेहपुर (सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी, पटियाला)	12.200	29.200	11.780	0.420	11.780	11.780	जी.एस.बी.-11.78 कि.मी., डब्ल्यू. एम.एम.-11.78 किमी, डी.बी.एम.- 11.78 कि.मी., सी.डी.- 7 / 7 पूर्ण। व्यय-₹27.7340 करोड़।	कार्य पूर्ण (वास्तविक लंबाई 11.78 किमी)।
कुल			179.368	509.577	159.240	20.128	142.130	104.180	व्यय ₹450.0412 करोड़	आर/ई लागत ₹778.69 करोड़

(स्रोत: प.नि.वि. बिहार)

(ख) नौ खंडों की स्थिति और विवरण।

(30.11.2019 को स्थिति)

क्रम सं.	राज्य/जिला	सड़क खंड का नाम	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	एच.एल.ई.सी. के अनुसार लागत (रकरोड़ में)	उपलब्ध/अधिग्रहित लंबाई (कि.मी. में)	अर्जनधीन भू-खंड की लंबाई (कि.मी. में)	प्रगति (कि.मी. में)		अभ्युक्ति
							प्रगति (कि.मी. में)	फोरमेशन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	पश्चिम चंपारण	मदनपुर से भंगहा (मेसर्स एन.के.सी. लिमिटेड)	80.100	237.960	78.900	1.200	4.000	0.000	सी.डी.- 0 / 223 व्यय-₹29.8165 करोड़।
2.	पश्चिम चंपारण	भंगहा से धुतहा (मेसर्स एन.के.सी. लिमिटेड)	30.998	93.440	27.00	3.998	5.000	0.000	सी.डी. कार्य 0 / 20 व्यय-₹17.06 करोड़।
3	बिहार/पूर्वी चंपारण	धुतहा नदी से लालबकिया नदी (जे.के.एम. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड)	77.242	238.340	65.452	11.790	22.000	0.000	जी.एस.बी.-15.00 कि.मी., डब्ल्यू.एम.एम.-12.50 कि.मी., डी.बी.एम.- 11.50 कि.मी., सीडी कार्य 8 / 91 5 पूर्ण 3 प्रगति पर है। व्यय-₹57.3500 करोड़।
4	बिहार/सीतामढ़ी	बहार गाँव से कन्हौली तक (जे.के.एम. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड)	10.925	36.710	10.925	0.000	2.000	0.000	सी.डी. कार्य 0 / 8 व्यय-₹1.9180 करोड़।
5	बिहार/सीतामढ़ी	कन्हौली से सुरसंड (जे.के.एम. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड)	49.150	147.750	49.150	0.000	0.000	0.000	सीडी कार्य 0 / 78 व्यय-₹7.2210 करोड़।
									अभ्युक्ति
									11
									1. अनुबंध के खंड 3 ए के तहत अनुबंध को बंद करने का प्रस्ताव प्रक्रिया में है। 2. 11.02.2019 को चार समूहों में पुनर्निविदा के बाद सभी समूह का निर्णय लिया गया। चार समूह में कार्य प्रगति पर है। 3. संशोधित लागत- ₹359 करोड़ मंडापुर से भंगहा, ₹143 करोड़ -भंगहा से धुतहा तक के लिए। 1. मेसर्स जेकेएम विचलित मात्रा, अतिरिक्त वस्तुओं, प्रतिस्थापित आइटम के लिए नई दरों पर कार्य को निष्पादित करने के लिए इच्छुक है। 2. 77.242 कि.मी. में से 65.452 कि.मी. में भूअ. पूरा हो चुका है, बाकी प्रक्रिया में है। संशोधित अनुमान पुनि.वि. में स्वीकृति की प्रक्रिया में है। संशोधित लागत ₹327 करोड़। 1. बहार ग्राम से कन्हौली- 10.925 कि.मी. के लिए पुनर्निविदा। तकनीकी बोली में एकल बोलीदाता के योग्य होने के कारण। तकनीकी बोली में एकल बोलीदाता के कारण वि.नि.स. को पत्र संख्या -178 (डब्ल्यू.ई.) दिनांक- 07.08.2019 के द्वारा प्रस्तुत। निविदा खुलने की तिथि 30.09.2019। संशोधित ₹ 51.62 करोड़। 2. बहार गाँव से कन्हौली तक का संशोधित अनुमान इस कार्यालय के पत्र संख्या:- 5034 (एस.) दिनांक-24.05.19 द्वारा गृमं को प्रस्तुत किया गया है। 3. कन्हौली से सुरसंड-49.150 कि.मी. के लिए पुनर्निविदा की तकनीकी बोली वि.नि.स.को सौंपी गई। संशोधित लागत ₹225.61 करोड़।

क्रम सं.	राज्य/जिला	सड़क खंड का नाम	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	एच.एल.ई.सी. के अनुसार लागत (रकरोड़ में)	उपलब्ध/अधिग्रहित लंबाई (कि.मी. में)	अर्जनधीन भू-खंड की लंबाई (कि.मी. में)	प्रगति (कि.मी. में)		अभ्युक्ति
							प्रगति फोरमेशन	फोरमेशन	
									4. कन्नौली से सुरसंड के लिए संशोधित अनुमान इस कार्यालय पत्र संख्या- 5034 (एस) डब्ल्यू.ई.दिनांक-24.05.19 द्वारा गृ.मं. को प्रस्तुत किया गया है।
6	बिहार/ सीतामढ़ी	भिट्टा मोर -परसा (जे.के.एम. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड)	5.800	16.810	5.800	0.000	0.000	सीडी कार्य 0 / 10 व्यय-₹0.8520 करोड़।	1. भिट्टा मोड़ से परसा-5.8 कि.मी. के लिए पुनर्निविदा तकनीकी बोली डीटीसी को सौंपी गई। 2. 65.875 कि.मी. में से 65.875 किमी में भू.अ. पूरा हो चुका है। संशोधित लागत ₹25.44 करोड़। 3. भिट्टा मोड़ से परसा सड़क की लंबाई 5.30 कि.मी.। वितीय बोली मु.अभि. को प्रस्तुत की गई। 4. भिट्टा मोर-परसा संशोधित अनुमान एमएचए को इस कार्यालय के पत्र संख्या- 5034 (एस) डब्ल्यू.ई./दि.-24.05.19 द्वारा गृ.मं. को प्रस्तुत किया गया है।
7	बिहार/मधुबनी	परसा से अखराघाट (जे.के.एम. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड)	10.610	31.520	10.610	0.000	0.500	सीडी कार्य 0 / 20 व्यय-₹2.9749 करोड़।	1. परसा से अखराघाट 10.61 कि.मी.तथा लौकाही (झोरीचौक) से भुतहा चौक 28.60 कि.मी. के लिए पुनर्निविदा। मु.अभि. द्वारा संशोधित तकनीकी स्वीकृति को मंजूरी दी गई है, सी.डी.ओ. ने प्रक्रिया के तहत तकनीकी स्वीकृति और पुनर्निविदा को संशोधित किया है। संशोधित लागत ₹45.68 करोड़। 2. परसा से अखराघाट संशोधित अनुमान पत्र क्रमांक -7014 (एस) दिनांक 31 / 7 / 2019 द्वारा गृ.मं. को प्रस्तुत किया गया है। 3. 39.210 कि.मी. में से 39.210 किमी में भू.अ. पूरा हो चुका है। इस खंड में सेवेक द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है। संशोधित लागत ₹116.79 करोड़। 4. लौकाही (झोरीचौक) से भुतहाचौक तक का संशोधित अनुमान पत्र संख्या सं 10074 (एस) डब्ल्यू.ई. द्वारा गृ.मं. को प्रस्तुत किया गया है।
8	बिहार/मधुबनी	लौकाही (झोरीचौक) से भुतहाचौक तक (जे.के.एम. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड)	28.600	85.110	28.600	0.000	15.000	जीएसबी-8.00 किमी, सीडी-12 / 36 पूर्ण। व्यय-₹15.0520 करोड़।	

क्रम सं.	राज्य / जिला	सड़क खंड का नाम	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	एच.एल.ई.सी. के अनुसार लागत (₹ करोड़ में)	उपलब्ध / अधिग्रहित लंबाई (कि.मी. में)	अर्जनधीन भू-खंड की लंबाई (कि.मी. में)	प्रगति (कि.मी. में)		अभ्युक्ति
							फोरमेशन	फोरमेशन	
9	बिहार / किशनगंज	फतेहपुर से पिल्लोला और पिल्लोला-गलगलिया (जे.के.एम. इफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड)	79.500	258.770	71.500	8.000	42.000	0.000	1. मेसर्स जे.के.एम. ने काम शुरू कर दिया है। 2. पहले संवेदक ने कार्य निष्पादित करने से इनकार कर दिया है और एकरासनामा को बंद करने हेतु मध्यस्थता न्यायाधिकरण चला गया है – संदर्भ मामला संख्या 183 / 2015। अन्य राहत के लिए संदर्भ मामले संख्या 186 / 2015। 3. माननीय न्यायाधिकरण ने 13 फरवरी 2018 को रिट याचिका को खारिज कर दिया है। 4. मेसर्स जे.के.एम. संवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय (सी.आर. 51 / 2018) में अपील की है। विभाग ने तथ्य का विवरण प्रस्तुत किया है। 5. वर्तमान एस.ओ.आर. पर संशोधित अनुमान ₹380.46 करोड़ है। 6. 79.5 कि.मी. में से 71.50 कि.मी. में भू.अ. पूरा हो चुका है। बाकी प्रक्रिया में। 7. कार्य प्रगति पर है।
		कुल:-	372.925	1146.410	347.937	24.988	90.500	0.000	संशोधित अनुमानित लागत ₹1674.60 करोड़

(ग) बिहार में भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजना के 15 खंडों में से आठ एकरारनामा का विवरण

(30.09.2018 को स्थिति)

क्रम सं०	राज्य / जिला	सड़क खंड का नाम	सड़क की लंबाई (कि. मी. में)	एच.एल.ई.सी. के अनुसार लागत (रु. करोड़ में)	अनुबंध मूल्य (रु. करोड़ में)	प्रारंभ होने की तिथि / पूर्ण होने की तिथि / पूर्ण होने की संशोधित तिथि	संवेदक का नाम
1	सीतामढ़ी	लालबकिया नदी से बहार गाँव तक फूलबरियाघाट	24.05	70.560	64.33	06.09.12 01.09.14 30.06.18 31.12.19	ए.ए.आर.पी.ई.ई. इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, सिलीगुड़ी
2	सुपौल	सरायगढ (गरियाचौक) से रिफ्यूजी कॉलोनी तक	40.99	117.700	228.91	25.12.12	
3	अररिया	राष्ट्रीय राजमार्ग-57.ए (मीरगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास) मीरगंज चौक से शरणार्थी कॉलोनी	44.328	128.030		24.12.16 30.06.18 31.12.19	ए.एस.आईपी-ए.एम.आर. (जे.बी.), हैदराबाद
4	अररिया	मीरगंज रेलवे क्रॉसिंग से धबेली (मीरगंज से कुआरी -33.700 किमी + सिकटी से धबेली - 12.10 किमी)	45.80	134.007	119.27	24.06.13 23.06.15 31.03.18 31.12.19	भारतीय इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, गौहाटी
5	अररिया	कुआरी बाय पास से सिकटी	12.00	30.080	47.84		
6	किशनगंज	धबेली से फतेहपुर	12.20	29.200		24.06.13 23.02.15 31.06.17 31.12.19	सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी, पटियाला
7	पश्चिम चंपारण	मदनपुर (राष्ट्रीय राजमार्ग-28 बी) से भंगहा तक	80.1	237.960	294.263	19.01.13 18.07.15 31.12.22	एन.के.सी. प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा
8	पश्चिम चंपारण	भंगहा से धुतहा नदी पुल	30.998	93.440			
9	पूर्वी चंपारण	धुतहा नदी से लालबकिया नदी	77.242	238.340	217.2	08.05.13 07.08.15 31.12.22	
10	सीतामढ़ी	बहार गाँव से कन्हौली	10.925	36.710	284.02	09.05.13	
11	सीतामढ़ी	कन्हौली से सुरसंड	49.15	147.750		08.11.15	जे.के.एम. इंफ्रा. प्रोजेक्ट लिमिटेड, नई दिल्ली
12	सीतामढ़ी	भिट्टा मोर - परसा	5.8	16.810		31.12.22	
13	मधुबनी	परसा से अखारघाट	10.61	31.520			
14	मधुबनी	लौकाही (झोरीचौक) से भूतहाचौक तक	28.6	85.110			
15	किशनगंज	फतेहपुर से पिल्टोला और पिल्टोला-गलगलिया	79.5	258.770	236.46	26.04.13 25.10.15 31.12.22	वही
कुल:-			552.293	1655.987	1492.293		

(स्रोत: प.नि.वि. द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रगति प्रतिवेदन)

परिशिष्ट- 2.1.2

(संदर्भ: कडिका-2.1.9: पृष्ठ-25)

भा.ने.सी.स.परि. के लिए उपलब्ध और उपयोग की गयी निधि

(क) भारत सरकार द्वारा असैनिक निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गए निधि की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	असैनिक लागत हेतु केन्द्रांश (स्वीकृत लागत: ₹1656.56 करोड़)								
	राज्य के पास प्रा.शे.	भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधि	कुल	प्रमंडल के पास प्रा.शे.	प्रमंडलों को जारी की गयी निधि	कुल	व्यय	राज्य के पास अंत शेष (राज्य के पास कुल उपलब्ध निधि का प्रतिशत)	प्रमंडल के पास अंत शेष (प्रमंडल के पास कुल उपलब्ध निधि का प्रतिशत)
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5+6)	8	9 (4-6)	10 (7-8)
2012-13	0	38.85	38.85	0	33.5	33.5	33.5	5.35(14)	0(0)
2013-14	5.35	400	405.35	0	178.76	178.76	154.46	226.59(56)	24.3(14)
2014-15	226.59	0	226.59	24.3	135	159.3	126.25	91.59(40)	33.05(21)
2015-16	91.59	154.49	246.08	33.06	87	120.06	59.28	159.08(65)	60.78(51)
2016-17	159.08	0	159.08	60.78	80	140.78	94.67	79.08(50)	46.11(33)
2017-18	79.08	0	79.08	46.11	40	86.11	42.1	39.08(49)	44.01(51)
2018-19	39.08	50	89.08	44.02	90	134.02	74.88	53.44 (37) (54.36*-0.92)	81.21 (52) (22.07*+59.14)
2019-20	53.44	96.7	150.14	81.21	118.83	200.04	141.05	31.31(21)	58.99(29)
कुल		740.04			763.09		726.19		

(स्रोत: प.नि.वि. बिहार और प.नि.वि. के प्रमंडल)

*राशि ₹54.36 करोड़ प्रमंडल/एजेंसी द्वारा राज्य को वापस किया गया और राशि ₹22.07 करोड़

एजेंसी से प्राप्त किया गया और 2018-19 के दौरान प्रमंडल द्वारा उपयोग किया गया।

(ख) भू.अ./जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण/पर्यावरण मंजूरी हेतु उपलब्ध करायी गयी राज्य की निधि की स्थिति

(₹ करोड़ में)

स्वीकृत लागत (₹2278.57 करोड़)				
वर्ष	प्रमंडल को आवंटित निधि	व्यय (जि.भू.पदा. को स्थानांतरित निधि)	प्रत्यार्पण	अतिरिक्त निधि जो कि जि.भू.पदा. द्वारा वापस किया गया और कोषागार में प्रेषित की गयी
2012-13	66.5	66.5	0	-
2013-14	785.44	782.84	2.6	-
2014-15	217.94	198.72	19.22	-
2015-16	320.22	318.83	1.39	-
2016-17	486.93	486.93	0	-
2017-18	400.00	396.15	4.83	302.97
2018-19	1.39	0.39	0	152.50
2019-20	0	0	0	0
कुल	2278.42	2250.36	28.04	455.47

(स्रोत: प.नि.वि. बिहार और प.नि.वि. के प्रमंडल)

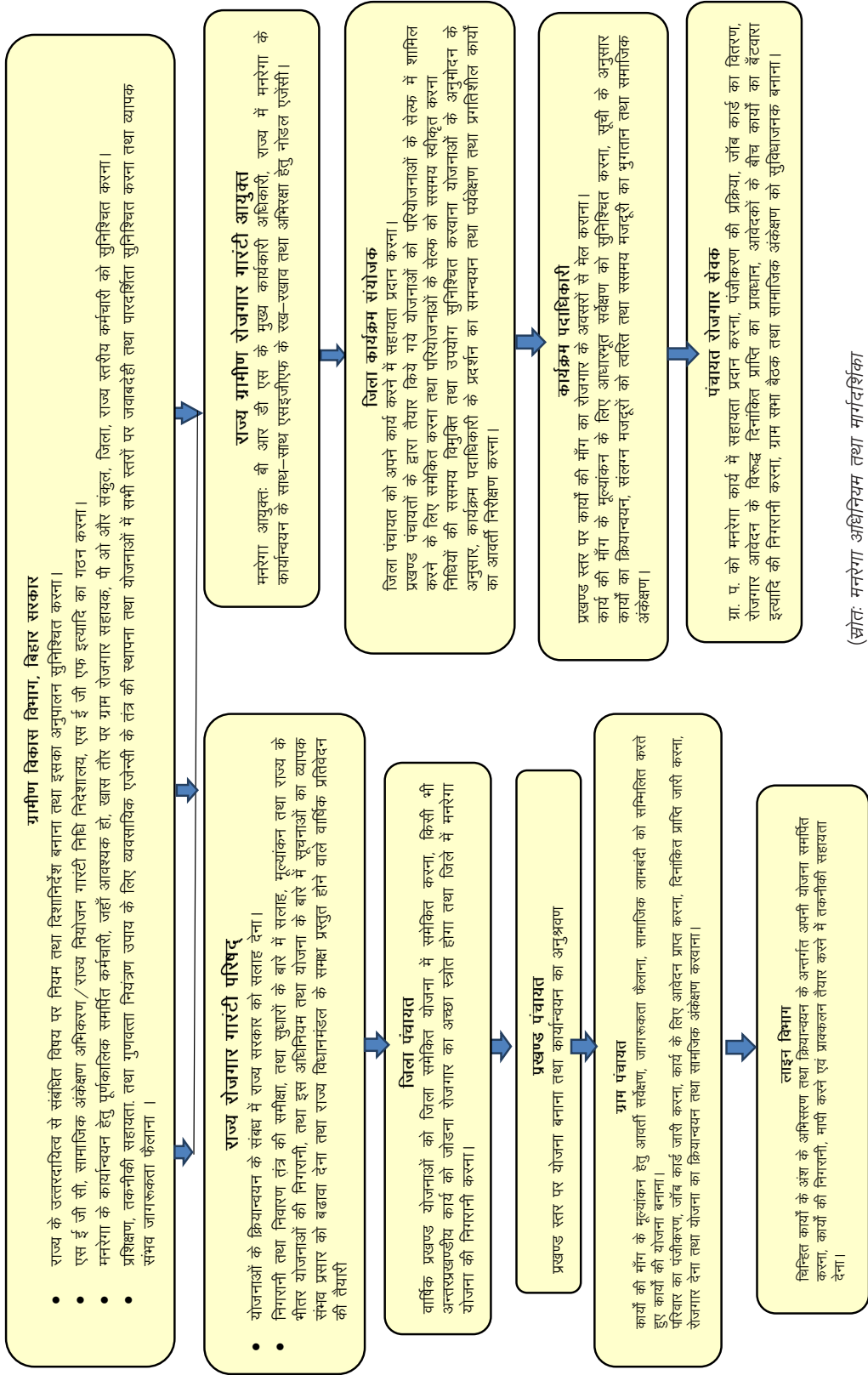
(ग) नाबार्ड ऋण के माध्यम से पुल के निर्माण के लिए प्राप्त धन की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नाबार्ड ऋण अंतर्गत पुल की लागत (स्वीकृत राशि ₹983.81 करोड़)		
	बि.रा.पु.नि.नि.लि. को कुल आवंटन	व्यय	नाबार्ड द्वारा प्रतिपूर्ति
2015-19	936.29	928.77 (95)	703.70

(स्रोत: प.नि.वि. बिहार)

परिशिष्ट-2.2.1
(संदर्भ: -कंडिका 2.2.2; पृष्ठ-41)
हितधारकों की संगठनात्मक संरचना, भूमिका एवं दायित्वों को दर्शाती विवरणी



(स्रोत: मनरेगा अधिनियम तथा मार्गदर्शिका)

परिशिष्ट -2.2.2

(संदर्भ: कंडिका -2.2.2; पृष्ठ-42)

चयनित ईकाइयों को दर्शाती विवरणी

प्रमंडल	जिला	प्रखंड	ग्राम पंचायत (ग्रा. पं.)
पटना	पटना	(1) बेलछी	(1) फतेहपुर (2) कोरारी (3) बेलछी
		(2) पुनपुन	(1) अकौना (2) पुनपुन (3) पोठही
मगध	गया	(1) बथानी	(1) खुखड़ी (2) बथानी (3) सरेन
		(2) टिकारी	(1) केसपा (2) नेपा (3) दिघौरा
तिरहुत	पूर्वी चम्पारण	(1) कल्याणपुर	(1) बखरी (2) पकड़ी दीक्षित (3) परसौनी वाजिद
		(2) फेनहारा	(1) रुपौलिया (2) खान पिपरा मधुरपुर (3) फेनहारा
सारण	सारण	(1) लहलादपुर	(1) दन्दासपुर (2) बनपुरा (3) कटेयां
		(2) मढौरा	(1) भुआलपुर (2) नौतन (3) ओल्हनपुर
भागलपुर	भागलपुर	(1) ईस्माइलपुर	(1) नारायणपुर लक्ष्मीपुर (2) कमलाकुण्ड (3) इस्माइलपुर पश्चिमी भिट्ठा
		(2) शाहकुण्ड	(1) अम्बा (2) हरनथ (3) बेलथू
मुंगेर	बेगूसराय	(1) बरौनी	(1) बभनगामा (2) पपरौर (3) सहुरी
		(2) सामहो अक्हा	(1) अकबरपुर बरारी (2) सैदपुर सल्हा बरार-1 (3) सैदपुर सल्हा बरार-2
पूर्णियाँ	पूर्णियाँ	(1) अमौर	(1) भवानीपुर (2) हफनियां (3) बेकेनिया बरेली
		(2) जलालगढ़	(1) निज गेहुयां (2) सौंठा (3) एकम्बा
दरभंगा	समस्तीपुर	(1) दलसिंहसराय	(1) पगड़ा (2) बम्बईया हरलाल (3) बसरिया
		(2) कल्याणपुर	(1) खारसंड पश्चिमी (2) गोरई (3) अजना
कोशी	सहरसा	(1) बनमा ईटहरी	(1) महारस (2) जमाल नगर (3) रसलपुर
		(2) सिमरी बख्तियारपुर	(1) महखड़ (2) सरडीहा (3) सरौजा
कुल	9 जिले	18 पंचायत समितियाँ	54 ग्रा.पं.

(स्रोत: नमूना विधि संचिका)

परिशिष्ट-2.2.3

(संदर्भ: कडिका-2.2.7.1; पृष्ठ-44)

मनरेगा के तहत जिले के नमूना जाँच में आकस्मिक मजदूर की एस.ई.सी.सी. मापित स्थिति को दर्शाती विवरणी

जिला	एस.ई.सी.सी. के अनुसार भूमिहीन आकस्मिक मजदूरों की सं.	आई.पी.पी. ई-2 के दौरान चिन्हित परिवार	चिह्नित परिवार अब तक	जॉब कार्ड के लिए इच्छुक	जॉब कार्ड के लिए अनिच्छुक	कुल सर्वेक्षित परिवार	जॉब कार्ड प्राप्त करने वाले परिवारों की सं.
बेगूसराय	3,00,965	326	27,344	657	1,62,888	1,90,889	7
भागलपुर	2,49,217	1,853	6,189	7,211	1,91,377	2,04,777	21
गया	2,97,311	2,248	9,933	2,984	1,79,087	1,92,004	64
पटना	3,69,218	6,397	40,546	203	2,17,307	2,58,056	13
पूर्वी चम्पारण	4,62,442	344	16,252	341	2,01,607	2,18,200	0
पूर्णियाँ	3,24,899	923	13,120	3,251	1,93,881	2,10,252	4
सारण	1,85,102	1,512	7,155	2,017	1,25,131	1,34,303	0
समस्तीपुर	4,31,191	1,025	2,007	5,758	2,32,712	2,40,477	15
सहरसा	1,96,384	5,012	7,821	256	1,83,569	1,91,646	22
कुल	28,16,729	19,640	1,30,367	22,678	16,87,559	18,40,604	146

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट)

परिशिष्ट-2.2.4

(संदर्भ: कंडिका -2.2.7.1; पृष्ठ -45)

सत्यापित जॉब कार्ड को दर्शाती विवरणी

जिला	निर्गत जॉब कार्ड की सं.		सत्यापित जॉब कार्ड की सं.		सत्यापित जॉब कार्ड का प्रतिशत	
	कुल	सक्रिय	कुल	सक्रिय	कुल	सक्रिय
बेगूसराय	3,61,876	96,649	1,25,304	70,740	34.63	73.19
भागलपुर	4,40,700	1,25,346	1,31,915	95,825	29.93	76.45
गया	6,14,686	1,67,957	2,28,580	1,42,554	37.19	84.88
पटना	5,76,487	1,16,256	1,71,241	92,808	29.70	79.83
पूर्वी चम्पारण	6,98,521	2,16,926	1,99,247	1,32,138	28.52	60.91
पूर्णियाँ	5,18,556	1,92,461	2,06,327	1,40,632	39.79	73.07
सारण	5,80,631	1,61,750	1,48,019	1,18,791	25.49	73.44
समस्तीपुर	6,80,214	2,64,250	2,08,251	1,43,730	30.62	54.39
सहरसा	4,32,614	2,17,520	2,33,140	1,55,449	53.89	71.46
कुल	49,04,285	15,59,115	16,52,024	10,92,667	33.69	70.08

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट)

परिशिष्ट -2.2.5

(संदर्भ: कंडिका-2.2.7.3; पृष्ठ-46)

पंजीयन, कार्य की माँग तथा रोजगार सृजन को दर्शाती विवरणी

ब्यौरा	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
मनरेगा के तहत पंजीकृत परिवार	40,47,880	43,41,190	47,56,812	50,23,729	53,93,304
अनुमोदित श्रम बजट के आधार पर मानव दिवस	2,90,64,339	2,98,47,499	4,33,73,643	3,65,79,535	4,25,06,124
जॉब माँगने वाले परिवार	3,89,935	5,13,964	8,86,909	8,48,627	11,46,208
जॉब माँगने वाले परिवार (पंजीकृत परिवारों का प्रतिशत)	9.63	11.84	18.65	16.89	21.25
रोजगार का प्रस्ताव पाने वाले परिवार	3,88,590	5,13,585	8,86,462	8,47,914	10,55,370
रोजगार पाने वाले परिवार	2,38,086	4,03,350	6,92,389	6,75,230	9,30,632
रोजगार पाने वाले परिवार (रोजगार पाने वाले परिवारों का प्रतिशत)	61.06	78.48	78.07	79.57	81.19
सृजित मानव दिवस	86,42,320	1,86,53,093	2,62,86,823	2,53,00,482	4,07,64,688
प्रति परिवार के अनुसार औसत मानव दिवस	36.30	46.25	37.97	37.47	43.80
100 दिनों का रोजगार पाने वाले परिवार	7,732	14,511	5230	6146	10,143
100 दिन रोजगार पाने वाले परिवार (रोजगार की माँग करने वाले परिवार का प्रतिशत)	1.98	2.82	0.59	0.72	0.88
जॉब कार्ड निर्गत किये जाने वाले अ.जा./ अ.ज. जा परिवार	11,04,147	11,54,565	12,16,671	12,34,338	12,58,722
रोजगार पाने वाले अ.जा./ अ.ज.जा परिवार	67,686	1,01,422	1,74,075	1,55,214	1,83,299
अ.जा./ अ.ज.जा परिवार को प्रदान किए गए मानव दिवस	24,97,716	45,33,643	65,55,627	57,31,084	82,46,845
प्रति अ.जा./ अ.ज.जा परिवार के अनुसार औसत मानव दिवस	36.90	44.70	37.66	36.92	44.99

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट तथा नमूना जाँचित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचनाएँ)

परिशिष्ट -2.2.6

(संदर्भ: कंडिका-2.2.7.4; पृष्ठ-48)

भुगतये बेरोजगारी भत्ता को दर्शाती विवरणी

जिला	प्रखंड	अवधि	मजदूरों की सं./ बेराजगारी मामले	मांगे गये कार्य दिवसों की सं.	गणना हेतु बेरोजगारी दिन	विलंब दिवस	भुगतये राशि (₹ में)
बेगूसराय	बरौनी	2017-18	109	1 से 16	1,117	613 से 974	98,854.50
		2018-19	187	1 से 15	1,970	255 से 606	1,74,345.00
	साम्हो अक्हा	2017-18	140	1 से 14	1,143	645 से 958	1,01,155.50
		2018-19	43	5 से 14	466	264 से 614	41,241.00
भागलपुर	ईस्माइलपुर	2017-18	90	6 से 12	734	992 से 1,018	64,959.00
		2018-19	26	6 से 12	301	335 से 579	26,638.50
	शाहकुण्ड	2017-18	508	1 से 24	6,782	710 से 1,048	6,00,207.00
		2018-19	1,436	1 से 24	16,791	329 से 686	14,86,003.50
गया	बथानी	2017-18	344	1 से 24	4,387	650 से 970	3,88,249.50
		2018-19	104	1 से 22	925	329 से 558	81,862.50
	टिकारी	2017-18	278	1 से 26	3,943	652 से 998	3,48,955.50
		2018-19	329	1 से 27	4,003	295 से 641	3,54,265.50
पटना	बेलछी	2017-18	111	3 से 14	764	613 से 905	67,614.00
		2018-19	67	3 से 22	434	277 से 490	38,409.00
	पुनपुन	2017-18	655	1 से 14	4,733	661 से 911	4,18,870.50
		2018-19	1,706	1 से 14	3,459	244 से 535	3,06,121.50
पूर्वी चम्पारण	कल्याणपुर	2017-18	609	1 से 16	8,634	658 से 993	7,64,109.00
		2018-19	741	1 से 28	8,643	293 से 749	7,64,905.50
	फेनहारा	2017-18	12	15	180	706	15,930.00
		2018-19	2	15 से 16	31	530	2,743.50
पूर्णिमाँ	अमौर	2017-18	910	1 से 24	7,476	683 से 1,026	6,61,626.00
		2018-19	1,033	3 से 24	9,665	310 से 660	8,55,352.50
	जलालगढ़	2017-18	374	2 से 14	4,167	682 से 1,026	3,68,779.50
		2018-19	347	5 से 28	4,102	310 से 744	3,63,027.00
सारण	लहलादपुर	2017-18	214	10 से 30	3,949	710 से 985	3,49,486.50
		2018-19	151	6 से 14	1,914	272 से 586	1,69,389.00
	मढ़ौरा	2017-18	736	1 से 14	4,179	659 से 956	3,69,841.50
		2018-19	2,053	1 से 56	26,677	292 से 622	23,60,914.50
समस्तीपुर	दलसिंहसराय	2017-18	134	2 से 12	1,072	731 से 1,000	94,872.00
		2018-19	748	1 से 12	7,393	369 से 712	6,54,280.50
	कल्याणपुर	2017-18	305	1 से 29	3,463	726 से 1,065	3,06,475.50
		2018-19	2,649	1 से 29	31,545	366 से 704	27,91,732.50
सहरसा	बनमा ईटहरी	2017-18	23	12	264	1,016 से 1,025	23,364.00
		2018-19	316	1 से 36	6,249	364 से 705	5,53,036.50
	सिमरी बख्तियारपुर	2017-18	1,182	1 से 60	9,064	718 से 1,047	8,02,164.00
		2018-19	1,143	1 से 90	27,635	352 से 705	24,45,697.50
कुल			19,815	1 से 90	2,18,254	244 से 1,065	1,93,15,479.00

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट)

परिशिष्ट -2.2.7

(संदर्भ: कंडिका -2.2.7.6; पृष्ठ -49)

आधार सत्यापन तथा आधार आधारित भुगतान (ए.बी.पी.) के प्रतिशत को दर्शाती विवरणी

जिला	कुल सक्रिय मजदूरों की सं.	आधार से जुड़े	आधार से जुड़ने का प्रतिशत	कुल सत्यापित आधार की सं.	सक्रिय मजदूरों की सत्यापित प्रतिशत	फ़ोजेन खाते	(ए.बी.पी.) में परिवर्तित कुल मजदूरों की सं	(ए.बी. पी.) का प्रतिशत
बेगूसराय	1,19,881	97,608	81.42	58,782	60.22	57,027	38,239	31.90
भागलपुर	1,80,436	1,54,467	85.61	91,348	59.14	87,673	38,773	21.49
गया	1,93,273	1,78,356	92.28	1,08,047	60.58	1,06,064	42,014	21.74
पटना	1,49,433	1,30,322	87.21	75,002	57.55	70,740	39,562	26.47
पूर्वी चम्पारण	2,43,434	2,02,473	83.17	1,11,130	54.89	1,09,168	41,092	16.88
पूर्णियाँ	2,23,286	2,03,739	91.25	1,25,778	61.73	1,23,372	45,577	20.41
सारण	1,74,094	1,45,616	83.64	83,596	57.40	82,740	29,846	17.14
समस्तीपुर	2,93,630	2,04,283	69.57	1,06,762	52.26	99,637	71,327	24.29
सहरसा	2,62,337	2,14,632	81.82	1,46,983	68.48	1,39,698	78,741	30.02
कुल	18,39,804	15,31,496		9,07,428		8,76,119	4,25,171	

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट)

परिशिष्ट -2.2.8

(संदर्भ: कंडिका -2.2.7.7; पृष्ठ-50)

विलंब से मजदूरी भुगतान को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

जिला	अवधि	16 से 30 दिनों के बीच भुगतान	31 से 60 दिनों के बीच भुगतान	61 से 90 दिनों के बीच भुगतान	90 दिनों के बाद भुगतान	कुल विलंब भुगतान	कुल भुगतान	विलंब भुगतान का प्रतिशत
बेगूसराय	2014-15	136.41	200.73	170.16	881.00	1,388.29	1,544.29	90
	2015-16	480.93	387.66	133.57	232.34	1,234.51	1,642.43	75
	2016-17	486.77	607.56	338.64	314.70	1,747.67	2,393.47	73
	2017-18	642.67	510.93	136.96	59.40	1,349.97	2,855.36	47
	2018-19	463.11	63.23	8.18	9.42	543.99	4,029.54	14
भागलपुर	2014-15	133.16	144.66	84.94	786.33	1,149.10	1,517.87	76
	2015-16	709.32	998.00	409.56	398.71	2,515.60	3,044.41	83
	2016-17	771.58	841.52	477.95	228.86	2,319.92	3,802.20	61
	2017-18	919.12	480.10	106.47	20.43	1,526.13	3,805.08	40
	2018-19	491.14	21.53	0	1.73	514.39	6,395.71	8
गया	2014-15	288.71	348.54	226.54	873.21	1,737.00	2,392.58	73
	2015-16	337.63	586.42	311.24	376.92	1,612.21	1,778.03	91
	2016-17	863.59	978.79	816.90	529.69	3,189.01	4,790.78	67
	2017-18	1,164.03	772.67	209.09	72.45	2,218.24	4,538.73	49
	2018-19	730.50	142.79	5.04	0.50	878.83	6,948.45	13
पटना	2016-17	721.28	1,070.17	745.63	747.45	3,284.53	4,058.79	81
	2017-18	892.39	950.55	281.38	88.93	2,213.25	2,993.28	74
	2018-19	421.45	47.38	4.61	5.01	478.42	4,893.53	10
पूर्वी चम्पारण	2014-15	100.51	173.07	186.34	1,337.10	1,797.07	1,904.08	94
	2015-16	1,081.78	1,731.97	950.79	1,478.83	5,243.36	5,954.62	88
	2016-17	1,374.25	1,239.50	666.22	421.39	3,701.36	6,508.97	57
	2017-18	1211.3	430.49	154.78	138.00	1,934.54	5,865.67	33
	2018-19	1,591.01	524.87	73.99	35.54	2,225.37	9,843.05	23
पूर्णिमा	2014-15	102.03	121.24	86.85	484.22	794.32	921.77	86
	2015-16	1,236.99	1,319.46	519.35	428.44	3,504.24	4,313.78	81
	2016-17	937.71	652.24	297.73	120.43	2,007.61	4,239.19	47
	2017-18	999.32	213.67	5.70	0.23	1,218.92	4,643.87	26
	2018-19	498.92	16.32	0.14	0.15	515.52	8,379.38	6
सारण	2014-15	58.60	100.56	62.64	669.46	891.25	1,012.95	88
	2015-16	1,186.81	1,156.20	480.54	521.51	3,345.10	4,386.84	76
	2016-17	1,453.82	1,440.51	1,116.60	974.01	4,984.94	6,774.60	74
	2017-18	1,159.71	763.71	136.73	23.80	2,083.97	6,098.51	34
	2018-19	109.61	0.15	0	0.16	109.91	10,083.03	1
समस्तीपुर	2014-15	106.8	173.92	116.04	987.82	1,384.58	1,691.26	82
	2015-16	1,137.33	1,344.36	604.27	653.57	3,739.54	4,715.92	79
	2016-17	1,024.85	972.94	395.71	134.54	2,528.01	6,148.88	41
	2017-18	1,000.67	347.89	36.89	2.70	1,388.15	7,248.66	19
	2018-19	480.42	51.32	11.47	4.06	547.29	11,611.33	5
सहरसा	2014-15	14.46	95.73	107.49	1,264.00	1,481.67	1,497.94	99
	2015-16	402.08	1,602.13	1,756.42	2,988.94	6,749.56	6,874.77	98
	2016-17	877.88	1,258.31	1,194.11	1,320.23	4,650.53	6,748.82	69
	2017-18	1,035.73	1,080.07	290.41	64.10	2,470.32	6,002.21	41
	2018-19	773.92	119.30	5.36	0.90	899.47	8,877.50	10
कुल						90,097.64	2,05,772.13	

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट)

परिशिष्ट-2.2.9

(संदर्भ: कंडिका-2.2.7.7; पृष्ठ-51)

पी.एफ.एम.एस. द्वारा संसाधित एफ.टी.ओ. की प्रतिक्रिया समय को दर्शाती विवरणी

जिला	अवधि	भरे हुए मस्टर रोल की सं०	टी +8 दिनों के भीतर ससमय सृजित एफ.टी. ओ. (प्रतिशत)	टी +8 दिनों के भीतर ससमय सृजित एफ.टी. ओ. (संख्या)	9-15 दिनों का विलंब (प्रतिशत)	टी +9 से टी + 15 दिनों के भीतर सृजित एफ.टी. ओ. (संख्या)	15 + दिनों का विलंब (प्रतिशत)	15 + दिनों का विलंब (संख्या)
बेगूसराय	2016-17	46,383	12.55	5,821	13.69	6,350	73.76	34,212
	2017-18	56,851	30.48	17,328	21.57	12,263	47.96	27,266
	2018-19	1,24,619	51.07	63,643	35.16	43,816	13.78	17,172
भागलपुर	2016-17	46,506	13.06	6,074	21.67	10,078	65.27	30,354
	2017-18	40,417	20.94	8,463	35.9	14,510	43.16	17,444
	2018-19	67,518	50.20	33,894	41.68	28,142	8.12	5,482
गया	2016-17	72,208	16.4	11,842	18.07	13,048	65.53	47,318
	2017-18	60,828	22.55	13,717	28.14	17,117	49.31	29,994
	2018-19	1,21,981	49.92	60,893	37.23	45,414	12.84	15,662
पटना	2016-17	58,455	9.06	5,296	10.40	6,079	80.54	47,080
	2017-18	32,827	13.63	4,474	13.87	4,553	72.50	23,800
	2018-19	76,465	53.80	41,138	36.19	27,673	10.01	7,654
पूर्वी चम्पारण	2016-17	52,320	20.23	10,584	21.60	11,301	58.17	30,435
	2017-18	43,302	30.14	13,051	35.10	15,199	34.76	15,052
	2018-19	1,01,615	41.18	41,845	36.10	36,683	22.71	23,077
पूर्णियाँ	2016-17	46,908	29.03	13,617	26.86	12,599	44.11	20,691
	2017-18	55,079	34.45	18,975	39.77	21,905	25.78	14,199
	2018-19	99,412	53.10	52,788	41.13	40,888	5.77	5,736
सारण	2016-17	53,628	10.86	5,824	15.02	8,055	74.12	39,749
	2017-18	58,973	18.42	10,863	47.15	27,806	34.43	20,304
	2018-19	95,302	56.08	53,445	42.83	40,818	1.09	1,039
समस्तीपुर	2016-17	60,458	28.61	17,297	30.15	18,228	41.25	24,939
	2017-18	64,074	31.13	19,946	49.71	31,851	19.16	12,277
	2018-19	1,78,357	51.4	91,675	43.92	78,334	4.67	8,329
सहरसा	2016-17	55,587	16.45	9,144	12.53	6,965	71.03	39,483
	2017-18	48,344	24.12	11,661	29.49	14,257	46.39	22,427
	2018-19	1,05,056	46.13	48,462	44.05	46,277	9.83	10,327
कुल		19,23,473		6,91,760		6,40,209		5,91,502

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट)

परिशिष्ट -2.2.10
(संदर्भ: कंडिका-2.2.7.7; पृष्ठ-53)
अस्वीकृत लेनदेन तथा एफ.टी.ओ. की प्रक्रिया के दौरान राशि को दर्शाती विवरणी

जिला	वर्ष	मद	कुल अस्वीकृत लेन-देन	कुल अस्वीकृत लेन-देन की राशि	सृजन के लिए लंबित	पुनर्स्जन के लिए लंबित राशि (₹)	अस्वीकृत सफल लेन-देन	अस्वीकृत सफल लेन देन की राशि (₹)	अस्वीकृत लंबित प्रतिक्रिया लेन-देन	अस्वीकृत लंबित बैंक प्रतिक्रिया लेन देन की राशि (₹)
बेगूसराय	2014-15	मजदूरी	565	13,04,871	152	3,18,543	290	7,15,536	123	2,70,792
		सामग्री	82	16,84,069	4	1,37,410	90	15,46,659	0	0
	2015-16	मजदूरी	2,270	48,36,547	138	3,05,017	1,645	34,70,080	487	10,61,450
		सामग्री	73	22,38,667	5	15,476	68	22,14,657	1	8,534
	2016-17	मजदूरी	3,611	70,78,948	561	10,20,016	2,577	50,96,087	473	9,62,845
		सामग्री	352	52,02,032	21	1,39,560	332	50,54,523	1	7,949
	2017-18	मजदूरी	4,095	78,95,358	847	16,99,107	2,615	50,22,103	633	11,74,148
		सामग्री	356	1,60,12,030	36	2,35,788	311	1,56,93,305	13	82,937
	2018-19	मजदूरी	3,997	76,26,375	708	14,71,745	1,920	36,12,391	1,369	25,42,239
		सामग्री	193	52,25,641	87	19,76,764	53	8,87,896	53	23,60,981
भागलपुर	2014-15	मजदूरी	2,221	35,65,527	1,068	18,68,982	737	10,66,794	416	6,29,751
		सामग्री	29	13,02,546	6	2,97,400	11	6,36,478	18	5,82,835
	2015-16	मजदूरी	6,045	96,99,898	575	8,15,210	4,912	77,96,492	558	10,88,196
		सामग्री	20	5,65,016	5	15,766	15	5,49,250	0	0
	2016-17	मजदूरी	7,764	1,17,05,625	1,776	26,46,043	5,310	81,19,632	678	9,39,950
		सामग्री	192	94,99,597	56	1,19,794	215	93,79,803	2	98,520
	2017-18	मजदूरी	6,576	1,13,67,341	2,520	42,25,217	3,588	63,52,966	468	7,89,158
		सामग्री	87	59,32,936	32	81,180	53	58,29,466	3	22,290
	2018-19	मजदूरी	7,030	1,40,43,789	3,215	64,84,169	3,059	60,66,999	756	14,92,621
		सामग्री	91	53,43,040	29	2,46,486	58	48,31,514	4	2,65,040
गया	2014-15	मजदूरी	2,017	37,83,210	406	7,21,277	881	16,14,537	730	14,47,396
		सामग्री	100	11,85,647	0	0	106	11,39,783	1	45,864
	2015-16	मजदूरी	3,279	52,70,103	129	2,13,816	2,193	35,68,071	957	14,88,216
		सामग्री	97	27,36,687	12	25,954	134	26,70,029	24	286,494

जिला	वर्ष	मद	कुल अस्वीकृत लेन-देन	कुल अस्वीकृत लेन-देन की राशि	सृजन के लिए लंबित	पुनर्वृजन के लिए लंबित राशि (₹)	अस्वीकृत सफल लेन-देन	अस्वीकृत सफल लेन देन की राशि (₹)	अस्वीकृत लंबित बैंक प्रतिक्रिया लेन-देन	अस्वीकृत लंबित बैंक प्रतिक्रिया लेन देन की राशि (₹)
गया	2016-17	मजदूरी	14,609	2,03,17,327	1,706	22,05,455	6,684	97,94,055	6,219	83,17,817
		सामग्री	92	13,65,783	55	91,507	55	12,67,232	4	7,044
	2017-18	मजदूरी	11,569	1,66,84,083	1,780	27,13,325	3,617	56,05,447	6172	83,65,311
		सामग्री	136	18,03,517	72	2,49,004	77	15,48,786	4	5,727
पटना	2018-19	मजदूरी	10,482	1,88,60,956	3,628	6,55,800	5,802	1,02,59,052	1052	20,46,104
		सामग्री	113	3,22,122	84	1,85,978	23	1,28,881	6	7,263
	2016-17	मजदूरी	10,866	1,66,06,717	4,446	66,78,233	4,663	72,20,374	1757	27,08,110
		सामग्री	7	65,870	4	37,640	3	28,230	0	0
	2017-18	मजदूरी	6,517	99,44,097	2,981	44,54,506	2,889	44,66,563	647	10,23,028
		सामग्री	3	9,600	3	9,600	0	0	0	0
	2018-19	मजदूरी	5,622	97,45,933	3,066	54,17,395	1,681	27,89,948	875	15,38,590
		सामग्री	10	4,45,290	6	4,06,050	4	39,240	0	0
	2014-15	मजदूरी	3,211	63,33,090	1,073	19,35,666	1,489	30,90,012	649	13,07,412
		सामग्री	137	22,30,517	98	1,27,339	38	20,88,956	1	14,222
पूर्वी चम्पारण	2015-16	मजदूरी	15,430	2,93,65,586	1,965	36,01,173	11,379	2,13,96,553	2086	43,67,860
		सामग्री	77	29,15,079	35	4,17,090	39	24,81,021	3	16,968
	2016-17	मजदूरी	11,174	2,21,00,228	3,446	66,80,427	5,861	1,16,44,502	1867	37,75,299
		सामग्री	277	1,07,29,266	52	3,46,856	242	1,03,30,686	21	70,812
	2017-18	मजदूरी	8,570	1,78,70,293	3,000	63,02,557	3,563	75,39,051	2007	40,28,685
		सामग्री	121	29,21,688	54	4,48,672	66	22,36,345	4	2,40,957
	2018-19	मजदूरी	10,948	2,47,55,350	4,466	100,97,307	2,779	62,99,714	3703	83,58,329
		सामग्री	100	6,86,211	86	6,39,095	11	34,774	3	12,342
	2014-15	मजदूरी	1,020	19,23,100	134	2,60,448	719	13,76,257	167	2,86,395
		सामग्री	136	33,80,936	4	7,582	133	33,73,354	0	0
पूर्णिमा	2015-16	मजदूरी	8,240	1,39,01,005	513	8,80,704	7,346	1,22,54,422	381	7,65,879
		सामग्री	67	5,50,773	33	63,070	30	4,77,833	4	9,870

जिला	वर्ष	मद	कुल अस्वीकृत लेन-देन	कुल अस्वीकृत लेन-देन की राशि	सृजन के लिए लंबित	पुनर्पूजन के लिए लंबित राशि (₹)	अस्वीकृत सफल लेन-देन	अस्वीकृत सफल लेन देन की राशि (₹)	अस्वीकृत लंबित प्रतिक्रिया लेन-देन	अस्वीकृत लंबित बैंक प्रतिक्रिया लेन देन की राशि (₹)
पूरणियाँ	2016-17	मजदूरी	12,194	1,63,01,244	2,082	26,85,376	9,258	1,25,65,389	854	10,50,479
		सामग्री	108	3,73,944	34	61,797	48	2,70,328	27	41,819
	2017-18	मजदूरी	9,313	1,48,35,996	2,706	45,33,840	5,126	81,30,812	1,481	21,71,344
		सामग्री	46	89,812	26	49,232	15	30,289	5	10,291
सारण	2018-19	मजदूरी	9,451	1,73,30,929	3,656	68,47,391	4,396	80,97,508	1,399	23,86,030
		सामग्री	73	48,98,426	47	9,69,493	24	39,21,208	2	7,725
	2014-15	मजदूरी	1,238	25,87,710	125	2,60,595	883	18,46,111	230	4,81,004
		सामग्री	37	15,42,466	6	15,692	31	15,24,542	1	2,232
	2015-16	मजदूरी	4,963	1,05,95,893	321	6,48,727	3,629	78,11,931	1,013	21,35,235
		सामग्री	171	45,11,708	70	1,77,627	95	42,74,733	23	1,50,961
	2016-17	मजदूरी	8,032	1,63,08,274	1,719	35,46,270	4,784	95,75,312	1,529	31,86,692
		सामग्री	204	48,73,332	101	3,13,906	116	45,38,276	8	21,150
	2017-18	मजदूरी	7,955	1,57,21,756	2,160	40,56,768	3,985	80,77,533	1,810	35,87,455
		सामग्री	261	99,07,262	116	2,74,034	214	94,21,768	11	2,11,460
	2018-19	मजदूरी	11,122	2,55,28,784	2,061	46,48,873	5,875	1,35,11,030	3,186	73,68,881
		सामग्री	127	15,67,949	95	13,76,927	13	41,973	19	1,49,049
समस्तीपुर	2014-15	मजदूरी	2,557	49,20,708	332	5,90,562	1,777	34,70,119	448	8,60,027
		सामग्री	94	32,83,628	10	1,00,184	88	29,19,767	3	2,63,677
	2015-16	मजदूरी	7,041	1,31,99,335	674	13,50,205	4,566	83,23,914	1,801	35,25,216
		सामग्री	129	19,71,159	47	4,50,900	66	13,55,279	19	1,64,980
	2016-17	मजदूरी	10,341	2,04,52,967	2,102	42,08,201	4,427	86,41,825	3,812	76,02,941
		सामग्री	141	25,72,813	95	12,37,401	43	12,48,933	7	86,479
	2017-18	मजदूरी	10,882	2,33,10,816	4,172	90,33,566	3,467	73,13,000	3,243	69,64,250
		सामग्री	132	30,58,983	63	4,38,130	49	17,87,184	26	9,05,984
	2018-19	मजदूरी	12,547	2,96,99,258	4,728	1,09,10,395	3,803	88,44,178	4,016	99,44,685
		सामग्री	495	1,60,86,411	195	51,40,731	134	42,15,780	166	67,29,900

जिला	वर्ष	मद	कुल अस्वीकृत लेन-देन	कुल अस्वीकृत लेन-देन की राशि	सृजन के लिए लंबित	पुनर्वृजन के लिए लंबित राशि (₹)	अस्वीकृत सफल लेन-देन	अस्वीकृत सफल लेन देन की राशि (₹)	अस्वीकृत लंबित बैंक प्रतिक्रिया लेन-देन	अस्वीकृत लंबित बैंक प्रतिक्रिया लेन देन की राशि (₹)
सहरसा	2014-15	मजदूरी	9,251	1,07,18,193	429	4,52,676	8,453	98,57,640	369	4,07,877
		सामग्री	295	34,35,565	51	1,74,555	233	32,17,575	16	43,435
	2015-16	मजदूरी	27,725	3,73,46,190	774	11,42,004	26,527	3,55,46,100	424	6,58,086
		सामग्री	636	42,70,959	166	6,14,748	453	36,11,874	18	44,337
	2016-17	मजदूरी	16,365	2,48,94,544	2,750	41,26,210	11,414	1,70,59,361	2,201	37,08,973
		सामग्री	359	32,17,044	215	5,38,583	101	25,00,519	51	1,77,942
	2017-18	मजदूरी	10,392	1,64,71,846	2,255	36,62,211	5,913	89,98,648	2,224	38,10,987
		सामग्री	141	24,32,662	100	3,66,776	34	19,69,492	13	96,394
	2018-19	मजदूरी	15,159	3,15,25,966	5,382	1,14,11,155	6,357	1,32,87,390	3,420	68,27,421
		सामग्री	157	6,20,259	105	3,07,994	20	38,722	32	2,73,543
	कुल		3,60,810	78,14,04,708	85,148	16,67,16,934	2,06,783	46,85,52,382	69,307	14,09,81,171

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट)

परिशिष्ट -2.2.11 (अ)
(संदर्भ: कंडिका-2.2.7.7; पृष्ठ-54)
भुगतय विलंब क्षतिपूर्ति के ब्यौरे को दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ में)

जिला	अवधि	दिनों में भुगतान	भुगतय राशि	अनुमोदित दिनों में	अनुमोदित राशि	सत्यापित की जाने वाली राशि	अस्वीकृत राशि	विलंब क्षतिपूर्ति का भुगतान	देय राशि
बेगूसराय	2014-15	90,37,575	1,00,24,736	0	0	-59,642	1,00,84,378	0	0
	2015-16	27,78,443	29,01,226	0	0	-523	29,01,749	0	0
	2016-17	42,12,304	40,88,956	0	0	-5,012	40,93,968	0	0
	2017-18	17,31,140	16,83,485	0	0	-662	16,84,047	0	0
	2018-19	2,98,329	2,97,867	5,052	4,716	3,640	2,89,511	1,323	3,393
भागलपुर	2014-15	1,41,05,740	93,46,418	15,244	12,549	39,977	92,93,892	11,933	616
	2015-16	74,39,812	57,64,399	57,724	45,747	-5,919	57,24,571	23,688	22,059
	2016-17	59,80,340	42,49,026	4,36,808	3,03,524	4,47,826	34,97,676	2,01,012	1,02,512
	2017-18	18,64,557	13,73,042	4,79,842	4,23,502	18,437	9,31,103	4,23,492	10
	2018-19	1,39,246	1,39,043	21,383	20,367	3,143	1,15,533	11,436	8,931
गया	2014-15	2,36,44,596	2,25,98,213	5,41,565	6,04,799	7,57,558	2,12,35,856	1,97,124	4,07,675
	2015-16	48,90,847	41,90,351	53,508	52,106	4,51,677	36,86,568	44,420	7,686
	2016-17	94,45,778	71,97,983	24,89,779	17,85,584	5,62,915	48,49,484	1,192,630	5,92,954
	2017-18	32,55,384	24,42,532	13,18,506	9,94,861	1,46,030	13,01,641	9,18,453	76,408
	2018-19	4,26,345	3,87,909	1,65,065	1,34,949	1,63,330	89,630	78,974	55,975
पटना	2016-17	1,13,72,553	87,98,592	3,21,057	3,34,824	16,66,701	67,97,067	2,95,768	39,056
	2017-18	37,78,850	29,46,219	2,82,951	2,01,195	1,13,449	26,31,575	76,075	1,25,120
	2018-19	2,33,921	2,00,177	46,635	43,507	10,886	1,45,784	25,643	17,864
पूर्वी चम्पारण	2014-15	2,56,53,508	2,41,22,771	2,68,628	2,98,223	51,44,208	1,86,80,340	73,291	2,24,932
	2015-16	1,62,02,342	1,60,31,190	2,81,563	1,83,176	23,13,519	1,35,34,495	929	1,82,247
	2016-17	78,90,096	74,36,113	10,08,738	8,83,303	14,74,974	50,77,836	4,59,552	4,23,751
	2017-18	22,82,926	21,42,129	2,12,760	2,41,852	2,41,530	16,58,747	1,83,716	58,136
	2018-19	14,57,839	16,32,261	96,916	1,01,168	1,55,602	13,75,491	8,240	92,928
पूर्णिमा	2014-15	79,74,409	65,38,354	0	0	72,787	64,65,567	0	0
	2015-16	77,22,358	66,59,772	0	0	10,634	66,49,138	0	0
	2016-17	35,00,286	27,48,327	70,348	46,826	-21,233	27,22,734	21,455	25,371
	2017-18	7,29,784	5,71,964	1,41,484	1,28,921	16,782	4,26,261	1,28,801	120
	2018-19	1,17,076	1,11,668	404	453	520	1,10,695	453	0
सारण	2014-15	1,20,95,967	1,26,86,317	0	0	-32,022	1,27,18,339	0	0
	2015-16	69,50,907	70,47,937	0	0	19,365	70,28,572	0	0
	2016-17	1,19,05,264	1,20,03,582	0	0	-1,09,776	1,21,13,358	0	0
	2017-18	18,58,789	19,17,634	0	0	8,569	19,09,065	0	0
	2018-19	21,296	22,703	0	0	3,052	19,651	0	0
समस्तीपुर	2014-15	1,42,13,654	1,38,77,201	59	67	7,87,838	1,30,89,296	0	67
	2015-16	88,63,496	83,58,192	41,308	41,373	3,83,339	79,33,480	69	41,304
	2016-17	37,83,033	37,04,522	1,32,004	1,17,154	5,74,906	30,12,462	70,399	46,755
	2017-18	8,29,575	8,55,980	1,20,170	1,30,884	-17,325	7,42,421	1,29,041	1,843
	2018-19	2,03,513	2,40,167	5,018	5,881	41,282	1,93,004	5,383	498
सहरसा	2014-15	4,22,24,482	2,31,74,930	0	0	-22,662	2,31,97,592	0	0
	2015-16	4,22,97,695	2,85,08,367	0	0	-14,886	2,85,23,253	0	0
	2016-17	1,77,38,226	1,36,53,969	0	0	-1,73,050	1,38,27,019	0	0
	2017-18	45,61,503	30,34,502	1,572	1,430	-3,833	30,36,905	596	834
	2018-19	3,66,110	3,79,369	1,812	2,167	18,360	3,58,842	2,167	0
कुल		34,60,79,894	28,60,90,095	86,17,903	71,45,108	1,51,86,391	26,37,58,596	45,86,063	25,59,045

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट)

परिशिष्ट -2.2.11 (ब)
(संदर्भ: कंडिका-2.2.7.7; पृष्ठ -54)
विलंब क्षतिपूर्ति के अस्वीकृत दावे की स्थिति को दर्शाती विवरणी

जिला	अवधि	अपर्याप्त निधि (दिनों में)	कुल अस्वीकृत दिनों का प्रतिशत	प्राकृतिक आपदा (दिनों में)	कुल अस्वीकृत दिनों का प्रतिशत	अदेय क्षतिपूर्ति (दिनों में)	कुल अस्वीकृत दिनों का प्रतिशत	अन्य (दिनों में)	कुल अस्वीकृत दिनों का प्रतिशत	कुल अस्वीकृत दिन (दिनों में)	विलंब दिनों में देय कुल क्षतिपूर्ति (दिनों में)	अस्वीकृत क्षतिपूर्ति का प्रतिशत
बेगूसराय	2014-15	7,65,515	8	2,795	0.03	16,98,144	19	66,31,685	73	90,98,139	90,37,575	100
	2015-16	3,26,972	12	2,43,040	9	16,78,785	60	5,30,103	19	27,78,900	27,78,443	100
	2016-17	91,158	2	4,40,815	10	32,31,931	77	4,56,084	11	42,19,988	42,12,304	100
	2017-18	13,482	0.78	5,50,476	32	10,35,728	60	1,32,247	8	17,31,933	17,31,140	100
	2018-19	0	0	379	0.13	2,90,113	100	0	0	2,90,492	2,98,329	97
भागलपुर	2014-15	2,24,995	2	14,32,400	10	6,03,707	4	117,37,918	84	139,99,020	1,41,05,740	99
	2015-16	3,426	0.05	29,25,481	40	18,85,213	26	25,74,766	35	73,88,886	74,39,812	99
	2016-17	0	0	19,76,111	39	25,87,662	52	4,54,723	9	50,18,496	59,80,340	84
	2017-18	879	0.06	4,19,283	31	2,67,503	20	6,76,038	50	13,63,703	18,64,557	73
	2018-19	0	0	39,626	34	75,324	66	0	0	1,14,950	1,39,246	83
गया	2014-15	99,16,971	44	1,80,134	0.80	62,91,376	28	61,77,504	27	225,65,985	2,36,44,596	95
	2015-16	8,44,355	20	1,65,792	4	21,77,266	52	9,66,809	23	41,54,222	48,90,847	85
	2016-17	2,23,813	4	1,36,276	2	52,58,757	84	6,65,061	11	62,92,723	94,45,778	67
	2017-18	1,75,572	10	90,576	5	11,65,052	67	3,12,695	18	17,43,895	32,55,384	54
	2018-19	0	0	127	0.12	1,05,752	100	0	0	1,05,879	4,26,345	25
पटना	2016-17	0	0	59,084	0.66	47,05,772	52	42,24,422	47	89,89,278	1,13,72,553	79
	2017-18	1,793	0.05	76,521	2	8,49,283	25	24,26,148	72	33,53,745	37,78,850	89
	2018-19	0	0	33,606	20	1,39,890	80	0	0	1,73,496	2,33,921	74
पूर्वी चम्पारण	2014-15	11,20,174	6	5,12,579	3	101,51,344	51	82,04,386	41	1,99,88,483	2,56,53,508	78
	2015-16	6,36,753	5	5,19,333	4	86,95,626	64	36,67,933	27	1,35,19,645	1,62,02,342	83
	2016-17	74,796	1	1,21,772	2	41,27,483	76	10,73,014	20	53,97,065	78,90,096	68
	2017-18	12,290	0.69	21,633	1	15,82,933	89	1,57,175	9	17,74,031	22,82,926	78
	2018-19	0	0	93,136	8	11,41,587	92	0	0	12,34,723	14,57,839	85
पूर्णियाँ	2014-15	263,936	3	18,56,832	24	26,97,593	34	30,66,643	39	78,85,004	79,74,409	99
	2015-16	180,792	2	13,60,876	18	21,74,299	28	39,92,139	52	77,08,106	77,22,358	100
	2016-17	13,396	0.39	5,58,894	16	23,93,074	69	4,86,508	14	34,51,872	35,00,286	100
	2017-18	27,846	5	26,186	5	4,06,123	71	1,11,479	20	5,71,634	7,29,784	78
	2018-19	0	0	16,044	14	1,00,002	86	0	0	1,16,046	1,17,076	99

मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र)

जिला	अवधि	अपर्याप्त निधि (दिनों में)	कुल अस्वीकृत दिनों का प्रतिशत	प्राकृतिक आपदा (दिनों में)	कुल अस्वीकृत दिनों का प्रतिशत	अदेय क्षतिपूर्ति (दिनों में)	कुल अस्वीकृत दिनों का प्रतिशत	अन्य (दिनों में)	कुल अस्वीकृत दिनों का प्रतिशत	कुल अस्वीकृत दिन (दिनों में)	विलंब दिनों में देय कुल क्षतिपूर्ति (दिनों में)	अस्वीकृत क्षतिपूर्ति का प्रतिशत
सारण	2014-15	1,017	0.01	9,231	0.08	113,56,707	94	7,63,060	6	1,21,30,015	1,20,95,967	100
	2015-16	329	0	97,593	1	60,64,884	87	7,69,893	11	69,32,699	69,50,907	100
	2016-17	0	0	24,073	0.20	1,19,56,020	100	9,537	0.08	1,19,89,630	1,19,05,264	100
	2017-18	1,789	0.10	5,482	0.30	18,38,844	100	0	0	18,46,115	18,58,789	99
	2018-19	0	0	0	0	17,787	100	0	0	17,787	21,296	83
समस्तीपुर	2014-15	18,46,284	14	1,22,942	0.91	54,59,183	41	60,10,916	45	1,34,39,325	1,42,13,654	95
	2015-16	4,54,762	5	4,05,104	5	42,75,897	50	33,34,740	39	84,70,503	88,63,496	96
	2016-17	1,22,451	4	64,365	2	19,38,289	61	10,29,124	33	31,54,229	37,83,033	83
	2017-18	5,436	0.75	17,978	2	4,64,675	64	2,34,529	32.	7,22,618	8,29,575	87
	2018-19	0	0	1,461	0.88	1,65,405	99	0	0	1,66,866	2,03,513	82
सहरसा	2014-15	13,22,300	3	44,59,727	11	3,07,02,050	73	57,77,030	14	4,22,61,107	4,22,24,482	100
	2015-16	4,074	0.01	90,69,099	21	2,96,14,600	70	36,33,661	9	4,23,21,434	4,22,97,695	100
	2016-17	9,84,049	5	71,66,261	40	92,52,078	51	6,13,973	3	1,80,16,361	1,77,38,226	100
	2017-18	46,826	1	15,61,573	34	8,60,587	19	20,95,102	46	45,64,088	45,61,503	100
	2018-19	0	0	8,996	3	3,37,084	97	0	0	3,46,080	3,66,110	95
कुल		1,97,08,231	6	3,68,73,692	12	18,18,21,412	57	8,29,97,045	26	32,14,09,196	34,60,79,894	93

(स्रोत: नरेंगासॉफ्ट)

परिशिष्ट-2.2.12

(संदर्भ: कंडिका-2.2.8.1; पृष्ठ-57)

नमूना-जॉंचित ग्रा.पं. में ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के विरुद्ध कार्यों के कम निष्पादन को दर्शाती विवरणी

जिला	प्रखंड	ग्राम पंचायत	ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्यों की सं०				कार्यान्वित कार्यों की सं०							
			2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
बेगूसराय	बरौनी	बभनगामा	अनु.	89	142	331	201	763	-	7	36	121	67	231
		पपरौर	89	अनु.	146	208	209	652	0	-	9	17	8	34
		सहुरी	101	160	188	196	225	870	3	13	12	31	36	95
	साम्हो अक्हा	अकबरपुर बरारी	417	अनु.	735	593	244	1,989	5	-	3	0	1	9
		सैदपुर सल्हा बरार- I	अनु.	अनु.	अनु.	188	178	366	-	-	-	3	5	8
भागलपुर	ईस्माइलपुर	सैदपुर सल्हा बरार- II	अनु.	575	575	591	575	2,316	-	1	4	12	29	46
		नारायणपुर लक्ष्मीपुर	अनु.	अनु.	41	110	270	421	-	-	3	25	15	43
		कमलाकुण्ड	अनु.	अनु.	17	27	36	80	-	-	2	1	17	20
	शाहकुण्ड	ईस्माइलपुर पश्चिमी भिट्टा	22	अनु.	अनु.	39	91	152	0	-	-	0	6	6
		अम्बा	अनु.	226	अनु.	373	516	1,115	-	74	-	33	8	115
गया	बथानी	हरनथ	49	87	18	143	409	706	1	9	2	3	0	15
		बेलथू	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	296	296	-	-	-	-	13	13
		खुखडी	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	209	209	-	-	-	-	22	22
	टिकारी	बथानी	अनु.	141	139	127	77	484	-	3	10	5	4	22
		सरेन	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	157	157	-	-	-	-	9	9
पटना	बेलछी	केसपा	अनु.	52	55	55	280	442	-	14	30	15	8	67
		नेपा	अनु.	अनु.	150	36	208	394	-	-	2	3	4	9
		दिघौरा	37	34	140	125	203	539	1	5	5	9	14	34
	पुनपुन	फतेहपुर	105	238	156	93	36	628	1	1	9	2	13	26
		कोरारी	45	अनु.	305	27	290	667	4	0	4	0	0	8
	पुनपुन	बेलछी	अनु.	226	231	अनु.	140	597	-	4	4	-	9	17
		अकौना	अनु.	अनु.	अनु.	146	230	376	-	-	-	7	25	32
		पुनपुन	अनु.	118	177	37	अनु.	332	-	0	3	2	-	5
		पोठही	128	137	153	294	अनु.	712	12	6	18	1	-	37

मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र)

जिला	प्रखंड	ग्राम पंचायत	ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्यों की सं०					कुल	कार्यान्वित कार्यों की सं०					कुल
			2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
पूर्वी चम्पारण	कल्याणपुर	बखरी	अनु.	136	121	228	318	803	-	37	21	26	62	146
		पकड़ी दीक्षित	101	65	111	186	142	605	3	8	4	10	9	34
		परसौनी वाजिद	124	136	153	204	180	797	4	14	12	5	17	52
	फेनहारा	रूपौलिया	90	103	19	84	90	386	4	6	62	33	15	120
		खान पिपरा मधुपुर	अनु.	अनु.	अनु.	89	95	184	-	-	-	6	7	13
पूर्णियाँ	अमौर	फेनहारा	106	151	अनु.	अनु.	55	312	4	3	-	-	8	15
		भवानीपुर	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	158	158	-	-	-	-	63	63
		हफतिया	अनु.	अनु.	अनु.	120	अनु.	120	-	-	-	4	-	4
	जलालगढ़	बकतिया	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	0	-	-	-	-	-	0
		निज गेहूँया	अनु.	अनु.	अनु.	170	152	322	-	-	-	12	21	33
सारण	लहलादपुर	सौंठा	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	187	187	-	-	-	-	9	9
		एकम्बा	अनु.	अनु.	अनु.	150	257	407	-	-	-	22	9	31
		दन्दासपुर	अनु.	99	अनु.	अनु.	अनु.	99	-	3	-	-	-	3
	मढ़ौरा	बनपूरा	अनु.	76	अनु.	अनु.	अनु.	76	-	3	-	-	-	3
		कटेयाँ	अनु.	99	133	192	186	610	-	2	4	7	17	30
समस्तीपुर	दलसिंहसराय	भुआलपुर	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	0	-	-	-	-	-	0
		नौतन	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	0	-	-	-	-	-	0
		ओल्हनपुर	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	0	-	-	-	-	-	0
	कल्याणपुर	पगड़ा	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	137	225	-	-	-	22	14	36
		बम्बईया हरलाल	95	138	अनु.	अनु.	115	348	14	10	-	-	0	24
सहरसा	बनमा ईटहरी	बसरिया	अनु.	अनु.	158	538	247	943	-	-	9	12	34	55
		खारसण्ड पश्चिमी	580	157	271	605	732	2,345	0	56	22	145	77	300
		गोरई	162	162	87	267	636	1,314	0	1	2	13	0	16
	बख्तियारपुर	अजना	62	अनु.	अनु.	अनु.	181	243	2	-	-	-	60	62
		महारस	101	179	316	303	92	991	9	26	29	23	19	106
कुल	सिमरी	जमाल नगर	109	184	98	163	262	816	0	2	9	7	1	19
		रसलपुर	78	96	169	119	157	619	4	12	16	20	1	53
		महखंड	209	294	238	325	340	1,406	8	53	40	52	27	180
	बख्तियारपुर	सरडीहा	74	151	267	474	577	1,543	0	5	18	45	0	68
		सरौजा	57	340	856	445	317	2,015	0	33	45	23	0	101
कुल								33,137					2,499	

(स्रोत: ग्राम सभा रजिस्टर, वार्षिक कार्य योजना, नरेगासॉफ्ट तथा योजना विवरणी) अनु० – अनुपलब्ध

परिशिष्ट -2.2.13
(संदर्भ: कडिका -2.2.8.1; पृष्ठ-57)
पंचायत समिति के द्वारा कार्यों के क्रियान्वयन के सार को दर्शाती विवरणी (पं. सं.)

जिला	पंचायत समिति का नाम	वर्ष	पंचायत समिति द्वारा लिए गये कार्यों की सं.	कार्यों की प्राक्कलित राशि (₹लाख में)	पूर्ण कार्यों की सं.	पूर्ण कार्यों पर व्यय (₹लाख में)	अपूर्ण कार्यों की सं.	अपूर्ण कार्यों पर व्यय (₹लाख में)	शून्य व्यय वाले कार्यों की संख्या
पूर्वी चम्पारण	कल्याणपुर	2018-19	62	304.39	8	36.75	54	113.70	17
	अमौर	2018-19	53	179.21	15	50.76	38	94.63	9
सारण	मढ़ौरा	2018-19	92	466.69	7	56.27	85	197.40	41
	लहलादपुर	2018-19	10	49.39	1	3.68	9	18.52	4
समस्तीपुर	कल्याणपुर	2018-19	124	1,019.27	0	0	124	642.11	16
	दलसिंहसराय	2018-19	3	16.41	0	0	3	5.49	0
सहरसा	सिमरी बख्तियारपुर	2018-19	9	84.99	0	0	9	5.55	4
कुल			353	2,120.35	31	147.46	322	1,077.40	91

(स्रोत: नरेंगासॉफ्ट)

परिशिष्ट -2.2.14

(संदर्भ: कडिका-2.2.8.2; पृष्ठ-58)

कृषि तथा संबद्ध कार्यों पर कम खर्च को दर्शाती विवरणी

(रुलाख में)

जिला	वर्ष	कुल व्यय	कृषिगत कार्यों पर व्यय	कृषिगत संबद्ध कार्यों पर व्यय	कृषिगत तथा कृषिगत संबद्ध कार्यों पर व्यय	व्यय का प्रतिशत
बेगूसराय	2014-15	5,058.65	1,601.09	26.69	1,627.79	32.18
	2015-16	5,228.78	1,512.24	11.04	1,523.26	29.13
	2016-17	6,512.43	1,825.23	0.88	1,826.12	28.04
	2017-18	7,247.66	3,383.84	5.11	3,388.96	46.76
	2018-19	14,750.91	3,905.85	0.12	3,905.97	26.48
भागलपुर	2014-15	3,459.24	1,366.50	75.18	1,441.67	41.68
	2016-17	6,124.78	3,371.95	228.07	3,600.04	58.78
	2017-18	6,997.09	3,552.76	142.66	3,695.39	52.81
गया	2017-18	6,814.67	3,753.90	21.42	3,775.33	55.40
पटना	2014-15	5,003.12	340.32	100.67	441.00	8.81
	2015-16	3,237.37	155.62	35.16	190.80	5.89
	2017-18	3,474.62	1,514.54	477.25	1,991.79	57.32
	2018-19	6,210.75	3,038.79	233.27	3,272.06	52.68
पूर्वी चम्पारण	2014-15	6,530.64	1,710.11	68.53	1,778.64	27.24
	2015-16	8,872.54	1,725.39	186.74	1,912.15	21.55
	2016-17	10,673.14	3,673.87	371.95	4,045.82	37.91
	2017-18	10,414.13	4,017.93	215.67	4,233.58	40.65
	2018-19	17,115.46	7,843.67	18.92	7,862.58	45.94
पूर्णिमा	2014-15	2,813.85	744.91	13.49	758.40	26.95
	2015-16	6,079.68	757.64	14.82	772.46	12.71
	2016-17	6,455.88	1,723.98	23.44	1,747.42	27.07
	2017-18	7,662.96	3,931.47	68.60	4,000.09	52.20
	2018-19	14,303.14	7,982.78	32.98	8,015.78	56.04
सारण	2014-15	2,690.46	855.92	70.07	925.97	34.42
	2015-16	6,593.26	2,540.69	230.39	2,771.06	42.03
	2016-17	12,038.29	6,286.25	465.31	6,751.54	56.08
	2017-18	12,921.45	5,371.74	351.56	5,723.28	44.29
	2018-19	1,5201.50	7,521.41	58.69	7,580.09	49.86
समस्तीपुर	2014-15	4,905.62	1,741.78	130.20	1,871.97	38.16
	2015-16	7,394.88	3,014.74	34.26	3,048.99	41.23
	2016-17	11,366.19	5,880.01	37.43	5,917.44	52.06
	2018-19	18,893.52	10,935.44	71.68	11,007.12	58.26
सहरसा	2014-15	3,066.83	1,486.27	8.63	1,494.90	48.74

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट)

परिशिष्ट -2.2.15
(संदर्भ: कंडिका -2.2.8.2; पृष्ठ 59)
मुख्य क्षेत्र के लक्ष्य तथा उपलब्धि को दर्शाती विवरणी

जिला	अवधि	ऑगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण		खेत तालाब /कुओं		आई.एच.एच.एल.		वर्मी / नाडेप (कमपोस्ट टैंक)		सड़क किनारे वृक्षारोपण (पौधों की सं.)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
बेगूसराय	2016-19	26	0	497	55	45,415	1,992	955	1,031	90,000	7,600
भागलपुर	2016-19	45	0	375	81	35,132	344	838	170	1,66,200	43,600
गया	2016-19	107	0	1,310	394	57,865	170	4,694	208	4,86,200	75,013
पटना	2016-19	104	1	550	111	60,444	14	1,119	20	3,81,400	11,202
पूर्वी चम्पारण	2016-19	124	0	1,045	371	83,325	165	3,530	281	2,22,600	800
पुर्णियाँ	2016-19	77	0	509	239	52,812	746	2,439	1,498	1,71,800	1,600
सारण	2016-19	51	1	595	765	32,208	394	2,037	58	7,38,000	1,800
समस्तीपुर	2016-19	68	3	712	124	81,845	511	8,426	266	8,42,400	54,600
सहरसा	2016-19	75	10	362	52	49,723	0	275	7	3,65,400	3,200
कुल		677	15	5,955	2,192	4,98,769	4,336	24,313	3,539	34,64,000	1,99,415

(स्रोत: बजट दस्तावेज बिहार सरकार नरेगासॉफ्ट तथा इकाईयों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचनाएँ)

परिशिष्ट -2.2.16

(संदर्भ: कड़िका -2.2.8.2; पृष्ठ -59)

नमूना-जॉचित प्रखण्डों में 2014-19 के दौरान कार्यान्वित वृक्षारोपण कार्य के ब्यौरे को दर्शाती विवरणी

क्रं. सं.	जिला	प्रखंड	कुल ग्रा. पं. की सं.	वृक्षारोपण कार्य लेनेवाले ग्रां.पं. की सं.	स्वीकृत कार्यो की सं.	कार्यो की प्राक्कलित राशि (रुलाख में)	लिये गये कार्यो की सं.	लिये गये व्यय (रुलाख में)	बीच में ही छोड़े गए कार्यो की सं.	समाप्त हुए कार्यो पर व्यय (रुलाख में)	ग्रां.पं. की सं. जिसने कार्य प्रारंभ/कार्यान्वित नहीं किया
1	बेगूसराय	बरोनी	18	17	878	1,610.66	758	460.67	37	2.14	1
		साम्हो अवहा	3	0	0	0	0	0	0	0	3
2	भागलपुर	ईस्माइलपुर	5	5	25	67.09	14	4.49	0	0	4
		शाहकुण्ड	19	19	95	342.01	49	16.18	30	4.52	6
3	गया	बथानी	8	8	94	489.73	57	35.23	26	24.57	0
		टिकारी	23	15	42	149.03	12	2.22	11	1.03	16
4	पटना	बेलछी	7	6	13	59.21	9	2.15	8	0.71	3
		पुनपुन	14	10	22	66.85	8	1.10	3	0.34	11
5	पूर्वी चम्पारण	कल्याणपुर	24	6	14	46.47	7	20.61	0	0	22
		फेनहारा	6	4	39	107.89	39	34.54	1	0.33	2
6	पूर्णियाँ	अमौर	25	25	176	457.78	111	95.23	47	30.32	3
		जलालगढ	10	10	52	210.81	18	18.85	7	7.05	5
7	सारण	लहलादपुर	8	6	35	94.59	8	7.69	0	0	4
		मढ़ौरा	21	15	220	542.61	178	151.33	15	5.66	8
8	समस्तीपुर	दलसिंहसराय	16	16	641	1,667.65	497	459.78	109	23.67	1
		कल्याणपुर	31	30	1,144	2,449.89	752	394.05	301	70.68	7
9	सहरसा	बनमा ईटहरी	7	3	4	24.65	1	0.15	0	0	6
		सिमरी बख्तियारपुर	22	10	22	31.26	3	0.13	0	0	21
कुल			267	205	3,516	8,418.18	2,521	1,704.40	595	171.02	123

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट)

परिशिष्ट -2.2.17

(संदर्भ: कंडिका -2.2.8.2; पृष्ठ-61)

नमूना-जाँचित ग्रा. प. में कच्चे सड़क के निर्माण को दर्शाती विवरणी

(रु.लाख में)

जिला	प्रखंड	इकाई का नाम	कार्यों की सं.	प्राक्कलित राशि	व्यय
बेगूसराय	बरौनी	ग्रा. पं. सहूरी	2	11.77	11.38
भागलपुर	ईस्माइलपूर	ग्रा. पं. नारायणपुर लक्ष्मीपूर	7	12.57	10.90
		ग्रा. पं. कमलाकुण्ड	9	19.72	18.40
		ग्रा. पं. इस्माइलपूर प. भिट्ठा	4	8.73	1.82
	शाहकुण्ड	ग्रा. पं. अम्बा	1	4.07	2.63
गया	बथानी	ग्रा. पं. बथानी	3	11.79	4.59
		ग्रा. पं. सरेन	2	9.97	4.30
	टिकारी	ग्रा. पं. केसपा	2	5.92	3.73
		ग्रा. पं. दिधौरा	2	9.39	3.49
पटना	बेलछी	ग्रा. पं. फतेहपूर	4	6.20	5.71
		ग्रा. पं. कोरारी	2	1.97	1.74
		ग्रा. पं. बेलछी	1	0.92	0.69
	पुनपुन	ग्रा. पं. अकौना	2	10.61	8.92
		ग्रा. पं. पोठही	2	2.45	2.29
पूर्वी चम्पारण	कल्याणपुर	ग्रा. पं. बखरी	20	63.56	59.89
		ग्रा. पं. पकड़ी दीक्षित	3	9.88	7.05
		ग्रा. पं. परसौनी वाजिद	9	29.71	18.30
	फेनहारा	ग्रा. पं. रूपौलिया	4	3.43	2.29
पूर्णियाँ	अमौर	पं. स. अमौर	3	7.84	7.31
		ग्रा. पं. भवानीपूर	54	116.97	109.34
		ग्रा. पं. हफनिया	5	12.78	12.46
		ग्रा. पं. बकैनिया	18	49.04	44.87
	जलालगढ़	ग्रा. पं. निज गेहुयां	13	25.37	23.86
		ग्रा. पं. सौंठा	3	4.56	3.68
		ग्रा. पं. एकम्बा	16	35.60	28.02
सारण	लहलादपुर	ग्रा. पं. दन्दासपुर	2	4.80	3.67
	मढ़ौरा	ग्रा. पं. भुआलापुर	4	27.25	26.54
		ग्रा. पं. नौतन	5	10.69	10.36
		ग्रा. पं. ओल्हानपुर	1	1.01	0.96
सहरसा	बनमा ईटहरी	ग्रा. पं. महारस	12	47.44	33.50
		ग्रा. पं. जमाल नगर	2	14.83	10.10
		ग्रा. पं. रसलपुर	3	16.93	12.57
	सिमरी बख्तियारपुर	ग्रा. पं. महखड़	7	51.66	48.56
		ग्रा. पं. सरौजा	1	4.92	3.39
कुल		34 ग्रा. पं. एवं 1 पंचायत समिति	228	654.35	547.31

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट)

परिशिष्ट -2.2.18

(संदर्भ: कंडिका -2.2.8.2; पृष्ठ -63)

वार्षिक योजना के इतर क्रियान्वित कार्यों के व्यौरे को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

जिला	प्रखंड	ग्रा. पं. का नाम	वर्ष	कार्यों की सं.	प्राक्कलित राशि	व्यय	ग्राम सभा द्वारा अनुमादित कार्यों की सं.
भागलपुर	शाहकुण्ड	अम्बा	2015-16	1	1.99	0.55	226
गया	बथानी	सरेन	2018-19	8	20.57	10.52	157
		टिकारी	2016-17	2	8.26	3.62	150
			2017-18	2	7.07	1.96	36
पटना	बेलछी	फतेहपुर	2016-17	1	3.08	3.02	156
			2018-19	7	16.32	8.85	36
		कोरारी	2016-17	3	2.98	2.54	305
पूर्णियाँ	जलालगढ़	निज	2017-18	4	5.82	5.30	170
		गेहुँया	2018-19	15	37.58	27.13	152
		सौँठा	2018-19	1	2.87	2.57	187
		एकम्बा	2017-18	14	19.16	4.53	150
			2018-19	4	5.76	3.58	257
सारण	लहलादपुर	कटेयां	2018-19	11	41.03	27.51	186
समस्तीपुर	दलसिंहसराय	पगड़ा	2017-18	22	68.01	32.44	88
			2018-19	10	17.76	5.95	137
		बम्बईया	2015-16	5	-	7.96	138
		हरलाल					
		बसरिया	2018-19	1	1.45	1.08	247
कुल		12		111	259.71	149.11	2,778

(स्रोत: ग्राम सभा पंजी, क्रियान्वित कार्यों की विवरणी)

परिशिष्ट -2.2.19

(संदर्भ: कंडिका - 2.2.8.3; पृष्ठ -63)

नमूना-जाँचित प्रखण्डों में कार्य दिवस के सृजन नहीं (शून्य) होने को दर्शाती विवरणी

जिला	प्रखंड	ग्राम पंचायत का नाम	अवधि
सहरसा	बनमा इटहरी	गौरदोड	2014-15
			2015-16
		जमाल नगर	2014-15
	सिमरी बख्तियारपुर	बख्तियारपुर	2014-15
		भतौनी	2014-15
		सरडीहा	2014-15
		सितानाबाद दक्षिण	2014-15
समस्तीपुर	कल्याणपुर	बेलसण्डी	2014-15
गया	टिकारी	पालूहर	2014-15
		संदा	2014-15
		महामना	2015-16
		मउ	2015-16
		नेपा	2015-16
		नोनी	2015-16
पूर्णियाँ	अमौर	बकैनिया बरेली	2014-15
		मजझवाँ हाट	2015-16
		नितेन्द्र	2015-16
	जलालगढ़	जलालगढ़	2015-16
सारण	लहलादपुर	दन्दासपुर	2014-15
		कटेयाँ	2014-15
		बशी	2015-16
		दयालपुर	2015-16
कुल	7 प्रखण्ड	21 ग्रा. पं.	

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट)

परिशिष्ट -2.2.20

(संदर्भ: कंडिका -2.2.8.4; पृष्ठ -67)

मस्टर रोल में अनियमितता को दर्शाती विवरणी

क्रम. सं.	ग्रा. पं./पं. स. का नाम	अनियमितताओं के प्रकार	सम्मिलित राशि (₹लाख में)	अभियुक्तियाँ
1.	नारायणपुर लक्ष्मीपुर, महारस, महखड़	अस्वीकृत मस्टर रोल	0.70	53 मजदूरों के 396 मानव दिवस के 17 भरे हुए मस्टर रोल की राशि ₹ 70,092 को पी ओ द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था।
2.	ओल्हानपुर, भुआलापुर तथा सौंठा	मजदूरी भुगतान	0.10	5 मजदूरों को बिना कार्य किये 34 दिनों के लिए ₹ 6018 की मजदूरी का भुगतान किया गया जबकि 2 मजदूरों को 25 दिनों का कार्य करने के बावजूद ₹ 4,425 की राशि का भुगतान नहीं किया गया।
3.	नेपा, रसलपुर, महारस जमाल नगर, महखड़, बनपूरा, भुआलपुर, ओल्हानपुर, सौंठा	मस्टर रोल सत्यापित नहीं/पी. ओ. का हस्ताक्षर नहीं	24.47	1,335 मजदूरों के 22 कार्यों के 13,864 मानव दिवस के 157 मस्टर रोल की ₹ 24.27 लाख राशि को पी ओ ने अनुमति नहीं दी थी।
4.	बभनगामा, पपरौर, सहुरी, महारस, रसलपुर, सरडीहा, बनपुरा, सौंठा	हस्ताक्षर में कौट/ उपस्थिति में अधिलेखन	0.85	478 मानव दिवस के ₹ 84606 राशि के 51 मस्टर रोल में मजदूरों के हस्ताक्षर में कौट-छौट/छेड़छाड़ किये गये थे।
5.	पं. स. कल्याणपुर	बिना मस्टर रोल संघारण के मजदूरी भुगतान	4.54	24 खाली मस्टर रोल के द्वारा 224 मजदूरों को 2,562 मानव दिवस के लिए ₹ 4.54 लाख की राशि का भुगतान किया गया।
6.	पपरौर, सहुरी, अकबरपूर, बरारी, गौरेय, बम्बईया हरलाल, पं. स. दलसिंहसराय, सौंठा, पं. स. मरहौरा	मस्टर रोल में हस्ताक्षर/एल.टी.आई. नहीं बनाये गये	6.19	296 मजदूरों को 3,501 मानव दिवस के लिए ₹ 6.20 लाख की राशि का भुगतान बिना एल.टी.आई.लिये हुए कर दिया गया।
7.	ओल्हानपुर तथा सौंठा	कार्य के आरंभ के बाद मस्टर रोल की छपाई।	1.56	3 कार्यों में कार्य आरंभ होने के बाद 19 मस्टर रोल निर्गत किये गये थे जिसकी राशि 882 मानव दिवस के लिए ₹ 1.56 लाख थी।
8.	बेकेनिया बरेली	मापी पुस्त के बन्द होने के बाद मस्टर रोल का सृजन।	0.33	1 कार्य में 189 मानव दिवस के ₹ 33,453 की राशि के 4 मस्टर रोल का सृजन मापी पुस्त के बन्द होने के बाद किया गया था।
	कुल		38.74	21,931 मानव दिवस

(स्रोत: नमूना-जाँचित इकाईयों के योजना अभिलेख)

परिशिष्ट -2.2.21

(संदर्भ: कंडिका-2.2.9.1; पृष्ठ -67)

मानव बल की कमी को दर्शाती विवरणी

जिला	कार्यक्रम पदाधिकारी			कार्यपालक अभियंता			सहायक अभियंता			कनीय अभियंता			पी. टी. ए.			लेखापाल			कम्प्यूटर ऑपरेटर/ कार्यपालक सहायक			पंचायत रोजगार सेवक		
	एस एस एस	पी आई पी	कमी	एस एस एस	पी आई पी	कमी	एस एस एस	पी आई पी	कमी	एस एस एस	पी आई पी	कमी	एस एस एस	पी आई पी	कमी	एस एस एस	पी आई पी	कमी	एस एस एस	पी आई पी	कमी	एस एस एस	पी आई पी	कमी
बेगूसराय	22	15	7	1	1	0	2	1	1	26	24	2	67	26	41	18	15	3	18	18	0	270	177	93
	19	10	9	1	1	0	2	1	1	24	15	9	63	18	45	16	11	5	16	15	1	254	168	86
	24	22	2	1	1	0	2	1	1	24	17	7	87	49	38	24	11	13	24	14	10	332	212	120
	28	20	8	1	1	0	2	1	1	33	19	14	86	42	44	23	6	17	23	7	16	348	205	143
पटना	32	21	11	1	1	0	2	1	1	41	18	23	108	43	65	27	6	21	27	18	9	429	229	200
पुर्वी चम्पारण																								
पुर्णियाँ	17	13	4	1	0	1	2	0	2	25	18	7	65	28	37	14	9	5	17	4	13	264	186	78
सारण	20	11	9	1	1	0	2	1	1	33	26	7	65	38	27	20	16	4	20	16	4	323	268	55
समस्तीपुर	21	17	4	1	1	0	2	1	1	38	32	6	101	40	61	20	15	5	20	18	2	381	260	121
सहरसा	10	8	2	1	0	1	1	1	0	15	15	0	19	19	0	10	9	1	10	4	6	151	116	35
कुल	193	137	56	9	7	2	17	8	9	259	184	75	661	303	358	172	98	74	175	114	61	2752	1821	931

(स्रोत: नमूना-जॉंचित जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएँ)

परिशिष्ट-2.2.22

(संदर्भ: कंडिका-2.2.9.2; पृष्ठ-69)

भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र (मनरेगा भवन)
के निर्माण के ब्यौरे को दर्शाती विवरणी

जिला	प्रस्तावित मनरेगा भवनों की सं.			स्वीकृत मनरेगा भवनों की सं.			पूर्ण मनरेगा भवनों की सं.			कार्यशील मनरेगा भवनों की सं.		
	पं. सं.	ग्रा. पं	कुल	पं. सं.	ग्रा. पं	कुल	पं. सं.	ग्रा. पं	कुल	पं. सं.	ग्रा. पं	कुल
बेगूसराय	18	257	275	4	86	90	0	0	0	0	0	0
भागलपुर	16	242	258	15	242	257	0	12	12	1	6	7
गया	24	332	356	22	332	354	1	35	36	1	0	1
पटना	23	332	355	9	150	159	0	29	29	0	12	12
पूर्वी चम्पारण	27	411	438	4	190	194	0	11	11	0	1	1
पूर्णियाँ	14	251	265	14	245	259	3	82	85	13	116	129
सारण	20	330	350	14	184	198	1	21	22	2	0	2
समस्तीपुर	20	381	401	7	302	309	0	41	41	0	19	19
सहरसा	10	151	161	7	150	157	0	4	4	0	0	0
कुल	172	2,687	2,859	96	1,881	1,977	5	235	240	17	154	171

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट)

परिशिष्ट- 2.2.23

(संदर्भ: कंडिका-2.2.10.1; पृष्ठ 72)

ग्राम सभा बैठक जिसमें कोरम पूर्ण नहीं हुए थे के ब्यौरे को दर्शाती विवरणी

जिला	प्रखंड	ग्रा.पं. का नाम	वर्ष	कुल मतदाताओं की सं.	मतदाताओं की सं. का 20 वां हिस्सा	बैठक में उपस्थित सदस्यों की सं.	कम उपस्थिति	उपस्थित सदस्यों का प्रतिशत	ग्राम सभा बैठक की सं. जिसमें कोरम पूर्ण नहीं हुए थे
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9	10
बेगूसराय	बरौनी	पपरौर	2016-17	7,071	354	213	141	3.01	1
		बभनगामा	2015-16	7,690	385	78	307	1.01	4
			2016-17	7,690	385	166	219	2.16	
			2017-18	7,690	385	166	219	2.16	
			2018-19	7,690	385	155	230	2.02	
	साम्हो अक्हा	अकबरपुर बरारी	2014-15	7,663	383	235	148	3.07	4
			2015-16	7,663	383	144	239	1.88	
			2017-18	7,663	383	61	322	0.80	
			2018-19	7,663	383	150	233	1.96	
		सैदपूर सल्हा -1	2017-18	6,296	315	247	68	3.92	2
			2018-19	6,296	315	177	138	2.81	
भागलपुर	ईस्मालपुर	कमालकुण्ड	2017-18	1,905	95	51	44	2.68	2
			2018-19	1,905	95	75	20	3.94	
		नारायणपुर लक्ष्मीपुर	2016-17	6,107	305	19	286	0.32	3
			2017-18	6,107	305	79	226	1.29	
			2018-19	6,107	305	126	179	2.06	
		इस्माइलपूर प. भिट्ठा	2014-15	4,048	202	171	31	4.22	1
	शाहकुण्ड	अम्बा	2015-16	8,117	406	208	198	2.56	3
			2017-18	8,117	406	98	308	1.21	
			2018-19	8,117	406	93	313	1.15	
		हरनथ	2014-15	6,692	335	168	167	2.51	5
			2015-16	6,692	335	113	222	1.69	
			2016-17	6,692	335	86	249	1.29	
			2017-18	6,692	335	200	135	2.99	
			2018-19	6,692	335	224	111	3.35	
		बेलथू	2017-18	6,902	345	34	311	0.49	2
			2018-19	6,902	345	232	113	3.36	
गया	टिकारी	केसपा	2015-16	5,030	252	88	164	1.75	3
			2016-17	5,030	252	106	146	2.11	
			2018-19	5,030	252	64	188	1.27	
	बथानी	बथानी	2015-16	5,385	269	101	168	1.88	4
			2016-17	5,385	269	92	177	1.71	
			2017-18	5,385	269	110	159	2.04	
			2018-19	5,385	269	149	120	2.77	
		सरेन	2018-19	5,125	256	103	153	2.01	1
		खुखड़ी	2018-19	7,493	375	98	277	1.31	1

जिला	प्रखंड	ग्रा.पं. का नाम	वर्ष	कुल मतदाताओं की सं.	मतदाताओं की सं. का 20 वां हिस्सा	बैठक में उपस्थित सदस्यों की सं.	कम उपस्थिति	उपस्थित सदस्यों का प्रतिशत	ग्राम सभा बैठक की सं. जिसमें कोरम पूर्ण नहीं हुए थे
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9	10
पटना	पुनपुन	पुनपुन	2015-16	7,419	371	119	252	1.60	3
			2016-17	7,419	371	329	42	4.43	
			2017-18	7,419	371	140	231	1.89	
		अकौना	2017-18	7,671	384	155	229	2.02	2
			2018-19	7,671	384	166	218	2.16	
		पोठही	2014-15	8,062	403	188	215	2.33	4
			2015-16	8,062	403	234	169	2.90	
			2016-17	8,062	403	117	286	1.45	
			2017-18	8,062	403	195	208	2.42	
	बेलछी	फतेहपुर	2014-15	6,344	317	202	115	3.18	5
			2015-16	6,344	317	203	114	3.20	
			2016-17	6,344	317	78	239	1.23	
			2017-18	6,344	317	38	279	0.60	
			2018-19	6,344	317	57	260	0.90	
		कोरारी	2014-15	6,378	319	214	105	3.36	4
			2016-17	6,378	319	95	224	1.49	
			2017-18	6,378	319	90	229	1.41	
			2018-19	6,378	319	105	214	1.65	
		बेलछी	2015-16	6,152	308	292	16	4.75	2
			2018-19	6,152	308	195	113	3.17	
पूर्वी चम्पारण	कल्याणपुर	बखरी	2015-16	6,801	340	52	288	0.76	4
			2016-17	6,801	340	69	271	1.01	
			2017-18	6,801	340	81	259	1.19	
			2018-19	6,801	340	70	270	1.03	
		पकड़ी दीक्षित	2014-15	6,764	338	101	237	1.49	3
			2015-16	6,764	338	84	254	1.24	
			2018-19	6,764	338	97	241	1.43	
		परसौनी वाजिद	2014-15	8,313	416	151	265	1.82	4
			2015-16	8,313	416	101	315	1.21	
			2017-18	8,313	416	130	286	1.56	
			2018-19	8,313	416	95	321	1.14	
	फेनहारा	फेनहारा	2014-15	9,912	496	64	432	0.65	3
			2015-16	9,912	496	38	458	0.38	
			2018-19	9,912	496	248	248	2.50	
		खान पिपरा	2017-18	7,928	396	159	237	2.01	2
			2018-19	7,928	396	73	323	0.92	
		रूपौलिया	2014-15	8,056	403	66	337	0.82	5
			2015-16	8,056	403	40	363	0.50	
			2016-17	8,056	403	53	350	0.66	
			2017-18	8,056	403	364	39	4.52	
			2018-19	8,056	403	137	266	1.70	

जिला	प्रखंड	ग्रा.पं. का नाम	वर्ष	कुल मतदाताओं की सं.	मतदाताओं की सं. का 20 वां हिस्सा	बैठक में उपस्थित सदस्यों की सं.	कम उपस्थिति	उपस्थित सदस्यों का प्रतिशत	ग्राम सभा बैठक की सं.जिसमें कोरम पूर्ण नहीं हुए थे
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9	10
पूर्णिमा	अमौर	भवानीपुर	2018-19	7,380	369	131	238	1.78	1
			2017-18	6,066	303	288	15	4.75	2
			2018-19	6,066	303	86	217	1.42	
	जलालगढ़	एकम्बा	2017-18	7,759	388	149	239	1.92	2
			2018-19	7,759	388	53	335	0.68	
		निज गेहूँयां	2017-18	7,665	383	202	181	2.64	2
			2018-19	7,665	383	192	291	2.49	
		सौठा	2018-19	4,556	228	71	157	1.56	1
सारण	लहलादपुर	दन्दासपुर	2015-16	7,248	362	21	341	0.29	1
			2015-16	6,644	332	29	303	0.44	1
		कटेयां	2015-16	6,134	307	91	216	1.48	4
			2016-17	6,134	307	179	128	2.92	
			2017-18	6,134	307	55	252	0.90	
			2018-19	6,134	307	17	290	0.28	
समस्तीपुर	कल्याणपुर	अजना	2014-15	8,229	411	147	264	1.79	2
			2018-19	8,229	411	133	278	1.61	
		गोरई	2014-15	6,665	333	133	200	2.00	5
			2015-16	6,665	333	168	165	2.52	
			2016-17	6,665	333	65	268	0.98	
			2017-18	6,665	333	175	158	2.63	
			2018-19	6,665	333	205	128	3.08	
		खरसण्ड पश्चिमी	2014-15	6,710	336	181	155	2.70	5
			2015-16	6,710	336	181	155	2.70	
			2016-17	6,710	336	167	169	2.49	
			2017-18	6,710	336	96	240	1.43	
			2018-19	6,710	336	198	138	2.95	
		दलसिंह सराय	2014-15	4,237	212	108	104	2.55	3
			2015-16	4,237	212	126	86	2.97	
			2018-19	4,237	212	58	154	1.37	
		बसरिया	2016-17	7,667	383	295	88	3.85	3
			2017-18	7,667	383	211	172	2.75	
			2018-19	7,667	383	366	17	4.77	
		पगड़ा	2017-18	6,917	346	132	214	1.91	2
			2018-19	6,917	346	119	227	1.72	

जिला	प्रखंड	ग्रा.पं. का नाम	वर्ष	कुल मतदाताओं की सं.	मतदाताओं की सं. का 20 वां हिस्सा	बैठक में उपस्थित सदस्यों की सं.	कम उपस्थिति	उपस्थित सदस्यों का प्रतिशत	ग्राम सभा बैठक की सं.जिसमें कोरम पूर्ण नहीं हुए थे
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9	10
सहरसा	सिमरी बख्तियारपुर	महखड़	2014-15	5,449	272	174	98	3.19	5
			2015-16	5,449	272	232	40	4.26	
			2016-17	5,449	272	225	47	4.13	
			2017-18	5,449	272	233	39	4.28	
			2018-19	5,449	272	253	19	4.64	
		सरडीहा	2014-15	5,532	277	189	88	3.42	5
			2015-16	5,532	277	166	111	3.00	
			2016-17	5,532	277	136	141	2.46	
			2017-18	5,532	277	172	105	3.11	
			2018-19	5,532	277	243	34	4.39	
		सरौजा	2014-14	9,531	477	209	268	2.19	4
			2015-16	9,531	477	299	178	3.14	
			2017-18	9,531	477	92	385	0.97	
			2018-19	9,531	477	190	287	1.99	
	बनमा ईटहरी	महारस	2014-15	6,239	312	265	47	4.25	5
			2015-16	6,239	312	226	86	3.62	
			2016-17	6,239	312	219	93	3.51	
			2017-18	6,239	312	275	37	4.41	
			2018-19	6,239	312	120	192	1.92	
		जमाल नगर	2014-15	7,106	355	218	137	3.07	5
			2015-16	7,106	355	223	132	3.14	
			2016-17	7,106	355	336	19	4.73	
			2017-18	7,106	355	168	187	2.36	
			2018-19	7,106	355	75	280	1.06	
		रसलपुर	2014-15	6,295	315	123	192	1.95	5
			2015-16	6,295	315	57	258	0.91	
			2016-17	6,295	315	138	177	2.19	
			2017-18	6,295	315	93	222	1.48	
			2018-19	6,295	315	140	175	2.22	
			Total						140

(स्रोत: ग्राम सभा कार्यवाही पंजी तथा मतदाता सूची)

परिशिष्ट-2.2.24

(संदर्भ: कंडिका-2.2.10.2 पृष्ठ -73)

ऑगनबाड़ी केन्द्र के निर्माण के लिए प्राप्त निधि के ब्यौरे को दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ में)

जिला	निर्माण किये जाने वाले ऑगनबाड़ी केन्द्र की सं.	आई.सी.डी.एस. से प्राप्त राशि		कार्यक्रम पदाधिकारियों को हस्तांतरित राशि		आई.सी.डी.एस. को वापस की गई राशि	डी.आर. डी.ए. के पास पड़ी हुई राशि	अभियुक्तियाँ
		राशि	तिथि	राशि	तिथि			
बेगूसराय	26	52,00,000	22.02.2018, 31.03.2018	40,00,000	13.09.2018	0	12,00,000	
भागलपुर	45	46,00,000	-	46,00,000	28.05.2019, 06.09.2019	0	0	6 प्रखण्डों ने 22 ऑगनबाड़ी केन्द्र के निर्माण के लिए ₹44,00,000 की माँग नहीं की।
पूर्वी चम्पारण	51	1,02,00,000	24.10.2018	64,00,000	10.11.2018, 23.09.2019	0	41,43,660	
पूर्णियाँ	39	78,00,000	05.06.2017	76,00,000	08.01.2018	0	2,00,000	डी पी ओ, आई सी डी एस पूर्णियाँ ने बिहार सरकार को ₹7,60,00,000 की राशि को अभ्यर्पित कर दिया।
सारण	91	1,82,00,000	30.04.2018	6,00,000	19.01.2019	0	1,76,00,000	
समस्तीपुर	118	2,36,00,000	23.08.2017	28,00,000	06.02.2018 to 17.07.2019	0	2,32,52,598	
सहरसा	89	1,78,00,000	26.03.2018	8,00,000	27.03.2019 to 29.05.2019	1,40,00,000	30,00,000	
कुल	459	8,74,00,000		2,68,00,000		1,40,00,000	4,93,96,258	

(स्रोत: रोकड़ बही तथा संबंधित संचिकायें)

परिशिष्ट-2.2.25

(संदर्भ: कंडिका-2.2.10.2; पृष्ठ -74)

वर्ष 2018-19 के दौरान के आई.ए.वाई./पी.एम.ए.वाई.आवास पूर्ण होने के पश्चात् मस्टर रोल के सृजन को दर्शाती विवरणी

जिला	प्रखण्ड	ग्रा. पं. का नाम	घरों की सं.	आवास पूर्ण होने के पश्चात् सृजित मस्टर रोल की सं.	उपलब्ध कराये गये मानव दिवस
बेगूसराय	साम्हो अक्हा	अकबरपुर बरारी	21	139	1,799
		सैदपुर सल्हा I	16	79	1,052
		सैदपुर सल्हा II	13	66	955
	बरौनी	बभनगामा	5	25	312
भागलपुर	शाहकुण्ड	अंबा	10	20	287
		बेलथू	2	8	114
	ईस्माइलपुर	कमलकुण्ड	12	29	387
		इस्माइलपुर पश्चिम भिट्टा	2	2	20
गया	बथानी	खुखड़ी	9	23	345
		सरेन	8	15	225
		बथानी	5	12	180
	टिकारी	दिधौरा	11	20	298
		नेपा	26	55	766
		केसपा	11	36	514
पटना	बेलछी	कोरारी	1	1	16
		फतेहपुर	9	13	145
	पुनपुन	पुनपुन	22	56	654
		अकौना	6	15	210
		पोठही	11	23	350
पूर्वी चम्पारण	फेनहारा	फेनहारा	8	50	644
		खान पिपरा मधुरपुर	5	21	251
		रूपौलिया	12	65	848
	कल्याणपुर	बखरी	11	68	938
		पकड़ी दीक्षित	10	67	900
		परसौनी वाजिद	11	67	941
पूर्णियाँ	जलालगढ़	एकम्बा	4	4	58
		सौँठा	6	23	338
		निज गेहुँया	4	6	90
	अमौर	भवानीपुर	10	25	321
		बेकेनिया बरेली	10	17	238
		हफनियां	4	8	112
सारण	लहलादपुर	बनपुरा	9	49	604
		कटेयां	4	18	238
समस्तीपुर	कल्याणपुर	गोरई	10	21	336
	कुल	34 ग्रा. पं.	318	1,146	15,486

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट)

परिशिष्ट-2.2.26
(संदर्भ: कंडिका-2.2.10.3; पृष्ठ -75)
नरेगासॉफ्ट में एम.आई.एस.के आधार पर नमूना जोड़ित जिलों के वित्त को दर्शाती विवरणी

जिला	वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्ति				कुल उपलब्धता	व्यय						कुल	अंतशेष
			वर्तमान वर्ष में विमुक्त	ई.एफ.एम. एस. का सत्यापन	विविध प्राप्ति	पी.ओ.द्वारा डी.पी.सी. को वापस राशि		अकुशल मजदूरी पर	अर्द्ध कुशल तथा कुशल मजदूरी पर	सामग्री पर	कर	आवर्ती व्यय	अनावर्ती व्यय		
भागलपुर	2014-15	1477.69	2277.55	304.71	21.52	164.23	4660.43	1292.78	3.24	1570.9	5.83	408.92	3.39	3285.06	1375.37
	2015-16	629.7	315.53	4349.64	0	290.50	4828.54	2815.13	13.36	1269.74	16.83	419.88	0	4534.95	293.59
	2016-17	440.04	0	5333.56	0	0	5773.61	3613.09	14.60	1219.94	66.21	394.41	0	5308.24	465.36
	2017-18	420.08	0	8034.23	11.32	0	8465.63	4521.14	50.67	3062.63	120.79	310.16	0.92	8066.31	399.32
	2018-19	479.69	0	10941.96	6.48	0	11428.13	6606.66	65.62	4160.5	2.68	94.96	0	10930.42	497.71
बेगूसराय	2014-15	1010.15	3837.48	269.53	20.77	110.17	4809.37	1862.93	13.46	1874.81	49.14	233.09	1.25	4034.68	774.69
	2015-16	901.84	0	6017.67	5.58	223.27	6518	1894.32	39.16	3579.54	60.70	421.18	0	5994.88	523.12
	2016-17	505.5	0	6163.23	0	0.11	6668.74	2016.03	79.25	3595.03	4.42	444.69	0	6139.41	529.32
	2017-18	566.06	0	8481.94	9.84	0	9057.84	3369.62	113.38	4641.67	59.27	279.16	0.45	8463.54	594.31
	2018-19	629.44	0	9782.45	14.56	0	10300.36	4086.49	115.13	5337.46	105.65	112.67	0.50	9757.91	542.45
गया	2014-15	2264.28	6638.92	3.77	34.42	353.72	8148.33	3955.40	3.92	1381.32	5.88	421.66	3.76	5771.93	2376.40
	2015-16	2093.56	0	1979.2	4.90	0	4052.29	1477.07	17.73	221.16	1.41	270.52	0.59	1988.48	2063.81
	2016-17	1728.03	0	6348.50	1.07	0	8078.05	4746.60	57.99	1085.34	51.84	362.49	0.11	6304.36	1773.68
	2017-18	1846.39	0	9030.58	11.62	0	10888.59	5457.67	119.56	2766.98	175.86	451.12	0	8971.20	1917.39
	2018-19	1778.62	0	9269.74	13.30	42.70	10836.78	7019.20	117.53	1921.7	139.76	39.61	0	9237.79	1598.98
पटना	2014-15	3848.43	5027.57	0	4.45	167.00	7813.50	88.83	57.49	4384.25	11.76	237.85	0.56	4780.74	3032.76
	2015-16	4453.06	0	0	8.38	0	4461.44	0	48.65	1948.58	2.79	13.19	0.50	2013.71	2447.73
	2016-17	3668.9	0	3095.66	0	107.05	6764.57	2307.38	49.84	45.12	0	673.53	1.55	3077.42	3687.15
	2017-18	3488.31	0	5316.68	12.45	0.02	8817.43	4599.68	73.33	441.05	1.70	194.01	0.40	5310.18	3507.25
	2018-19	3627.35	0	6132.39	12.4	0	9772.13	4858.07	60.62	1105.19	10.18	77.32	0.12	6111.5	3660.64

मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र)

जिला	वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्ति				व्यय						कुल	अंतशेष	
			वर्तमान वर्ष में विमुक्त	ई.एफ.एम. एस. का सत्यापन	विविध प्राप्ति	पी.ओ.द्वारा डी.पी.सी. को वापस राशि	कुल उपलब्धता	अकुशल मजदूरी पर	अर्द्ध कुशल तथा कुशल मजदूरी पर	सामग्री पर	कर	आवर्ती व्यय			अनावर्ती व्यय
पूर्वी चम्पारण	2014-15	2007.34	5085	75.00	98.37	113.10	7227.99	2342.47	31.66	2514.46	31.85	527.04	2.66	5450.14	1777.85
	2015-16	1126.53	0	8609.82	0	27.13	9562.24	5631.62	51.21	2665.76	17.47	231.48	0.09	8597.63	964.62
	2016-17	643.69	0	10038.82	0	0	10682.50	7224.07	61.87	2201.78	60.02	390.24	0	9937.98	744.52
	2017-18	645.6	0	12495.17	14.3	0	13155.07	6833.80	104.61	4813.30	180.73	492.15	0	12424.59	730.48
	2018-19	746.35	0	14338.05	3489.44	0	18428.83	9734.87	131.98	4217.26	66.73	131.44	0.61	14282.89	4145.94
पूर्णियाँ	2014-15	1123.4	3174.61	1.38	43.05	68.85	4165.02	1575.38	4.92	1508.71	9.34	357.56	2.32	3458.23	706.80
	2015-16	1033.3	0	5098.66	0	0	6131.96	3772.81	19.32	1132.61	5.01	189.93	0.04	5119.73	1012.23
	2016-17	1053.08	0	6545.83	0	0	7598.91	4430.81	47.16	1559.71	83.20	363.14	0	6484.03	1114.88
	2017-18	1117.89	0	8669.44	6.36	0	9793.69	5029.08	83.37	3148.20	122.43	250.86	0	8633.94	1159.75
	2018-19	1350.32	0	13132.74	8.86	26.73	14462.78	8593.30	101.94	4199.75	120.82	83.60	0	13099.42	1363.36
सारण	2014-15	879.12	2793.30	0	77.22	45.75	3700.93	1320.49	20.92	1222.79	10.22	280.69	0.1	2855.21	845.73
	2015-16	955.9	0	6669.06	26.68	16.2	7481.63	4400.70	64.97	1708.77	59.48	581.99	0	6815.91	665.72
	2016-17	809.84	0	9735.00	0.27	0	10545.10	5580.28	98.32	3195.08	150.17	768.44	0.42	9792.70	752.41
	2017-18	893.26	0	15037.23	17.06	0	15947.54	8084.58	192.42	5954.51	289.96	494.69	0	15016.16	931.39
	2018-19	993.74	0	14273.51	25.67	0	15183.70	9895.55	133.79	3884.10	217.21	103.34	0	14233.99	949.71
समस्तीपुर	2014-15	1931.8	3029.92	0.47	17.22	0	4979.42	1338.59	10.02	1839.99	2.69	323.31	0.02	3514.62	1464.80
	2015-16	1237.65	0	7007.28	61.34	0	8306.27	4391.86	59.36	2199.71	5.05	503.29	0	7159.27	1147.01
	2016-17	1073.83	0	10186.75	0	0	11260.58	6258.96	67.49	3139.68	32.77	641.86	0	10140.77	1119.82
	2017-18	1141.57	0	13657.33	21.76	0	14820.67	8019.03	119.65	5002.84	76.39	409.88	0.25	13628.03	1192.65
	2018-19	1220.78	0	16648.88	16.53	0	17793.22	11815.57	136.01	4407.66	74.09	138.06	0	16572.19	1221.03
सहरसा	2014-15	531.42	3725.35	0.58	23.77	0.04	4281.08	2436.81	62.73	1539.94	1.09	216.21	0.42	4257.19	23.89
	2015-16	312.96	0	6341.41	0.45	0	6654.82	4440.92	111.66	1578.65	13.84	278.73	1.16	6424.97	229.85
	2016-17	271.97	0	12008.95	0	0	12280.92	8960.14	164.34	2598.11	40.59	177.16	1.77	11942.11	338.81
	2017-18	258.24	0	11810.14	10.66	0	12079.04	7645.44	239.33	3403.27	63.97	452.12	16.5	11820.62	258.42
	2018-19	448.82	0	9983.92	12.22	0	10243.97	8578.33	145.55	1126.45	13.19	20.39	1.6	9885.51	358.46

(स्रोत: नरगासॉफ्ट)

परिशिष्ट-2.2.27

(संदर्भ: कंडिका-2.2.10.3; पृष्ठ-77)

भारत सरकार के द्वारा मनरेगा के तहत राशि की विमुक्ति तथा इसके एस.ई.जी.एफ. में जमा को दर्शाती विवरणी

वर्ष	केन्द्र सरकार का विमुक्ति आदेश एवं तिथि	विमुक्त राशि (₹ में)	राज्य कोषागार में प्राप्ति की तिथि	अनुग्रह की अवधि (राज्य कोषागार में प्राप्ति +3 दिन)	एस.ई.जी.एफ. खाते में जमा की तिथि	विलंब दिनों में	सूद की राशि में (₹ में)
2014-15	सं. G-31011/3/2014-MGNREGA-V क्रम सं.1 दिनांक: 03.04.2014	2,02,41,00,000	07.04.2014	10-04-2014 30-05-2014	02.05.2014	22	1,46,40,065.75
	सं. G-31011/3/2014-MGNREGA-V क्रम सं.34 दिनांक: 23.05.2014	3,11,00,00,000	27.05.2014	30-05-2014	06.06.2014	8	81,79,726.03
	सं. G-31011/3/2014-MGNREGA-V क्रम सं.61 दिनांक: 19.08.2014	2,56,40,86,000	22.08.2014	31-08-2014	06.09.2014	7	59,00,910.25
	सं. G-31011/3/2014-MGNREGA-V क्रम सं.114 दिनांक: 08.01.2015	1,89,86,38,000	09.01.2015	12-01-2015	25.02.2015	45	2,80,89,438.90
	योग	9,59,68,24,000					5,68,10,140.93
2015-16	सं. J-12014/3/2015-MGNREGA-V क्रम सं.3 दिनांक: 07.04.2015	2,37,54,17,000	10.04.2015	13-04-2015	26.05.2015	43	3,35,81,237.59
	सं. J-12014/3/2015-MGNREGA-V क्रम सं.44 दिनांक: 06.07.2015	7,86,58,09,000	08.07.2015	11-07-2015	23.07.2015	12	3,10,32,232.77
	योग	10,24,12,26,000					6,46,13,470.36
2016-17	F. No. G-31011/3/2016-MGNREGA-V क्रम सं.81 दिनांक: 24.06.2016	2,35,00,00,000	30.06.2016	03-07-2016	27.07.2016	24	1,85,42,465.75
	F. No. G-31011/3/2016-MGNREGA-V (Pt-II) क्रम सं.108 दिनांक: 12.09.2016	1,17,32,50,000	16.09.2016	19-09-2016	10.10.2016	21	81,00,246.58
	F. No. G-31011/3/2013-MGNREGA-V) pt-II) क्रम सं.117 दिनांक: 02.11.2016	46,93,00,000	08.11.2016	11-11-2016	06.12.2016	25	38,57,260.27
	योग	3,99,25,50,000					3,04,99,972.60

मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र)

वर्ष	केन्द्र सरकार का विमुक्ति आदेश एवं तिथि	विमुक्त राशि (₹ में)	राज्य कोषागार में प्राप्ति की तिथि	अनुग्रह की अवधि (राज्य कोषागार में प्राप्ति +3 दिन)	एस.ई.जी.एफ. खाते में जमा की तिथि	विलंब दिनों में	सूद की राशि में (₹ में)
2017-18	G-31011/3/2016-MGNREGA-V (Pt-II) क्रम सं.186 दिनांक 31/03/2017	98,26,60,000	31.03.2017	03-04-2017	20.05.2017	47	1,51,84,116.16
	G-31011/4/2017-MGNREGA-V क्रम सं. 4 दिनांक 10/04/2017	1,32,96,85,000	18.04.2017	21-04-2017	24.05.2017	33	1,44,26,171.51
	G-31011/4/2017-MGNREGA-V क्रम सं.25 दिनांक 25/05/2017	50,00,00,000	30.05.2017	02-06-2017	29.06.2017	27	44,38,356.16
	G-31011/4/2017-MGNREGA-V क्रम सं.56 दिनांक 22/06/2017	50,00,00,000	27.06.2017	30-06-2017	17.07.2017	17	27,94,520.55
	G-31011/4/2017-MGNREGA-V क्रम सं.73 दिनांक 13/07/2017-	50,00,00,000	20.07.2017	23-07-2017	25.08.2017	33	54,24,657.53
	31011/4/2017-MGNREGA-V क्रम सं.93 दिनांक 21/07/2017-	44,18,01,000	25.07.2017	28-07-2017		28	40,66,990.03
	F. No. G-31011/4/2017-MGNREGA-V क्रम सं. 109 दिनांक: 11.09.2017-₹ 6589.43लाख एवं G-31011/4/2017-MGNREGA-V क्रम सं.124 दिनांक 11.09.2017 ₹4418 lakh	1,10,07,43,000	13.09.2017	16-09-2017	09.10.2017	23	83,23,426.52
	F. No. G-31011/4/2017-MGNREGA-V क्रम सं.206 दिनांक 06.02.2018	90,62,41,000	08.02.2018	11-02-2018	13.03.2018	30	89,38,267.40
	योग	6,26,11,30,000					6,35,96,505.86

वर्ष	केन्द्र सरकार का विमुक्ति आदेश एवं तिथि	विमुक्त राशि (₹ में)	राज्य कोषागार में प्राप्ति की तिथि	अनुग्रह की अवधि (राज्य कोषागार में प्राप्ति +3 दिन)	एस.ई.जी.एफ. खाते में जमा की तिथि	विलंब दिनों में	सूद की राशि में (₹ में)
2018-19	G-31011/3/2018-MGNREGA-V क्रम सं.5 दिनांक 09.04.2018	2,05,26,71,000	11.04.2018	14-04-2018	15.05.2018	31	2,09,20,372.93
	G-31011/3/2018-MGNREGA-V क्रम सं.73 दिनांक 09/07/2018	2,41,54,46,000	13.07.2018	16-07-2018	21.07.2018	5	39,70,596.16
	G-31011/3/2018-MGNREGA-V क्रम सं.86 दिनांक 17/07/2018	78,96,67,000	20.07.2018	23-07-2018	06.08.2018	14	36,34,631.67
	G-31011/3/2018-MGNREGA-V क्रम सं.112 दिनांक 01/11/2018	18,00,00,000	02.11.2018	05-11-2018	09.01.2019	65	38,46,575.34
	G-31011/3/2018-MGNREGA-V क्रम सं.114 दिनांक 15/11/2018	18,66,00,000	20.11.2018	23-11-2018	05.02.2019	74	45,39,747.95
	G-31011/3/2018-MGNREGA-V क्रम सं.157 दिनांक 01/02/2019	31,85,63,000	05.02.2019	08-02-2019	08.03.2019	28	29,32,525.15
	G-31011/3/2018-MGNREGA-V क्रम सं.188 दिनांक 22/02/2019	32,89,74,000	26.02.2019	01-03-2019	25.03.2019	24	25,95,740.05
	योग	6,27,19,21,000					4,24,40,189.26
	कुल योग	36,36,36,51,000				5 से 74	25,79,60,279.01

(स्रोत: ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार के द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचनाएँ)

परिशिष्ट -2.2.28
(संदर्भ: कंडिका -2.2.11.5; पृष्ठ -83)
शिकायतें एवं इनकी स्थिति के बारे को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	जिला	के द्वारा दर्ज शिकायत			के विरुद्ध दर्ज शिकायत						स्थिति			
		नागरिक	मजदूर	अन्य	कुल	ग्रां. पं.	प्रखण्ड पंचायत	पी.ओ.	जि.प.	डी. पी. सी.	लागू करने वाली एजेन्सी	लंबित	अग्रसरित	निपटान
1.	बेगूसराय	13	31	2	46	37	0	6	0	1	2	46	0	0
2.	भागलपुर	13	367	0	380	375	0	1	2	1	1	379	1	0
3.	गया	12	41	0	53	44	0	3	3	2	1	50	3	0
4.	पटना	28	12	8	48	31	1	3	3	9	1	38	10	0
5.	पूर्वी चम्पारण	21	31	5	57	48	1	5	0	3	0	50	7	0
6.	पूर्णियाँ	17	09	1	27	16	2	6	1	2	0	27	0	0
7.	सारण	18	21	2	41	32	0	7	1	1	0	39	2	0
8.	समस्तीपुर	33	28	2	63	39	1	12	1	10	0	36	18	9
9.	सहरसा	10	25	2	37	32	1	1	1	1	1	33	2	2
कुल		165	565	22	752	654	6	44	12	30	6	698	43	11

(स्रोत: नरेंगासॉफ्ट)

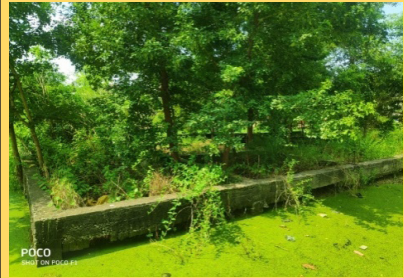
(अन्य: जिसमें सम्मिलित है ग्रा.पं., पी.ओ., डी.पी.सी., एन.जी.ओ., वी.आई.पी., मीडिया, क्रियान्वित एजेन्सी, राज्य, ग्रा.वि.मं., सामाजिक अंकेक्षण, इंजीनियर तथा बैंक)

परिशिष्ट -2.2.29

(संदर्भ: कंडिका -2.2.12; पृष्ठ -84)

संयुक्त भौतिक सत्यापन का प्रतिफल

जिला	प्रखंड	इकाई का नाम	कार्य का कोड/ योजना सं. (वर्ष), कार्य का नाम	लेखापरीक्षा परिणाम	फोटोग्राफ
बेगूसराय	बरौनी	ग्रा.प. पपरौर	RC/20267251 (2017-18) महेन्द्र सिंह के घर से कैलाश रजक के घर तक मिट्टी कार्य तथा ईट सोलिंग	सिर्फ मिट्टी कार्य पाया गया, ईट सोलिंग नहीं किया गया था। प्राक्कलित राशि - ₹ 2.56 लाख, व्यय— ₹ 0.30 लाख,	
बेगूसराय	बरौनी	ग्रा.प. बभनगामा	RC/20311826 खखोरन सिंह के घर से पंकज सिंह के घर तक मिट्टी कार्य तथा ईट सोलिंग	सिर्फ मिट्टी कार्य पाया गया, ईट सोलिंग नहीं किया गया था। प्राक्कलित राशि— ₹ 1.05 लाख, व्यय - ₹ 0.50 लाख,	
गया	बथानी	ग्रा. प. बथानी	20221530 (2016-17) ग्रा. पं. चौसण्डी में सड़क किनारे वृक्षारोपण।	कार्यस्थल पर पौधे नहीं पाये गए। प्राक्कलित राशि— ₹ 6.35 लाख व्यय—₹ 2.29 लाख	
पटना	बेलछी	प.स. बेलछी	कार्य कोड—0501007 / एस.के./ 897 (2013—14) बेलछी प्रखंड में मनरेगा भवन का निर्माण	मनरेगा भवन के निर्माण में ₹ 31.23 लाख के प्राक्कलित राशि के विरुद्ध ₹ 10 लाख का व्यय किया गया, परन्तु मनरेगा भवन को नवम्बर 2019 से अपूर्ण अवस्था में छोड़ दिया गया।	

पटना	बेलछी	ग्रा. पं. कोरारी	कार्य कोड-0501007 / एस.के./903 (01/2013-14) ग्रा. पं कोरारी में मनरेगा भवन का निर्माण	मनरेगा भवन के निर्माण में ₹ 10 लाख के प्राक्कलित राशि के विरुद्ध ₹ 6.58 लाख का व्यय नवम्बर 2019 तक किया गया। भवन को पूर्ण पाया गया परन्तु पेन्टिंग का कार्य नहीं किया गया था। यह भवन मनरेगा कार्यालय के रूप में कार्य नहीं कर रहा था।	
पटना	पुनपुन	पं.स. पुनपुन	मनरेगा भवन 01/2013-14 पुनपुन प्रखण्ड में मनरेगा भवन का निर्माण	मनरेगा भवन के निर्माण में ₹ 31.23 लाख के प्राक्कलित राशि के विरुद्ध ₹ 9.15 लाख का व्यय अक्टूबर 2014 तक किया गया था, परन्तु सिर्फ प्लिंथ का कार्य किया गया था तथा कार्य को छोड़ दिया गया था (सितम्बर 2019)।	
पटना	पुनपुन	ग्रा. पं. पोठही	05/16-17 ग्राम पंचायत सरैया में उक्तमित मध्य विद्यालय में मिट्टी भराई एवं समतलीकरण का कार्य	स्थल निरीक्षण के दौरान 52,640 घनफीट का ही मिट्टी कार्य पाया गया जबकि मापी पुस्त में 1,34,006 घनफीट का कार्य दर्ज किया गया था। इस प्रकार, 81,366 घनफीट का अधिक कार्य दर्ज किया गया था तथा इसके लिए ₹ 4,11,171 का अधिक भुगतान किया गया था।	
पटना	पुनपुन	ग्रा. पं. पोठही	01/14-15 ग्राम गनीपार में ईट सोलिंग, पी. सी.सी. तथा नाली निर्माण	साईनबोर्ड नहीं पाया गया परन्तु योजना सं. 9/13-14 जो ईट सोलिंग एवं नली के निर्माण से संबंधित था का साईनबोर्ड पाया गया जो यह इंगित किया कि कार्य को पाँच वर्षों के अंदर ही पुनः कार्यान्वित कराया गया था। पीसीसी कार्य की मापी 5,633.90 घनफीट अर्थात 159.56 घनमीटर पाई गई लेकिन मापी पुस्त में 201.47 घनमीटर पीसीसी कार्य दर्ज किया गया था जिसके परिणामस्वरूप, ₹ 1.42 लाख (201.47 – 159.56 @ ₹ 3,393.63) का अधिक भुगतान किया गया। मापी पुस्त के अनुसार ₹ 17,280 के मूल्य का ईट सोलिंग कार्य किया गया था परन्तु यह कार्य पूर्व में ही योजना सं. 9/13-14 में कराया गया था। पीआरएस द्वारा योजना संचिका (9/13-14) प्रस्तुत नहीं किया गया। पीआरएस द्वारा बताया गया कि संचिका उसे सुपुर्द नहीं किया गया था।	 

पूर्वी चम्पारण	फेनहारा	ग्रा.प. रुपौलिया	आई.एफ. /20234577 2016-17 राम अयोध्या राय के निजी जमीन में मवेशी छावनी का निर्माण।	मवेशी छावनी का उपयोग अन्य उद्देश्य हेतु किया गया था, जानवरों के लिए नहीं। प्राक्कलित राशि- ₹ 1.38 लाख व्यय- ₹ 1.12 लाख।	
पूर्वी चम्पारण	फेनहारा	ग्रा.प. रुपौलिया	आई.एफ. /20258717 2017-18 रामनरेश राम के निजी जमीन में मुर्गी पालन आश्रय का निर्माण।	मुर्गी पालन आश्रय भवन अपूर्ण था। इसके छत से संबंधित कार्य शेष था। प्राक्कलित राशि- ₹ 3.38 लाख व्यय- ₹ 3.08 लाख।	
पूर्वी चम्पारण	फेनहारा	ग्रा.प. फेनहारा	आर.सी. /20187286 2015-16 मो. खुर्शीद के घर से कटीव के घर तक मिट्टी कार्य तथा ईट सोलिंग का कार्य	केवल 20 प्रतिशत मिट्टी भराई का कार्य ही किया गया था। ईट सोलिंग कार्य नहीं किया गया था। कार्य अपूर्ण था। प्राक्कलित राशि- ₹ 1.12 लाख व्यय- ₹ 0.16 लाख।	
पूर्वी चम्पारण	कल्याणपुर	ग्रा.प. पकड़ी दीक्षित	आर.सी. /20160175 2014-15 मोहर राय के घर से देवस्थान तक मिट्टी कार्य	केवल 25 प्रतिशत मिट्टी भराई का कार्य ही किया गया था। प्राक्कलित राशि- ₹ 3.47 लाख, व्यय- ₹ 0.76 लाख।	
पूर्वी चम्पारण	कल्याणपुर	ग्रा.प. परसौनी वाजिद	आर.सी. /20160569 2014-15 आनन्द ठाकुर के जमीन से महंथ बिष्णु गोसाई के जमीन तक सड़क में मिट्टी भराई	केवल 20 प्रतिशत मिट्टी भराई का कार्य ही किया गया था। प्राक्कलित राशि- ₹ 1.80 लाख, व्यय- ₹ 0.34 लाख।	

समस्तीपुर	दलसिंहसराय	ग्रा.प. बम्बईया हरलाल	आर.सी. -20241375 (2016-17) डोमन पासवान के घर से बहादुर पासवान के घर तक सड़क में मिट्टी भराई तथा ईट सोलिंग	ईट सोलिंग कार्य नहीं किया गया था। जमीन के विवाद तथा गाँव की राजनीति के कारण कार्य रुका हुआ था। प्राक्कलित राशि—₹ 4.30 लाख, व्यय—₹ 0.63 लाख।	
सहरसा	बनमा ईटहरी	ग्रा.प. रसलपुर	आर.सी. -20254940 (2016-17) मेघनाथ के घर से छतरु मालाकार के घर तक सड़क में मिट्टी भराई, ईट सोलिंग तथा पी. सी.सी. कार्य	गाँव के विवाद के कारण कार्य रुका हुआ था। प्राक्कलित राशि—₹ 7.73 लाख, व्यय—₹ 0.93 लाख।	
सहरसा	बनमा ईटहरी	ग्रा.प. महारस	आरसी -20209724 (2015-16) नरसिंह के घर से जर्नादन के घर तक सड़क में मिट्टी भराई, ईट सोलिंग तथा पी. सी.सी. कार्य।	ग्रामीणों ने कहा कि यदि पी सी सी निर्माण के कारण सड़क की ऊँचाई बढ़ी तो घरों में जल जमाव की संभावना हो सकती है। इस कारण से पीसीसी कार्य नहीं किया गया। प्राक्कलित राशि—₹ 1.30 लाख, व्यय—₹ 0.80 लाख।	
सहरसा	सिमरी बख्तियारपुर	ग्रा.प. सरडीहा	आरसी -20271781 (2017-18) धोबी दास के घर से पिंटू राम के घर तक सड़क में मिट्टी भराई, ईट सोलिंग तथा पी. सी.सी. कार्य।	कामगारों को भुगतान नहीं होने के कारण कार्य बन्द था। व्यय—₹ 0.26 लाख	
सारण	लहलादपुर	ग्रा.प. कटेयां	050910600/ डी.पी./20264833 (2018-19) हरेराम ओझा के जमीन में वृक्षारोपण	प्राक्कलित राशि ₹ 2 लाख, के विरुद्ध ₹ 0.05 लाख का व्यय किया गया। आगे, मापी पुस्त में गेबियन के लिए ₹ 0.78 लाख दर्ज किया गया था परंतु भौतिक सत्यापन के दौरान कार्यस्थल पर गेबियन नहीं पाया गया।	

सारण	लहलादपुर	ग्रा.प. कटेयां	0509016007/ डी.पी./20267411 (2018-19) संजय ओझा के निजी जमीन में वृक्षारोपण	प्राक्कलित राशि ₹ 2 लाख, के विरुद्ध ₹0.05 लाख का व्यय किया गया था। आगे, मापी पुस्त में गेबियन के लिए ₹ 0.78 लाख दर्ज किया गया था परंतु भौतिक सत्यापन के दौरान कार्यस्थल पर गेबियन नहीं पाया गया।	
सारण	मढ़ौरा	ग्रा. पं ओल्हानपुर	0509007019/ एस.के./16349 (2015-16) ग्रा.पं. ओल्हानपुर में मनरेगा भवन का निर्माण	इस भवन का प्रयोग व्यवसायिक उद्देश्य से किया जा रहा था एवं मनरेगा कार्यालय इस भवन में नहीं चल रहा था।	
सारण	मढ़ौरा	ग्रा.प. भुआलपुर	0509007021/ आर.सी./20310116 (2018-19) श्रीराम सिंह के जमीन से सत्य साईं हाई स्कूल तक सड़क में मिट्टी कार्य	भौतिक दृष्टि में सड़क की ऊँचाई एक फीट थी परंतु मापी पुस्त के अनुसार यह ऊँचाई तीन से चार फीट थी। प्राक्कलित राशि—₹ 9.72 लाख, व्यय—₹ 9.54 लाख।	
बेगूसराय	साम्हो अक्हा	ग्रा.प. सैदपुर सल्हा बरार-2	आर.सी. / 20274064 (2017-18) मिट्टी भराई तथा ईंट सोलिंग कार्य	ईंट सोलिंग का कार्य लगभग 50 फीट सड़क में मौजूद नहीं था। पीआरएस तथा जेई ने कहा कि बाढ़ के कारण सड़क खराब था। प्राक्कलित राशि—₹ 9.93 लाख, व्यय— ₹ 9.83 लाख।	
पूर्वी चम्पारण	कल्याणपुर	ग्रा.प. बखरी	आई.ए.वाई. /1099123 (2018-19) आई.ए.वाई. घर का निर्माण	आई.ए.वाई. घर का निर्माण नहीं। प्राक्कलित राशि—₹ 0.16 लाख, व्यय—₹ 0.02 लाख।	

पूर्वी चम्पारण	कल्याणपुर	ग्रा.प. परसौनी वाजिद	आई.सी. /20267582 (2018-19) तपस्या स्थल से पश्चिमी बोर्ड रोड तक मिट्टी भराई कार्य	मिट्टी भराई कार्य किया गया था परंतु समतलीकरण कार्य नहीं किया गया था। प्राक्कलित राशि—₹ 9.60 लाख, व्यय—₹ 5.42 लाख।	
पूर्वी चम्पारण	कल्याणपुर	ग्रा.प. परसौनी वाजिद	आर.सी. /20252887 (2016-17) वार्ड सं. 14 में फूलन राम के घर से बिरेन्द्र राम के घर तक पीसीसी कार्य	पीसीसी कार्य लगभग 15 फीट सड़क में नहीं किया गया। प्राक्कलित राशि—₹ 9.93 लाख, व्यय—₹ 9.41 लाख।	
पूर्वी चम्पारण	फेनहारा	ग्रा.प. खान पिपरा	आई.ए.वाई. /1055652 (2018-19) आई.ए.वाई. अन्तर्गत घर का निर्माण	घर का निर्माण किया गया था लेकिन छत एसबेस्टेस से ढँका था। प्राक्कलित राशि— ₹ 0.16 लाख, व्यय— ₹ 0.03 लाख।	
समस्तीपुर	कल्याणपुर	ग्रा.प. अजना	डी.पी./20264513 (2018-19) वृक्षारोपण कार्य	हैण्ड पंप काम नहीं कर रहा था, 400 गैबियन में सिर्फ 50 गैबियन ही मौजूद थे। 2,400 पौधों में से सिर्फ 1,100 पौधे जीवित थे।	
समस्तीपुर	कल्याणपुर	ग्रा.प. अजना	डी.पी.//20267591 (2018-19) वृक्षारोपण कार्य	गैबियन नहीं पाये गये, 1,000 पौधों में से सिर्फ 100 पौधे जीवित थे।	

समस्तीपुर	कल्याणपुर	ग्रा.प. अजना	आई.एफ. / आई. ए.वाई./ 247363 (2015-16)	घर का निर्माण किया गया था लेकिन छत का निर्माण नहीं किया गया था।	
समस्तीपुर	कल्याणपुर	ग्रा.प. अजना	रामानन्द शर्मा, पिता— शिवेश्वर शर्मा के घर शौचालय का निर्माण	निर्मित नहीं	
समस्तीपुर	कल्याणपुर	ग्रा.प. गोरई	आईएफ / आईएवाई/ 360997 (2015-16) आईएवाई घर का निर्माण	आईएवाई घर का निर्माण नहीं किया गया था।	
समस्तीपुर	कल्याणपुर	ग्रा.प. गोरई	डीपी/20248689 (2017-18) वृक्षारोपण कार्य	गैबियन नहीं पाया गया, अधिकतर पौधे जीवित नहीं थे। 12 हैंडपंपों के अधिष्ठापन हेतु भुगतान किया गया था, परंतु सिर्फ 4 हैंडपंप कार्यस्थल पर अधिष्ठापित पाये गये, जिसके लिए राशि ₹ 0.85 लाख (10,600 x 8) का अधिक भुगतान किया गया था।	
समस्तीपुर	कल्याणपुर	ग्रा.प. खारसण्ड पश्चिमी	आई.ए.वाई./ 1151853 (2017-18) आई.ए.वाई. घर का निर्माण	आई.ए.वाई. घर का निर्माण नहीं किया गया था।	
समस्तीपुर	कल्याणपुर	ग्रा.प. खारसण्ड पश्चिमी	आरसी/ 20201467 (2015-16) मिट्टी भराई तथा ईट सोलिंग	ईट सोलिंग का कार्य नहीं किया गया था।	

समस्तीपुर	दलसिंहसराय	ग्रा.प. बम्बईया हरलाल	आईसी/38699 (2015-16) बेगुसराय सीमान से देवेन्द्र चौधरी के घर तक बाहा उड़ाही कार्य	बाहा उड़ाही कार्य कुछ ही भागों में हुआ था। प्राक्कलित राशि- ₹ 1.40 लाख, व्यय- ₹ 0.17 लाख।	
सहरसा	बनमा इटहरी	ग्रा.प. जमालनगर	आरसी/ 20300426 (2017-18) मिट्टी कार्य तथा ईट सोलिंग	सिर्फ मिट्टी कार्य किया गया था तथा ईट सोलिंग कार्य नहीं किया गया था।	
पटना	बेलछी	ग्रा.प. कोरारी	2016-17, मिट्टी भराई कार्य (अलग निर्माण कार्य)	कार्य अपूर्ण था।	
पूर्णियाँ	जलालगढ़	ग्रा.प. सौठा	2018-19, ईट सोलिंग कार्य	सिर्फ मिट्टी कार्य किया गया था।	
पूर्णियाँ	जलालगढ़	ग्रा.प. सौठा	2017-18 निजी जमीन पर तालाब निर्माण (मनोवर आलम)	यह योजना पुराने तालाब के जिर्णोद्धार (उड़ाही) से संबंधित था।	
पूर्णियाँ	जलालगढ़	ग्रा.प. सौठा	2017-18 निजी जमीन पर तालाब निर्माण (मो. नैयर आलम)	यह योजना पुराने तालाब के जिर्णोद्धार (उड़ाही) से संबंधित था।	

पूर्णियाँ	जलालगढ़	ग्रा.प. अकम्बा	2018-19, मिट्टी भराई तथा इट सोलिंग कार्य	साईन बोर्ड नहीं पाया गया। अन्य कार्य के साईन बोर्ड से स्पष्ट था कि इन्टरलॉकिंग कार्य पिछले वर्ष (2017-18) किया गया था।	
पूर्णियाँ	जलालगढ़	ग्रा.प. अकम्बा	2017-18, वृक्षारोपण कार्य	कार्यस्थल पर कोई पौधा जीवित नहीं पाया गया।	
पूर्णियाँ	जलालगढ़	ग्रा.प. अकम्बा	2017-18 आवास में मिट्टी भराई	यह योजना महादलित टोला के घर में मिट्टी भराई (अस्वीकार्य कार्य) का था। प्राक्कलित राशि—₹ 3.10 लाख व्यय—₹ 3.05 लाख	
पूर्णियाँ	जलालगढ़	ग्रा.प.निज गेहुँयां	2017-18 निजी भूमि में तालाब का निर्माण (इसाक)	यह योजना पुराने तालाब के जीर्णोद्धार (उड़ाही) का था।	
पूर्णियाँ	जलालगढ़	ग्रा.प.निज गेहुँयां	2017-18 निजी भूमि में तालाब का निर्माण (जफर)	यह योजना पुराने तालाब के जीर्णोद्धार (उड़ाही) का था।	

सारण	लहलादपुर	ग्रा.प. बनपुरा	2018-19, कब्रिस्तान में मिट्टी भराई	समतलीकरण कार्य नहीं किया गया था।	
सारण	मढ़ौरा	ग्रा.प. नौतन	2018-19, मिट्टी भराई तथा ईट सोलिंग का कार्य	ईट सोलिंग का कार्य नहीं किया गया था।	
सारण	मढ़ौरा	ग्रा.प. नौतन	2017-18, माही नदी का जीर्णोद्धार (उड़ाही)	माही नदी में गाद पाये गये थे।	
सारण	मढ़ौरा	ग्रा.प. ओल्हानपुर	2017-18, मिट्टी भराई तथा ईट सोलिंग कार्य	ईट सोलिंग का कार्य कार्य नहीं किया गया था।	
सारण	मढ़ौरा	ग्रा.प. ओल्हानपुर	2017-18, मिट्टी भराई तथा ईट सोलिंग का कार्य	ईट सोलिंग का कार्य नहीं किया गया था।	
सारण	मढ़ौरा	ग्रा.प. भुआलपुर	2018-19, कब्रिस्तान में मिट्टी भराई तथा समतलीकरण कार्य	समतलीकरण का कार्य नहीं किया गया था।	

भागलपुर	शाहकुण्ड	ग्रा. पं. अम्बा	कार्य कोड-89007 सड़क किनारे वृक्षारोपण का कार्य।	कार्यस्थल पर कोई पौधा नहीं पाया गया। स्थल पर केवल एक कार्यरत हैण्डपम्प पाया गया। प्राक्कलित राशि- ₹ 8.56 लाख व्यय- ₹ 0.21 लाख	
भागलपुर	शाहकुण्ड	ग्रा.प.बेलथू	कार्य कोड -170185 आई.ए.वाई. घर का निर्माण	आई.ए.वाई. घर का निर्माण नहीं किया गया था। प्राक्कलित राशि- ₹ 0.16 लाख, व्यय- ₹ 0.01 लाख।	
भागलपुर	शाहकुण्ड	ग्रा.प. हरनथ	कार्य कोड -20196427 निजी भूमि में वृक्षारोपण	कार्यस्थल पर कोई पौधा नहीं पाया गया। प्राक्कलित राशि- ₹ 2.09 लाख, व्यय- ₹ 0.02 लाख।	
गया	बथानी	ग्रा.प. खुखड़ी	कार्य कोड -548248 आई.ए.वाई. घर का निर्माण।	आई.ए.वाई. घर का निर्माण नहीं किया गया था। प्राक्कलित राशि- ₹ 0.17 लाख, व्यय- ₹ 0.03 लाख।	
गया	टिकारी	ग्रा.प. दिघौरा	कार्य कोड-20283584. निजी भूमि में वृक्षारोपण	कार्यस्थल पर कोई पौधा नहीं पाया गया। प्राक्कलित राशि- ₹ 2.17 लाख, व्यय- ₹ 0.02 लाख।	
गया	बथानी	ग्रा.प. बथानी	कार्य कोड-549028, आई.ए.वाई. घर का निर्माण	आई.ए.वाई. घर का निर्माण नहीं किया गया था। प्राक्कलित राशि- ₹ 0.17 लाख, व्यय- ₹ 0.03 लाख।	
कुल			57 कार्य		

(स्रोत: संयुक्त भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन)

परिशिष्ट -2.2.30

(संदर्भ: कंडिका -2.2.13; पृष्ठ -85)

लाभार्थी सर्वेक्षण के प्रतिफल को दर्शाती विवरणी

लाभार्थी प्रश्न	लाभार्थियों का जवाब		
	हाँ	नहीं	कुल
वर्ष में रोजगार की पात्रता	429	374	803
मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी	651	152	803
किये गये कार्यों की मात्रा के बारे में जानकारी	286	517	803
दिनांकित प्राप्ति प्राप्त हुआ	166	637	803
जॉब कार्ड में पी.आर.एस. या मेट के द्वारा समय पर प्रविष्टि	554	249	803
रोजगार के लिए आवेदन दिया गया तथा दिनांकित प्राप्ति प्राप्त हुआ	194	607	801
रोजगार न दे पाने की स्थिति में देय बेरोजगारी भत्ता	0	663	663
कार्यस्थल की सुविधाएँ उपलब्ध थी अथवा नहीं	506	277	783
ग्रामसभा बैठक में भाग लिया	331	454	785
कार्यों का विवरणी को सार्वजनिक स्थल/सरकारी मकान पर प्रदर्शित होना	381	422	803
अधिकारी के द्वारा कार्यस्थल का निरीक्षण	347	455	802
समाजिक अंकेक्षण के बारे में जानकारी	68	735	803
मनरेगा ने जीवन में परिवर्तन लाया	166	637	803
मनरेगा ने राजस्व आय क्षमता बढ़ाया	115	688	803
पंजीयन के लिए मौखिक या लिखित आवेदन	मौखिक-787, लिखित-14		
एक वर्ष में कितने दिनों का रोजगार दिया गया?	0 से 30 दिन-187, 31 से 60 दिन - 153, 60 दिन व अधिक-108, याद नहीं -300, कार्य नहीं-29		
कार्यों का पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया गया?	पी.आर.एस.- 654, मेट- 44, मुखिया-70, पी.आर.एस एवं मुखिया- 7		
मजदूरी का भुगतान कितने दिनों तक किया गया?	1 महीना के भीतर-399, 1-2 महीने-317, 2-3 महीने-46, कार्य नहीं-9, 3 महीने से अधिक- 3, भुगतान नहीं- 1		
भुगतान कैसे किया गया?	बैंक-793, डाक घर- 3		

(स्रोत: लाभार्थी सर्वेक्षण)

परिशिष्ट -2.2.31

(संदर्भ: कडिका -2.2.15; पृष्ठ-86)

नमूना जाँचित ग्रा0 पं. के अभिलेखों के संधारण को दर्शाती विवरणी

क्र0 सं0	पंजी का नाम	पंजी में प्रविष्टि की विवरणी	ग्रा.पं. द्वारा अभिलेखों के संधारण की स्थिति			
			संधारित	आंशिक संधारित	असंधारित	अनुपलब्ध
1	पंजी-I (जॉब कार्ड आवेदन, जॉब कार्ड पंजीकरण, जॉब कार्ड निर्गत तथा रोजगार प्रतिवेदन पंजी)	इस पंजी में चार भाग है- अ, ब, स तथा द: भाग अ: ऑकड़ों को नरेगासॉफ्ट (ग्रा.पं. का होम पेज) से डाउनलोड कर प्रिंट किया जाना तथा उसे साटा जाना भाग ब: यह भाग पीआरएस के द्वारा जॉब कार्ड के लिए पंजीयन का आवेदन प्राप्त होने के उपरांत भरा जाना है तथा उसके अनुसार निर्णय लिया जाना है। भाग स: ऑकड़ों को नरेगासॉफ्ट से डाउनलोड तथा प्रिंट किया जाना तथा त्रैमासिक आधार पर भाग ब के बाद पेस्ट किया जाना। यदि जॉब कार्ड के आवेदन की पावती प्राप्ति नहीं हो तो कुछ भी पेस्ट किये जाने की आवश्यकता नहीं है। भाग द: इस भाग में जॉब कार्ड की विस्तृत विवरणी समाहित है जो वर्तमान अथवा पूर्ववर्ती तिमाही के दौरान रोजगार प्राप्त हुआ। ऑकड़ों को नरेगासॉफ्ट (ग्रा.पं. का होम पेज) से प्रिंट तथा पेस्ट किया जाना।	3	18	9	24
2	पंजी-II (ग्राम सभा बैठक, कार्यवाही, प्रस्ताव प्राथमिकता सूची पंजी)	इस पंजी में प्राथमिकता सूची से संबंधित निर्णय, कार्यों का अनुमोदन, सामाजिक अंकेक्षण के अवलोकनों पर चर्चा एवं उस पर ए.टी.आर. से संबंधित ग्राम सभा की बैठकों तथा कार्यवाहियों को दर्ज किया जाता है।	7	32	8	7
3	पंजी-III (रोजगार माँग पंजी, आवंटन एवं मजदूरी भुगतान पंजी)	यह पंजी पी.आर.एस. के द्वारा संधारित किया जाता है तथा पूर्ण रूप से हस्तलिखित है। इसमें कार्यों के माँग की विस्तृत विवरणी तथा आवंटन एवं मजदूरी भुगतान समाहित है। यह पंजी मासिक आधार पर संधारित किया जाता है।	0	14	13	27
4	पंजी-IV (कार्य पंजी)	इस पंजी में दो भाग है। इसे ग्रा.पं. का होम पेज से प्रिंट तथा पंजी में पेस्ट किया जाना।	1	13	9	31
5	पंजी-V (कार्य पंजी)	परिसंपत्ति पंजी को अचल परिसंपत्ति पंजी के नाम से भी जाना जाता है, साधारणतः अभिलेखों का भौतिक रूप है जो कि मनरेगा के तहत कुल सृजित परिसंपत्ति को स्पष्टतः चिन्हित करता है।	1	10	13	30
6	पंजी-VI (शिकायत पंजी)	नरेगा सॉफ्ट से पंजी का प्रिंट तथा पेस्ट किया जाना। विवरणी जैसे कि बढ़ोतरी संख्या एवं ब्यौरा की गई कार्रवाई एवं की गई कार्रवाई के दिनांक को पंजी से नियमित रूप से एम.आई. एस. में अद्यतन किया जाना।	0	4	16	34
7	पंजी-VII (सामग्री पंजी)	नरेगा सॉफ्ट (ग्रा.पं. का होम पेज) से प्रिंट तथा पेस्ट किया जाना। कॉलम सं0 1 से 11 पूर्व से भरा होता है तथा कॉलम सं0 12 से 14 हाथ से भरा जाय।	2	11	8	33

(स्रोत: नमूना-जाँचित ग्रा.पं. के अभिलेख)

परिशिष्ट-3.1.1(अ)
(संदर्भ: कड़िका -3.1.3.1; पृष्ठ-90)
बिहार महादलित विकास मिशन, पटना (2018-19)
31.03.2019 को रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तर्शेषों में अंतर

क्र. सं.	बैंक का नाम	पता	खाता संख्या	बचत अथवा चालू खाता	रोकड़ बही के अनुसार शेष (31.03.2019 को)	बैंक के अनुसार शेष (31.03.2019 को)	अंतर
	2	3	4	5	6	7	8
1	कॉरपोरेशन बैंक	दानापुर	520101067608740	बचत	0.00	799449.00	799449.00
2	एच.डी.एफ.सी.	बोरिंग रोड	50100132779273	बचत	0.00	485222.00	485222.00
3	एस.बी.आई.	सिचाई भवन	31921734480	बचत	1561716.00	2231521.50	669805.50
4	बैंक ऑफ इंडिया	एस.के.नगर	441910110004195	बचत	128499773.32	8725244.00	6449611.93
5	बैंक ऑफ इंडिया	एस.के.नगर	441910110006673	बचत		126224141.25	
6	केनरा बैंक	बोरिंग रोड	1967101009141	बचत	1242545130.58	1477079241.88	234534111.30
7	केनरा बैंक	बोरिंग रोड	1967101009425	बचत	64386053.00	69317430.00	4931377.00
8	केनरा बैंक	बोरिंग रोड	1967101009424	बचत	15146123.00	17062612.00	1916489.00
9	केनरा बैंक	बोरिंग रोड	1967101010592	बचत	3338034.00	0.70	-3538033.30
10	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	राजेन्द्र नगर	3272826536	बचत	8897005.00	9378716.00	481711.00
11	मध्या (दक्षिण) बिहार बैंक	कंकड़बाग	73212100011655	चालू	9973378.00	0.00	-9973378.00
12	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक	मुजफ्फरपुर	1000011030004078	बचत	4904993.00		-4904993.00
13	एस.बी.आई.	सिचाई भवन	30653007828	बचत	550818328.93	587654153.87	36835824.94
14	पी.एल. खाता	सिचाई भवन कोषागार	पी.टी.एस.पी.एल.ए.-012 (PLA 264)	अनु.	4856323840.00	4856323840.00	0.00
		कुल			688659437.83	7155281572.20	268687197.37

परिशिष्ट -3.1.1 (ब)
(संदर्भ: कडिका -3.1.3.1; पृष्ठ-90)
31.03.2018 को रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तर्शेषों में अंतर

क्र. सं.	बैंक का नाम	पता	खाता संख्या	बचत अथवा चालू खाता	रोकड़ बही के अनुसार शेष (31.03.2018 को)	बैंक के अनुसार शेष (31.03.2018 को)	अंतर
	1	2	3	4	5	6	7
1	कॉरपोरेशन बैंक	दानापुर	520101067608740	बचत	0.00	772070.00	772070.00
2	एच.डी.एफ.सी.	बोरिंग रोड	50100132779273	बचत	0.00	468605.00	468605.00
3	आई.सी.आई.सी.आई.	बोरिंग रोड	40401008614	बचत	98429459.63	101637948.63	3208489.00
4	आई.सी.आई.सी.आई.	बोरिंग रोड	40401010322	बचत	4855715.00	6055443.00	1199728.00
5	एस.बी.आई.	सिंचाई भवन	31921734480	बचत	1067841.00	1310572.00	242731.00
6	बैंक ऑफ इंडिया	एस.के नगर	441910110004195	बचत	123286660.32	8384788.00	6397051.93
7	बैंक ऑफ इंडिया	एस.के नगर	441910110006673	बचत		121298924.25	
8	केनरा बैंक	बोरिंग रोड	1967101009141	बचत	1134939721.89	1185927008.89	50987287.00
9	केनरा बैंक	बोरिंग रोड	1967101009425	बचत	53737612.00	52395169.00	-1342443.00
10	केनरा बैंक	बोरिंग रोड	1967101009424	बचत	10415608.00	12039374.00	1623766.00
11	केनरा बैंक	बोरिंग रोड	1967101010592	बचत	3187596.70	3187596.70	0.00
12	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	राजेन्द्र नगर	3272826536	बचत	126023785.00	127568113.00	1544328.00
13	मध्य (दक्षिण) बिहार ग्रामीण बैंक	कंकडबाग	73212100011655	चालू	9973378.00	0.00	-9973378.00
14	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक	मुजफ्फरपुर	1000011030004078	बचत	4904993.00		-4904993.00
15	एस.बी.आई.	सिंचाई भवन	30653007828	बचत	444529690.05	478958819.74	34429129.69
16	पी.एल. खाता	कोषागार, सिंचाई भवन	पी.टी.एस.पी.एल.ए.-012 (पी.एल.ए.- 264)	अनु.	4119274400.00	4119274400.00	0.00
कुल					6134626460.59	6219278832.21	84652371.62

परिशिष्ट -3.1.2

(संदर्भ: कड़िका-3.1.3.2; पृष्ठ -91)

रोकड बही में सूद की राशि का नहीं होना/विलंब से अंकित होना

क्र. सं.	बैंक का नाम	खाता सं.	बचत अथवा चालू	बैंक स्टेटमेंट में सूद अंकित होने की तिथि	राशि (₹ में)	रोकड़ बही में अंकित होने की तिथि	सूद की राशि का प्राप्त होना और रोकड़ बही में अंकित नहीं होना	अभ्युक्ति (विलंब महीने में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	केनरा बैंक, बोरिंग रोड	1967101009141	बचत	30.04.2017	2788452.00	31.07.2017		3
				31.07.2017	4520266.00	09.09.2017		1
				31.10.2017	4114443.00	16.02.2018		4
				31.01.2017	4178900.00	10.04.2018		14
				30.04.2018	5204278.00	24.07.2018		3
				31.07.2018	7058668.00	19.11.2018		4
				31.10.2018	11031446.00	19.11.2018		1
				31.01.2018			8533504.00	
					38896453.00		8533504.00	
2	केनरा बैंक, बोरिंग रोड	1967101010592	बचत	30.04.17	698.00	31.07.17		3
				31.07.17	728.00	19.09.17		2
				31.10.17	13247.00	01.02.18		3
				31.01.18	27875.00	28.03.18		2
				30.04.18	27204.00	26.07.18		3
				31.07.18	28361.00	01.11.18		3
				31.10.18	28611.00	01.11.18		0
				31.01.19	28863.00	20.02.19		1
				30.04.19			6717.00	
					155587.00		6717.00	

क्र. सं.	बैंक का नाम	खाता सं.	बचत अथवा चालू	बैंक स्टेटमेंट में सूद अंकित होने की तिथि	राशि (₹ में)	रोकड़ बही में अंकित होने की तिथि	सूद की राशि का प्राप्त होना और रोकड़ बही में अंकित नहीं होना	अभ्युक्ति (विलंब महीने में)
3	केनरा बैंक बोरिंग रोड	1967101009425	बचत	30.04.17	838251	31.07.17		3
				31.07.17	865106	01.09.17		1
				31.10.17	503795	16.02.18		4
				31.01.18	408618	28.03.18		2
				30.04.18	482227	26.07.18		3
				31.07.18	569433	01.11.18		3
				31.10.18	665609	01.11.18		0
				31.01.19	692096	30.04.19		3
कुल					5025135		676082	
4	केनरा बैंक, बोरिंग रोड	1967101009424	बचत	30.04.17	102299	31.07.17		3
				31.07.17	106778	01.09.17		1
				31.10.17	107855	01.02.18		3
				31.01.18	108942	12.04.18		2
				30.04.18	110666	26.07.18		3
				31.07.18	138182	01.11.18		3
				31.10.18	167725	01.11.18		0
				31.01.19			169165	
कुल					842447		169165	
5	बैंक ऑफ इंडिया, एस.के. नगर	441910110004195	बचत	22.05.17	78589	31.07.17		2
				16.08.17	82031	01.09.17		0
				16.11.17	82858	01.02.18		2
				12.02.18	83693	10.04.18		2
				09.05.18	81780	26.07.18		2
				10.08.18	85362	01.11.18		3
				14.11.18	86222			
				13.02.19			87092	
कुल					580535		87092.00	

क्र. सं.	बैंक का नाम	खाता सं.	बचत अथवा चालू	बैंक स्टेटमेंट में सूद अंकित होने की तिथि	राशि (₹ में)	रोकड़ बही में अंकित होने की तिथि	सूद की राशि का प्राप्त होना और रोकड़ बही में अंकित नहीं होना	अभ्युक्ति (विलंब महीने में)	
6	बैंक ऑफ इंडिया, एस.के. नगर	441910110006673	बचत	01.05.17	1136917	30.07.17		2	
				02.08.17	1186702	01.09.17		1	
				02.11.17	1198667	01.02.18		2	
				02.02.18	1210752	10.04.18		2	
				01.05.18	1183080	26.07.18		2	
				02.08.18	1234887	04.10.18		2	
				01.11.18	1247337				
				01.02.19			1259913		
कुल					8398342		1259913.00		
7	एस.बी.आई. सिंचाई भवन	31921734480	बचत	25.06.17	928832	31.07.17		1	
				25.09.17	4263284	14.03.18		5	
				25.12.17	5500106	14.03.18		5	
				25.03.18	5376174	26.07.18		4	
				25.06.18	4782129	26.07.18		1	
				25.09.18	4849723	01.11.18		1	
				25.12.18			5524073		
				25.03.19			5759069		
कुल					25700248		11283142.00		
8	एस.बी.आई. सिंचाई भवन	30653007828	बचत	25.06.17	928832	31.07.17		1	
				25.09.17	4263284	14.03.18		5	
				25.12.17	5500106	14.03.18		5	
				25.03.18	5376174	26.07.18		4	
				25.06.18	4782129	26.07.18		1	
				25.09.18	4849723	01.11.18		1	
				25.12.18					
				25.03.19					
कुल					25700248		11283142.00		

क्र. सं.	बैंक का नाम	खाता सं.	बचत अथवा चालू	बैंक स्टेटमेंट में सूद अंकित होने की तिथि	राशि (₹ में)	रोकड़ बही में अंकित होने की तिथि	सूद की राशि का प्राप्त होना और रोकड़ बही में अंकित नहीं होना	अभ्युक्ति (विलंब महीने में)
9	सी.बी.आई., राजेन्द्र नगर	3272826536	बचत	31.05.17	1235980	31.07.17		2
				31.08.17	1248442	01.09.17		0
				30.11.17	1247322	01.02.18		2
				28.02.18	1245918	10.04.18		1
				31.05.18	1286166	27.07.18		2
				31.08.18	508989	04.10.18		1
				30.11.18			91702	
				28.02.19			91599	
कुल					6772817		183301.00	
कुल योग					86466313.00		22221850.00	

क्र. स.	डायवर्सन केस का नाम	प्रथम स्टेज अनुमोदन की तिथि	द्वितीय स्टेज अनुमोदन की तिथि	वनीकरण योजना का स्थल	वन प्रमण्डल का नाम	वनीकरण का प्रकार	वनीकरण योजना का प्राक्कलन	मजदुरी दर	वनीकरण योजना वर्ष / अवधि	क्षेत्रफल/लम्बाई		पौधों की संख्या	राशि जमा की तिथि
										हेक्टेयर	कि.मी.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	कोडरमा-तिलैया नई ब्रॉड गेज रेललाइन (49.515 किलोमीटर) के निर्माण के लिए 330.70 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	22.06.11	द्वितीय स्टेज अनुमोदन प्रतीक्षित	शोभवामरण (रजौली)	नवादा	आर.डी.एफ.	5892665	151	2012-21	100	---	100000	29.05.13
11				चटकरी (रजौली)		आर.डी.एफ.	6086817	151		100	---	100000	
12				कोडावेरिया (रजौली)		आर.डी.एफ.	6213969	151		100	---	100000	
13				षोभवामरण (रजौली)		आर.डी.एफ.	6060290	151		100	---	100000	
14				थमकोल (रजौली)		आर.डी.एफ.	5875971	151		100	---	100000	
15				पार्टोनिया (रजौली)		आर.डी.एफ.	7208267	151		120	---	120000	
16				डौरी (रजौली)		आर.डी.एफ.	1967961	151	2012-21	25	---	25000	
17				बारा (रजौली)		आर.डी.एफ.	1731941	151	2012-21	20	---	20000	
18	टिक्कमट्टी-चांदपुर सड़क के चौड़ीकरण के लिए 1.225 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	11.08.11	द्वितीय स्टेज अनुमोदन प्रतीक्षित	टिक्कमट्टी-चांदपुर रोड (कटिहार)	पूर्णिया	आर.डी.एफ.	1367985	144	2011-15	---	3.5	10500	28.03.12
19				विनोदपुर माइनर (कटिहार)		आर.डी.एफ.	678359	144	2011-15	---	2.5	6250	
20	मझवै-लखीसराय (37.08-50.10 कि.मी.) सड़क के चौड़ीकरण के लिए 6.50 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	02.11.11	द्वितीय स्टेज अनुमोदन प्रतीक्षित	बुधौली पी.एफ.	मुंगेर	आर.डी.एफ.	1558557	144	2011-16	13		32500	28.03.12
21				लखीसराय-माजवै पथ		आयरन गेबियन	134786	144	2011-16	0	0	45	
22	एसएच-14 भभुआ-बक्सर (0-45.2 कि.मी.) सड़क के चौड़ीकरण के लिए 22.6 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	03.05.13	द्वितीय स्टेज अनुमोदन प्रतीक्षित	भैरबपुर से भगवानपुर	कैमूर	आयरन गेबियन	4746060	168	10 वर्ष	---	---	1410	27.03.14
23				खडकीखुर्द (अधौरा)		आर.डी.एफ.	3817370	168	2013-18	45.2	---	45200	
24	(ढाबेली-टेरागाछ मार्ग) (0.0 किमी से 0.6 कि.मी.) के चौड़ीकरण के लिए 3.9 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	26.08.13	द्वितीय स्टेज अनुमोदन प्रतीक्षित	रानीगंज वृक्षवाटिका	अररिया	आर.डी.एफ.	6835802	168	2013-25	8	---	20000	05.12.13
25				अररिया शहरी क्षेत्र		आयरन गेबियन	267800	168	2013-17	---	---	106	
26	एसएच.-88 के बरुना पुल-रसियारी सड़क (0 किमी से 73 कि.मी.) के चौड़ीकरण के लिए 38.805 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	30.08.13	द्वितीय स्टेज अनुमोदन प्रतीक्षित	उल्लेख नहीं है	बेगूसराय	पथ तट	12905609	176	2013-24	---	12	11340	12.03.14
27				डुमरांग लाइन नहर (परमडीह से केशठ)	बांका	आर.डी.एफ.	7756284	176	10 वर्ष	77.61	---	85371	

मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र)

क्र. स.	डायवर्सन केस का नाम	प्रथम स्टेज अनुमोदन की तिथि	द्वितीय स्टेज अनुमोदन की तिथि	वनीकरण योजना का स्थल	वन प्रमण्डल का नाम	वनीकरण का प्रकार	वनीकरण योजना का प्राक्कलन	मजदुरी दर	वनीकरण योजना वर्ष / अवधि	क्षेत्रफल/लम्बाई हेक्टेयर		पौधों की संख्या	राशि जमा की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	एस.एच.-88 (72 किमी से 124 किमी) के काइना-राशियारी सड़क के चौड़ीकरण के लिए 17.71 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	09.10.13	द्वितीय स्टेज अनुमोदन प्रतीक्षित	महुँआस धनियारी (कटोरिया)	बांका	आर.डी.एफ.	4133888	176	10 वर्ष	35.42	---	38962	12.03.14
29				बेनीपुर (दरमंगा) का शहरी क्षेत्र	मिथिला	आयरन गेबियन	5235730	176	2013-24	---	---	1124	
30	नालंदा के राजगीर में मौजूदा रोपवे से सटे एरियल रोपवे सिस्टम के निर्माण के लिए 1.2348 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	01.01.14	द्वितीय स्टेज अनुमोदन प्रतीक्षित	मौजारसीसा (हिलसा)	नालंदा	आर.डी.एफ.	3809860	194	2014-26	1.25	---	3125	12.06.15
31	मीरगाँव-भागतीपट्टी-समौर रोड पर गोपालगंज जिला में श्रीमती बबली राय द्वारा आ.ओ.सी.एल. रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के हेतु 0.00855 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	07.08.14	द्वितीय स्टेज अनुमोदन प्रतीक्षित	उपलब्ध नहीं	गोपालगंज	आयरन गेबियन	274720	184	11 वर्ष	---	---	50	15.09.14
32	बिहार राज्य के गया जिले के सपनेरी गाँव में स्टेडियम निर्माण के लिए 0.48564 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	23.12.14	द्वितीय स्टेज अनुमोदन प्रतीक्षित	नादिरा (खिजरसराय)	गया	आर.डी.एफ.	1137112	186	2014-24	0.4	---	1000	28.01.15
33	गया-हिसुआ-राजगीर-बिहारसरीफ सड़क (0.0 किमी से 92.935 कि.मी.) के चौड़ीकरण के लिए 125.92 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	10.07.15	द्वितीय स्टेज अनुमोदन प्रतीक्षित	घाटबख्शीला (रजौली)	नवादा	आर.डी.एफ.	20924083	206	2016-27	66	---	165000	13.11.16
34				साघमनझगाँव (रजौली)		आर.डी.एफ.	13762855	206	2016-27	60	---	150000	
35				लोधवे (खटियान)	गया	आर.डी.एफ.	20075834	206	2016-26	126	---	315000	
36	पटना जिले में पटना-गया-डोभी सड़क (0-36 किलोमीटर) के चौड़ीकरण के लिए 17.8288 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	04.10.10	16.05.12	सड़क के किनारे	पटना	रैखिक	1828675	114	2010-15	---	---	4458	22.02.12
37	एकतारा पी.एफ. में काकोलत वाटर फॉल में इको टूरिज्म के विकास के लिए 4.696 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	13.12.13	26.02.19	एकतारा पी.एफ.	नवादा	आर.डी.एफ.	2497326	176	12 वर्ष	5	---	12500	02.02.15

क्र. स.	क्र. 1	क्र. 2	क्र. 3	प्रथम स्टेज अनुमोदन की तिथि	द्वितीय स्टेज अनुमोदन की तिथि	वनीकरण योजना का स्थल	वन प्रमण्डल का नाम	वनीकरण का प्रकार	वनीकरण योजना का प्राक्कलन	मजदूरी दर	वनीकरण योजना वर्ष / अवधि	क्षेत्रफल / लम्बाई		पौधों की संख्या	राशि जमा की तिथि
												हेक्टेयर	कि.मी.		
38	नवादा में एस.एच.-83 (0.00 कि.मी.-24.80 किमी) बागी-बरडीहा-बरबीघा सड़क खंड के चौड़ीकरण के लिए 47.658 हेक्टेयर वन भूमि का मोड़	26.02.14	21.06.16	दीवानगढ़ पीएफ (कौवाकोल)	नवादा	आर.डी.एफ.	12705566	176	9 वर्ष	96	---	---	240000	29.03.14	
39	भारत-नेपाल सीमा सड़क (0 कि.मी. से 37 कि.मी.) के चौड़ीकरण के लिए 38.61 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	13.05.15	31.08.18	दाधी-तिनचुआ-धामना पीएफ (चकाई)	जमुई	आर.डी.एफ.	11892528	194	2015-25	73	---	---	182500	27.11.15	
40	बिहार के बांका जिले के मंदार हिल्स में यात्री रोपवे की स्थापना के लिए 0.888 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	28.05.15	19.02.18	चिल्काराटोला डुमरिया (गैर वन भूमि)	बांका	आर.डी.एफ.	1065274	186	10 वर्ष	1	---	---	2500	20.02.15	
41	सुपौल और मधेपुरा जिले के वीरपुर से उदकिशुनगंज तक एसएच-91 की मौजूदा सड़क के चौड़ीकरण के लिए 73.80 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	17.07.15	18.05.16	नकटा (चकाई)	बांका	आर.डी.एफ.	8483491	194	2015-25	50	---	---	125000	17.08.15	
42	सहरसा, सुपौल और मधेपुरा में एन.एच.-106 वीरपुर-बिहपुर (0.00-136.00 कि.मी.) के चौड़ीकरण और सुदृढीकरण के लिए 127.20 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	17.07.15	20.03.18	गोसरा, (चौनपुर)	कैमूर	आर.डी.एफ.	14734820	194	2015-27	100	---	---	100000	30.09.16	
43				लोडा (अधौरा)		आर.डी.एफ.	15356588	194	2015-27	100	---	---	100000		
44				बड़गाँव कलान (अधौरा)		आर.डी.एफ.	11804654	194	2015-27	55	---	---	55000		
45	एन.एच. -102 के छपरा से मुजफ्फरपुर खंड 1.30 से 74.20 किलोमीटर तक 2-लेन सड़क में उन्नयन के लिए 69.9278 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	23.12.15	17.10.17	विष्णुपुर माइनर (नेकनामपुर से विष्णुपुर) (पारू)	तिरहुत	नहर तट	5156457	197	2015-24	---	5	---	8000	06.02.16	

क्र. स.	क्र. डायवर्सन केस का नाम			प्रथम स्टेज अनुमोदन की तिथि	द्वितीय स्टेज अनुमोदन की तिथि	वनीकरण योजना का स्थल	वन प्रमण्डल का नाम	वनीकरण का प्रकार	वनीकरण योजना का प्राक्कलन	मजदुरी दर	वनीकरण योजना वर्ष / अवधि	क्षेत्रफल/लम्बाई			पौधों की संख्या	राशि जमा की तिथि
	1	2	3									हेक्टेयर	कि.मी.	12		
	46			4	5	परसौनी माइनर (चौनपुर से बलथी) (साहेबगंज)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	47					एस. के. मेडिकल (मुशहरी)		नहर तट	7806042	197	2015-24	—	7	12000		
	48	अररिया में भारत-नेपाल सीमा सड़क परियोजना के तहत पारसी से चिकानी तक पक्करा होते हुए (0.00 से 2.75 किमी) सड़क चौड़ीकरण और मजबूती के लिए 1.4437 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	02.02.16	06.06.18		बारा पीएफ (फारबिसगंज)	अररिया	आर.डी.एफ. आर.डी.एफ.	5874056 1549485	197 194	2015-24 2015-27	8.1 3	— —	8896 7500		30.03.16
	49	बिहार के बेगूसराय जिले के मुंगेर घाट पर गंगा नदी पर पुल के एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 2.16 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	05.08.16	09.04.18		परारी (भागवानपुर)	कैमूर	आर.डी.एफ.	1892362	206	2016-26	4.5	—	4500		19.10.16
	50	सीवान में श्री रविकांत द्वारा अंधरा-रघुनाथपुर रोड पर बीपीसीएल के रिटेल आउटलेट खोलने हेतु एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.0123 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	10.01.17	03.01.18		उपलब्ध नहीं	गोपालगंज	आयरन गेबियन	278505	237	11 वर्ष	—	—	50		04.02.17
	51	भोजपुर में कोईलवर-बबुरा रोड (2.85 से 12.05 कि.मी.) के चौड़ीकरण के लिए 10.35 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	13.02.17	09.04.18		दोनाय (फतेहपुर)	गया	आर.डी.एफ.	4037000	237	2016-28	21	—	38000		14.02.17

क्र. स.	क्र. डायवर्सन केस का नाम	प्रथम स्टेज अनुमोदन की तिथि	द्वितीय स्टेज अनुमोदन की तिथि	वनीकरण योजना का स्थल	वन प्रमण्डल का नाम	वनीकरण का प्रकार	वनीकरण योजना का प्रावकलन	मजदूरी दर	वनीकरण योजना वर्ष / अवधि	क्षेत्रफल/ लम्बाई			पौधों की संख्या	राशि जमा की तिथि
										हेक्टेयर	कि.मी.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
52	भागलपुर बाईपास (124.175 कि. मी.-140.850 किमी) लंबाई 16.675 कि.मी. में दो लेन सड़क निर्माण (पेव्ड बोल्डर के साथ) के लिए 0.38 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	11.08.17	06.04.18	भागलपुर बायपास	भागलपुर	बौंस का गबियान	2967932	242	2017-27	—	—	820	08.11.17	
53	सारण में श्रीमती शिल्पा द्वारा खैरा-मधुरा रोड पर आईओसीएल के रिटेल आउटलेट खोलने हेतु एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.0244 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	26.09.17	09.01.18	उपलब्ध नहीं	सारण	आयरन गेबियन	269200	247	11 वर्ष	—	—	50	31.10.15	
54	सीतामढ़ी में श्री आनंद राय द्वारा मुजफ्फरपुर-सोनबरसा रोड (एसएच-77) पर एस्सार ऑयल का रिटेल आउटलेट खोलने हेतु एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.018 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	26.09.17	13.03.18	एनएच-77 के पास (मौजा-दोस्तपुर, पो- बथनाहा)	सीतामढ़ी	आयरन गेबियन	503810	247	2017-28	—	—	50	30.12.17	
										1614.48	133	2776607		
										कुल				
										310878359				

परिशिष्ट -3.2.2
(कंडिका- 3.2.5.3, पृष्ठ सं.- 103)

वनीकरण योजना के विलंबित निष्पादन के कारण राज्य कैम्पा पर निधि के अतिरिक्त बोझ को दर्शाने वाली विवरणी

(राशि ₹ में)												
क्र.स.	लायवर्सन केस का नाम	वनीकरण योजना का स्थल	वन प्रमण्डल का नाम	वनीकरण का प्रकार	क्षेत्रफल/ लम्बाई	पौधों की संख्या	उपयोगकर्ता एजेंसी से निधि प्राप्ति की तिथि	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा जमा की गई निधि	वित्तीय वर्ष जिसके दौरान योजना ली जानी थी	वित्तीय वर्ष जिसके दौरान योजना वास्तव में ली गयी	एपीओ में वनीकरण योजना के लिए धन का प्रावधान	अधिक राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (12-9)
1	कटोरिया से बांका के बीच रेल लाइन के निर्माण के लिए 47.70 हेक्टेयर वन भूमि का लायवर्सन	जमदहा टोला - राखीया रजदाह (कटोरिया) बांका	बांका	आरडीएफ	45.4 हे०	113500	27.10.10	3443447	2011-12	2013-14	6071134	2627687
		कटकसरा (कटोरिया) बांका	बांका	आरडीएफ	50 हे०	125000	27.10.10	3652070	2011-12	2013-14	6453448	2801378
2	एन.एच.-83 (पटना-गया-डोभी) सड़क के चौड़ीकरण के लिए 65.519 हेक्टेयर वन भूमि का लायवर्सन	तारो (फतेहपुर)	गया	आरडीएफ	135 हे०	337500	28.03.12	15221900	2013-14	2015-16	18830951	3609051
3	765 केवी / एस.सी. सासाराम-फतेहपुर ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए 0.256 हेक्टेयर वन भूमि का लायवर्सन	कुदरा स्टेशन रोड	कैमुर	लौह मैबियन	—	200	01.12.12	448200	2013-14	2014-15	607961	159761
4	पी.जी.सी.आई.एल. के 765 के.वी. गया सासाराम ट्रांसमिशन लाइन के लिए 2.0544 हेक्टेयर वन भूमि का लायवर्सन।	बिक्रमगंज शहर और गया टेकरी रोड	रोहतास तथा गया	लौह मैबियन	—	632	18.10.11	1413636	2012-13	2014-15	1984679	571043
5	गया जिले में राज्य वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए 4.00 हेक्टेयर वन भूमि का लायवर्सन	वजीरगंज (नवादा मुफस्सिल)	गया	आरडीएफ	8 हे०	20000	16.11.12	1556800	2013-14	2014-15	2464103	907303

क्र.स.	डायवर्सन केस का नाम	वनीकरण योजना का स्थल	वन प्रमण्डल का नाम	वनीकरण का प्रकार	क्षेत्रफल/लम्बाई	पौधों की संख्या	उपयोगकर्ता एजेंसी से निधि प्राप्ति की तिथि	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा जमा की गई निधि	वित्तीय वर्ष जिसके दौरान योजना ली जानी थी	वित्तीय वर्ष जिसके दौरान योजना वास्तव में ली गयी	एपीओ में वनीकरण योजना के लिए धन का प्रावधान	अधिक राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (12-9)
6	बी.एस.आर.डी.सी. लिमिटेड द्वारा एस.एच. -81 के चौड़ीकरण के लिए 102.358 हेक्टेयर (83.565 +18.793) वन भूमि का डायवर्सन भोजपुर में एसएच -81, सककड़ी मोड़-नासिरगंज पथ (0-67.0 कि.मी.) रोहतास एफ.डी. में (67.0-83.25 कि.मी.)	मुनिसिपल एरिया आरा, कोइलवर, बिहिया और शाहपुर में बिहिया नहर तट (बिहिया से धराहरा तक)	भोजपुर	लौह गैबियन	10 किमी	1500	03.10.12	3868737	2013-14	2014-15	4519500	650763
7	पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा सहरसा से गोपालगंज तक 800 के.वी. टी.आर.एल. के लिए 4.2642 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	चेनारी से मल्हीपुर एस.एच.-67 (चेनारी) कवर डोल पक्षी अभयारण्य	भोजपुर	नहर तट	4 किमी	5000	03.10.12	2232030	2013-14	2014-15	4430676	2198646
8	सड़क के चौड़ीकरण हेतु भूमि का विस्तार 17.1 कि.मी. से 18.8 कि.मी. और 35.2 कि.मी. से 121.105 कि.मी. के लिए 36.206 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	दुलारे पी.एफ. (देव)	रोहतास	पथ तट	2.1 किमी	2100	03.10.12	326111	2013.14	2014-15	524705	198594
		बेगुसराय	भोजपुर	आडीएफ	8.53 हे०	21300	10.06.13	1011214	2014.15	2015-16	1452874	441503
		औरंगाबाद	भोजपुर	आडीएफ	75 हे०	187500	11.07.14	11014953	2015.16	2017-18	11556376	541423
कुल												14707152

(स्रोत: - राज्य कैम्पा, बिहार के अभिलेख)

परिशिष्ट –3.2.3
(संदर्भ कंडिका- 3.2.5.4, पृष्ठ- 104)

अपनी वास्तविक आवश्यकता के विरुद्ध उपयोगकर्ता एजेंसियों से धन की अधिक मांग दर्शाने वाली विवरणी

(राशि ₹ में)

क्र. स.	डायवर्सन केस का नाम	प्रथम स्टेज अनुमोदन की तिथि	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा राशि जमा की तिथि	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा जमा की गयी राशि	वृक्षारोपण और रखरखाव के लिए राशि जमा की गई थी	वनारोपण का क्षेत्रफल	एपीओ का वर्ष जिसमें यह योजना शुरू की गई थी	वनीकरण योजना की स्थल	वन प्रमण्डल का नाम	पौधों की संख्या	एपीओ के माध्यम से निष्पादित योजना के रोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या	एपीओ में योजना के लिए धन का प्रावधान	अधिक मांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (5-13)
(क)													
1	पीजीसीआईएल द्वारा 400 केवी किशनगंज-पटना टीआरएल के लिए 4.5507 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	22.11.2013	12.05.14	2292116	11	9.1	2015-16	महुआंस- धनियारीटोला झरना	बांका	22754	5	1727828	564288
2	इस्लामपुर से सहरसा तक 800 केवी एचयूडीसी ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए 7.2816 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	29.01.2014	03.09.14	3105804	11	14.56	2016-17	महुआंस- धनियारी (बिलहर)	बांका	36408	5	2411365	694439
3	पटना और नालंदा जिला में एनएच 30ए (0.00-69.6 किमी) फतुआ-हरनौत-बाढ़ सड़क के चौड़ीकरण के लिए 30.374 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	10.09.2014	14.09.15	10537191	11	61	2018-19	मननपुर में	नवादा	122000	5	9194227	1342964
4	बिहार के मधुबनी जिले में पश्चिमी कोशी मुख्य नहर तटबंध के साथ महादेव मठ से भारत-नेपाल सीमा सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 20.70 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	13.05.2015	01.06.15	8529251	11	41.4	2017-18	खेसरटोला- रामसरिया	बांका	103500	5	7660411	868840

क्र. स.	डायवर्सन केस का नाम	प्रथम स्टेज अनुमोदन की तिथि	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा राशि जमा की तिथि	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा जमा की गयी राशि	वृक्षारोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या जिसके लिए राशि जमा की गई थी	वनारोपण का क्षेत्रफल	एपीओ का वर्ष जिसमें यह योजना शुरू की गई थी	वनीकरण योजना की स्थल	वन प्रमण्डल का नाम	पौधों की संख्या	एपीओ के माध्यम से निष्पादित योजना के रोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या	एपीओ में योजना के लिए धन का प्राक्धान	अधिक मांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (5-13)
5	बिहार के गया जिले में एनएच-2 सड़क औरंगाबाद-बरवा-अडा (किमी 180.0 से किमी 400.057) के चौड़ीकरण और मजबूती के लिए 7.294 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	13.05.2015	20.07.15	2887803	10	15	2018-19	लोढवे (मुरली हिल्स और कांति)	गया	30000	5	2311874	575929
6	400 कंथी डी/सी बाढ़-गोरखपुर टीएल के निर्माण के लिए 4.3108 हेक्टेयर (संशोधित 3.8134 हेक्टेयर) वन भूमि का डायवर्सन	13.05.2015	27.05.15	2448652	10	8	2017-18	मैजोर (खैरा)	जमुई	20000	5	1704428	744224
7	दरभंगा और मधुबनी जिले में दरभंगा - जयनगर सड़क 0.0 कि.मी. -53.76 किलोमीटर के निर्माण के लिए 75.264 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	10.07.2015	01.03.16	27951073	10	151	2018-19	काकयाटोला, कासवासिला पीएफ और बलिया	बांका	376320	5	26193318	1757755
8	पी.जी.सी.आई.एल. 800 के.वी./एच. वी.डी.सी. गोपालगंज -गोरखपुर ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए 5.0922 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	15.07.2015	28.07.15	2741561	10	10.18	2016-17	पचौरा पीएफ (चेनारी)	रोहतास	25461	5	1999403	742158
9	सुपौल और मधेपुरा जिले के वीरपुर से उदाकिशुनगंज तक एस.एच.-91 की मौजूदा सड़क के चौड़ीकरण के लिए 73.80 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	17.07.2015	17.08.15	16717183	10	98	2017-18	तेतरिया-लालुमारन-सिमरतारी और तिलौना	जमुई	245000	5	15020201	1696982

क्र. स.	डायवर्सन केस का नाम	प्रथम स्टेज अनुमोदन की तिथि	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा राशि जमा की तिथि	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा जमा की गयी राशि	वृक्षारोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या जिसके लिए राशि जमा की गई थी	वनारोपण का क्षेत्रफल	एपीओ का वर्ष जिसमें यह योजना शुरू की गई थी	वनीकरण योजना की स्थल	वन प्रमण्डल का नाम	पौधों की संख्या	एपीओ के माध्यम से निष्पादित योजना के रोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या	एपीओ में योजना के लिए धन का प्राक्धान	अधिक मांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (5-13)
10	बिहार के समस्तीपुर जिले में कि. मी. 0.00 से किमी 11.00 और किमी 28.00 से किमी 40.00 तक वाजिदपुर-दलसिंहसराय -नरहान-रोसड़ा मार्ग के चौड़ीकरण और मजबूती के लिए 11.793 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	28.07.2015	01.01.16	4282078	11	23.59	2018-19	काकवाराटोला (राठिया)	बांका	58965	5	3840933	441145
11	भारत-नेपाल सीमा सड़क परियोजना के साथ मौजूदा सड़क 30.998 किमी से किमी 41.250 के निर्माण और उन्नयन के लिए 23.3028 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	28.07.2015	25.08.15	8111368	10	47	2018-19	जयवीपुर	रोहतास	117500	5	6983059	1128309
12	बिहार के गया जिले में डी.एफ.सी. रेलवे लाइन के निर्माण के लिए 3.4078 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	11.08.2015	13.10.15	1902128	10	10	2017-18	जमुआवन	गया	11000	5	1367885	534243
13	दरभंगा जिले के दरभंगा जिले में 0 से 9.641 किलोमीटर की दूरी पर खिरौई नदी के पश्चिमी तट पर दरभंगा-समस्तीपुर रोड (एस.एच.-50) से शोमन गाँव (एन.एच.-57) तक सड़क के निर्माण के लिए 11.569 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन।	19.05.2016	29.06.16	10796768	11	46.4	2018-19	ब्रह्मदुरी और चपरिडामगी (कटोरिया)	बांका	115690	5	10154876	641892

क्र. स.	डायवर्सन केस का नाम	प्रथम स्टेज अनुमोदन की तिथि	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा राशि जमा की तिथि	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा जमा की गयी राशि	वृक्षारोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या जिसके लिए राशि जमा की गई थी	वनारोपण का क्षेत्रफल	एपीओ का वर्ष जिसमें यह योजना शुरू की गई थी	वनीकरण योजना की स्थल	वन प्रमण्डल का नाम	पौधों की संख्या	एपीओ के माध्यम से निष्पादित योजना के रोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या	एपीओ में योजना के लिए धन का प्राक्धान	अधिक मांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (5-13)
14	बिहार में एनएच-82, बिहारपरीफ-बरबीघा-मोकामा खंड के उन्नयन के लिए 28.0692 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	19.05.2016	02.06.16	9981197	10	57	2018-19	लखुआर – मानसिंहडीह – जगदीशपुर (सिकंदरा)	जमुई	142500	5	8770593	1210604
15	पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सारण जिले में पटना-मोतिहारी-बैतालपुर पाइपलाइन परियोजना के नाम से आई.ओ.सी.एल. द्वारा भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के लिए 1.171804 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	16.08.16	31.08.16	2650000	10	2.5	2018-19	दफरपुर (चिनारी)	रोहतास	6250	5	1080118	1569882
16	बिहार के सात जिलों में 30 इंच डायका प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए 4.143 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन (जगदीशपुर – हल्दिया)	10.01.2017	09.02.17	2724793	9	10	2018-19	कुसाबीजा (खोभी)	गया	21250	5	2135382	589411
उप-कुल (क)				117658966		604.73				1454598		102555901	15103065
(ख)													
1	फारबिसगंज-जोगवानी सड़क के चौड़ीकरण के लिए 4.86 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन (0 कि.मी. से 9.258 कि.मी.)	03.03.2015	15.01.16	7530636	10	—	2018-19	बथनाहा पट्टरी क्षेत्र अररिया		786	3	2724032	4806604

क्र. स.	डायवर्सन केस का नाम	प्रथम स्टेज अनुमोदन की तिथि	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा राशि जमा की तिथि	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा जमा की गयी राशि	वृक्षारोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या जिसके लिए राशि जमा की गई थी	वनारोपण का क्षेत्रफल	एपीओ का वर्ष जिसमें यह योजना शुरू की गई थी	वनीकरण योजना की स्थल	वन प्रमण्डल का नाम	पौधों की संख्या	एपीओ के माध्यम से निष्पादित योजना के रोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या	एपीओ में योजना के लिए धन का प्राक्धान	अधिक मांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (5-13)
2	बिहार के मुंगेर जिला के रतनपुर और जमालपुर स्टेशन के बीच मौजूदा सिंगल रेल लाइन के दोहरीकरण के लिए सुसंग के निर्माण के लिए 0.3767 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	27.01.2016	22.06.16	1242183	11	—	2018-19	झलौना पावर ग्रिड से शेखपुरवा गाँव रोड के किनारे	मुंगेर	100	3	500926	741257
3	बिहार में मुंगेर में गंगा नदी पर रेल सह रोड ब्रिज के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.96 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	19.05.2016	28.06.16	11741425	11	—	2018-19	खड़कपुर से गंगवा रोड तक	मुंगेर	910	3	3161967	8579458
4	गोपालगंज में श्री शक्ति कुमार द्वारा मीरगंज-भोरे रोड पर एच.भी.सी.एल. के स्टिल आउटलेट खोलने के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.0133 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	05.10.2016	14.09.17	411082	11	—	2018-19	मीरगंज-भोरे रोड पर	गोपालगंज	50	3	312178	98904
5	बिहार के गया जिले में मिस सुलेखा कुमारी द्वारा गया-मोकामा रोड (एनएच-82) पर एचपीसीएल के स्टिल आउटलेट खोलने के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.0232 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	10.01.2017	09.02.17	384567	12	—	2018-19	गया में – वजीरगंज – हिसुआ रोड	गया	50	3	312178	72389

क्र. स.	डायवर्सन केस का नाम	प्रथम स्टेज अनुमोदन की तिथि	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा राशि जमा की तिथि	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा जमा की गयी राशि	वृक्षारोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या जिसके लिए राशि जमा की गई थी	वनारोपण का क्षेत्रफल	एपीओ का यह योजना शुरू की गई थी	वनीकरण योजना की स्थल	वन प्रमण्डल का नाम	पौधों की संख्या	एपीओ के माध्यम से निष्पादित योजना के रोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या	एपीओ में योजना के लिए धन का प्रावधान	अधिक मांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (5-13)
6	गया जिले में श्री अभिषेक कुमार द्वारा एसएच -17 के किनारे बी.पी.सी.एल. के रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.0375 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	12.05.2017	12.07.17	383574	11	--	2018-19	कुम्हारटोली मानपुर, गया	गया	50	3	312178	71396
7	गया जिले में श्री गोपाल शरण द्वारा एसएच-70 के किनारे आई.ओ.सी. एल. के रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.018303 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	01.07.2017	26.07.17	383574	11	--	2018-19	गया में - फतेहपुर - रजौली पथ	गया	50	3	312178	71396
8	बिहार के गोपालगंज जिले में श्री प्रमात्मा कुमार सिंह द्वारा भागिपट्टी-समौर रोड पर एच.पी.सी.एल. के रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.00615 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	01.01.2017	15.09.17	411082	11	--	2018-19	मीरगंज भगतपट्टी समुरा रोड	गोपालगंज	50	3	312178	98904
9	गया में श्री प्रदीप यादव द्वारा गया-दाउदनगर रोड (एसएच-7) पर आईओसीएल के रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.015 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	11.08.2017	21.09.17	387660	12	--	2018-19	सिंगापुर (पंचानपुर, टेकरी)	गया	50	3	312178	75482

मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र)

क्र. स.	डायवर्सन केस का नाम	प्रथम स्टेज अनुमोदन की तिथि	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा राशि जमा की तिथि	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा जमा की गयी राशि	वृक्षारोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या जिसके जमा की गई थी	वनारोपण का क्षेत्रफल	एपीओ का वर्ष जिसमें यह योजना शुरू की गई थी	वनीकरण योजना की स्थल	वन प्रमण्डल का नाम	पौधों की संख्या	एपीओ के माध्यम से निष्पादित योजना के रोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या	एपीओ में योजना के लिए धन का प्राक्धान	अधिक मांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (5-13)
10	गया में श्री हेमंत कुमार द्वारा मऊ-तेतरी-कुरुथा रोड (एस. एच-69) पर आई.ओ.सी.एल. के स्टिल आउटलेट खोलने के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.012 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	15.09.2017	25.10.17	387660	12	—	2018-19	टेकरी- मऊ- कुरुथा रोड एसएच 69 पर	गया	50	3	312178	75482
उप-कुल (ख)				23263443		—	—			2146		8572171	14691272
ग्रैंड टोटल (क + ख)				140922409		604.73				1456744		111128072	29794337

(स्रोत: - राज्य कैम्पा, बिहार के अभिलेख)

परिशिष्ट –3.2.4
(संदर्भ कंडिका– 3.2.5.4, पृष्ठ –105)
2017–18 के एपीओ के माध्यम से विनिर्देश वनीकरण योजनाओं (आयरन गेबियन टू बांस गेबियन) में विचलन दर्शाती विवरणी
(₹ में राशि)

क्र. स.	डायवर्सन केस का नाम	वन प्रमण्डल का नाम	वनीकरण योजना की स्थल	पौधों की संख्या	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा राशि जमा की तिथि	वनीकरण योजना के रोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या जिसके लिए राशि प्राप्त की गयी थी	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा जमा की गयी राशि	एपीओ के माध्यम से निष्पादित योजना के रोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या	एपीओ में योजना के लिए धन का प्रावधान	कम प्रावधान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	समस्तीपुर के समस्तीपुर-ताजपुर रोड के बगल में एच.पी.सी.एल. रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.0105 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	समस्तीपुर	समस्तीपुर-ताजपुर रोड साइड	50	18.12.15	11	187866	3	107131	80735
2	वैशाली में श्रीमती अनीता मल्होत्रा द्वारा लालगंज -हाजीपुर रोड के किनारे बी.पी.सी.एल. के रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.0195 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	वैशाली	लालगंज – हाजीपुर रोड साइड (गौव:- घातरो)	50	06.01.16	11	343876	3	107131	236745
3	बिहार के बेगूसराय जिले में श्री अमरेन्द्र कुमार रॉय द्वारा गरपुरा-हसनपुर रोड के किनारे आई.ओ.सी.एल. के रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.009 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	बेगुसराय	गढ़पुरा – हसनपुर रोड साइड	50	15.06.15	11	212310	3	107131	105179
4	बिहार के सारण जिले में श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा मांड्री-ताजपुर रोड के किनारे आई.ओ.सी.एल. के रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.0135 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	सारण	नई बाजार से रिविलगंज ढ़ाला	50	13.01.16	11	253700	3	107131	146569
5	बिहार के बेगूसराय जिले की श्रीमती मीरा कुमारी द्वारा मंडौल-बखरी रोड के किनारे आई.ओ.सी.एल. के रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के लिए वन भूमि के 0.0105 हेक्टेयर का डायवर्सन	बेगुसराय	मंडौल – बखरी रोड साइड	250	18.12.15	11	1061550	3	520657	540893

मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र)

क्र. स.	डायवर्सन केस का नाम	वन प्रमण्डल का नाम	वनीकरण योजना की स्थल	पौधों की संख्या	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा राशि जमा की तिथी	वनीकरण योजना के रोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या जिसके लिए राशि प्राप्त की गयी थी	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा जमा की गयी राशि	एपीओ के माध्यम से निष्पादित योजना के रोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या	एपीओ में योजना के लिए धन का प्रावधान	कम प्रावधान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	श्री बिनोद कुमार के आई.ओ.सी.एल. पेट्रोल पंप के लिए 0.0165 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	समस्तीपुर	मुसरीघरारी – समस्तीपुर –हनुमान नगर – दरमंगा रोड साइड	250	26.05.16	10	966338	3	520657	445681
7	बिहार के बेगूसराय जिले में श्री पप्पू कुमार द्वारा घरपुरा-बखरी रोड के किनारे आई.ओ.सी.एल. के रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एग्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.013875 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	बेगुसराय	गढपुरा – बखरी रोड साइड	50	29.12.15	11	213368	3	107131	106237
8	सुश्री अगिका कुमारी द्वारा बी.पी.सी.एल. आउटलेट के लिए एग्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.018 हेक्टेयर (पहले 0.0510 हेक्टेयर) वन भूमि का डायवर्सन	बेगुसराय	मुंगेर घाट-रसीदपुर रोड साइड	50	05.02.16	11	213368	3	107131	106237
9	बिहार के समस्तीपुर जिले में श्री चंदन हजारी द्वारा एस.एच.-88 पर रोसरा-शिगिया रोड के किनारे एस्सार ऑयल लिमिटेड के रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एग्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.024 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	समस्तीपुर	रोसड़ा-सिधिया रोड साइड	50	16.03.16	11	381040	3	107131	273909
10	बिहार के नवादा जिले में श्रीमती शिखा सुरुची द्वारा राजगीर-हिसुआ-गया रोड के किनारे एच.पी.सी.एल के रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एग्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.0253725 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	नवादा	एसएच-82 नवादा – हिसुआ – गया रोड साइड	50	18.03.16	11	231523	3	107131	124392
11	बिहार के बेगूसराय जिले में श्री प्रणय कुमार द्वारा मंडौल-बखरी रोड के किनारे एस्सार ऑयल का रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एग्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.018 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	बेगुसराय	मंडौल-बखरी रोड साइड	50	13.05.16	11	217508	3	107131	110377

क्र. स.	डायवर्सन केस का नाम	वन प्रमण्डल का नाम	वनीकरण योजना की स्थल	पौधों की संख्या	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा राशि जमा की तिथी	वनीकरण योजना के रोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या जिसके लिए राशि प्राप्त की गयी थी	उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा जमा की गयी राशि	एपीओ के माध्यम से निष्पादित योजना के रोपण और रखरखाव के लिए वर्षों की संख्या	एपीओ में योजना के लिए धन का प्रावधान	कम प्रावधान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	सीतामढ़ी जिले के श्री पवन कुमार उपमन्यु द्वारा एन.एच.-77 के सीतामढ़ी-सोनबरसा रोड के किनारे आई.ओ.सी.एल. के रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.0315 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	सीतामढ़ी	एनएच - 77 रोड साइड	50	05.04.16	10	275383	3	107131	168252
13	बेगूसराय जिले की श्रीमती उषा देवी द्वारा हवेलीपुर-हसनपुर रोड पर एस्सार ऑयल के रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.012375 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	बेगूसराय	मझोला - गढ़पुरा - हसनपुर रोड साइड	50	24.06.16	11	217507	3	107131	110376
14	बिहार के समस्तीपुर जिले में श्रीमती बैल कुमारी द्वारा समस्तीपुर-दलसिंहसराय पीडब्लुडी रोड के किनारे आई.ओ.सी.एल. के रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.0075 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	समस्तीपुर	समस्तीपुर - दलसिंहसराय रोड साइड	50	14.06.16	11	390859	3	107131	283728
15	वैशाली जिले में श्रीमती सरिता कुमारी द्वारा महुआ-ताजपुर रोड (एसएच-49) के किनारे बी.पी. सी.एल. के रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के लिए वन भूमि का 0.0239 हेक्टेयर (पुनरीक्षित 0.02025 हेक्टेयर) का डायवर्सन	वैशाली	महुआ - ताजपुर रोड (कुषहर चौक के पास)	50	09.06.16	11	217529	3	107131	110398
16	बिहार के बेगूसराय जिले में श्री निषांत कुमार द्वारा एस.एच. -55 पर एस्सार ऑयल का रिटेल आउटलेट खोलने के लिए एप्रोच रोड के निर्माण के लिए 0.01425 हेक्टेयर वन भूमि का डायवर्सन	बेगूसराय	एस.एच.-55 मझोला - रोसरा रोड साइड	50	08.08.16	11	217509	3	107131	110378
कुल				1200			5601234		2541148	3060086

(स्रोत: - राज्य कैम्पा, बिहार के अभिलेख)

परिशिष्ट-3.2.5

(संदर्भ कंडिका- 3.2.6.3, पृष्ठ- 107)

खातों के अनुचित रखरखाव के कारण वित्तीय अनियमितता

क्रम सं०	अनियमितताओं की प्रकृति	वन प्रमंडल का नाम	(रु. लाख में)	विवरण
1	अनधिकृत रूप से ब्याज का व्यय	अररिया	7.41	राज्य कैम्पा की स्वीकृति के बिना कैम्पा फंड के लिए संधारित किये गए बैंक खाते में अर्जित ब्याज से व्यय किया गया था।
		बांका	1.29	
2	ब्याज का अनियमित लेखा	सहरसा	2.56	दुर्गावती कोष से प्राप्त धन के साथ कैम्पा फंड को बैंक में रखा गया था। नतीजतन, ब्याज का अलग से हिसाब नहीं लगाया जा सकता था।
3	बैंक खाते से धन की अनियमित निकासी	बांका	0.24	बैंकों से राशि की वास्तविक निकासी की तुलना में खातों की पुस्तकों में अग्रिमों की कम प्रविष्टि किया गया था।
		सहरसा	0.03	
4	असमायोजित वन अग्रिम	गया	269	24 महीने (2017-19)
		बेगूसराय	59	04 महीने (12/2018 से 03/2019)
		सहरसा	493	24 महीने (2017-19)

परिशिष्ट –3.3
(संदर्भ कंडिका–3.3, पृष्ठ– 112)
एजेंसी को अधिक भाड़े के भुगतान की गणना

(राशि ₹ में)									
क्र. सं.	मद सं.	नाम	परिमाण विपत्र के अनुसार दर	मानपुर खदान से मान्य दर	अधिक प्रावधानित दर	मापी पुस्तिका के अनुसार कृत कार्य की मात्रा	परिहार्य व्यय		
1	4.2 (i)	जी.एस.बी.	2861.37 मी. ³	1526.89 / घन मी.	1334.48 मी. ³	9872.874 मी. ³	13175153		
2	4.12	डब्लू.एम.एम.	3127.07 मी. ³	1750.89 / घन मी.	1376.18 मी. ³	6303.164मी. ³	8674288		
3	5.6 (ii)	डीजीबीएम	10051.99 मी. ³	8615.89 / घन मी.	1436.10 मी. ³	1396.942मी. ³	2006148		
4	5.7 (ii)	एस.डी.बी.सी	11011.01 मी. ³	9480.18 / घन मी.	1530.83 मी. ³	703.303 मी. ³	1076637		
5	6.1	डी.एल.सी	3523.97 मी. ³	2498.15 / घन मी.	1025.82 मी. ³	417.868 मी. ³	428657		
6	6.2	सीमेंट कंक्रीट पेवमेन्ट	6440.85 मी. ³	5415.03 / घन मी.	1025.82 मी. ³	2337.50 मी. ³	2397854		
7	12.8A	पी.सी.एम. 15	5070.11 मी. ³	4044.30 / घन मी.	1025.81 मी. ³	506.685 मी. ³	519763		
8	12.8C	आर.सी.सी.एम. 20	5443.41 मी. ³	4417.60 / घन मी.	1025.81 मी. ³	1019.16 मी. ³	1045465		
9	14.1B	आर.सी.सी.एम. 25	6464.64 मी. ³	5438.83 / घन मी.	1025.82 मी. ³	679.548 मी. ³	697087		
10	14.4	सी.सी. वियरिंग कोट	9970.96 मी. ³	8945.14 / घन मी.	1025.81 मी. ³	23.017 मी. ³	23611		
11	13.10	प्रोवाइडिंग एंड लेयिंग फिल्टर मिडिया	2736.61 मी. ³	1485.54 / घन मी.	1251.07 मी. ³	228.0 मी. ³	285244		
कुल							30329907		
परिमाण विपत्र से 10 प्रतिशत कम दर पर अनुबंध हेतु कमी							3032991		
परिहार्य भुगतान							27296916	i.e. ₹2.73 करोड़	

